महानगर नई दिल्ली रविवार 16 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (22+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

चीन से आए 17 यात्रियों में कोरोना के लक्षण मिले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

कोरोना वायरस पर चौकसी के तहत हवाई अड्डे पर संक्रमण की जांच शुरू होने से पहले जो यात्री चीन और इस वायरस से प्रभावित अन्य देशों से भारत आ चुके थे, उनमें से 17 यात्रियों में इस वायरस के लक्षण दिखाई पड़े हैं। मध्य जनवरी में दिल्ली आए 5700 लोगों की स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग की और उनमें से 17 लोगों में इसके संक्रमण से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिकारी के मुताबिक 817 यात्रियों का पता नहीं चल सका है जिनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

चीन या अन्य देशों की यात्रा पर गए ये सभी लोग 15 जनवरी से पहले दिल्ली लौट आए थे। दिल्ली में गहन चौकसी 17 जनवरी के बाद से शुरू हुई थी।

दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर हवाई अड्डे पर चौकसी शुरू होने से पहले जो यात्री भारत आ चुके थे, उनका पता लगाने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उनकी जानकारी जुटाई। हवाई अड्डे से उन यात्रियों की सूची निकाली बाकी पेज 8 पर

भारतीयों को जापानी जहाज से निकालने की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

विदेश मंत्रालय ने जापान स्थित भारतीय दूतावास के हवाले से शनिवार को कहा कि वह जापानी क्रूज जहाज पर फंसे भारतीयों को निकालकर स्वदेश लाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए जापानी अधिकारियों की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। जापान के बाकी पेज 8 पर

आइटीबीपी केंद्र के लोगों की रिपोर्ट सोमवार को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

चीन में कोरोना वायरस प्रकोप के कारण वुहान से वापस लाए गए और आइटीबीपी के पृथक केंद्र में रखे गए कुल 406 लोगों को जल्द छुट्टी दे दी जाएगी, बशर्ते जांच के लिए भेजे गए अंतिम नमूनों के नतीजे निगेटिव आएं। आइटीबीपी के अधिकारियों ने बाकी पेज 8 पर

रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

आज केजरीवाल की तीसरी कसम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अन्य मंत्री भी पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। आप सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा शपथग्रहण समारोह है, जो रामलीला मैदान में होने जा रहा है। शनिवार देर शाम तक दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी अंतिम तैयारियों में जुटे रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक व मंत्री गोपाल राय ने भी रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया।

आप सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा शपथग्रहण समारोह है, जो रामलीला मैदान में होने जा रहा है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सदस्यों के नामों की अधिसूचना शुक्रवार देर रात जारी की थी। शपथ लेने वाले मंत्रियों में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन व राजेंद्रपाल गौतम का नाम शामिल है। हालांकि कैबिनेट सदस्यों के कार्यभार को लेकर आम आदमी पार्टी ने बाकी पेज 8 पर

125 कैमरे से निगरानी

रामलीला मैदान में मुख्य मंच को तीन हिस्सों में बांटा गया है। मैदान में पहली पंक्ति में दिल्ली के विधायकों को बैठाया जाएगा। दूसरे हिस्से में 50 विशेष आमंत्रित लोग शामिल रहेंगे। 45 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। मैदान को नौ हिस्सों में बांटा गया है। चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए 125 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।

शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित खबरें पेज 3 पर

रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी।

बनेंगे मंत्री

- मनीष सिसोदिया
- सत्येंद्र जैन
- गोपाल राय
- कैलाश गहलोत
- इमरान हुसैन
- राजेंद्रपाल गौतम

स्कूल वैन में आग, चार बच्चों की मौत

चंडीगढ़, 15 फरवरी (जनसत्ता)।

पंजाब के संगरूर में शनिवार की दोपहर एक स्कूल वैन में आग लगने से चार मासूम बच्चे जिंदा जल गए जबकि आठ बच्चे झुलस गए। झुलसे बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस आग में वैन चालक भी झुलस गया है। मरने वाले सभी बच्चे चार से पांच साल के आयु वर्ग के हैं। एसएसपी ने बताया कि स्कूल के मालिक व प्रिंसिपल लखविंदर सिंह व चालक दलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आठ बच्चों में से चार को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना की जांच के आदेश बाकी पेज 8 पर

शनिवार को संगरूर में घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी।

नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी वैन

चंडीगढ़, 15 फरवरी (जनसत्ता)।

स्कूल वैन में लगी आग में चार बच्चों की मौत के बाद वैन चालक और स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला तथा सांसद भगवंत मान ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उधर एफएसएल ने भी हादसे का शिकार हुई वैन बाकी पेज 8 पर

गिरिराज ने किया माल्यार्पण, विपक्ष ने किया शुद्धिकरण

बेगूसराय (बिहार), 15 फरवरी (भाषा)।

बेगूसराय के बलिया में स्थापित आंबेडकर प्रतिमा पर किया था माल्यार्पण

केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह द्वारा आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गंगाजल से प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिराज ने प्रतिमा को अशुद्ध बाकी पेज 8 पर

शायर प्रतापगढ़ी को दस लाख के मुचलके का नोटिस

मुरादाबाद, 15 फरवरी (भाषा)।

कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर स्थानीय ईदगाह पर संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने पर शायर व कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से दस लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है।

अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि प्रतापगढ़ी को प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए दस लाख रुपए का मुचलका भरने का नोटिस दिया गया है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर लगभग 13 लाख रुपए का खर्च आया था। सुरक्षाकर्मियों की अब तक की गई तैनाती पर लगभग एक करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप

बहुलवाद को विचारों के दमन से बड़ा खतरा : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़

अमदाबाद, 15 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 'असहमति' को लोकतंत्र का 'सेफ्टी वॉल्व' करार देते हुए शनिवार को कहा कि असहमति को एक सिरे से राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी बता देना संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण एवं विचार-विमर्श करने वाले लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता के मूल विचार पर चोट करता है। उन्होंने कहा कि बहुलवाद को सबसे बड़ा खतरा विचारों को दबाने से और वैकल्पिक या विपरीत विचार देने वाले लोकप्रिय एवं अलोकप्रिय आवाजों को खामोश करने से है। उन्होंने कहा, 'विचारों को दबाना राष्ट्र की अंतरात्मा बाकी पेज 8 पर

असहमति पर प्रहार संवाद आधारित लोकतांत्रिक समाज के मूल विचार पर चोट करता है। इस मायने में असहमति लोकतंत्र का 'सेफ्टी वॉल्व' है।

बैंक एकीकरण के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी सरकार : सीतारमण

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

सरकारी बैंकों के एकीकरण के प्रस्ताव पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बाबत अधसूचना में देरी की आशंका से भी इनकार किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में शनिवार को इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे पीछे हटने का कोई कारण है और न ही ऐसी कोई वजह है, जिसके कारण किसी अधिसूचना में कोई देर हो। सीतारमण यहां भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।

वित्त मंत्री ने साफ किया कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।

बैंकिंग व्यवस्था पर कोई मुद्दा उठा तो आंतरिक स्तर पर चर्चा : दास
खबर पेज 8 पर

पिछले साल अगस्त में सरकार ने 10 अलग-अलग सरकारी बैंकों का आपस में विलय करके चार बाकी पेज 8 पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास।

महंगाई पर बजट का ज्यादा असर नहीं होगा : दास

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि बजट प्रस्तावों का महंगाई पर बहुत अधिक असर नहीं होगा क्योंकि सरकार राजकोषीय घाटे को सीमित करने की एफआरबीएम कानून में तय राह पर कमोबेश बनी हुई है। इस महीने की शुरुआत में पेश आम बजट में राजस्व संग्रह में कमी के चलते बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता बारादरी

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि वामपंथी दल भारत में विपक्ष को संघर्ष की दिशा दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कहा कि पैसे वालों के लिए उपाय करने से हालात बेहतर नहीं होंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वे खरीदना शुरू करेंगे तभी कुछ होगा। उनसे विस्तृत बातचीत पढ़ें - पेज 7 पर

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उठा कश्मीर मुद्दा

अमेरिकी सिनेटर को जयशंकर की खरी-खरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी हाजिरजवाबी से सवाल पूछने वाले का मुंह बंद कर दिया।

दरअसल, चर्चा के दौरान कश्मीर मसले का उल्लेख करते हुए अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, 'लोकतंत्र को ठीक से चलाने का यह तरीका होगा कि कश्मीर बाकी पेज 8 पर

तुर्की के राष्ट्रपति को चेतावनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

पाकिस्तान की संसद को संबोधित करने के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने शनिवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को चेताया और उनसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से दूर रहने को कहा।

विदेश मंत्रालय बाकी पेज 8 पर

शाह फैसल पर पीएसए के तहत मामला दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व आइएएस अधिकारी शाह फैसल के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से हिरासत में बंद फैसल के खिलाफ शुक्रवार रात को पीएसए के तहत मामला दर्ज किया बाकी पेज 8 पर

दरअसल

मंदिर निर्माण का अहम पड़ाव पूरा | **आस्था** | आधुनिक उपकरणों से किया काम

अबूधाबी के पहले मंदिर की भरी गई नींव

दुबई, 15 फरवरी (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबूधाबी के पहले हिंदू मंदिर के निर्माण में महत्त्वपूर्ण पड़ाव पूरा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि यहां इसकी नींव को पहली बार कांक्रीट से भरने का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) मंदिर की आधारशिला रखी थी।

यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल, सामुदायिक विकास प्राधिकरण के सीईओ उमर अल मुथन्ना और शापूरजी पलोंजी के सीईओ मोहनदास सैनी की मौजूदगी में पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी और पूज्य अक्षयमुनिदास स्वामी ने परियोजना के लिए विशेष पूजा की।

समारोह के दौरान पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी ने कहा, 'आज हमने मंदिर की अनोखी नींव भरने का कार्य शुरू किया जिसका निर्माण प्राचीन प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक उपकरणों से किया गया है।' उन्होंने कहा, 'यह ईश्वर की कृपा, समुदाय के पूर्ण समर्थन और यहां मौजूद हर व्यक्ति के प्रेम के बिना संभव नहीं था।' राजदूत कपूर ने कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे इसका श्रेय मेरे पूर्ववर्ती को देना होगा जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया और यूएई की सरकार को इस बड़े और उदार फैसले को लेने बाकी पेज 8 पर

मंदिर की नींव में एक ही बार में 3,000 घन मीटर कंकरीट का मिश्रण भरा गया जो 55 फीसद राख से बना हुआ था। इससे मंदिर की नींव को दुनिया भर में प्रयोग होने वाले कंकरीट मिश्रणों की तुलना में अधिक पर्यावरण हितैषी तरीके से भरा गया।

यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल, सामुदायिक विकास प्राधिकरण के सीईओ उमर अल मुथन्ना और शापूरजी पलोंजी के सीईओ मोहनदास सैनी की मौजूदगी में परियोजना के लिए विशेष पूजा की गई।

जनसत्ता रविवारी

16 फरवरी, 2020

कोख, किराया और कानून

किराए की कोख (सरोगेसी) को लेकर संसद में समय-समय पर बहस और चर्चाएं होती रही हैं। इसके लिए बने कानूनों में संशोधन भी हुए, लेकिन अभी भी देश में सरोगेसी का दुरुपयोग रुका नहीं है। बता रही हैं सुजाता माथुर।

- कहानी/ राजेंद्र जोशी • भाषा/ आलोक कुमार सिंह
- योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ रुक्मिणी देवी अरुंडेल
- दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

परीक्षा में सफलता के लिए नींद जरूरी • दीप्ति अंगरीश

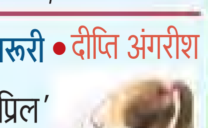

- कविता/ गौरव वाजपेयी 'स्वप्निल'
- कहानी/ दिनेश चमोला 'शैलेश'

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Anil Kumar S/o Rajender Kumar R/o-B-50, 3rd-Floor, Gali-No.14, Indra-Park, Krishna Nagar, Delhi-110051,inform that name of mine & my wife hasbeen wrongly written as Anil Rana,Neena Rana in my minor daughter Lavanya Rana(Age-12Years) Educational Documents.The actual name of mine are Anil Kumar,Neena respectively which may be amended accordingly. 0040532249-8

I,SWETA,W/O-Bhagwat Prasad,R/O-H.No.I-116/2, Main Tanki Road,Hari Extn., Badar pur,New Delhi-110044,have change my name to SWETA GUPTA for all future purposes. 0040532223-1

I,Pradeep Singh S/o Sikander Singh R/o J-198, Sector-22, Noida, Dist-G.B.Nagar, inform that my name wrongly mentioned in my daughter's (Shrishti Rawat) school record as Pardeep Rawat instead of Pradeep Singh. 0040532211-1

I,Deepanshu S/O Ramesh R/O-Flat No-319,Tagore Garden Extension, New Delhi-110027, Have Changed My Name To Deepanshu Mohindra, For All Future Purposes. 0040532286-2

I,AKSHITA SHASHIKANT SHIRPURKAR,D/O-SHASHIKANT SHIRPURKAR, R/o-240-A, UP-2,Sector-4, Vaishali,Ghaziabad,have change my name to AKSHITA SHIRPURKAR for all future purposes. 0040532223-2

I, Virasat Hussain S/o Latafat Hussain R/o H.No.21, Gali No.1, Old Kardam Puri Shahdara, Delhi-110094 have changed my name to Javed Ahmad for all purposes. 0040532172-1

I, Vineesh V Devan resident of Vill-Poruvazhy Post-Ambalathumbhagom Dist-Kollam State-Karala Pin-690520 have added surname to my daughter's name SREENANDA and her updated name is SREENANDA VINEESH vide Affidavit dated 14-02-2020 before Tahasiladar, Lucknow. 0060072945-2

I, Vijay Pal Bist S/o Dharam Pal Singh R/o-2A/901, Bharat-Apartment, Plot-8, Sector-18(a), Dwarka, N.S.I.T. Dwarka, Delhi-110078. have changed my name to Vijay Bisht, permanently. 0040532241-2

I, Sunil Kumar S/o Prem Nath R/o-D-1/16/4, DLF-Plaza, Dilshad-Extn-2, Ghaziabad, U.P.have changed my name from Sunil Kumar to Sunil Raina,for all future purposes. 0040532241-7

I, Sharad Kumar Purohit S/o Shiv Dayal Purohit R/o-129-E, BHEL Colony, Sector-17, Noida, GautamBuddha Nagar, UP-have changed my name to Sharad Purohit. 0040532286-9

I, Shah Faisal Alias Intezar Hussain S/o Shabbir Ahmed R/o,5039 Gali Anna Wali Kucha Rehman Chandni Chowk Delhi-110006, have changed my name to Shah Faisal, Permanently. 0070698662-1

I, Sevak Singh S/O Thakar Singh R/O Hno.8/A-7, Bc-Block, Singh Sabha Gurudwara, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Changed my Name to Sewak Singh. 0040532234-8

I, Satvinder Kaur W/O Sewak Singh R/OHno.8/A-7, Bc-Block, Singh Sabha Gurudwara, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Changed my Name to Satinder Kaur. 0040532234-7

I, Sanju S/o Hari Singh R/o H.No.28/3D/1A, Gali No.1, East Azad Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Sanju Ahluwalia for all purposes. 0040532180-2

I, Sanjiv Ahluwalia S/o Hari Singh R/o H.No.28/3D/1A, Gali No.1, East Azad Nagar, Delhi-110051 have changed my minor son's name from Rishi to Rishi Walia for all purposes. 0040532180-1

I, Sana Zafar W/o Zafar Siddiqui R/o-21/1 G Manzil-Basti Hazrat Nizamuddin,Near Karim-Hotel,New Delhi-110013.have changed my name,from Sana Zafar to Sana Khan for all,purposes. 0040532286-1

I, SONI spouse of SINGESHWAR PRASAD SINGH resident of House No. 365, Flat No. 6, Gali No. 25,Dhan Meal Road, Chattarpur Hills, Chattarpur, Delhi 110074 have changed my name form SONI to SONI SINGH vide affidavit dated 11/02/2020 before the Executive Magistrate, Civil Lines, Delhi. 0040532250-1

I Happy Pandwala S/o Baldev Singh R/o Pandwala, SAS Nagar, Mohali, Mubarakpur, Punjab-140201, have changed my name to Hardeep Singh 0070698790-1

I Kanupriya D/o Vinod Kumar Srivastav R/o 97/98, Near Kala Patthar, Nyay Khand-2, Indirapuram, I.E.Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010 have changed my name to Priya Srivastav for all purposes. 0040532166-1

व्यक्तिगत

I, SHAHNAZ Khanam W/o Zahir Ali H.No.2E-156, Near-Bali Nursing Home, Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001 changed my name to Shahnaj. 0040532286-4

I, Roop Lal,S/o Sh.Baldev Singh R/o-RZ-1/59. 1st-Floor, Gali No-1, Tughlakabad-Extension Kalkaji New Delhi-110019. have changed my name from Roop Lal@Roop Lal Minhaas@Roop Lal Manhas to Roop Lal,for all future purposes. 0040532249-4

I, Rishi Prakesh Sharma S/O Brahm Prakash Sharma R/O-Rz-B-154, Galino.6, Rajnagar Part-1, Palam Colony, Delhi-110045. Changed my Name to Rishi Prakash Sharma. 0040532234-9

I, Renee Biswas R/o N127 C1 3rd Floor Hargovind enclave Chattarpur New Delhi wish to inform that my father's Name N.R Biswas is wrongly mentioned on my passport the actual name is Francis Xzavier and my mother's name Purabi Biswas is wrongly mentioned on my passport, the actual name is Mary Francis 0070698699-1

I, Ravindar Kumar S/o Amarnath R/o-13/276, Block No.13, Geeta Colony, Delhi-110031. have changed my name to Ravinder Kumar Sharma permanently. 0040532241-1

I, Ratnesh Kumar s/o Onkar Nath Dwivedi address: C-802, Moti residency, Rajnagar Extension, Ghaziabad, UP have changed my name to RATNESH DWIVEDI. 0040532272-1

I, Rajesh Rani W/O Sudheer Singh R/O-F-1/4 Gurdwara Shri Guru-Nanak Satsang Sabha vasant vihar new Delhi-110057 have changed my name to Rajesh Kaur, for all future purposes. 0040532292-2

I, Rajender Singh Bisht S/o Ganga Singh Bisht R/o-K6B/44B, Mahipalpur, Extn, New Delhi-110037.inform that my father name Ganga Singh Bisht & Ganga Singh is one and same person. 0040532249-5

I, Suresh Joshi S/O Mahesh Chand Joshi R/O-WZ-442, TF, SriNagar, Shakur Basti, Delhi Changed Name To Suresh Kumar Joshi. 0040532241-3

I, Rahul Rai Son Of Vasudev, Resident Of Village-Taudhavpur, Tehsil-Lalganj, Pargana-Dalmau, Distt.-Raibareily, U.P.Have Changed My Religion From Hindu To Islam (MUSLIM) W.E.F. 01.03.2000 For All Purposes. 0040532305-6

I, Rahul Rai Son Of Vasudev, Resident Of Village-Taudhav pur, Tehsil-Lalganj, Pargana-Dalmau, Distt. Raibareily, U.P.Have Changed My Name From Rahul Rai To LAHUL Khan" For All Purposes. 0040532305-5

I, Pushpavati Garg W/O Ram Niwas Garg R/O-A1/104 Milan-Vihar Appartment I.P.Extn Patpar-Ganj Delhi-110092, Have Changed My Name To Pushpa Garg,For All Purposes. 0040532305-11

I, Nirmala Devi Daughter Of Ram Kumar, Resident Of Village-Taudhavpur, Tehsil-Lalganj, Pargana-Dalmau, Distt. Raibareily, U.P. Have Changed My Religion From Hindu To Islam (MUSLIM) W.E.F. 01.03.2000 For All Purposes. 0040532305-4

I, Nirmala Devi Daughter Of Ram Kumar, Resident Of Village-Taudhavpur, Tehsil-Lalganj, Pargana-Dalmau, Distt. Raibareily, U.P. Have Changed My Name From Nirmala Devi To SHEHNAJ Begam For All Purposes. 0040532305-3

I, Mitali Das W/o Karan Dutta R/o-2/211-A, Daya Homes, Flat.No.I, Second-Floor, Mehrauli-Ward No.2, New Delhi-110030,have changed my name to Mitali Dutta. 0040532234-4

I, Maqbool Ahmed khan S/o Mohammad Ahmed R/o-136/1, Gali.No.7,Ramesh-Park, Laxmi-Nagar Delhi-110092 changed my name to Maqbool Ahmed & hereby inform that in my passport no P324839 my father name is wrongly-written as Mohd Ahmed Khan instead of correct-name Mohammad Ahmed. 0040532286-5

I, Manish S/O Shadi Lal R/O 687/14, Guru NanakPura, Rohtak-124001. Have Changed My Name To Manish Kumar. 0040532286-7

I, Maneesh Kumar Chaturvedi S/O, Lalmani Chaubey R/O H. N.-117, Vill- Nahora, Post-Nahora, Dist- Jaunpur have changed my name to Manish Kumar Chaturvedi for all purposes. 0040532292-1

I, MOHAMMAD ILYAS R/o H.No.2, Basti Baoli, Near A-14, Defence Colony, New Delhi-110024 have informed that my father's name MOHAMMAD YAKOOB written in my Passport. But my father's correct name is LUDHDAR ALIAS MOHAMMAD YAQOOB. 0040532207-1

I, Apoorv Jain S/O Vinod Kumar Jain R/O A-2/35, Sector-3 Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Apurv Jaaiin. 0040532249-2

I, Aarshi Aggarwal D/O Sanjay Aggarwal, R/O E-18/224, Pocket-E-18, Sector-3, Rohini Delhi, have changed my name to Arsshi Aaggarwal. 0040532249-1

I, Kirpa Joshi W/O Suresh Kumar Joshi R/O-WZ-442, TF, Sri Nagar, Shakur Basti, Delhi. have Changed Name To Kripa Joshi. 0040532241-4

I, Khimuli Devi W/o Ganga Singh R/o-K-44B, Gali-No.6B/5, Mahipalpur, New Delhi-110037. That my all names Kheema Devi, Khima Vashist & Khimuli Devi pertains to me. 0040532249-6

I, Inderjit Singh S/o Makhan Singh R/o-WZ-274 E/2/2, Navyug-Block, Vishnu Garden, New Delhi-110018. have changed my name to Inderjeet Singh. 0040532286-3

I, Inder Sain S/o Shanti Swarup R/o.Flat-No-230 Golden-Height Appartment, Sector-12, Pocket-8, Dwarka, N.Delhi-110078, have changed my name to Inder Sain Nagpal. 0040532241-9

I, Hariom S/o Late Chandgi Ram R/o:520-521, Pocket-C, Group-1, Janta-Flats, Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-59. Have Changed My Name to Hariom Singal 0040532234-10

I, Hemant Kumar Verma S/o Jagdish Narayan Verma R/o 244/86, Gali No.5, School Block, Mandawali, Delhi-110092 have changed my minor son's name from Priyanshu to Priyanshu Kumar for all purposes. 0040532210-1

I, Harpreet Singh S/o Balwinder Singh R/o-5-C-33, Vishnu-Garden, N.Delhi-18, that in some records my father's name written as Balwinder Singh Panesar instead of correct name Balwinder Singh. 0040532241-10

I, Hardeep Singh Sokhi S/O Jagtar Singh R/O-Wz-44-B, Ground-Floor, Galino.11, Sant Garh, Tilak Nagar, Delhi-110018. Changed my Name to Hardeep Singh. 0040532234-5

I, Gufran Khan F/o Shreen Khan R/o-D-6/18, Shiv Shakti Appartment, Sector-71, Noida, G.B.Nagar, have changed minor daughter name Shireen Khan. 0040532305-1

I, Gopal Nagpal S/o Sohan Lal R/o-B-37, New India-Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Gopal Dass Nagpal. 0040532241-5

I, Geeta W/o Rakesh R/o-3381/9 Gali.No.8 Dharampura, Gandhi-Nagar Delhi-110031, have changed my name to Sarita,for all purposes.Geeta and Sarita is one and the same person. 0040532286-10

I, Gautam Chauhan S/o Indrasan Chauhan R/o-91/3, B-G/F, Vasant-Nagar, Vasant-Vihar, New Delhi-110057. inform that my father name has been wrongly mentioned as Indrason instead of Indrasan Chauhan in my 10th Class Certificate. 0040532249-7

I, Gagan Rawat S/o Mahesh Chand R/o B-6, Ward-No.-7, Nakshatra-Apartment, Mehrauli Plot No.-C-1065, Gadaipur, Delhi-110030 have changed my name to Gagan 0040532234-1

I, Divya Khatwani W/o Ravi Talib R/o-A-235 Prashant Vihar Delhi-110085, have changed my name to Bhavika Talib for all purposes. 0040532234-2

I, Bhavneesh Chandera Vaid S/o Harish Chander Vaid R/o-Flat-21044, Plot-Gh-03, 4th-Floor, ATS Green Paradiso, Sector-Chi4, Greater-Noida, UP have changed my name to Bhavneesh Chandra Vaid. 0040532241-6

I, Babita Sahrawat W/o Hardeep Sahrawat R/o-21/A, Main-Road, Chirag-Delhi, Malviya-Nagar, South-Delhi, Delhi-110017. have changed my minor son name from Aarav Sherawat aged 10-years to Aarav Sahrawat, for all purposes. 0040532249-9

I, Asmat Bano W/o Raisuddin R/o, 2437 Main Bazar Chitli Qabar Jama Masjid Delhi-110006, have changed my name to Asmat, Permanently. 0070698680-1

I, Asmat Bano W/o Raisuddin R/o, 2437 Main Bazar Chitli Qabar Jama Masjid Delhi-110006, have changed my name to Asmat, Permanently. 0070698680-1

I, Aryan S/o Mahender Singh Dalal R/o ED-Block,15-A, Pitampura Delhi-110034, have changed my name to Aryan Dalal for all purposes. 0040532234-3

I, Ajay Kumar Doomra S/O Ramesh Kumar Doomra R/O-A-1/85-B, Janta-Flats, Maa-Shakti Apartment, Paschim-Vihar, Delhi-110063. Changed my Name to Ajay Doomra. 0040532234-6

I, Deep Narayan Dwivedi, S/o Sh.Raja Ram Dwivedi R/o-Sadhika-Farm, Sec-D, Pkt-3, VasantKunj, Delhi-110070.have changed the name of my minor son Lucky aged 14years 09-months to Bhavik Dwivedi for all purposes. 0040532286-6

I Hitesh S/O, Karshan Bhai R/o Flat No.105 First Floor, Plot No.16 and 17, Jain Colony Part-1, Opp Durga Mandir, Uttam Nagar, Delhi-110059 have changed my name to Hitesh Gohil 0040532174-1

I Zareena Begum W/O Mohammad Arfeen Qureshi, H.No-7347, 2nd-Floor Gali-Teliyan Ahata Kidara Sadar Bazar Delhi-110006. Changed My Name To Zareena. 0040532286-8

व्यक्तिगत

मैं सरला देवी पत्नी गोविन्द सिंह अभिलाषी निवासी C-10/20 सैक्टर 15 रोहिणी दिल्ली 110089 ने अपना नाम भविष्य के लिए बदलकर सरला अभिलाषी रख लिया है।

I Yuti Bhardwaj D/o Manmohan Sharma R/o D-357, Gali No-2, Hardev Puri, Nand Nagri, Delhi-110093, have changed my name to Hanseka Sharma 0070698708-1

I Rahul Sarda S/o Sunil Kumar Sarda R/o 301, Jaswant Garh, Nagaur, Rajasthan-341304, have changed my name to Rudra Sunil Sarda 0070698701-1

I Vikas Kumar S/o Charan Dass R/o-A-52, Vivek-Vihar, Phase-II, Delhi-110095.have changed the name of my minor son Vansh Sharma to Vansh Kumar age about 15-years for all future purposes. 0040532241-8

I Vikas Jatav S/o Chhatra Singh Jatav R/o House No-168-K, Paragaon Road, Gariaband, Bindrawangarh Raipur, Chhattisgarh-493889, have changed my name to Vikas Chandoliya 0070698700-1

I Sukhvir Kaur W/o Guriqbal Singh R/o PO and Tehsil Dasuya, Mahadipur, Hoshiarpur, Punjab-144205, have changed my name to Balvir Kaur 0070698707-1

I Sai Shirin Pandit Shirdi D/o Sh. T. N. Pandit R/o E-811, First Floor, Chittranjan Park, Kalkaji, New Delhi-110019 have changed my name to Ms. Naina Pandit for all purposes. 0040532166-2

I Ravi Prakash S/O, Karam Chand R/o 105, Gracious Tower, Plot No. Gh-12, Sector-56, Gurgaon, Haryana have changed my name to Ravi Prakash Rishiraj for all purposes. 0040532175-1

I Rashmi Gharami W/O-Kamal Kumar Gharami R/O-INS Satvahana, Naval-Base, Visakhapatnam (A.P.)-530014 Have Changed my Name to Kum. Rashmi Karnik. 0040532305-2

I Pawan S/o Rati Ram R/o-A/156, Ward No.10 Firoz Nagar Block-A Dabua Faridabad, have changed my Name to Pawan Bhadana 0040532170-1

I Jameela Salmani W/O Abdul Rahman H.No.P-72 Street no.5 Shankar Nagar Extn.Krishna-Nagar East/Delhi-110051 have changed my name to Jameela Khatoon. 0040532249-3

I JC-470649K Ex Sub Mohammad Yunus 8 RAJ RIF have change my daughter name from Gazala Bano to Gajala Khan in my service record and correct name is Gajala Khan. 0040532181-1

I, Haroon S/O Umrao Khan R/O-Vill-Mohammad Nagar,PO-Mandikhera Mewat Nuh, Haryana-122107,Have Changed My Name To Mohammad Haroon For All Future Purposes. 0040531599-5

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीरु गोयल एवं श्री दीपक गोयल ने ग्रेटर कैलाश-1 दिल्ली में स्थित सम्पूर्ण तीसरा तल (बिना छत अधिकार के साथ) "कथित फ्लोर" सम्पत्ति सं. ई-254 आवासीय का भाग [illegible] 213 वर्ग गज के मालिक एवं कब्जेदार होने का दावा किया है और इस सम्पत्ति को श्री आलोक माथुर (विक्रेता) और श्रीमती [illegible] से बिक्री विलेख दिनांक 11.07.2017 के आधार पर खरीदा गया था। और अब श्रीमती नीरु गोयल एवं श्री दीपक गोयल ने वित्तीय सहायता के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से सम्पर्क किया है जिसके लिए उन्हें कथित सम्पत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होगा। [illegible] के दिनांक से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को [illegible] माना जाएगा और हमारे मुवक्किल उक्त सम्पत्ति पर [illegible] को गिरवी रखने की प्रक्रिया करेगा।

Sunil Parsad (Advocate)
For Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

CAUTION NOTICE

This is to bring to the notice of the General Public that the property described hereinbelow has been in the possession of Our Client **Mrs. Anupam Shekhar, B - 283, Brij Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201011**

The public in general is hereby cautioned not to deal with the property B - 283, Brij Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201011. In case any person / entity deals with the said property in any manner whatsoever, he/she/they will be doing so at their own risk, cost and consequences.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

B - 283, Brij Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201011

Nitesh Kumar Sinha
Advocate , Delhi High Court
NKS Law House LLP
Mobile : 9871500827

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **वी आर सत्यन पिल्ले** (V R Sathyan Pillai) तथा **सान्ता सत्यन** (Santha Sathyan) के नाम में संयुक्त रूप से पंजीकृत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**, पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुंबई- 400013 के विशिष्ट संख्या 14733136-14733635 वाले रू. 2/- (रू. दो मात्र) प्रत्येक के 500 इक्विटी शेयर्स (अब रू. 1/- प्रत्येक के 1000 इक्विटी शेयर्स में विभक्त) हेतु शेयर सर्टिफिकेट नंबर 003014989 खो गया है।

अतः कम्पनी से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने तथा नाम में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त शेयर सर्टिफिकेट के संबंध में दावेदार है, उसको अपना दावा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कम्पनी में प्रस्तुत करना चाहिए।

हस्ता./-
सत्यन पिल्ले/
सान्ता सत्यन

नई दिल्ली
दिनांकित : 14-02-2020

खोया+पाया

I, VARUN Rao S/o Abhimanyu R/o Rz-17E old Roshanpura Najafgarh Delhi-43. have lost my original certificate class-10th year-2019 Rollno-8235697 CBSE-Delhi. 0040532292-8

My original CBSE qualifying Secondary School Examination-1988 Rollno.492877, Sr.Secondary Examination-1990, Rollno.918705, National Trade Certificate in cutting and Tailoring(NCVT)-1992, B.A.Degree-1998 (Delhi University) certificates and marksheets have been lost. Madhuri, D/o C.L.N.Sastry-279/GH-13, Paschim Vihar, New Delhi-87. 0040532249-10

I, DEEPAK S/o Bijender h.no-53 vpo-Auchandi new Delhi-110039. have lost my original/certificate/marksheet class-10th year-2011 Rollno-8687139 CBSE- Delhi. 0040532292-4

I, NARINDER Kaur D/o Swaran Singh R/o-9/38 Ramesh Nagar New Delhi-15. have lost my original certificate class-10th year-1996 Rollno-6121392 CBSE-Delhi. 0040532292-7

I, Naveen jain S/o Ashok kumar R/o-Kh-57 manav-mandir ring-road sarai kalekhan new delhi-13. have lost my original certificate class-10th year-2014 Rollno-8207696 CBSE-Delhi. 0040532292-5

I, PRATEEK Ninavat S/o Laxmi Narain R/o-C-53 govindpuri new delhi. have lost my original certificate class-12th year-2008 Rollno-6231116 CBSE-Delhi. 0040532292-6

I, Rakhi D/O Naresh, have lost my 10th Original CBSE-Marksheet & Certificate Roll No-8316126, Year-2017. Finder Contact: B-121, Sanjay-Basti, Timarpur, Delhi-110054. 9069332036. 0040532292-3

I, Abhishek Gandhi S/O Ramesh gandhi R/O B-7 / 8 & 9 1st floor sec-4 rohini. have lost my original/ certificate/ marksheet Class-10th Year-2005 Rollno-5222615 CBSE-meerut 0040532292-10

रिक्त स्थान

Required 25-30-year-old Male for office and Field Work. Good Salary Per Month Call-9936590499 0050162556-1

PUBLIC NOTICE

My client RAJ KUMAR SHARMA, HIS WIFE KUSUM SHARMA R/O PLOT NO. 1, H. NO. 6/23, RAKSHA ENCLAVE GALI NO. 6, NEAR NEHRU CHOWK, MOHAN GARDEN, UTTAM NAGAR, DELHI-110059, has debarred their son PRADEEP KUMAR SHARMA and daughter-in-law UPASNA SHARMA from their all movable-immovable properties and severe all their relations due to misbehave and bad conduct. Anybody dealing with them shall bear at his own cost & risk.

Sd/- **KAMAL KANT (ADVOCATE)**
Off. AT: H.NO. 82, TYPE-2, LANCER ROAD, JAWAHAR MARKET, TIMARPUR, DELHI-110054
MOB. NO. 9871945824

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री हरी चन्द पुत्र स्व. रोशन लाल पता-एच-55 गली नं.-2, अन्धामुगल, प्रताप नगर दिल्ली-7 ने अपने पौत्र मयंक चौहान उर्फ शिवम पुत्र विमल कुमार के अवज्ञाकारी आचरण के कारण उसे अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल करके उससे अपने सभी पारिवारिक, सामाजिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उसके किसी भी कृत्य, लेन-देन के लिए मेरे मुवक्किल व परिवारजन उत्तरदायी नहीं होंगे।

एस.डी. अंसारी (एडवोकेट)
315, एस्सल हाउस,
आसफ अली रोड,
नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुरेश देवी Residential Plot of area measuring 100 Sq. yds, i.e. 3 Marla 2 sarsai, comprised in Mustatil No. 239, Killa No. 1, situated at Waka Sivana Mauja Bohdakalan, Tehsil Pataudi, Distt. Gurugram Haryana की मालिक है। इस मकान की ट्रांसपर डीड दिनांक 09.03.15 जो की पूनम देवी द्वारा अपने पति नवीन कुमार के पक्ष में की गई है व सेल डीड दिनांक 31.03.15 जो की नवीन कुमार द्वारा सुनीता सैनी के पक्ष में की गई है गुम हैं जिसकी Lost Property Report दिनांक 30.12.19 को दर्ज की गई है, यह सम्पत्ति GICHFL के पास बंधक होने जा रही है, यदि किसी को यह दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो निम्नलिखित को 15 दिन के अंदर सूचित करें:

इंदु कॉल अधिवक्ता
मोबाइल न. 9899064376
चैम्बर न. 369, 394 & 376
पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE

It is to inform that my client Sh. Nitin Thukral, S/o Late Sh. Ramesh Thukral, R/O A-4/412, Paschim Vihar, New Delhi-110063, do hereby declare that an execution petition was filed by Sh. Nitin Thukral bearing no. 2345/2019 in the court of Sh. Anshul Mehta, Civil Judge, Tis Hazari Court, Delhi. The warrant of possession was issued in the said execution petition by the Hon'ble Court for taking possession of property bearing address **Shop No. No 105, Deshbandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi-110005** and the possession of the said property has been taken in due compliance of the orders of the Hon'ble Court by Sh. Nitin Thukral. That one Sh. Mukesh sharma s/o late sh. Ram Narayan Sharma is left with no right, title or interest in the property bearing address **Shop No. 105, Deshbandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi-110005.**

UJJWAL JAIN (ADVOCATE)
Mob No.: 8860694909

PUBLIC NOTICE

To be known that I, Ashok Kumar Sethi, owner of DDA Flat Number 139A LIG Flats, Rajouri Garden, Delhi-110027 have lost the Conveyance Deed pertains to the above flat. An FIR to this effect has been lodged in Police Station. Any person(s) / Financial institutions/ Banks claiming any right, interests, having any objection or found in possession of original documents, may write contact with above named person at above address /phone No. 9810044000 within 15 days from the publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform, write to above named person.

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

Sanjay Sharma (Adv.) D/[illegible]
Civil Side, Tis Hazari Courts, D-54

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री शहाबुद्दीन पुत्र स्व. सलीमुद्दीन, निवासी-ए-65, शहीद नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201006 ने अपने पुत्र कासिम व पुत्रवधु गुलशन को इनके दोनों बच्चों आयशा व जैद सहित उनके दुर्व्यवहार/दुराचरण व नियंत्रण से बाहर होने के कारण सभी सम्बन्धविच्छेद करते हुए अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई लेन-देन/व्यवहार करेगा तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमे मेरे मुवक्किल व उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Sameer (Advocate)
Ch.No.370, Civil Wing
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

सार्वजनिक सूचना

ये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा महफूज हसन को आई कार्ड जारी किया गया था जो दिनांक 30.01.2020 से लापता है जिनका क्रमांक 02628 है यदि किसी व्यक्ति को यह कार्ड मिलता है तो कृपया इसे The Manager Debt Services & Management Group, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, Gurman Industries, को वापस कर दिया जाये। आईसीआईसीआई बैंक के सभी ग्राहकों को ये सूचित किया जाता है की यदि कोई व्यक्ति जो इस क्रमांक 02628 का आई कार्ड प्रयोग कर आप से भुगतान मांगता है तो वह अनाधिकृत होगा। कृपया यह सुनिश्चित कर ले की अगर कोई भी व्यक्ति इस आई कार्ड धारक को किसी भी प्रकार का भुगतान करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा तथा इस के लिए आईसीआईसीआई बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक: 30.01.2020 हस्ता0/—
स्थान: दिल्ली For आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

My client Shri Vishwanath S/o Late H.L.Sharma and Smt. Saroj W/o Shri Vishwanath, Both R/o Flat No.2, Sath Apartments, Plot No.18, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 have severed terminated all relations from their son Govind Sharma and daughter-in-law Smt. Jyoti Saraswat alongwith their dauther (Divyanshi) and disinherited disowned them from their all moveable and immovable properties due to their misbehaviour, cruelty and non-compliance. In future, if any person deals with the aforesaid debarred persons then he shall be doing this at his/her own risks and costs and my clients will not be responsible for the same in any manner.

S.M. Sharma (Advocate)
Ch.No.57, Typist Block, Civil Wing
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

Public Notice

MY CLIENTS SH. RUDRAKANT SHARMA S/O SH. MAHA KANT , HIS WIFE BHARTI DEVI, SON VICKY SHARMA RESIDENT AT H.NO-506,GALI NO-7,ASHOK MOHALLA NANGLOI, DELHI-41 AND DAUGHTER NICKY SHARMA W/O SH. DILIP SHARMA R/o- TIKONA PARK, SHASTRI PURAM, AGRA U.P hereby remove their relationship & expel their son RAVI SHANKAR SHARMA and his wife SONAM from all their moveable & immoveable property because they are out of their control. If anybody deals with them, then he/she will do so on his/her own risk.

MS.VIJAY LAXMI Adv.
(Delhi High Court) 113,CLJ Lawer Chambers Tis Hazari Delhi-54.

PUBLIC NOTICE

Notified that my client **(1) Shri Subhash Verma** S/o Late Shri Rameshwar Dass **(2) Smt. Geeta Verma** W/o Shri Subhash Verma both R/o H.No. AG-73, Shalimar Bhagh, Delhi-110088, has/have severe relation from their son **PANKAJ VERMA and his wife PRIYA VERMA and their son DAVIK VERMA**. Due to their cruel and harassing behaviour towards my above named client. Now they have no domestic relations with them and has/have disowned them from all movable properties.

Any person dealing with his/ her/ him/ them will do at his/ her/ them own cost & risk and my client's should not be responsible for them. if any.

Sd/-
SAURABH GUPTA (Advocate)
Enrl.No. 369/2011

PUBLIC NOTICE

This is for general information of public that my client Sh. Joginder Babbar S/O L. Sh. Khazan Singh r/o T-157, Outram Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 has disowned and disinherited his wife Smt. Kuljinder Kaur and his daughter Ms. Samdisha from all his movable, immovable properties and other assets which he owns or may happen to own as they both have proved disloyal to me and earned disgrace to the family.

Henceforth his said wife and daughter shall have no representational capacity and no act of theirs, will bind my client. Anybody dealing with him shall do so at his own risk.

Sd/-
K.D. KAUSHAL (Advocate)
Ch. No. 276, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Mukesh Aggarwal S/o Late Sh. Rattan Lal Aggarwal and Smt. Prem Lata Aggarwal W/o Sh. Mukesh Aggarwal both R/o H.No. 100, 2nd Floor, Pocket-11, Sector-24, Rohini, Delhi-110085, have severed all relations with their son Mr. Deepak Aggarwal, his wife Ms. Harshita and son Shresth as Ms. Harshita use to misbehave, insult, humiliate and extend threats to my clients of dire consequences and implication in false dowry cases and their son proved to be helping hand to his wife Ms. Harshita. My clients have also debarred/disowned them from all their movable and immovable properties. Whoever makes any kind of deals of whatsoever nature with them, same shall be entirely at his own risks and consequences and my clients shall not be held responsible in any manner for their acts, deeds and things.

Sd/- **RANDEEP SINGH (Advocate)**
Ch. No. 664, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

MAY IT BE KNOWN TO GENERAL PUBLIC'S NOTICE THAT my clients Sh. Vinod Bhatia & his wife Smt. Kiran Bhatia, both residents of R/o C-3/30, Sector-15, Rohini, New Delhi-110085, Delhi-110059, do hereby severe all their social relations with their son, namely Sahil Bhatia, aged about 29 years, debar him from all their relations including movable and immovable properties, as he is disobedient, disrespectful & unprofessional in nature. Whosoever will deal with him, whether personally or professionally, shall do so at their own risk, cost and consequences. My clients will not be liable for any of their acts, omissions, dealings, transactions etc. with immediate effect.

Sd/- **SUMIT BALUJA (Advocate)**
Sh.No. 39, F/F, Subhash Nagar, Main Market, New Delhi-27

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that my clients S. Daljeet Singh S/o Late S. Sher Singh and his wife Smt. Kuljeet Kaur both R/o C-125, Upper Ground Floor, Mansarover Garden, New Delhi-15 have disowned/ debarred their son Sh. Karandeep Singh and his wife Smt. Gagandeep Kaur from all their movable and immovable properties and severed all their relations with them as they are not in control of my clients. If anybody deals with them, he/she shall do so at his/her own risk and my clients shall not be responsible.

Sd/-
A.K. Tripathi
Advocate
Ch. No. 386, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कश्मीर के तीन विद्यार्थी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार

बंगलुरु, 15 फरवरी (भाषा)।

कर्नाटक में हुबली जिले के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीर के तीन विद्यार्थियों को पाकिस्तान के समर्थन में कथित रूप से नारेबाजी करने और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो साझा करने को लेकर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिक सूचना के अनुसार ये विद्यार्थी कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ कॉलेज प्रबंधन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। हुबली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त आर दिलीप ने कहा कि हमें सूचना मिली कि केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी में अध्ययनरत कश्मीर के तीन विद्यार्थियों ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नारे लगाए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर फैल गया। गोकुल रोड थाने के निरीक्षक की अगुआई में तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची और उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाजरंग दल समेत दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ता कॉलेज के समीप पहुंचे और उन्होंने इन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जब इन तीनों विद्यार्थियों को थाने ले जाया जा रहा था तब उनके चेहरे ढके थे और उस दौरान एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता ने उन पर हमला करने का प्रयत्न किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। अधिकारी के अनुसार राजद्रोह और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने से जुड़ी भादसं की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दिलीप ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी सामने आएगी, हम सबूतों, कानून और तथ्यों के लिहाज से आगे की कार्रवाई करेंगे। हम उनकी पृष्ठभूमि खंगालेंगे और यह पता करेंगे कि किसी ने उन्हें गुमराह करने का प्रयास तो नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारियों को किसी खास समुदाय या क्षेत्र के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अधिकारियों के अनुसार तीनों ने सेल्फी वीडियो बनाकर उसे वाट्सऐप पर डाला जो सोशल मीडिया पर फैल गया। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच शुरू में उनमें से एक कथित रूप से कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद वे तीनों एक के बाद एक कर आजादी चिल्लाते हैं। वे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगोते हैं।

बताया जाता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जरूरत है।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Mahendra Sehrawat S/o Lt. Lakhpat R/o H.No. 240, Village Hiran Kudna, Delhi-110041 severed relations and disowned/ debarred his son & daughter in law namely Pawan Sehrawat & Kirti Sehrawat w/o Pawan Sehrawat from all his movable and immovable properties either self aquired or ancestral due to their misconduct, disobedience & misbehaviour attitude. My client has severed all his connections/ relations from them and if anyone dealing with them in future in any manner, shall do so at his/her own risk and consequences and my client shall not be responsible for any acts, deeds, things and any criminal act done by them.

Sd/-
SANJAY TYAGI
Advocate
Ch.No. B-113A, B.G.S. Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Ashok Kumar S/o Late Sh. Diwan Chand R/o H.No. 44, Rohini, Sector-15, Pocket-19, New Delhi has lost Original NOC and Original Possession Letter of property bearing No. 44, Rohini, Sector-15, Pocket-19, New Delhi, both issued by DDA Housing Department on 06.02.2020 at about 11:17 Hrs. at Khanpur, New Delhi. in future, If anybody finds the above said documents of my client, kindly return the same to my client on his above said address.

Saurabh Kumar (Advocate)
Ch. No. 483, Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from and on behalf of My Client **Smt. Veena Neb** W/o Anil Neb R/o J-208, First Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have disowned her elder son **Manish Neb** S/o Anil Neb, her daughter-in-law **Vandana Neb** W/o Manish Neb, her grandson **Ranveer Neb** and granddaughter **Rubani Neb** and her younger son **Sunny Neb** S/o Anil Neb all R/o J-208, First Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, due to their misbehavior and disobedience from all of my client's moveable, immovable assets and have also ceased all relations in every respect with them. Anybody dealing with them will do so at his/her/their own risks, costs and responsibility. My client will not be responsible for their any act, transaction in any manner.

J.C. Trikha (Advocate)
M-4, Civil Lines Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

GENRAL PUBLIC IS HEREBY INFORMED THAT WE, **RAM PYARI W/O SH. MADAN LAL & MADAN LAL S/O LATE NARAYAN PRAKSH R/O C-49, BUDH NAGAR, INDERPURI, NEW DELHI-110012** HAVE DISINHERITED AND DISOWNED OUR DAUGHTER **MS. RAJNI AND HER HUSBAND MR. JAI PRAKSH** FROM ALL MOVABLE AND IMMOVBALE PROPERTIES AND ALSO SERVED ALL OUR RELATIOSHIP WITH ALL OF THEM DUE TO THEIR ADAMENT AND IMPROMPTU BEHAVIOUR AS BOTH OF THEM ARE DISOBEYING US AND THEY ARE OUT OF OUR CONTROL AND ALSO THEY MISBAVE WITH US. ANY PERSON DEALING WITH THEM IN ANY MANNER SHALL BE DOING SO AT HIS/HER OWN RISK AND RESPONSIBILITY.

Sd/-
VIJAY KUMAR
ADVOCATE
Ch. No. C-77, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all that My Client Sharda W/o Anil Kumar S/o Late Shri Surat Singh Both R/o H.No-1216, Udan Pana, Kanjhawala (Behind Tammana market), Delhi-110081 disowned their son Kamaldeep, daughter in law Anjali and grandson Navneet from their all movable, immovable properties due to their mis-behavior & bad conduct. Anybody dealing with them in any manner whatsoever will be doing at his/her own cost risk & responsibility.

Sd/- **RITU VERMA (Advocate)**
Enrl. No:-D/1126/92

PUBLIC NOTICE

Be it known to all hereby that my client Raghubir Singh S/o Amar Singh and his wife Jagwanti with all family members, all R/o E-310 (HN 310, Block-E) Yadav Nagar Samay Pur Delhi-110042 have debarred his son Deepak Kumar with Daughter-in-law Chandni Kumari W/o Deepak Kuamr R/o E-310 (HN 310, Block-E) Yadav Nagar Samay Pur, Delhi-110042 from all his movable and immovable properties, anybody dealing with him/ them shall be him/herself responsible and accountable for losses or damages etc at his/her own and my client with all family members shall not be responsible for the same.

Vinay Sharma (Advocate)
Ch.No.M-1, Civil Wing (Opp: DBA office), Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

I, Prakash Sharma S/o Sh. Tekram, resident of 36, Jod Basti, 20 Fatehpur Beri, New Delhi-110074, age about 50 years, disown my son namely Sh. Ram Gopal Sharma from all of my moveable and immoveable property from tody, onwards anybody, dealing/making any business/ family terms or relation with Sh. Ram Gopal Sharma will be at their own risk and consequences and I will be not held responsible for the same.

Sd/-
MANISH KUMAR (ADVOCATE)
D/2907/2011

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Shri Shyam Singh S/o Shri Shiv Shai and Smt. Babita Rani W/o Shri Shyam Singh, Both R/o: E-291A, Gali No-74, Balaji Mandir Mahavir enclave, Part-3, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have severed their relations from their son Shri Rahul Kumar S/o Shri Shyam Singh and his wife Smt. Aarti W/o Shri Rahul Kumar and my clients have also disowned and disinherited them from all their movable and immovable properties. Henceforth, anybody dealing with the said Shri Rahul Kumar and his wife Smt. Aarti may do so at his/her own risk and consequences and my above said clients shall not be held liable for any of the acts, deeds and things done by aforesaid persons i.e. Shri Rahul Kumar and his wife Smt. Aarti.

Sd/- **A.N. PANDEY, Advocate**
D/918/97-R
At: 552, Lawyers' Chambers
Dwarka Courts, New Delhi
Mobile : 9810173809

पब्लिक नोटिस

सर्व जन साधारण को सूचित किया जाता है की हमारे मुवक्किल श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री फूल सिंह निवासी मकान नंबर 450-ए वार्ड नंबर-3, मेहरौली नई दिल्ली-110030 ने मकान नं 189/1-26 [illegible] नं. 1, फ्लैट नं. 5, तीसरी मंजिल, [illegible] गाडाउन मेहरौली, नई दिल्ली-30 ने अपनी पुत्री कुमारी याशिका का उसके गलत व्यवहार और गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल व वंचित करता है और उपरोक्त मुवक्किल अपना नाम भी याशिका को इस्तेमाल करने से वंचित करता है। अतः कोई भी व्यक्ति उपरोक्त याशिका से कोई सम्बन्ध या लेनदेन करता है तो वह उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी और इस हालात में हमारा उपरोक्त मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

के.एल. शर्मा (अधिवक्ता)
चैम्बर न. 121, साकेत कोर्टस, नई दिल्ली-17

तीन तलाक मामले में परिवार के पांच सदस्यों पर मुकदमा दर्ज

ठाणे, 15 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में तीन तलाक के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह जानकारी शनिवार को दी।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता को पिछले साल फरवरी से ही दहेज की मांग को लेकर उसके पति शारिक शेख और ससुराल पक्ष के चार लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें कहा गया कि आरोपियों ने पीड़िता के परिवार वालों से दोपहिया वाहन और घर खरीदने के लिए पैसे की मांग की। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर पीड़िता को जिंदा जलाने की धमकी दी गई।

शिकायत के मुताबिक, प्रताड़ना के चलते जब पीड़िता मायके जाने की तैयारी करने लगी, तभी उसके पति ने कथित तौर पर उसे तीन बार तलाक कहा और गैरकानूनी तरीके से तलाक दे दिया। पुलिस उपायुक्त (भिवंडी जोन 2) राज कुमार शिंदे ने बताया कि भारतीय दंड संहिता और मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षकों की हाजिरी पर भिड़े भाजपा–'आप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व आम आदमी पार्टी (आप) भिड़ गए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति को जहां एक तरफ 'आप' के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने शिक्षकों के लिए गर्व व सम्मान की बात कहा है। वहीं,

विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने बदला आदेश, शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं

भाजपा के नेता इसे भीड़ बढ़ाने का तंत्र बता रहे हैं। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में 'आप' ने बड़े–बड़े बैनर, पोस्टर के माध्यम से अपने शिक्षा मॉडल को बताने की कोशिश की है। उधर, देर शाम शिक्षा विभाग में ओएसडी रविंद्र कुमार ने खंडन जारी कर बताया है कि मैदान पर आने वाले शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के लिए उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है।

प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि इस समारोह में शामिल होना दिल्ली के शिक्षकों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि तैयारियां आखिरी चरण में चल रही हैं। सभी विभाग के अधिकारी लगे हैं। दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं। मंच पर हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों को बैठाया जाएगा। 4,5,6,7,8 व 9 नंबर गेट से आने का मौका मिलेगा। मौसम में बदलाव हुआ है, इसके लिए जल बोर्ड को पर्याप्त बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शपथ ग्रहण को भी हमें ऐतिहासिक बनाना है।

नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को 'आप' के नेता अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इस आदेश को 'तानाशाही' करार दिया है और कहा कि इससे उनका यह विश्वास 'चकनाचूर' हो गया है कि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल का जोर शासन और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने पर होगा।

पुलिस ने किए विशेष बंदोबस्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

रामलीला मैदान की ओर किसी भी तरह के व्यावसायिक वाहन नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यहां आने वालों के लिए कार पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदली रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त के मुताबिक, शपथ ग्रहण में आने वाली भीड़ को देखते हुए व्यावसायिक वाहनों के इस ओर आने की मनाही है।

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
MSTC LIMITED (A GOVT OF INDIA ENTERPRISE)
जीवन विकास भवन, 30/31A, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002
दूरभाष : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713
ई–नीलामी कार्यक्रम
एमएसटीसी द्वारा इंडस टावर्स की ओर से ई–नीलामी संख्या– निम्न स्थान के लिए दिल्ली – 37530, हापुड़–37526, लखनऊ–37527 के माध्यम से एसी, एसी एनर्जी मीटर, टीएक्स रैक, एसएमपीएस, एमएस स्क्रैप, एलसीयू, कॉपर स्ट्रिप, डीजीकेंट एबी एवं सी–15 केवीए, 25 केवीए स्टेबलाइजर (सर्वो), डीजी बैटरी, डीवीडी प्लेयर, एम्पलीफायर, प्रोजेक्टर, लेनोवो मॉनिटर, टीवी, एलसीडी, एलसीयू (एएल), थर्मल कोटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, एफसीयू 2000 सीएफएम, एसएमएफ पैनल, पीआईयू, कैबिनेट, बैटरी कैबिनेट, टीएक्स रैक इंडोर, कोणीय– ट्यूबलर टॉवर, शेल्टर पैनल, कॉपर केबल, आर्मर्ड केबल एल्युमीनियम, डीसी डीसी कन्वर्टर, डीसी डीसी मॉड्यूल, टॉवर सामग्री, बैटरी सेल, आईआईपीएम, इत्यादि के निपटान के लिए 18.02.2020 को ई–नीलामी का आयोजन करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.mstcecommerce.com/www.mstcindia.co.in पर जाएं।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतम बुद्ध नगर
सार्वजनिक सूचना
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अर्न्तगत M/s New Way Homes Pvt. Ltd. के भूखण्ड संख्या–GH-10A सेक्टर–टेकज़ोन–IV ग्रेटर नौएडा (West) पर दिनांक 22.05.2015 को मानचित्र स्वीकृती प्रदान की गई थी। तदोपरान्त बिल्डर द्वारा अध्यासन प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) हेतु दिनांक 15.01.2020 को आवेदन किया गया है। जिसमें पूर्व स्वीकृत फ्लैटों के डिजाइन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है, अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी Consent दी गई है या नही के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है इस सम्बन्ध मे बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित Declarations एवं संशोधित मानचित्र एवं परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से सांय 6:00 बजे के मध्य नियोजन विभाग के Displayed में नक्शे में किया जा सकता है। मानचित्रों में उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 के प्राविधानों के अर्न्तगत उक्त प्रस्तावित संशोधन के सम्बंध में अपार्टमेन्ट स्वामियों/संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियॉ आमन्त्रित की जाती है।
अतः उपरोक्त के निहतार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम पता एवं दूरभाष नंबर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नौएडा में स्थित महाप्रबंधक वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तु) विभाग में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त कराई जा सकती है।
नगर नियोजक
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

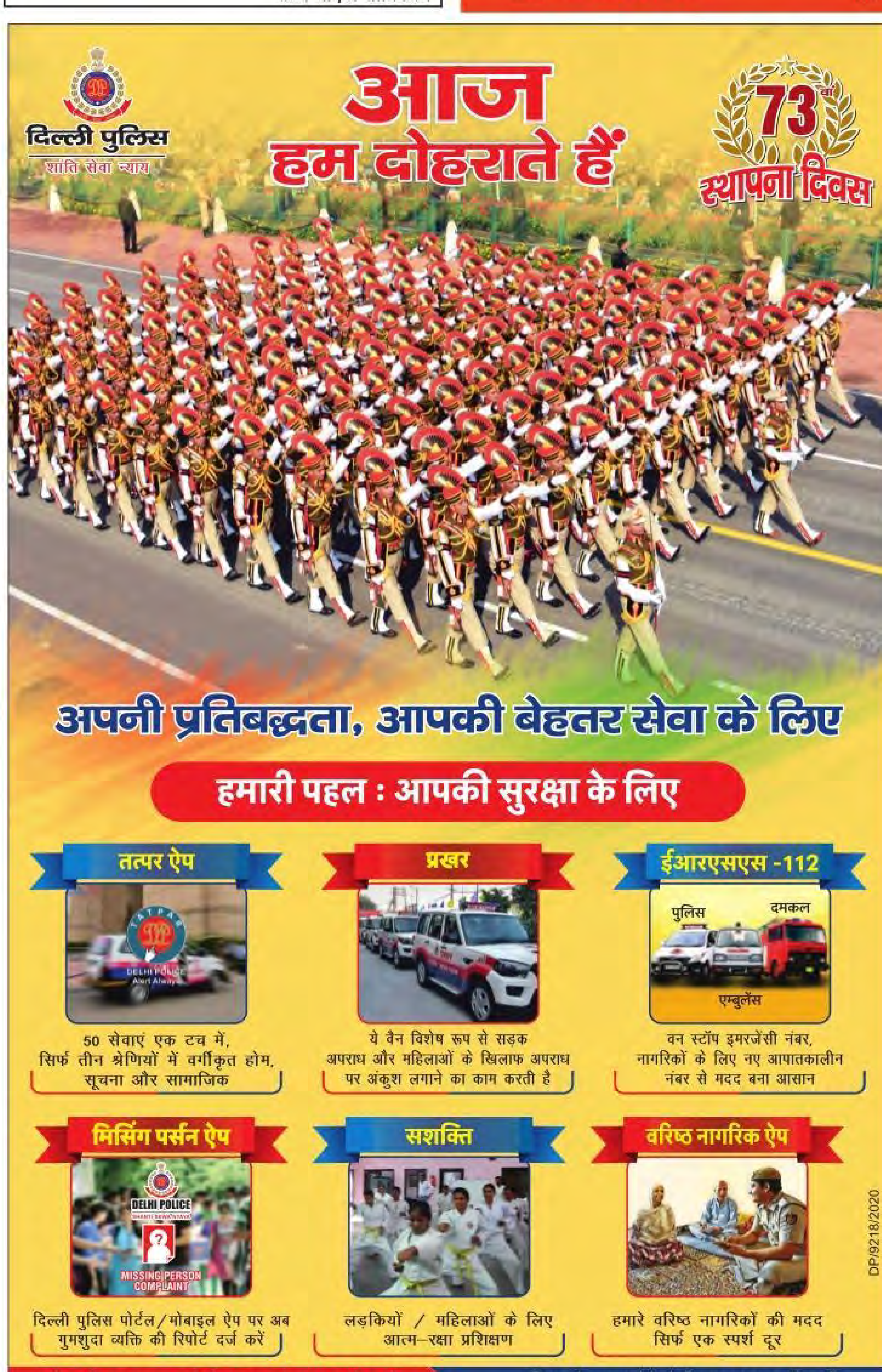

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	25.7 डि.से.	25.7 डि.से.	25.5 डि.से.	26.0 डि.से.
न्यूनतम	11.5 डि.से.	11.5 डि.से.	13.7 डि.से.	11.5 डि.से.

खबरों में शहर

मुगल गार्डन में फोन चोरी होने का मामला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन में घूमने गई एक दर्शक का मोबाइल फोन चोरी हो गया। दर्शक मनु शर्मा ने इस संबंध में साउथ एवेन्यू थाना पुलिस से शिकायत कर दी है। मनु ने बताया कि वह मुगल गार्डन घूमने के लिए शनिवार को अपने परिवार के साथ गई थी। इसी दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ले ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

अदालत न पहुंचने पर थरूर पर हर्जाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर बिच्छू संबंधी टिप्पणी करने को लेकर दायर मानहानि मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर शनिवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर पर अदालत ने 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य पर यह कहते हुए हर्जाना लगाया कि अदालत के निर्देश के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। अदालत दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

जीजीएचएस स्कूल में 'अविरल' का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

जीजीएचएस स्कूल ने शनिवार को सालाना कार्यक्रम 'अविरल-2020' का आयोजन किया। ब्रिगेडियर भानु सूद इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। शिक्षाविद् वीपी टंडन, डॉ सुरेंद्र कुमार भंडारिया सहित कई गणमान्य लोगों ने इसमें शिरकत की। अविरल में स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। अविरल की थीम प्रकृति थी और कार्यक्रम जल की महत्ता पर केंद्रित था। प्राचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट और स्कूल का लेखा जोखा रखा। कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं ने शास्त्रीय संगीत नृत्य प्रस्तुत दी।

पांच सितारा होटल के बेसमेंट में लगी आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पांच सितारा होटल द पार्क के बेसमेंट में रखे जेनरेटर में शनिवार को आग लग गई। यह आग कुछ ही देर में पूरे बेसमेंट में फैल गई। उसका धुआं होटल के ऊपरी मंजिल के कमरों में घुस गया जिससे कमरे में सो रहे करीब 14 लोगों का दम घुटने लगा। इनमें दो लोग नार्वे के नागरिक थे। बचाव कार्य के दौरान तोड़े गए शीशे की चपेट में आकर लोग घायल हुए हैं। शुरू में आग को कर्मचारियों ने ही बुझा दिया। करीब तीन घंटे बाद इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को मिली। हालांकि आग बुझ चुकी थी लेकिन वहां धुंआ फैला हुआ था। पुलिस ने मामले में कनॉट प्लेस थाने में लापरवाही की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करोलबाग के होटल अर्पित में इस तरह आग ने कई लोगों की जान ली थी। उधर, शाहबाद डेयरी इलाके की झुग्गियों में शनिवार को आग लग गई। शनिवार सात बजे शाम लगी इस आग को बुझाने के लिए दिल्ली अग्निशमन की 14 गाड़ियां भेजी गईं। आग यहां के बंगाली बस्तियों की झुग्गियों में लगी। दमकल प्रवक्ता का कहना है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन सामानों की क्षति हुई है। देर रात तक आग बुझाने का कार्य जारी रहा।

हथियार दिखाकर सर्राफ दुकान में लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

आया नगर इलाके में मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर एक आभूषण विक्रेता की दुकान में बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों का पीछा करने पर आरोपियों ने आभूषण विक्रेता पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली आभूषण विक्रेता को लगी नहीं। वारदात के बाद आरोपी जेवरात का बैग और करीब 40 हजार रुपए लेकर मौके से फरार हो गए।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

दिल्ली सरकार : शपथ ग्रहण समारोह, रामलीला मैदान, सुबह दस बजे से।

दिल्ली पुलिस : 73वां 'राइजिंग डे' परेड, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, सुबह साढ़े नौ बजे।

शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगी दिल्ली सरकार की चुनौती

बिजली और पानी पहली परीक्षा

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

दिल्ली की राजनीति का माहौल गर्म करने वाले बिजली-पानी के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी सरकार की पहली परीक्षा होगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की राहत और 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना रही है, जिस पर जमकर वोट बरसे हैं।

बिजली-पानी की इन योजनाओं को इस बार फिर आम आदमी पार्टी ने अपने गारंटी कार्ड में भी शामिल किया है। सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही मौसम में गर्मी का अहसास भी शुरू हो गया है, जिसमें बिजली और पानी की जरूरत को दिल्ली वालों के लिए पूरा करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे में इन दोनों योजना पर खरा उतारना ही दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी।

दिल्ली वालों को हर साल गर्मियों में भीषण बिजली-पानी संकट का सामना करना पड़ता है। आज भी दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में पानी की लाइनें नहीं है और टैंकर के माध्यम से जल बोर्ड पानी की आपूर्ति करता है। गर्मियों में दिल्ली को करीब 1000-1200 एमजीडी पानी की आवश्यकता होती है। इस बार अपने गारंटी कार्ड में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हर घर को नल से जल देने की घोषणा की है। योजना के तहत जनता को 24 घंटे शुद्ध पानी उपलब्ध कराना शामिल है। इसके लिए पानी की उपलब्धता सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार ने हर घर को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की भी गारंटी दी है। इस योजना से एक मध्यम वर्गीय परिवार को करीब 1000 से 1250 रुपए प्रति माह की राहत हो रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी का दूसरी बड़ी गारंटी बिजली है। गारंटी कार्ड के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने व 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जारी रखने का वादा किया है। जनवरी में दिल्ली में 47 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है।

बिजली मांग कम होने की वजह से सर्दी से ठीक पहले अधिकतम परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इलाकों में बिजली के तारों के जाल को हटाकर उन्हें भूमिगत करने का भी लक्ष्य जोड़ा है। यह बड़ा ही चुनौती पूर्ण व खर्चीला है।

गारंटी कार्ड में प्राथमिकताएं

- बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था
- सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज
- 11 हजार बसें व 500 किमी मेट्रो सेवा
- वायु प्रदूषण को 3 गुना कम करना
- दिल्ली को कूड़े व मलबे से मुक्ति दिलाना
- महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे
- कच्ची कॉलोनियों में बिजली-पानी व सड़क
- जहां झुग्गी-वहीं मकान योजना

भाजपा ने पानी पर घेरा था

विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पानी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आरोप था कि दिल्ली वालों को जल बोर्ड गंदा पानी पिला रहा है। इसका आधार केंद्र के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) की रिपोर्ट को बनाया गया था। इस संस्था ने देश के 21 शहरों में पानी के नमूने लिए थे। इन नमूनों की रैंकिंग में दिल्ली 21वें पायदान पर मिला था।

मेट्रो में अश्लील हरकत करने का आरोपी हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के एक कोच में महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। डीएमआरसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस पुरुष यात्री के अश्लील व्यवहार के बारे में एक शिकायत आई थी। डीएमआरसी ने घिटोरनी पुलिस थाने को सूचित किया और शिकायतकर्ता से संपर्क कर-के उसे हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

इसके बाद डीएमआरसी की ओर से घिटोरनी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। डीएमआरसी और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। डीएमआरसी सुरक्षा प्रकोष्ठ और पुलिस की ओर से सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन में संदिग्ध की खोज शुरू हुई। डीएमआरसी से जारी बयान में बताया गया है कि एफसी गेट पर स्कैन किए गए समार्टकार्ड खंगालने पर आरोपी के स्मार्ट कार्ड की पहचान की गई। उसने अपने स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन रीचार्ज किया था। जिससे उसके मोबाइल नंबर का पता चला फिर उसे ट्रैक किया गया और इसी जरिए इसकी पहचान की गई। डीएमआरसी ने उसे गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया है। मामले की पड़ताल जारी है।

दिल्ली मेट्रो का सुरक्षा विभाग भी मामले की लगातार निगरानी कर रहा है और पुलिस को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है। डीएमआरसी ने कहा है कि अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बहुत गंभीर है और सभी आवश्यक सहयोग दिया जाता है।

लापता दो बच्चों के शव मिले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता दो बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बच्चों के शव इलाके में उनके घर से कुछ दूरी पर नाले के पास मिले। बच्चों की पहचान मोयन (4) और अवसान (6) के रूप में हुई है। इनमें से अवसान बीती आठ फरवरी से लापता था, जबकि मोयन शुक्रवार को ही गायब हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की जांच कर रही है।

दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल में रखवा दिया है। गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों ने शनिवार को इलाके में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए। सूचना मिलने पर जिला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्दी ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की का शव मिला है। लड़की का शव शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे, जबकि लड़के की शनिवार सुबह के समय घर के पास बने नाले से मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चों की हत्या की गई है या फिर खेलते समय नाले में गिर गए थे। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है। मोयन और अवसान दोनों जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में परिवार के साथ रहते थे।

विरासती वाहन इंडिया गेट पर अंतरराष्ट्रीय विंटेज कार रैली में इतराती चलीं पुरानी कारें।

शख्स ने महिला के घर के बाहर गोली चलाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

तिलक नगर थाना क्षेत्र में देर रात शख्स ने एक महिला के घर के बाहर गोली चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। घटना की सूचना शुक्रवार देर रात पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि पीसीआर स्टाफ ने एक शख्स को पकड़ रखा है और उसके पास से कट्टा बरामद हुआ है। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

शख्स की पहचान पश्चिम विहार निवासी मनप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस को पता चला है कि गोली प्रेम प्रसंग में चलाई गई थी। पुलिस ने उसके पास ओड़िशा में पंजीकृत एक कार भी जब्त की। पुलिस टीम को कार से 44 कारतूस, एक मैगजीन और खोखे मिले।

पार्षद बने विधायक, खाली सीटों पर दावेदारी शुरू

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

आम आदमी पार्टी के छह पार्षदों के विधानसभा पहुंचने के बाद निगम में खाली हुई सीटों पर दावेदारी तेज हो गई है। दिल्ली में आप के बढ़ते जनाधार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बनी छवि को भुनाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के वे कार्यकर्ता जिन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल सका था निगम की खाली सीटों पर दावेदारी के लिए लामबंदी तेज कर दी है।

दिल्ली में इस समय तीनों नगर निगमों में विपक्ष की भूमिका में आप के पार्षद हैं। मौजूदा समय में निगम में आप के पार्षदों की संख्या के हिसाब से उत्तरी निगम में 15, दक्षिणी में 16 और पूर्वी निगम में 9 पार्षद हैं। विधानसभा चुनाव में आप ने सबसे पहले एक साथ अपने 70 सीटों पर उम्मीदवार की ही घोषणा नहीं की बल्कि अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर निगम के छह पार्षदों को मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव में कड़ी मशक्कत के बाद जिस तरह आप ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है उसका असर विधानसभा के बाद नगर निगम के चुनाव में दिख सकता है। पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा चार पार्षदों पर आप ने दांव लगाया था।

चारों पार्षद मौजूदा निगम में महत्त्वपूर्ण पदों पर विराजमान थे। पूर्वी निगम में विपक्ष के नेता रहे रोहित कुमार मेहरोलिया त्रिलोकपुरी वार्ड से पार्षद रहते विधानसभा चुनाव जीत गए। कोंडली विधानसभा से आप ने पूर्वी निगम में ही विपक्ष के नेता रहे कुलदीप कुमार को विधानसभा का टिकट दिया था। कुलदीप कोंडली के उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबरीश कुमार गौतम को पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा था। यहां भाजपा ने पूर्वी निगम के उप मेयर और शाहदरा दक्षिण जोन के अध्यक्ष रहे राज कुमार ढिल्लो को उम्मीदवार बनाया था। कुलदीप चुनाव जीत गए।

पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर से आप ने निगम पार्षद अब्दुल रहमान को टिकट देकर बड़ा दांव खेला था। जबकि मुस्तफाबाद से आप ने अपने मनोनीत पार्षद हाजी युनूस को मैदान में उतारा था। युनूस और रहमान ने भाजपा उम्मीदवार को कड़ी टक्कर में शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की। उत्तरी निगम के पार्षद जय भगवान और दक्षिणी निगम के पार्षद बीएस जून भी विधानसभा पहुंच गए हैं। भाजपा को निगम में शिकस्त देने के लिए आप ने अपनी कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि खाली हुए पार्षदों के चुनाव की घोषणा से पहले ही आप में इन सीटों पर टिकट के लिए दावेदारी तेज हो गई है।

एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में तीन-चार बदमाश एक निजी बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले गए। एटीएम में 57 हजार रुपए थे। घटना को शुक्रवार की रात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक प्रशासन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, यह पता नहीं चल सका है कि एटीएम में कितने पैसे थे या फिर एटीएम खाली था।

शुरुआती छानबीन में पता चला है कि एटीएम में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिस वाहन से आए थे, वह स्कॉर्पियो कार थी, जिसके पंजीकृत नंबर के आधार पर बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के अलावा अपराध की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। उपायुक्त ने बताया कि फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकती है कि एटीएम में कितने रुपए थे। जिला पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, जो बदमाशों की तलाश में जुटी है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। सुबह स्थानीय लोगों ने जब एटीएम में हुई तोड़फोड़ को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। बदमाशों के चेहरे एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो जाएं, उन्होंने सीसीटीवी को दूसरी ओर मोड़ दिया था।

200 निगम कर्मचारियों के बैंक खाते से उड़े लाखों रुपए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 200 से ज्यादा कर्मचारियों के बैंक खाते से लाखों रुपए हैकर उड़ा ले गए। एनडीएमसी कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से उनके सदस्यों के पैसे बैंक खाते से निकाले जा रहे हैं। उन्हें संदेह है कि उनके एटीएम का क्लोन तैयार कर लिया गया है और इसी के जरिए पैसे निकाले जा रहे हैं। यानी फर्जी एटीएम कार्ड से पैसे की निकासी हो रही है। पुलिस ने भी इस बाबत शिकायत मिलने के बाद अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है।

इस बाबत एनडीएमसी प्रशासन का कहना है कि पुलिस के साथ हम खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों के डाटा की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। एनडीएमसी प्रवक्ता का कहना है कि बैंक के दिए सुझाव को कर्मचारी अमल करें और अपने साथी कर्मचारियों को भी इस बाबत सावधान रहने कहें। एनडीएमसी का कहना है कि कर्मचारी आश्वस्त रहें कि अगर पूरी जांच के बाद इस घपलेबाजी में कोई कर्मचारी लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनडीएमसी का यह भी कहना है कि शुरुआती तौर पर मामला एटीएम फर्जीवाड़ा का ही लग रहा है।

अधिकारी व कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अधिकारियों ने 23 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी डॉ कुसुम वर्मा समिति की सिफारिशों को अब तक लागू न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ एम्स ने इस मामले को लेकर आम सभा की, जिसमें आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया गया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित सिंह ने यह जानकारी दी। मामला था कर्मचारियों की बदहाली व उनके काम के बोझ पर चर्चा का। अजित सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की बेहतरी के बारे में कदम नहीं उठाए जा रहे।

औरंगजेब के महिमामंडन के खिलाफ सिख समुदाय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

मुगल बादशाह औरंगजेब के दिल्ली में हुई ताजपोशी वाले स्थल को संवारने के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) की कथित पहल ने तूल पकड़ लिया है। सिख गुरुद्वारा कमेटी ने सरकार को चेताया है कि वे इसे रोकें या फिर विवाद व संघर्ष के लिए तैयार रहें। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग से सिख समुदाय ने तुरंत हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा है कि इस बाबत आबंटित धन को सरकार किसी और नाम को ऊबारने व संवारने में खर्च करे।

शनिवार को इस बाबत बुलाई प्रेस कान्फ्रेंस में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केंद्र सरकार के एएसआइ की ओर से शालीमार बाग में औरंगजेब के राजतिलक वाली जगह के नवीनीकरण की योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए धन का आबंटन किया जा चुका है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इस योजना को किसी कीमत पर पूरा नहीं होने देगी।

सिरसा ने संवाददाताओं से कहा कि यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। सिख और हिंदू विरोधी औरंगजेब की कहानी किसी से छुपी नहीं है। कमेटी इसकी निंदा करती है। औरंगजेब एक जालिम बादशाह था। हिंदुओं

गंगा बचाने को वैज्ञानिक और आर्थिक आंकड़ों पर संगठन एकजुट

'गंगा पर बने बांध हर लिहाज से खतरनाक'

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

गंगा को बचाने के लिए इसके वैज्ञानिक तथ्यों व आर्थिक आंकड़ों पर सरकार से बात करने व जन दबाव बनाने के लिए गंगा पर काम करने वाले संगठन लामबंद होने लगे हैं। दिल्ली में पीपल फॉर गंगा ने गंगा बचाओ संसद आयोजित की गई। इसमें नेशनल कॉन्क्लेव फॉर गंगा की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा पर बनाए गए बांध न तो बिजली उत्पादन के लिहाज से और न ही आर्थिक विकास के लिहाज से सफल हैं। लिहाजा बांध कंपनियों से खरीद कर उन्हें तोड़ देना चाहिए तभी गंगा की अविरलता व निर्मलता सुनिश्चित की जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील व पीपल फॉर गंगा के अगुआ पीएस शारदा ने कहा कि गंगा को लेकर बोले जा रहे झूठ को हम भ्रष्टाचार के दायरे में रखते हैं। हम प्रधानमंत्री दफ्तर व जनता को सही तस्वीर दिखाने के लिए आर्थिक विश्लेषण व वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात करना चाहते हैं। यह रिपोर्ट इन्ही तथ्यों पर आधारित है। जिसे देश के जाने-माने अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि गंगा को लेकर देश के 17 आइआइटी का कंसोरियम बना था जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गंगा के कुल प्रवाह का 51 फीसद पानी गंगा में रहने दिया जाय तभी इसकी अविरलता सुनिश्चित की जा सकेगी। बाद में केंद्रीय जल आयोग की समिति बनी। इसने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि गंगा में केवल 30 फीसद पानी रहने दिया जाय तो इसकी अविरलता बनी रहेगी। यह रिपोर्ट एके गोस्वामी ने दी थी। एके गोस्वामी आइआइटी कंसोरियम में भी शामिल थे। दोनों समितियों में उन्होंने दो अलग-अलग बातें कहीं। यह भी एक अलग तरह का भ्रष्टाचार है। इसी तरह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में भी गड़बड़ी की जाती रही है।

भरत झुनझुनवाला ने बताया कि गंगा पर बने बांध बिजली व अर्थिक विकास के नाम पर आगे बढ़े, जबकि सच्चाई यह है कि यह पन बिजली परियोजना अर्थिक रूप से किफायती नहीं हैं। इनसे बिजली बनाने में आठ से 12 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आता है। जबकि देश में तीन से चार रुपए प्रति यूनिट बिजली सौर ऊर्जा संयंत्र से बनने लगी है। इसी तरह पनबिजली परियोजना नही सहित समूचे पर्यावरण के लिए घातक है जबकि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है।

उन्होंने बताया कि बांध कंपनियों के साथ हुए करार में राज्य सरकार को अधिकार है कि वह इन बांध परियोजनाओं को शुरू होने से पहले बांध कंपनी से खरीद सकती है।

नकली पुलिस अधिकारी बन आभूषण लूटे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

मंदिर मार्ग थाना क्षेत्र में सड़क पर वाहनों की जांच की आड़ में नकली पुलिस अधिकारी बन आठ लाख रुपए के आभूषण लूटने का मामला सामने आया है। घटना के समय पीड़ित कच्चा सोना लेकर ऑटो से करोल बाग जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार पुलिस अधिकारियों ने वाहन की जांच- करने के नाम पर रोका और उसे बिल लाने को कहा, जिसके बाद वह बिल लेने चला गया। पर बीच रास्ते में ही उसे गलती का एहसास हुआ तो वह उसी स्थान पर पहुंचा, जहां उसने पुलिस अधिकारियों को सोने से भरा बैग दिया था। पीड़ित दीपांकर जब मौके पर पहुंचा तो उसे पुलिस अधिकारी नहीं मिले।

www.readwhere.com

वरिष्ठ नेता महमूद तांत्रे का पीडीपी से इस्तीफा

जम्मू, 15 फरवरी (भाषा).

वरिष्ठ पीडीपी नेता शाह महमूद तांत्रे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात के कारण कुछ नेताओं को बेवजह पार्टी से निकाले जाने से नाराज होकर उठाया।

2014 में पीडीपी के टिकट से पुंछ-हवेली सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित तांत्रे ने कहा, 'कांग्रेस शासन में करीब तीन दर्जन संशोधन की वजह से अनुच्छेद-370 अपनी सार्थकता खो चुका था।'

पीडीपी ने नौ जनवरी को उपराज्यपाल से मिलने वाले आठ नेताओं, दिलावर मीर, रफी अहमद मीर, जफर इकबाल, अब्दुज मजीद पडरू, राजा मंजूर खान, जावेद हुसैन बेग, कमर हुसैन और अब्दुल रहीम राथर को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इन नेताओं ने सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में मुर्मू से मुलकात की थी।

तांत्रे ने बताया कि पार्टी नेताओं को निकालना ठीक नहीं है। उन्हें पहले 'कारण बताओ नोटिस' दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'विचार करने के बाद मैंने अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी को छोड़ने का फैसला किया।' तांत्रे ने कहा, 'वह बुखारी से हाथ मिलाने और भविष्य की रणनीति पर सहयोगियों, दोस्तों और शुभचिंतकों से परामर्श के बाद फैसला लेंगे।' उन्होंने कहा, 'उपराज्यपाल से मुलाकात अपराध नहीं है... मौजूदा परिदृश्य में हमें केंद्र और उपराज्यपाल से बात करनी होगी और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की तरह भूमि और रोजगार की रक्षा की मांग उठानी होगी जो बिना बातचीत संभव नहीं है।'

तांत्रे ने कहा, 'अनुच्छेद-370 के साथ या उसके बिना हम देश से जुड़े हैं। लोगों को हालात सुधारने के लिए आगे आना चाहिए।' उन्होंने कहा कि पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का स्वशासन का नारा खोखला है और हमने आगे बढ़ने और राज्य में शांति एवं समृद्धि के लिए अलग रवैया अपनाना होगा।

रनवे पर अचानक पहुंचा जीप, विमान को नुकसान

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

पुणे हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह एअर इंडिया के एक विमान का मुख्य हिस्सा तब क्षतिग्रस्त हो गया, जब उड़ान भरने के दौरान उसके पायलट ने रनवे पर अचानक पहुंचे एक व्यक्ति और एक जीप को बचाने के लिए तुरंत उसे उठाने का फैसला किया। डीजीसीए के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जब एअर इंडिया का ए 321 विमान शनिवार सुबह पुणे हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था तब यह घटना घटी। हालांकि इस घटना के बावजूद विमान दिल्ली हवाई अड्डा पर सुरक्षित उतर गया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी ने कहा, 'उड़ान भरने के दौरान विमान के चालक दल के सदस्य ने रनवे पर एक जीप और एक व्यक्ति को देखा, तो उसने टक्कर से बचाने के लिए विमान को जल्दी मोड़ दिया। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतर गया।'

पुलिस जीप चालक की गला रेतकर हत्या

भागलपुर, 15 फरवरी (जनसत्ता)।

जिले के सुल्तानगंज थाने के गंगटी गांव के नजदीक शनिवार सुबह अपराधियों ने पुलिस जीप के चालक लाल बहादुर यादव की गला रेतकर हत्या कर दी। वह रात अपनी ड्यूटी पूरी कर मोटर साइकिल से घर जा रहे थे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह सुल्तानगंज थाने में पुलिस जीप दिहाड़ी तौर पर चलाते थे। वह रात की गश्ती के लिए निकले पुलिस बल को थाने छोड़ कर घर जा रहे थे कि गांव के पास पहले से घात लगाए कुछ अपराधियों ने उन्हें जबरन रोका और तेज हथियार से उनका गला रेत कर फरार हो गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में सड़क किनारे शव को देख कर ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। वहीं हत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है।

अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएनः L45101DL1979PLC009654

पंजीकृत कार्यालयः ए-177, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली- 110020

वेबसाइट : www.acilnet.com, ई-मेल : mail@acilnet.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणाम

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही	समेकित समाप्त तिमाही					समेकित समाप्त नौमाही				समाप्त वर्ष
		31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
I	परिचालनों से राजस्व	43832.18	41728.85	41853.76	43832.18	41728.85	41853.76	117241.32	126477.11	117241.32	126477.11	175218.32
II	अपवादित मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)	2773.08	2378.06	4141.66	2772.04	2377.24	4139.89	7902.70	13158.76	7899.79	13153.79	17923.27
III	कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	2773.08	2378.06	4141.66	2772.04	2377.24	4139.89	7902.70	13158.76	7899.79	13153.79	17923.27
IV	अवधि हेतु निबल लाभ (+)/हानि (-)	2047.84	1261.00	2693.86	2046.80	1260.18	2692.09	5091.82	8627.87	5088.91	8622.90	11720.20
V	कुल व्यापक आय	1995.18	1201.45	2724.92	1994.14	1200.64	2723.15	4933.84	8721.06	4930.93	8716.09	11537.07
VI	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य)											
	(वार्षिकीकृत नहीं)	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75
	- बेसिक रु.	3.06	1.88	4.02	3.06	1.88	4.02	7.60	12.88	7.60	12.87	17.50
	- डाइल्यूटेड रु.	3.06	1.88	4.02	3.06	1.88	4.02	7.60	12.88	7.60	12.87	17.50

नोट :

1. उपर्युक्त परीणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और इसके पश्चात 14 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गयी तथा इसकी 'सीमित समीक्षा' कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गयी थी। स्टैण्डअलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा उसके पश्चात प्रासंगिक संशोधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।
2. वर्तमान अवधि के प्रस्तुतीकरण की अनुरूपता के लिए जहाँ आवश्यक समझा गया, गत वर्ष की अवधि के आँकड़ों को पुनर्समूहीकृत तथा/अथवा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
3. परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **www.acilnet.com** तथा साथ ही बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइटों **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कृते अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लि.
हस्ता./- (बिक्रमजीत अहलुवालिया)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00304947

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 14.02.2019

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड
(पूर्व में लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड)

पंजी. कार्यालयः ग्राम भोण्डसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव, हरियाणा, एचआर-122102, आईएन

CIN: L24239HR1993PLC032120, ई-मेलः laurelorganicslimited@gmail.com, वेबसाईटः www.laurel.co.in, फोनः 0124-2979014

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के स्टैंडएलॉन अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार
(ईपीएस छोड़कर आंकड़े रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माही		समाप्त वर्ष
		31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	2773.72	2101.61	8608.02	7583.36	9524.41
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	8.38	194.28	217.22	390.31	380.56
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	8.38	194.28	217.22	390.31	380.56
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	8.38	194.28	217.22	390.31	385.50
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	7.84	193.85	214.53	389.03	381.91
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति शेयर)	407.94	145.94	407.94	145.94	145.94
7.	आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 1/-प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं)					
	मूलः	0.03	1.33	1.07	2.67	2.64
	तरलः	0.03	1.25	1.74	2.52	1.39

टिप्पणी: क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल 31 दिस. 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के स्टैंडएलॉन परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। स्टैंडएलॉन तिमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.laurel.co.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

ख) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसके बाद 13 फर. 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये इन परिणामों की सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई है। इन स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 तथा उसके बाद संबंधित संशोधन नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित रूप में भारतीय लेखा मानक (इंड-ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

कीमिया बायोसाइंसेस लि. के लिए
(पूर्व में लॉरेल ऑर्गेनिक्स लि.)
हस्ता/-
समीर गोयल
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
(DIN No.: 00161786)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 13 फरवरी, 2020

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड

सीआईएनः L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालयः 6ठी मंजिल, आरिया टावर्स, जे डब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई हवाईअड्डा के नजदीक, नई दिल्ली-110037; टेलीफोन नंबरः 011-41597315

ई-मेलः vivek.jain@asianhotelswest.com; वेबसाइटः www.asianhotelswest.com

असाधारण आम सभा की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

1 कंपनी की असाधारण आम सभा (ईजीएम) मैपल एमेराल्ड, एनएच 8, रजोकरी, नई दिल्ली - 110038 में बुधवार, 11 मार्च 2020 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में, ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

2 कट-ऑफ तिथि अर्थात 4 मार्च 2020 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में अंशों का धारण करने वाले सदस्य, ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (https://evoting.karvy.com) के माध्यम से, ईजीएम स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से अपना मतदान ('रिमोट ई-वोटिंग') कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

I. ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जा सकता है;

II. रिमोट ई-वोटिंग 8 मार्च 2020 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी

III. रिमोट ई-वोटिंग 10 मार्च 2020 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी

IV. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा ईजीएम में मतदान करने हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ की तिथि 4 मार्च 2020 है।

V. यदि कोई व्यक्ति ईजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी के अंशों का धारण करता है और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ की तिथि अर्थात् 4 मार्च 2020 अंशधारी हो, वे केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) से टेलीफोन नंबर 040-67161517 पर संपर्क कर लोगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत है तो वे मतदान हेतु विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं;

VI. सदस्य ध्यान दें कि (क) उपरोक्त दिनांक और समय के उपरान्त मतदान हेतु रिमोट ई-वोटिंग केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा एवं प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् सदस्य को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ख) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम पर उपलब्ध कराई जाएगी; (ग) जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किया है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः अपना वोट डालने का हकदार नहीं होगा, तथा (घ) वे व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

VII. ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.asianhotelswest.com और https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।

VIII. ई-वोटिंग से सम्बंधित किसी भी प्रश्न हेतु सदस्य https://evoting.karvy.com/public/FAQ.aspx पर उपलब्ध Frequently Asked Questions तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें। इसके अतिरिक्त, ई-वोटिंग से सम्बंधित किसी भी शिकायत हेतु कृपया श्री सुरेश बाबू डी, उप प्रबंधक - आरआईएस, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032, फोनः 91-040-67161517 अथवा श्री विवेक जैन, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड, 6ठी मंजिल, आरिया टावर्स, जे. डब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई हवाईअड्डा के नजदीक, नई दिल्ली-110037 फोनः 011-41597315, ई-मेल आईडीः vivek.jain@asianhotelswest.com पर संपर्क करें।

मंडल के आदेशानुसार
कृते एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड
हस्ताक्षर
विवेक जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफसीएस 7204

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.02.2020

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(सीआईएन-L27109DL1995PLC338407)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : बानी कॉर्पोरेट वन, सूट सं. 308, तीसरी मंजिल, प्लॉट सं. 5, कॉमर्शियल सेंटर, जसोला, नई दिल्ली-110025

दूरभाष : 011-48593300; फैक्स नं. : 011-48593320,www.mblinfra.com; ई-मेल : cs@mblinfra.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु स्टैण्डअलोन एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर आय डाटा को छोड़कर राशि रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	स्टैण्डअलोन समाप्त तिमाही			स्टैण्डअलोन समाप्त नौमाही		समेकित समाप्त तिमाही			समेकित समाप्त नौमाही	
		31.12.2019 अलेखापरीक्षित	30.09.2019 अलेखापरीक्षित	31.12.2018 अलेखापरीक्षित	31.12.2019 अलेखापरीक्षित	31.12.2018 अलेखापरीक्षित	31.12.2019 अलेखापरीक्षित	30.09.2019 अलेखापरीक्षित	31.12.2018 अलेखापरीक्षित	31.12.2019 अलेखापरीक्षित	31.12.2018 अलेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	5,250	4,968	2,715	15,665	20,386	6,816	6,404	2,773	20,389	20,709
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	487	307	178	1,294	1,554	(1,122)	(1,208)	561	(2,891)	(140)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	487	307	178	1,294	1,554	(1,122)	(1,208)	561	(2,891)	(140)
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	694	641	3,620	1,752	5,411	(923)	(1,150)	3,950	(2,452)	3,825
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	696	643	3,628	1,758	5,455	(921)	(1,148)	3,958	(2,446)	3,869
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46
7.	आरक्षियाँ	-	-		-	-			-		
8.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पूर्व/पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के)										
	(i) बेसिक	0.66	0.61	4.14	1.68	6.24	(0.88)	(1-10)	4.52	(2.33)	4.38
	(ii) डाइल्यूटेड	0.66	0.61	4.14	1.68	6.24	(0.88)	(1.10)	4.52	(2.33)	4.38

नोटः

1. उपर्युक्त सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2016 तथा 29 मार्च, 2019 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट www.mblinfra.com/financial results.php पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं मापन सिद्धान्तों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2016 तथा 29 मार्च, 2019 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार तैयार किये गये हैं। उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखासमिति द्वारा की गयी है और 14 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गयी है। इसकी सीमित समीक्षा विधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है।
3. जहाँ आवश्यक समझा गया, गत अवधि/तिमाही के आँकड़ों को रीवर्क्ड/पुनर्समूहित/रीकास्ट किया गया है।

कृते एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
अंजनी कुमार लखोटिया
चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 00357695

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 14 फरवरी, 2020

जय यूशिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जीआई-48, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110033

CIN: L52110DL1986PLC025118, ई-मेलः julinvestors@jushinindia.com

वेबसाइटः www.jpmgroup.co.in, टेली.: 91(124)-4623400, फैक्सः +91(124)-4623403

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए स्टैण्डएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही			स्टैंडएलॉन समाप्त नौमाही		स्टैंडएलॉन समाप्त वर्ष	समेकित समाप्त तिमाही			समेकित समाप्त नौमाही		समेकित समाप्त वर्ष
		31.12.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	15,782.42	16,953.10	20,916.81	50,791.73	68,226.69	85,493.16	15,782.42	16,953.10	20,916.81	50,791.73	68,226.69	85,493.16
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	57.85	225.83	301.90	487.32	1,012.17	1,266.99	56.99	225.88	301.90	484.24	1,012.17	1,263.25
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	57.85	225.83	301.90	487.32	1,012.17	1,266.99	56.99	225.88	301.90	484.24	1,012.17	1,263.25
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	127.10	261.45	228.66	550.99	939.95	1,154.24	126.24	261.50	228.66	547.91	939.95	1,150.50
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	118.13	252.48	237.45	524.08	960.51	1,118.36	117.27	252.53	237.45	521.00	960.51	1,114.62
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है)						7,092.21						7,088.47
8.	आय प्रति इक्विटी शेयर (ईपीएस) (रु. 10/- प्रति का)	3.29	6.77	5.92	14.26	24.32	29.87	3.27	6.77	5.92	14.18	24.32	29.77
	क) मूल	3.29	6.77	5.92	14.26	24.32	29.87	3.27	6.77	5.92	14.18	24.32	29.77
	ख) तरल	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत नहीं	वार्षिकीकृत

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण का सार है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के इन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप वेबसाईट बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
जय यूशिन लिमिटेड
अश्वनी मिण्डा
प्रबंध निदेशक
DIN: 00049966

स्थानः गुरुग्राम
तिथिः 14 फरवरी, 2020

www.readwhere.com

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

टुकड़े-टुकड़े गिरोह जीते

गयारह फरवरी 2020 को लोकसभा की कार्यवाही के रिकार्ड से लिए गए निम्नलिखित सवाल और जवाब अगर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और अन्य मंत्रियों सहित भाजपा नेताओं के बोल पर दुखद टिप्पणी नहीं थे, तो ये मनोरंजन के स्रोत होंगे -

सवाल -

(ए) क्या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' नाम से पुकारे जाने वाले संगठन की गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) या किसी केंद्रीय / राज्य कानून प्रवर्तन एजंसी / पुलिस बल या किसी केंद्रीय या राज्य खुफिया एजंसी ने पहचान की है और उसे कहीं दर्ज किया है,

(बी) क्या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' पारिभाषिक शब्द किसी ऐसी विशिष्ट सूचनाओं पर आधारित है जो गृह मंत्रालय या अन्य कानून प्रवर्तन या खुफिया एजंसियों ने दी हों,

(सी) क्या गृह मंत्रालय / एनसीआरबी या किसी भी कानून प्रवर्तन एजंसी या खुफिया संगठन ने 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के आरोपी नेताओं और सदस्यों की सूची तैयार की है,

(डी) क्या गृह मंत्रालय या अन्य कानून प्रवर्तन एजंसी / खुफिया संगठन ने 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के सदस्यों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई / सजा (और विशिष्ट रूप से भारतीय दंड विधान की किन धाराओं और / या कानूनों के तहत) करने के बारे में विचार किया है, और

(ई) यदि ऐसा है, तो उसका ब्योरा क्या है?

जवाब -

(ए) से (डी) तक- किसी भी कानून प्रवर्तन एजंसी द्वारा ऐसी कोई सूचना सरकार के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

देश तोड़ना?

मई 2019 में भाजपा को सत्ता में लौटने के जनादेश के बाद कई भारतीयों को यह भरोसा करने के लिए समझाया गया कि भारत की एकता खतरे में है और कई ऐसे समूह और गिरोह हैं जो देश को तोड़ने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। अलग-अलग वक्त में इन समूहों को अलग-अलग नाम दिए गए, जैसे- नक्सली, माओवादी, इस्लामी आतंकवादी, शहरी नक्सली आदि। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा आयोजित प्रदर्शन (जिसकी वजह से कन्हैया कुमार और तीन अन्य छात्र नेताओं पर देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए गए थे) के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को टुकड़े-टुकड़े गिरोह करार दे दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कदमों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हर समूह को अब टुकड़े-टुकड़े गिरोह नाम दे दिया गया है। यही नाम अब राजनीतिक चर्चा तक में इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां तक कि हमारे शालीन विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने इस नाम का इस्तेमाल किया, जो दुखद है।

विभिन्न समूहों को टुकड़े-टुकड़े गिरोह नाम देने का सिलसिला जिस तेजी से चल निकला, तो इससे लोग यह मान बैठे कि वाकई कोई टुकड़े-टुकड़े गिरोह है और यह देश के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, लेखक, कलाकार, छात्र, ट्रेड यूनियन नेता, किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं और बच्चे और विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता- सभी को इस टुकड़े-टुकड़े गिरोह का सदस्य होने का तमगा दे दिया गया। हाल में नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के विरोध में शाहीन बाग में धरना दे रही महिलाएं और बच्चे इस टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सबसे नए सदस्य हैं। रोजाना यह सूची बढ़ती जाती है।

योजना में अड़चन

हाल में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने दो रैलियों को संबोधित किया था और टुकड़े-टुकड़े गिरोहों की जमकर निंदा की थी। अखबारों, टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया ने इन 'गिरोहों' की तस्वीरें दिखाईं। हालांकि इसमें एक अड़चन थी। टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्य एक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और दूसरे में भारत के संविधान की प्रति लेकर चल रहे थे! इसके अलावा, वे बीच-बीच में पूरे जोश और उत्साह के साथ राष्ट्रगान भी गा रहे थे! लोगों के समक्ष जो कहा गया और लोगों ने मीडिया में जो तस्वीरें देखीं, वे विरोधाभासी थे। लोगों का हर वर्ग वही विश्वास करता नजर आ रहा था, जो वह मानना चाहता था।

अब, मंत्री का चौंकाने वाला एक बयान है। पिछले कुछ महीनों में लगाए गए आरोपों और पिछले हफ्ते संसद में दिए गए मंत्री के बयान के बीच भारी विरोधाभास पर सफाई देने भाजपा का कोई भी नेता सामने नहीं आया है।

दक्षिण-पंथी विचारधारा में असाधारण या गलत कुछ नहीं है। यह भी कोई असामान्य बात नहीं है कि दक्षिण-पंथी नेता निष्ठावान भक्त होते हैं। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब दक्षिण-पंथी नेता अपने धर्म का राजनीतिकरण कर देते हैं और लोगों को धर्म के आधार ('मेरा धर्म बनाम तुम्हारा धर्म') पर बांटने की कोशिश करते हैं, जिससे कि संविधान का उल्लंघन होता है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। भाजपा ने सिर्फ यही किया है, और पिछले छह साल में सरकार में और दूसरे सरकारी संस्थानों में ऐसे ही लोगों को बैठा दिया है जो न सिर्फ धार्मिक हैं, बल्कि ऐसे भी हैं जो लोगों के बड़े तबके में खौफ और अनिश्चितता का माहौल पैदा करने के धार्मिक मान्यताओं और विचारों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे।

जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति शास्त्र की पूर्व प्रोफेसर नीरा चंढोक ने लिखा है- 'धर्मनिरपेक्षता राजनीतिकृत शक्ति, धर्मगुरुओं को मिली शक्ति, शक्ति के रूप में धार्मिक पहचान का मुकाबला करती है..... धर्मनिरपेक्षता राजनीतिकृत धर्म को राज्य पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश है। यह नितांत रूप से जरूरी इसलिए है क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ था।'

अब लड़ाई धर्म के राजनीतिकरण और धर्मनिरपेक्ष संविधान को बनाए रखने की है। यह लड़ाई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि और कई छोटे शहरों की सड़कों, विश्वविद्यालयों और अन्य जगहों पर जारी है। जो लोग इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, वे राजनीतिक दलों से जुड़े सामान्य लोग नहीं हैं, वे महिलाएं और बच्चे हैं जो आमतौर पर घरों में रहते हैं, नौजवान हैं जिन्हें सरकारों ने निराश किया है और छात्र हैं जो राजनीति को बुरी नजर से देखने लगे हैं। उन्होंने कड़ाके की ठंड, पुलिस की लाठी, पानी की धार और यहां तक कि पुलिस की गोलियों तक का डट कर सामना किया है। अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोलियों से तेईस लोग मारे जा चुके हैं।

दिल्ली के चुनावों ने भारत को वियतनाम जैसी जीत दिलाई है। दिल्ली के मतदाताओं ने भारी बहुमत देकर एक बड़ी जीत दिलाई है जो समानता और धर्मनिरपेक्षता का पुरजोर समर्थन है। 'टुकड़े-टुकड़े गिरोह' जीत गए! 'टुकड़े-टुकड़े गिरोह' तब तक मजबूत बनते रहें जब तक कि वे अपना संवैधानिक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते!

कीड़े में तब्दील आदमी

'एक सुबह जब ग्रेगोर समसा अपने कष्टप्रद सपने से जागा तो उसने अपने को बिस्तर में एक घिनौने कीड़े के रूप में तब्दील पाया।' - विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फ्रांज काफ्का के लघु उपन्यास 'मेटामॉरफोसिस' की कहानी इस पहली लाइन से शुरू होती है और फिर पाठक को एक जटिल यात्रा पर ले जाती है, जिसमे इंसान से कीड़ा बना जीव अपने अंदर की मानवता का सामंजस्य अपने कीड़ेपन से करने की कोशिश करता है। अंत में वह हार जाता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग मानव होने के बावजूद भी कीड़े से बदतर थे।

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

> काफ्का का कहना था कि किसी भी तरह की निगहबानी ठीक नहीं होती है, क्योंकि धीरे-धीरे वह बढ़ कर अपने चरम तक पहुंच जाती है। उस शीर्ष से फिर नागरिक 'कीड़े-मकोड़े' की तरह दिखने लगते हैं, जिनको समेटना सत्ता का एकमात्र काम रह जाता है। वह तरह-तरह के नए तरीके ईजाद करना शुरू कर देती है, जिससे इन 'कीड़ों' का सक्रमण सत्ता द्वारा खींचे गए दायरे में रहे और कदापि उन तक न पहुंचे। समेटने की प्रक्रिया क्रूरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि नागरिक को कीड़े की श्रेणी में डालने के बाद मानवीय व्यवहार का औचित्य समाप्त हो जाता है।

काफ्का का यह लघु उपन्यास पिछले सौ सालों के साहित्य सृजन में सबसे उत्तम कृति मानी जाती है। एक भयावह तब्दीली से मुख्य पात्र का जूझना। पहले खुद स्वीकारना कि वह अब दो हाथ, दो पैर वाला सामान्य पुरुष नहीं रहा है, बल्कि कई पैर वाला वीभत्स-सा जंतु हो चुका है और अपने बदले हुए हालत को लेकर बेहद मजबूर है। फिर अपने परिवार और नजदीक वालों की प्रतिक्रिया से अपने को संभालना काफ्का की कृति की मुख्य विषय-वस्तु है।

अपने उपन्यास में काफ्का कहीं भी नहीं बताते है कि वह आदमी कीड़े में कैसे बदल गया था। बस, वह बदल गया- अचानक एक सुबह। इस तब्दीली को उन्होंने न समझा कर पाठक के सामने वह हकीकत पेश की है जो हमारे साथ कभी न कभी जरूर होती है। यानी कोई परिचित हमारे लिए कीड़े-सा हो जाता है। व्यक्ति ही नहीं- हम कभी-कभी बहुत सारे लोगों को भी कीड़े की श्रेणी में डाल देते हैं। न ही व्यक्ति और न ही कोई समुदाय इस अचानक एक सुबह कीड़े में तब्दील होने के बारे में कुछ कर सकता है। उसके लिए फैसला हो चुका है। किसी भी गुहार या तर्क का अब कोई फायदा नहीं होता है। वह कीड़े का जीवन बिताने के लिए एक तरह से श्रापित हो चुका है।

काफ्का की इस कृति के माध्यम से पाठक के लिए अधिनायकवाद, अलगाववाद, अस्तित्ववाद जैसी जटिल परिस्थितियों में मानवता के हनन की भयावह तासीर उभर कर सामने आती है। इस छोटे से उपन्यास में काफ्का ने बड़े हुनर से अचानक इंसान से कीड़े में तब्दील हुए व्यक्ति की व्यथा को चित्रित किया है। काफ्का की यह कथा वास्तव में उनके निजी जीवन और अनुभवों पर आधारित है। उनके पिता उनके लिए एक तानाशाह की तरह थे, जिनकी मर्जी से सारा परिवार चलता था। जब काफ्का बच्चे थे और बाद में भी, तो वे एक नाजुक किस्म के इंसान थे, जबकि उनके पिता शरीर और प्रवृत्ति, दोनों से दबंग थे। वे अपने बेटे को हेय दृष्टि से देखते थे और उन पर हमेशा हावी रहते थे। पिता का यह नकारात्मक प्रभाव उनकी रचनाओं में साफतौर पर दिखाई पड़ता है, जो कि वह बेलगाम सत्ता के लिए रूपक की तरह है।

नागरिक के जीवन में सरकारी तंत्र की भूमिका कितनी होनी चाहिए, अक्सर बहस का विषय होता है। काफ्का का कहना था कि किसी भी तरह की निगहबानी ठीक नहीं होती है, क्योंकि धीरे-धीरे वह बढ़ पर अपने चरम तक पहुंच जाती है। उस शीर्ष से फिर नागरिक 'कीड़े-मकोड़े' की तरह दिखने लगते हैं, जिनको समेटना सत्ता का एकमात्र काम रह जाता है। वह तरह-तरह के नए तरीके ईजाद करना शुरू कर देती है, जिससे इन 'कीड़ों' का सक्रमण सत्ता द्वारा खींचे गए दायरे में रहे और कदापि उन तक न पहुंचे। समेटने की प्रक्रिया क्रूरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि नागरिक को कीड़े की श्रेणी में डालने के बाद मानवीय व्यवहार का औचित्य समाप्त हो जाता है।

वास्तव में शासक कीड़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए नए-नए प्रयोजन रचने लगता है। काफ्का के उपन्यास में मुख्य पात्र (जो अब कीड़ा बन चुका है)के पिता अपने घर में घिनौने जीव से अपने को हटा कर नाश्ता करने में जुट जाते हैं या फिर उसकी बहन वायलिन बजाने लगती है, जब कुछ लोग घर पर आ जाते हैं। सब समस्या से रूबरू होने के बजाय चिड़चिड़ा कर देखने वालों के लिए कुछ और ही प्रस्तुति लेकर आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे मुद्दे से ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। इस पर कोई विश्लेषण नहीं करता है कि एक आदमी कीड़ा कैसे बन गया था।

साथ ही कीड़े के अपने संघर्ष को भी काफ्का ने बड़ी खूबी से रेखांकित किया है। कीड़ा बनने के शुरुआती दौर में पात्र अपने को आदमी मानता है, पर दूसरों की प्रतिक्रिया देख कर वह अपने कीड़ेपन से अपने को समायोजित कर लेने की कोशिश करता है। अपनेपन से अलगाव तक की पूरी प्रक्रिया इस कहानी में मार्मिक तरीके से बयां की गई है।

एक व्यक्ति और उसके परिवार की कहानी होने के बावजूद काफ्का ने उसे उपदेशात्मक और सदा प्रासंगिक आयाम दिया है। आदमी से कीड़े में तब्दील होना अपने में एक राजनीतिक और सामाजिक रूपक या मेटाफर है। यह उसी पल में होता है, जिस पल में सौम्य शति, हठी और व्यसनी शति में परिवर्तित होती है। यह एक वास्तविक प्रक्रिया है, पर इस परिवर्तन का पता उस क्षण नहीं चलता है जब यह होता है। पर जब इसका एहसास होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्रूरता शति में रच चुकी होती है। लोग कीड़े बन चुके होते है। हम अवाक् रह जाते हैं।

किसका नुकसान होगा

दिल्ली की हवा में जो नफरत फैली है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की वजह से उसको कम होने में समय लगेगा। लेकिन इतना हुआ है कम से कम पिछले हफ्ते कि अमित शाह ने स्वीकार कर लिया है कि 'गोली मारो' और 'भारत-पाकिस्तान मैच' जैसे बयानों ने भाजपा को नुकसान किया। इतना ज्यादा कि दिल्ली में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। काश कि गृह मंत्री थोड़ा-सा आगे बढ़ कर यह भी बता देते कि जब नफरत और जहर घोले जा रहे थे, तब उनकी पार्टी को क्या करना चाहिए था। हड़बड़ी में आकर एक प्रतीक नहीं बनाया गया होता 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्यादे इतना बेकाबू नहीं होते कि एक मंत्री ने 'गोली मारो' वाला नारा कहलवाया एक आम सभा में! फिर शायद शाहीन बाग के बारे में अजीब-अजीब इल्जाम नहीं लगाए जाते।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> शाहीन बाग से मोर्चा अगर हट भी गया तो देश के मुसलमानों के बीच उनकी नागरिकता छिन जाने का डर कम नहीं होगा। डर उनको सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून से नहीं है। डर उनको है एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से।

अमित शाह के प्रशंसक भी मानते हैं कि उन्होंने चुनाव अभियान का रुख बदल कर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया था। सबने सुना जब गृह मंत्री ने कहा 'बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे।' दिल्ली की गंगा-जमनी तहजीब से वाकिफ होते वे तो बहुत पहले जान गए होते कि इस शहर में नफरत और जहर घोलने से नहीं जीते जाते हैं चुनाव।

लेकिन अब आसान नहीं होगा कड़वाहट कम करना। जबसे मोदी सरकार का दूसरा दौर शुरू हुआ है, अमित शाह बने रहे हैं सरकार का चेहरा। अपने हर भाषण में उन्होंने कमोबेश यही जाहिर किया है कि वे हिंदुत्ववादी हैं... इतने कि उनके लिए मुसलिम, इस्लाम, पाकिस्तान, बिरयानी जैसे शब्द अनजाने महसूस होने वाले संबोधन हैं। तो उनका संदेश कैसे नहीं पहुंचता भारत के आम मुसलमानों तक? इसलिए शाहीन बाग जैसे मोर्चे खड़े हो गए हैं दिल्ली के अलावा कई शहरों में।

शाहीन बाग से मोर्चा अगर हट भी गया तो देश के मुसलमानों के बीच उनकी नागरिकता छिन जाने का डर कम नहीं होगा। डर उनको सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून से नहीं है। डर उनको है एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से। इसलिए कि वे समझ गए हैं अच्छी तरह कि जब भी यह लाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों को होगा। इसलिए कि किसी मामूली सरकारी अफसर के हाथों में होगा उनकी भारतीयता साबित करना। निराधार नहीं है उनका यह डर। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही ऐसा माहौल बना है देश में जिसमें मुसलमानों को लगने लगा है कि वे दूसरे दर्जे के नागरिक बनाए जा रहे हैं। मोदी के पहले दौर में गौ-रक्षकों ने साबित करके दिखाया कि गौरक्षा के नाम पर वे मुसलमानों की हत्या भी कर सकते हैं और उनका कुछ खास नहीं बिगड़ेगा। मोहम्मद अखलाक और पहलू खान के हत्यारे आजाद घूम रहे हैं आज भी। न्याय होने की दूर तक संभावना नहीं दिख रही है।

मोदी के दूसरे दौर के शुरू होते ही तबरेज अंसारी को 'जय श्रीराम' कहलवा कर पीट-पीट कर जान से मारा गया। उसके हत्यारे भी जमानत पर छूट गए हैं। इसलिए कानून व्यवस्था में मुसलमानों का विश्वास कम होता गया है। इस विश्वास को दोबारा बहाल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबने सुने हैं ऐसे भाषण जो दिल्ली के चुनाव अभियान के शुरू होने से पहले भी कई नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे भाषण जिनमें कुछ बड़े नेताओं ने बार-बार स्पष्ट किया नाम लेकर कि हिंदू, सिख, बौध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अपनी नागरिकता छीने जाने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। संदेश कैसे नहीं पहुंचता मुसलमानों को? अब उसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा!

समस्या गंभीर है इसलिए कि गृह मंत्री का रुख देख कर मुसलमानों से नफरत करने वाली एक पूरी फौज खड़ी हो गई है जो रोज सोशल मीडिया पर इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान के लिए नफरत प्रकट करती है। रोज याद दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल कि 'नया भारत' बन चुका है जिस में हिंदुओं का बोलबाला रहेगा, किसी और का नहीं। मेरे पीछे पड़े रहते हैं ये ट्रोल, जब से मैंने नरेंद्र मोदी की कुछ नीतियों की आलोचना शुरू की है। इसलिए हर दूसरे दिन मुझे ये लोग पाकिस्तान जाने को कहते हैं। इनकी आवाज को समर्थन मिलता है कई टीवी पत्रकारों से जो बिलकुल इस ही तरह की बातें रोज शाम को करते सुनाई देते हैं टीवी की चर्चा में। इन चर्चा में मैं जब शामिल होती हूं तो हैरान रह जाती हूं इतनी नफरत देख कर। मुसलमानों के लिए इतनी नफरत मैंने उस वक्त भी नहीं देखी थी, जब लालकृष्ण आडवाणी अपने रथ पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकले थे सोमनाथ से। जहां भी गई वह रथयात्रा, वहां दंगे हुए थे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मरने वालों की तादाद में मुसलमान ज्यादा थे, जैसा अक्सर होता आ है। इस रथयात्रा ने घाव जरूर खोले देश भर में, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें लोकसभा में जो 1984 में सिर्फ दो थीं, पांच वर्षों में सौ तक पहुंच गई थी। साबित हो गया था कि नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक है। उस दौर के घाव भर गए थे बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद।

अब आया है ऐसा दौर जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि मुसलमानों के वोट के बिना लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल सकती है। समस्या सिर्फ यह है कि मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है अपने देश में कि उनको कहीं और भेजना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए ऐसा लगने लगा है कि 'न्यू इंडिया' में प्रयास होगा उनको दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने का। नुकसान होगा भारत की छवि को लेकिन क्या किया जाए?

साधारण का आकर्षण

वोट के दिन बहुत-से चढ़े हुए चेहरे देर तक कैमरों से बाहर रहे। सिर्फ एक्जिट पोल वाले अपनी-अपनी दुकानें लगाए बैठे रहे। जितने चैनल, उतने एक्जिट पोल! सब दावा करते कि सिर्फ वे ही सही हो सकते हैं! दिल्ली की चंट-चतुर जनता ने सबको हिला दिया।

मतदान के बाद रिजल्ट के आने तक के दो दिन बड़े कष्टदायी रहे! अपने-अपने दर्शकों को पटाने के लिए एंकर अपने-अपने चैनलों में ग्यारह फरवरी के सुबह छह बजे से ही सज कर बैठ गए, जबकि उनके पास दो घंटे तक बताने को कुछ भी नया नहीं था।

चुनाव की शाम अचानक लगी वोटरों की लंबी लाइनों की खबरों ने सब एक्जिटियों को चित्त-सा कर दिया। कुछ विशेषज्ञ बगलें बजाने लगे कि आखिरी वक्त में वोटरों को 'मॉबिलाइज' करने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि उसी के पास कार्यकर्ता है। आशय यह कि ये वोट भाजपा को गया है। सारे एक्जिट पोल गलत होंगे। भाजपा जीतेगी।

इस खबर से पूरे दो दिन तक एंकरों और चुनाव विशेषज्ञों के बीच सन्नाटा खिंचा रहा। तिस पर भाजपा के प्रवक्ताओं की निरे आत्मविश्वास से भरी टीपें कि हमारे एक्जिट पोल के हिसाब से हम अड़तालीस सीट लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं।

भाजपा प्रवक्ताओं के ऐसे आत्मविश्वास को देख कर कई 'एक्जिटिए' वक्त से पहले ही 'एक्जिट' कर गए! बढ़े मतदान के आंकड़े ने उनकी पोल खोल दी कि 'एक्जिटिए' तो सिर्फ दोपहर तीन बजे तक ही 'एक्जिट' निपटा देते हैं! चैनलों में यह सवाल लटका रहा- आखिर में पड़े वोट किसे मिले? तीन घंटे मे तीस प्रतिशत पड़े तो कैसे?

'आप' के प्रवक्ता आक्रामक मुद्रा में दिखे। वे पूछने लगे कि 'ये ईवीएम सड़क पर कैसे रखी हैं' और 'चुनाव आयोग कुल मतदान के प्रतिशत पर चुप क्यों हैं?' इसे देख कुछ भक्त एंकर 'ईवीएम का बहाना' बनाने के लिए 'आप' के नेताओं को उलाहना भी देने लगे!

चुनाव आयोग कुछ देर से बोला। इस वजह से आयोग कई चर्चाओं में कुटा, लेकिन जब उसने प्रतिशत दे दिया तो विवाद शांत हो गया। लेकिन वोटों की गिनती के दिन ज्यों-ज्यों परिणाम आते गए और 'आप' शुरू से बढ़ती दिखी, त्यों-त्यों तमाम एक्जिट पोल करने वाले अपनी-अपनी भविष्यवाणियों पर इठलाते दिखने लगे कि देखा, हम न कहते थे कि 'आप' ही बहुमत लाएगी! सत्ता विरोधी लहर नहीं है। हमारा 'एक्जिट' एकदम सही हैं! जिन एक्जिटियों ने भाजपा को बीसेक सीटें दी थीं, वे हकलाते दिखे और वे भी 'आप' की जीत के 'बल्ले-बल्ले' गाने लगे और कहने लगे कि भाजपा की 'ध्रुवीकरण' की और 'गोली मारो' की राजनीति हार के लिए जिम्मेदार है!

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> 'आप' की इस जबर्दस्त जीत के दृश्य अपनी साधारणता में भी आकर्षक थे। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में केजरी के अति संक्षिप्त संबोधन के दौरान वे और उनका परिवार एकदम साधारण परिधानों में ही दिखे, जिसे देख नलिनी सिंह ने एक चैनल पर कहा भी कि सबसे आकर्षक तत्त्व है 'आप' के नेताओं की 'साधारणता'!

जो एंकर 'शाहीन बाग' को इस चुनाव के लिए निर्णायक बताते आए थे, अचानक हकबकाने लगे और कहने लगे कि 'सीएए' और 'राष्ट्रवाद' की धारणा के मुकाबले 'आप' द्वारा दिल्ली की जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की राजनीति जीती। यह चुनाव विचारधारात्मक लाइन पर होने की जगह 'आप' के अपनी किस्म के 'विकासवादी मॉडल' पर हुआ और उसे ही जनस्वीकृति मिली! देश में मोदी, दिल्ली में केजरी' वाले नारे पर दिल्ली की जनता ने मुहर लगाई!

'आप' की इस जबर्दस्त जीत के दृश्य अपनी साधारणता में भी आकर्षक थे। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में केजरी के अति संक्षिप्त संबोधन के दौरान वे और उनका परिवार एकदम साधारण परिधानों में ही दिखे, जिसे देख नलिनी सिंह ने एक चैनल पर कहा भी कि सबसे आकर्षक तत्त्व है आप के नेताओं की 'साधारणता'!

केजरीवाल ने सारी जीत को चंद साधारण वाक्यों में निपटा दिया कि 'दिल्ली वालो आपने गजब ढा दिया' और 'आई लव यू' कह कर लोगों की ओर एक 'फ्लाइंग किस' फेंक दिया और फिर कहा कि ये काम की राजनीति की जीत है! बस!

इस चुनाव में केजरीवाल के हनुमान चालीसा का पाठ करने और हनुमान मंदिर जाने का विवाद भी उठा! एंकरों और 'चर्चकों' ने इसे केजरी का 'नरम हिंदुत्व' बताया। भाजपा की करारी हार के बीच भी एक भाजपा प्रवक्ता के लिए केजरी द्वारा 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना भाजपा के 'विचार की जीत' रहा! हार में भी जीत देखने वाले ऐसे 'दिव्यचक्षुओं' को नमन!

'हनुमान चालीसा' के पाठ का प्रसंग इतना-सा रहा कि एक पत्रकार ने केजरीवाल से पूछा कि 'क्या वे हनुमान भक्त हैं!' इसके जबाव में केजरीवाल अपने कच्चे गले से चालीसा का शुरुआती दोहा सुना दिया और इस तरह चालीसा का सेकुलरीकरण कर दिया! फिर जीत के बाद अपने कार्यालय से निकल कर सीधे कनाट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर और पूजा कर केजरीवाल के अपने हनुमान भक्त होने का सहजीकरण कर दिया!

मंदिर के अंदर 'जै श्रीराम' 'जै श्रीराम' के नारे सुनाई देना, फिर केजरीवाल मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के परिवार को पुजारी का तिलकादि लगाना और पटका प्रसाद देना सहजता से गुजर गया, लेकिन भाजपा के एक प्रवक्ता ने मंदिर के अंदर लगे 'जै श्रीराम' के नारों में हिंदुत्व की 'जै जै' नजर आई!

लेकिन अपने चैनलों को 'आप' की यह जीत पची नहीं। अगले ही रोज कई नामी एंकर हमले करने में लग गए कि ये 'फ्री-बीज' की कब तक चलेंगी..! मार्च के महीने के बाद देखते हैं कि गरमी के दिनों में कितनों को मुफ्त बिजली मिलती है? कैसा अंधस्वार्थी जमाना है कि दस-दस बीस-बीस लाख रुपए महीने कमाने वाले ये महान एंकर, दस-बीस हजार महीने कमाने वाले दिल्ली वालों को सरकारी मदद से भी 'ईर्ष्यादग्ध' होने लगते हैं!

शायद ऐसों के लिए कहा गया है कि 'मेरा पेट हाउ, मैं न दैहों काउ!'

www.readwhere.com

विपक्ष को संघर्ष की दिशा दे रहा है वाम

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का असली मतलब नागरिकों की जिंदगी की भी सुरक्षा होती है। मुफ्त बिजली, पानी और स्कूल लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं जिन्हें मुहैया कराना भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। उनका कहना है कि वाम संगठन जनांदोलन खड़ा करने में कामयाब हैं और आज के माहौल में वे संघर्ष की दिशा भी दे रहे हैं। बातचीत कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में सीताराम येचुरी

सभी फोटो : अरुण चोपड़ा

अजय पांडेय : महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के आए परिणामों का आप क्या संकेत मानते हैं?

सीताराम येचुरी : देश में एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि लोगों में स्थानीय सरकार और केंद्रीय सरकार को लेकर समझ बढ़ी है। जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद का माहौल बन गया था उसे लोगों के रोजमर्रा के सवालों ने पीछे धकेल दिया। अब राज्य के चुनाव में रोजमर्रा की चीजों का महत्त्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यह मुख्य कारण है जिसके कारण यह नतीजे आए। आंध्र, तेलंगाना और हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए वह इसके सबूत हैं। अर्थव्यवस्था की हालत सभी जानते हैं, मंदी आ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, कंपनियों की बिक्री घट रही है। लोगों की खरीदने की क्षमता भारी तरीके से घटी है। जब तक सरकार खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ाएगी तब तक अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। यह सब सुधार न करके सरकार इसका उल्टा कर रही है। वह अमीरों को छूट, कॉरपोरेट कंपनियों को टैक्स छूट दे रही है। इससे जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। जिसके पास पैसा नहीं है जब वह खरीदना शुरू करेगा तब कुछ होगा। और इन चुनाव परिणामों में यह सोच सामने आई है।

पंकज रोहिला : राष्ट्रवाद को लेकर आज विपक्ष कठघरे में क्यों खड़ा है?

● विपक्ष कठघरे में खड़ा नहीं है, लेकिन कोशिश की गई है। आज हमें इसमें ही फर्क करना है कि एक हिंदुत्व राष्ट्रवाद है और एक भारतीय राष्ट्रवाद है। इसलिए जब भारत माता की जय की बात आती है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है। जब वे संसद में भारत माता की जय करते हैं

तो हम लोग भी हाथ उठाते हैं और जय हिंद कहते हैं। तो जय हिंद भारत का राष्ट्रवाद है। भारत माता की जय के साथ वे हिंदू राष्ट्रवाद जोड़ देते हैं, भले ही कोई विरोध न करे भारत माता की जय का, लेकिन जब ये इससे जुड़ जाता है तो लोगों में फूट डालकर लोगों के बीच नफरत, हिंसा शुरू होती है। आज जो वातावरण में राष्ट्रवाद का दुरुपयोग हुआ है उसका इतिहास भी गवाह है। हिटलर का अपना राष्ट्रवाद रहा, हिंदुत्व का अपना राष्ट्रवाद है, मुसोलिनी का अपना राष्ट्रवाद था। आज राष्ट्रवाद का असल मायने क्या है? वह केवल देश के प्रति न केवल एक कौम के प्रति और उस कौम को देश के साथ जोड़ देना। एक उदाहरण है कि उमर अब्दुला पर पीएसए लगा दिया है, चार्ज लगाया है कि वह आतंकवाद के चरम पर वोट बटोरने की ताकत रखते हैं, अब यह बताइए की जनतंत्र में अगर कोई वोट बटोर रहा है तो यह उसकी जनप्रियता है न, अपराध कैसे हुआ? और महबूबा मुफ्ती के लिए कहते हैं कि उनकी पार्टी का झंडा हरा है और हरा पाकिस्तान का झंडा है। अब कौन बताए कि तिरंगा भी एक तिहाई हरा है। तो यह देश विरोधी कैसे हो सकता है। यह बहाने करके फूट और नफरत का वातावरण बन रहा है और इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है जो सबसे खतरनाक है।

मुकेश भारद्वाज : आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली की जीत मुफ्तखोरी की जीत है और इससे राष्ट्रवाद पीछे चला गया। इसे आप कैसे देखते हैं?

● राष्ट्रवाद की बात आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हैं जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का असली मतलब लोगों की जिंदगी की भी सुरक्षा हो। बिना लोगों की जिंदगी की सुरक्षा के क्या राष्ट्रीय सुरक्षा हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल इतना नहीं है कि सिर्फ देश की सरहद ही आप ठीक-ठाक रखें या आंतरिक सुरक्षा का मामला ठीक रखें। लेकिन आपको लोगों की जिंदगी को भी ठीक रखना है। मुफ्त बिजली, पानी और स्कूल लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं और इसे आप कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ घेरेंगे। यह शब्दावली ही अपने आप में एक बड़ा अंतरविरोध है। अगर लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं होगी तो आप जितना चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर लें। अगर कोई लोगों की जीवन की सुरक्षा की बात करता हो तो वह लुभाने वाला हो गया और जो देश की सरहद की बात करे तो वह राष्ट्रवाद। यह बंटवारा जो कर रहे हैं वह गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ही नागरिकों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीना सबका मौलिक अधिकार है और बिना उसके राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब।

दीपक रस्तोगी : वाम दलों को लोगों के आंदोलन से जुड़ी पार्टी माना जाता है, लेकिन जिस तरह से पिछले समय में जन आंदोलन से निकली पार्टियों को लोगों का समर्थन मिला उतना समर्थन जन आंदोलन की प्रमुख माने जाने वाली वाम पार्टियों को क्यों नहीं मिल रहा। उनका वोट फीसद क्यों घट रहा है?

● बिल्कुल नहीं। यह अलग बात है कि जन आंदोलन का फायदा किसको मिल रहा है। जन आंदोलन हम करें और इसका फायदा चुनावी तौर पर कोई और ले जा रहा है इससे हम सहमत हैं। लेकिन जन आंदोलन की अहमियत तो है। 2019 से पहले मजदूर संगठन, किसानों की काफी बड़ी रैली हुई। बेरोजगारी और झारखंड के मामले में आंदोलन हुआ और इनके सवाल को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं नकार पाई। वाम पार्टियों ने इसे एजंडे में लाने का काम किया लेकिन एजंडे में आने के बाद इसका फायदा किसको मिला। यह सवाल है। आज राजनीति का मतलब 'आया राम गया राम' हो गया है। जिसे सीबीआइ से बचना हो वो भाजपा में चला जाए उसका बचाव हो जाएगा। वाम पार्टियों के आंदोलनों का प्रभाव चुनावी प्रभाव में है। लेफ्ट को सिर्फ चुनावी आधार पर नहीं जज कर सकते आपको आंदोलन को भी शामिल करना पड़ेगा। आंदोलन के हिसाब से एजंडा तय करता है लेफ्ट, लेकिन चुनावी हिसाब से उसे फायदा नहीं हो रहा है।

अजय पांडेय : आज जब विपक्ष बिखरा है तो वाम पार्टी बड़ी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है जबकि पहले ऐसा नहीं था?

● निभा रही है। आज सुबह ही केजरीवाल जी ने ट्वीट करके हमारा नाम लिखा, जबकि राजनीतिक तौर पर लेफ्ट की दिल्ली में क्या ताकत है। हमारी जितनी भी क्षमता है वो हम कर रहे हैं लोग ये भी मानते हैं कि हम ऐसी फोर्स हैं जिनकी कोई भागीदारी नहीं है और बाकी पार्टियों की तरह हमारे पास कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है कि हम किसके साथ जा रहे हैं और हम कितने पद और कितने मंत्री चाहते हैं। हम उसूलों के आधार पर देश और जनता के हित के आधार पर साथ जाते हैं। पहले भी वाम पार्टी के सुरजीत सिंह विपक्ष के नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन वो सूत्रधार थे सबको जोड़ने में। कई बार मजाक और गंभीरता में भी लोग आलोचना करते हैं कि काम आप जोड़ने के लिए करते हैं और पीछे भी हट जाते हैं। तो ये रोल तो रहेगा ही।

मृणाल वल्लरी : ममता और वाम दोनों ही भाजपा के हार का जश्न मना रहे हैं। लेकिन जब आप बंगाल में मुकाबला करेंगे तो भाजपा और तृणमूल दोनों होंगे। क्या दोनों के खिलाफ लड़ने की साझा रणनीति रहेगी।

● पहली बात तो ये है कि राजनीति कोई गणित नहीं है। राजनीति में दो और दो चार की जगह बाइस भी हो सकता है। राजनीति की आंतरिक विशेषताएं हैं। बंगाल में पिछले सात से आठ साल से सामाजिक स्तर पर जो आतंक फैला है उससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उससे वो मुक्ति चाहते हैं। हमारे 40 हजार कामरेड अपने गांव और घर नहीं जा सकते हैं। दस हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती वारंट है। 2078 लोग मारे जा चुके हैं। कहा गया कि लेफ्ट का वोट तृणमूल के खिलाफ भाजपा को गया, हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा लेकिन प्रभावित लोगों में यह बात हुई है। वो इससे मुक्ति चाहते हैं और देखेंगे कि कौन हरा सकता है। वहां ममता के खिलाफ एक राय बन चुकी है। कौन हरा सकता है। कौन मुकाबला कर सकता है। यह हुआ है पिछले चुनाव में। कांग्रेस और वामपंथियों के बीच एक विकल्प हैं। लेकिन उनके न आने से यह और बढ़ गया है। अगर गणित के रूप में भाजपा के बगैर सब एकजुट हो जाएं तो वर्तमान सत्ता के खिलाफ बनी राय का असर सब पर पड़ेगा और फायदा होगा जिनको आप हराना चाहते हैं। इस हालात में आज बंगाल की राजनीति है। इसे देखते हुए हमें आज भाजपा और ममता के खिलाफ जाना है और इसके लिए जो रणनीति बनानी है उसके प्रयास चल रहे हैं। अभी एक साल का समय है।

पंकज रोहिला : नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रहे हंगामे पर आप क्या सोचते हैं?

● कहा जाता है कि यह कानून संसद में पास कर दिया तो उसका विरोध क्यों। संसद ने तो आपातकाल भी पास किया था जब हम लोग जेल गए थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि संसद ने पास कर दिया तो सही ही है। पहली बार हमारे देश में नागरिकता को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। यह अभी तक नहीं हुआ था और न ही हमारे संविधान में इसकी कोई गुंजाइश है। यह गैर संवैधानिक नहीं बल्कि संविधान विरोधी है। समय लेकर इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमने इसे सेलेक्ट कमिटी में भेजने को कहा लेकिन बात नहीं मानी गई। संसद में वोट बटोरने के अपने तरीके हैं। धमकी देते हैं और जांच करते हैं। जिन्होंने इसके समर्थन में वोट डाले वो अब मुकर गए। नीतीश, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक मुकर गए। ये सब अब समझ में आ रहा है। अगर गंभीरता से बात करनी है उसके संविधान में भी तरीके हैं।

गजेंद्र सिंह : जेएनयू छात्र संगठन को देश विरोधी छात्र संगठन की पहचान बना दी गई है और इसका असर यह हुआ है कि आज जो भी छात्र सरकार के खिलाफ बोल रहा है वह राष्ट्रद्रोही है। ऐसा क्यों हैं?

● इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और इसे गंभीरता से बताना जरूरी है। आज उच्च शिक्षा पर यह हमला क्यों हुआ है। यह सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं बल्कि तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में यह हुआ है। हैदराबाद के साथ अन्य विश्वविद्यालय के छात्र, आइआइएम, टाटा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु जो कभी राजनीति में रुचि नहीं रखते वहां छात्र एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। हर समय जब आप एक किस्म की विचारधारा को थोपना चाहते हैं और उसके खिलाफ उठने वाले सवालों की प्रक्रिया को आप बंद नहीं करेंगे तो आपकी सफलता नहीं हो पाएगी।

सुशील राघव : हिंदी भाषी राज्यों में वाम पार्टियों का भविष्य आप कैसे देखते हैं?

● भविष्य है लेकिन हमारे सामने दिक्कते भी हैं वहां। आंदोलन में जुड़ जाते हैं जो हमारे साथ और जो विश्वास हम पैदा करते हैं लोगों में लाल झंडे के प्रति आंदोलन में उतरने के लिए। लाठी खाएंगे, पुलिस का सामना करेंगे, जेल जाएंगे। लेकिन जब वोट का समय आता है तो यह लाल नहीं, कहीं हरा, कहीं भगवा में बंट जाता है। मुख्य बात ये है कि आप लड़ाई के लिए ठीक हो, जब गठबंधन की बात आती है तो कई पार्टी कहती है हमसे कि आप जमीन पर लड़िए उसका फायदा हमें मिलेगा हम सीट क्यों दें। इस अंतर्विरोध को मिटाना हमारे सामने चुनौती है। यानी आर्थिक सवालों पर लड़ाई करते हुए जो भरोसा हम पैदा करते हैं लोगों में, सामाजिक शोषण के खिलाफ उस तरह का भरोसा हम पैदा नहीं कर पाए। यह अभाव है इसको दूर करने की कोशिश है। उत्तर भारत की राजनीति ज्यादातर जातिवादी आधार पर है। अब ऐसी परिस्थिति में आर्थिक शोषण पर तो लाल झंडे पर विश्वास है लेकिन सामाजिक शोषण पर यह विश्वास नहीं है। तीन साल से हम इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीन साल में 'लाल सलाम जय भीम', 'लाल-नील' नारा उठने लगा है। हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं।

आर्येंद्र उपाध्याय : अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और लोग अन्य मुद्दे में उलझे हैं। वामपंथी संगठन इस मुद्दे पर जागरूकता क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं?

● आ रही है जागरूकता। आठ जनवरी को अखिल भारतीय हड़ताल हुई थी। 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर शामिल हुआ। आर्थिक परिस्थिति में हम रास्ता बता रहे हैं। अमीरों को छूट घटाकर वहीं पैसा विकास कार्य में खर्च किया जाए। पिछले दिनों दो लाख 15 हजार करोड़ रुपए कारपोरेट को छूट दी गई, अगर यही पैसा सरकारी निवेश में लगाते, सड़क, नहर और अन्य काम में करते तो उससे नौकरी पैदा होती। अगर नौकरी मिलेगी तो हाथ में पैसा आएगा तो बंद कारखाने खुलेंगे। चाय-बिस्कुट के देश में अगर कंपनियां कहें कि पांच रुपए का पैकेट बिक नहीं रहा तो क्या हालत हो गई देश में। रास्ता साफ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार काम तो करे!

उमर अब्दुला पर पीएसए लगा दिया है, चार्ज लगाया है कि वह आतंकवाद के चरम पर वोट बटोरने की ताकत रखते हैं, अब यह बताइए कि जनतंत्र में अगर कोई वोट बटोर रहा है तो यह उसकी जनप्रियता है न, अपराध कैसे हुआ? और महबूबा मुफ्ती के लिए कहते हैं कि उनकी पार्टी का झंडा हरा है और हरा पाकिस्तान का झंडा है। अब कौन बताए कि तिरंगा भी एक तिहाई हरा है। तो यह देश विरोधी कैसे हो सकता है।

अरविंद शेष : आरक्षण पर उत्तराखंड सरकार के रुख के बाद अब उस पर हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फिलहाल समूचे तंत्र में वंचित जातियों की जो भागीदारी है, उसमें ताजा फैसले के आलोक में आगे की तस्वीर पर आपकी क्या राय है?

● हमने इसका विरोध किया है और करते हैं। संवैधानिक रूप से यह आदेश है कि आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार हर दस साल में यह देखेगी कि आरक्षण की और जरूरत है कि नहीं। जब जरूरत होगी तो आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हम राज्यों के ऊपर छोड़ देते हैं तो राज्यों के ऊपर छोड़ना भी जरूरी है लेकिन यह सवाल नहीं छोड़ सकते की आरक्षण होगा या नहीं होगा। आरक्षण में किसको कितना मिलेगा यह राज्यों को तय करना है, क्योंकि यह जनसंख्या पर आधारित होगा। जैसे त्रिपुरा और ओड़िशा में आदिवासियों को ज्यादा मिलता है दलितों से क्योंकि वहां उनकी जनसंख्या ज्यादा है। कहीं पर ओबीसी को ज्यादा और कहीं कम मिलता है। तो ये अधिकार है राज्यों का लेकिन आरक्षण होगा कि नहीं यह तय करने का अधिकार नहीं है।

मृणाल वल्लरी : आप विपक्ष के एकमात्र नेता थे जो अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद कश्मीर गए और अदालती लड़ाई लड़ माकपा नेता तारेगामी को इलाज के लिए दिल्ली लाए। लेकिन बाकी विपक्ष ने कश्मीर को अकेला क्यों छोड़ दिया, सरकार की नाकेबंदी पर समर्पण क्यों कर दिया।

● 370 के खिलाफ जितना जोर से विरोध पकड़ना चाहिए था वह नहीं हो पाया। मैंने संसद में यही कहा कि जितनी तेजी से चीजें आती हैं तो बाकी चीजें पीछे छूटनी शुरू हो जाती हैं।

प्रस्तुतिः मृणाल वल्लरी/ गजेंद्र सिंह

जनसत्ता बारादरी

सीताराम येचुरी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव और पोलित ब्यूरो के नेता का जन्म 12 अगस्त, 1952 को चेन्नई में एक तेलुगुभाषी परिवार में हुआ। दसवीं कक्षा तक हैदराबाद में पढ़ाई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक और जेएनयू से परास्नातक किया। आपातकाल के दौरान जेल गए, फिर जनवादी आंदालनों के साथ जुड़ते गए। 19 अप्रैल, 2015 को माकपा के महासचिव के रूप में निर्वाचित किए गए। वाम नेताओं में वैसा चेहरा, जो विपक्ष के संघर्ष की राह में सर्वमान्य हैं। खासतौर पर 2014 के बाद देश के बड़े जनांदोलनों में वाम से जुड़े संगठनों की मेहनत देखी जा सकती है। इसकी अगुआई करते येचुरी सफल साबित हो रहे हैं।

किताबें मिलीं

साथ-साथ मेरा साया

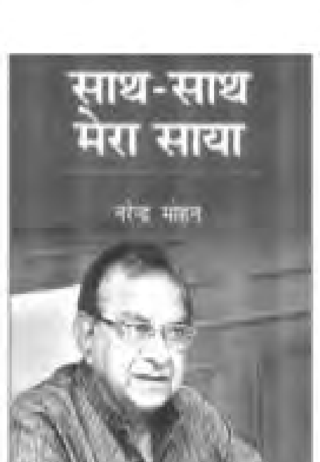

प्रस्तुत कृति नरेंद्र मोहन के डायरी समग्र का पहला खंड है। उनकी डायरियां (कालावधि 1967 से आज तक) एक लंबे अरसे से सर्जकों, आलोचकों, सुधी पाठकों और शोधार्थियों के बीच आत्म परिस्थिति, इतिहास और स्मृति को लेकर व्यापक चर्चा और गहरे विश्लेषण का विषय ही नहीं रही हैं, कई तरह के विमर्शों को भी उभारती रही हैं। अलग-अलग समयों पर प्रकाशित उनकी डायरियों ने डायरी के लेखन के क्षेत्र में नए मॉडल और प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनके लिए डायरी सर्जना एक नेपथ्य है। इस नेपथ्य के बिना न सर्जक है, न सृजन।

यह खंड लेखक के लंबे आत्म-संघर्ष और रचना-संघर्ष (1967-2001) का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उसका समय करवटें लेता महसूस किया जा सकता है। निजी पारिवारिक बातें, सामाजिक-राजनीतिक हालात, उनकी अंतर्ध्वनियां, साहित्यिक हलचलें और लेखकीय मन की अजीबोगरीब स्थितियां और हरकतें यहां एक-दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि परस्पर बिंधी हुई हैं, आत्मगत साक्ष्य के साथ। खुद को सामने रखते हुए भी आत्मरति और आत्ममुग्धता का शिकार न होने, अपने से अपनी ही आंखों में खुला छोड़ने और समय को उसकी आंख में, उठने-गिरने के प्रसंगों के साथ पकड़ने और उसे अपनी रगों में महसूस करने की कला डायरी में अनूठी है।

साथ-साथ मेरा साया: नरेंद्र मोहन; हंस प्रकाशन, बी-336/1, गली नं. 3, दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार, नई दिल्ली; 995 रुपए।

बहेलिए

राहुल सांकृत्यायन अपनी किताब 'वोल्गा से गंगा' में छह हजार वर्ष पुरानी जिन स्त्रियों एवं मातृसत्तात्मक परंपरा का चित्रण करते हैं वह आज के समय से न सिर्फ भिन्न है बल्कि एक असंभव आश्चर्य-सा प्रतीत होता है। यदि किसी समय में वाकई स्त्रियों की सत्ता थी तो आज स्त्रियां इतनी पराधीन क्यों नजर आती हैं? काल परिवर्तन में ऐसा क्या घटा होगा कि दशा पूर्णतः विपरीत हो गई। अब पग-पग पर निराले तरीकों से स्त्रियां न सिर्फ ठगी जाती हैं, बल्कि चहुंओर बिखरे बहेलिए उन्हें अपने पिंजरे की बुलबुल बनाने के स्वप्न देखते हैं। जो आगे बढ़ रही हैं वे भी और जो पीछे छूट जाती हैं वे भी, सभी पर किसी-न-किसी तरह नकेल कसने की कोशिश की जाती है।

यह कहानी संग्रह उन सभी स्त्रियों की कहानी है जिनके जीवन में बहेलिए आए, उन्हें कैद करने की कोशिश भी की, मगर क्या वे कैद हुईं? यह जरूरी नहीं कि इन कहानियों में बहेलिए सिर्फ पुरुष ही हों, स्त्रियां खुद भी पितृसत्ता को ढोते-ढोते अब उसका अभिन्न अंग बन गई हैं..।

कहानियों का विषय-विस्तार व्यापक है और दृष्टि समझदार। हर कहानी परिवेश के बीचोबीच से उठती है और परिवेश के अंतर्गत सहमति और असहमति के बिंदु पर समाप्त होती है।

बहेलिए: अंकिता जैन; राजपाल एंड संज, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली; 175 रुपए।

मेरी राशि का अधिपति एक सांड़ है

वीरू सोनकर के इस संग्रह में संकलित कविताओं का दायरा आज के जीवन के लगभग सभी आयामों और छोरों तक फैला हुआ है। ठीक इसी समय में जिये जा रहे जीवन की दैनंदिनी। अविस्मरणीय और कीमती रोचनामचा। एक युवा कवि की ऐसी डायरी जिसे पढ़ते हुए वही प्रश्न सामने आ खड़ा होता है कि 'अब इसके बाद क्या?' वही प्रश्न जो मुक्तिबोध को पढ़ते हुए शमशेर और शमशेर को पढ़ते हुए रघुवीर सहाय के सामने उपस्थित हो गया था। या फिर सातवें दशक में धूमिल की 'पटकथा' और उनकी अन्य कविताओं को पढ़ते हुए प्रकट हुआ था।

वीरू सोनकर की कविताएं अपने आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए नए प्रतिमानों की अनिवार्य मांग करती हैं। ये पिछले कुछ दशकों की कविता के नैरंतर्य और अकादमिक आलोचना की जड़ता को एक सिरे से, एक साथ निरस्त भी करती हैं और उनकी संभावनाओं के लिए नई जमीन, परिस्थिति और संदर्भ भी तैयार करती हैं। ये कविताएं अपने प्रकट स्थापत्य और आंतरिक विन्यास की समूची संरचना में अंतर्व्याप्त पीड़ा और प्रतिरोध की, बेचैन और सचेत करती, वास्तविक अर्थों में विलक्षण कविताएं हैं।

मेरी राशि का अधिपति एक सांड है: वीरू सोनकर; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 199 रुपए।

www.readwhere.com

एजीआर बकाया चुकाने को तैयार हुई वोडाफोन

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि कंपनी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि वह समायोजित सकल आय (एजीआर) के तहत कितनी बकाया राशि का भुगतान कर सकती है। हालांकि, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एजीआर बकाए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि भारत में कारोबार जारी रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में संशोधन के लिए दायर याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।

वोडाफोन आइडिया ने बताया कि कंपनी इस समय मूल्यांकन कर रही है कि वह दूरसंचार विभाग को एजीआर पर आधारित बकाए की कितनी राशि का भुगतान कर सकती है। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि कंपनी अगले कुछ दिनों में मूल्यांकन की गई राशि को चुकाने की पेशकश करती है।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर कुल 53,038 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसमें 24,729 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए देय हैं, जबकि उसे 28,309 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस के तौर पर चुकाने हैं। कंपनी ने बताया कि जैसा कि 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय बयानों में कहा गया है, कंपनी के काम करते रहने की क्षमता अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि अनुपूरक आदेश में संशोधन के लिए उसके आवेदन के सकारात्मक नतीजे आएं।

ई-मतदान के विकल्प पर विचार कर रहा आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

चुनाव आयोग ई-मतदान की सुविधा शुरू करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इसका लाभ वैसे मतदाता उठा सकेंगे, जिनका पंजीकृत मतदान केंद्र कहीं और है और वे कहीं और रह रहे हैं। ई-मतदान के जरिए ऐसे लोगों को मताधिकार प्रयोग की सुविधा देने के विकल्पों पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। आयोग की इस भावी पहल से मतदान का आंकड़ा बढ़ने चुनाव कराने के खर्च में कमी आने के आसार हैं। अगली 18 फरवरी को चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के आला अधिकारियों की प्रस्तावित बैठक में इन पहलुओं पर विचार हो सकता है।

आयोग इसके लिए दूरस्थ मतदान (रिमोट वोटिंग) की सुविधा मुहैया कराने के विकल्पों को विकसित कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने हाल ही में इस व्यवस्था के बारे में खुलासा किया था कि आइआइटी, चेन्नई के सहयोग से विकसित की जा रही मतदान की इस पद्धति के तहत किसी भी राज्य में पंजीकृत मतदाता किसी अन्य राज्य से मतदान कर सकेगा।

देश में लगभग 45 करोड़ प्रवासी लोग हैं, जो रोजगार आदि के कारण अपने मूल निवास स्थान से अन्यत्र निवास करते हैं। इनमें से कई मतदाता विभिन्न विवशताओं के कारण मतदान वाले दिन अपने उस चुनाव क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, जहां के वे पंजीकृत मतदाता हैं।

इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, दूरस्थ मतदान का प्रयोग ई- वोटिंग के रूप में सबसे पहले 2010 में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में किया गया था। इसमें राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय के एक- एक वार्ड में ई-मतदान का विकल्प मतदाताओं को दिया गया था। इसके बाद 2015 में गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने अहमदाबाद और सूरत सहित छह स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं को ई-मतदान की सुविधा से जोड़ा था।

आज केजरीवाल की तीसरी कसम

पेज 1 का बाकी

स्थिति साफ नहीं की है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस बार कुछ मंत्रियों के कामकाज में फेरबदल कर सकते हैं।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को आमंत्रित किया है। इसीलिए रामलीला मैदान में जमीनी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। सुबह से ही रामलीला मैदान व आसपास के इलाकों में यातायात के लिए रास्ता बदल दिया जाएगा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे विभिन्न क्षेत्रों से करीब 50 लोग शामिल होंगे और वे मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि इन 50 लोगों में शिक्षक, बस मार्शल, सिग्नेचर ब्रिज के वास्तुकार और काम के दौरान अपना जीवन गंवाने वाले दमकलकर्मियों के परिवार एवं अन्य शामिल हैं।

रामलीला मैदान में कई खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मंच को तीन हिस्सों में बांटा गया है। मैदान में ही विधायकों के बैठने का इंतजाम होगा। पहली पंक्ति में दिल्ली के विधायकों को बैठाया जाएगा। दूसरे हिस्से में 50 विशेष आमंत्रित लोग शामिल रहेंगे मैदान में 45 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। पूरे मैदान को नौ हिस्सों में बांटा गया है। चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए 125 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर हिस्से में जनता की सुविधा के लिए 12 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं।

भारतीयों को जापानी जहाज से निकालने की तैयारी

पेज 1 का बाकी

तट पर रखे गए क्रूज जहाज को पृथक रखे जाने की अवधि खत्म होने पर उसमें सवार सभी भारतीयों को उतारा जाएगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जहाज पर सवार जिन तीन भारतीयों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था, उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जहाज में मौजूद तीन भारतीयों समेत 218 लोग घातक कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में हैं। जापान के तट पर इस महीने की शुरुआत में पहुंचे इस क्रूज जहाज पर सवार 3,711 लोगों में कुल 138 भारतीय थे। इनमें चालक दल के 132 सदस्य और छह यात्री शामिल थे। क्रूज से पिछले महीने हांगकांग में उतरे एक यात्री के कोविड-19 (कोरोना वायरस) से संक्रमित होने की पुष्टि होने के कारण जहाज को अलग-थलग रखा गया है।

भारतीय दूतावास जापानी अधिकारियों, जहाज प्रबंधन कंपनी और जहाज में सवार भारतीय नागरिकों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने जहाज को पृथक रखे जाने की अवधि समाप्त होने और कोविड-19 के लिए उनके जांच परीक्षण हक में आने के बाद अपने नागरिकों को जहाज से जल्द से जल्द उतारने के लिए सभी प्रयास जारी रखे हुए हैं।' जापानी क्रूज जहाज पर सवार चालक दल के तीसरे भारतीय सदस्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिससे कोविड-19 से संक्रमित भारतीयों की कुल संख्या तीन हो गई है।

टोकियो स्थित भारतीय दूतावास ने बीमार तीनों भारतीय नागरिकों से संपर्क किया है। इन सभी का इलाज चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, 'उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उसमें सुधार हो रहा है। दूतावास जहाज पर सवार सभी भारतीय नागरिकों की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जापानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।'

दूतावास ने जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को ई-मेल भेजकर सभी तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है। दूतावास ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि उन सभी से जापान सरकार के स्वास्थ्य और अलग रखे जाने के प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आग्रह किया गया है। जापानी सरकार ने गुरुवार को घोषणा की थी कि 80 या उससे अधिक उम्र के यात्रियों में कोविड-19 की जांच निगेटिव आने पर उन्हें जहाज से उतरने का विकल्प दिया जाएगा। शुक्रवार को बयान में कहा गया कि कोई भारतीय इस श्रेणी के तहत नहीं आता।

पाकिस्तानी रेंजर्स ने की गोलाबारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी

पाकिस्तानी रेंजर्स ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

अधिकारियों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने इसका माकूल जवाब दिया और जवाबी गोलीबारी की। गोलीबारी हीरानगर सेक्टर में चकरा गांव में सुबह करीब चार बजे शुरू हुई थी जो ढाई घंटे से अधिक चली। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में किसी भारतीय सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार भी दागे।

संघर्षविराम उल्लंघन : पाक ने भारत पर दोष मढ़ा, भारतीय राजनयिक को बुलाया

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को शनिवार को तलब किया और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास संघर्षविराम के कथित उल्लंघन को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। वहां के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 फरवरी को नियंत्रण रेखा के पास राखचिकरी और नेजापीर सेक्टरों में गोलीबारी की।

नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी वैन

पेज 1 का बाकी

से सैंपल एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वैन में प्रतिबंध के बावजूद एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा यह वैन पुराने मॉडल की थी जिसकी एक तरफ की खिड़की नहीं खुलने के कारण चार बच्चों की जान चली गई।

संगरूर के जिला उपायुक्त घनश्याम ठोरी ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि स्कूल वैन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला कई नियमों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था। स्कूल प्रबंधकों द्वारा इसे आज पहले दिन ही सड़क पर उतारा गया था। इस वाहन के पंजीकरण में भी कई तरह की दिक्कतें हैं। इसके चलते वैन चालक, स्कूल प्रबंधकों तथा वैन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी दौरान घटनास्थल पर पहुंचे पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से सभी मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता तथा घायलों का इलाज मुफ्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

बैंकिंग व्यवस्था पर कोई मुद्दा उठा तो आंतरिक स्तर पर चर्चा : दास

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार कंपनियों पर सांविधिक बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई मुद्दा उठा तो केंद्रीय बैंक उस पर आंतरिक रूप से चर्चा करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारती एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे न्यायालय के निर्देशानुसार समायोजित सकल आय (एजीआर) के 1.47 लाख करोड़ रुपए के आनुमानित बकाए को नहीं चुकाती हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

दास ने इस आदेश पर कोई खास टिप्पणी नहीं की, जिसका असर उन बैंकों पर हो सकता है, जिन्होंने वित्तीय रूप से कमजोर दूरसंचार कंपनियों को कर्ज दिया है। इस आदेश के बारे में दास ने कहा कि अगर इसके संबंध में कोई मुद्दा सामने आया तो उस पर आंतरिक रूप से विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और शीर्ष न्यायालय के किसी आदेश और इसके नतीजों पर मैं किसी भी तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। यह शीर्ष न्यायालय का आदेश है। इसके जो भी निहितार्थ आदि हैं, उसकी समीक्षा करना रिजर्व बैंक का आंतरिक विषय है। अगर इस (आदेश) से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है तो उस पर आंतरिक रूप से विचार किया जाएगा। एअरटेल पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया हैं, जो उसे सरकार को देना है। वोडाफोन आइडिया को कुल 53,000 करोड़ रुपए अदा करने हैं, जिनमें से 24,729 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम के बकाया हैं और अन्य 28,309 करोड़ रुपए लाइसेंस शुल्क के बकाया हैं। वोडाफोन ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर उसे एजीआर के मसले पर राहत नहीं मिली, तो कंपनी बंद हो जाएगी।

बैंक एकीकरण के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी सरकार : सीतारमण

पेज 1 का बाकी

बड़े बैंक बनाने का निर्णय किया था। इसके तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया जाना है। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ और आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलाया जाना है। इससे पहले अप्रैल 2019 में सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर चुकी है।

वहीं अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में उसके पांच सहयोगी बैंक- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने शनिवार कहा कि सरकार बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे ऋणों की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

शाह फैसल पर पीएसए के तहत मामला दर्ज

पेज 1 का बाकी

गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की एहतियातन हिरासत की मियाद खत्म होने से महज कुछ ही घंटे पहले छह फरवरी की रात को दोनों नेताओं के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पीएसए के तहत दो प्रावधान हैं-लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। फैसल को पिछले साल 13 और 14 अगस्त की बीच रात में दिल्ली हवाईअड्डे पर इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने से पहले रोक दिया गया था।

अमेरिकी सिनेटर को जयशंकर की खरी-खरी

पेज 1 का बाकी

समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। यह लोकतंत्र को चलाने का सही तरीका होगा।' इस बिन मांगी सलाह पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, 'चिंता न करें, सिनेटर। एक लोकतंत्र ऐसा करेगा, और आपको पता है कि वह कौन है।' म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन 14 से शुरू हुआ, जो 16 फरवरी तक चलेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा का शीर्ष वैश्विक मंच है।

इस सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी से मुलाकात करने के बाद कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों के प्रति उनका 'निरंतर' सहयोग उसे मजबूती प्रदान करने वाला एक बड़ा स्रोत रहा है। जयशंकर इस सुरक्षा सम्मेलन के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे थे।

गिरिराज ने किया माल्यार्पण, विपक्ष ने किया शुद्धिकरण

पेज 1 का बाकी

कर दिया है। बेगुसराय की बलिया प्रखंड में गिरिराज ने शुक्रवार को सीएए के पक्ष में रैली करने से पहले जिले के उद्यान में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। माल्यार्पण के करीब 24 घंटे के बाद भाकपा नेता सनोज सरोज और राजद नेता विकास पासवान एवं रूप नारायण पासवान बालटी में गंगाजल भरकर लाए। भाकपा और राजद नेताओं ने आंबेडकर की मूर्ति को धोने से पहले गंगाजल छिड़का और जय भीम के नारे लगाए।

उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो क्लिप में भाकपा और राजद नेता यह कहते हुए दिख रहे हैं कि कल यहां आकर गिरिराज ने माहौल को दूषित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बलिया लघु पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने गिरिराज को मनुवाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि वह हर उस मुद्दे के साथ खड़े हुए हैं जिनका आंबेडकर ने विरोध किया। इसलिए प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया जाना उसे अपवित्र करने के बराबर है। इस घटनाक्रम पर गिरिराज प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सीएए के विरोध के नाम पर ये लोग 1947 के बंटवारे से पहले वाला माहौल पैदा करने का प्रयास रहे हैं। उन्होंने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महंगाई पर बजट का ज्यादा असर नहीं होगा : दास

पेज 1 का बाकी

2019-20 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर जीडीपी का 3.8 फीसद कर दिया गया था, जो इससे पहले 3.3 फीसद था।

दास ने कहा कि किसी भी बजट का महंगाई पर सीधा असर उसके राजकोषीय घाटे के आंकड़े से जुड़ा होता है, जब उधार में बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार ने राजकोषीय अनुशासन के सिद्धांत का पालन किया है। उन्होंने कहा, एफआरबीएम कानून के 'राहत उपनियम' के तहत चालू वर्ष के साथ ही अगले वर्ष में भी घाटे के आंकड़े एफआरबीएम समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

परंपरा के अनुसार बजट के बाद वित्त मंत्री ने शुक्रवार को आरबीआइ के निदेशक मंडल को संबोधित किया। इस संबोधन के बाद दास ने कहा, 'सरकार के उधारी में अच्छी बात है कि ये छोटी बचत से आ रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका मुद्रास्फीति पर बहुत अधिक असर होगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का निश्चित रूप से मुद्रास्फीति पर सकारात्मक असर होगा।' उन्होंने कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य वस्तुओं की महंगाई है, खासतौर से दूध, मछली और प्रोटीन से संबंधित विभिन्न उत्पाद। खुदरा कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जनवरी में 7.59 फीसद थी, जो करीब छह साल में सबसे अधिक है। इस दौरान सब्जियों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला।

दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में ऋण उठाव गति पकड़ रहा है। साथ ही उन्होंने नीतिगत दर में कटौती का लाभ नीचे तक पहुंचने की रफ्तार आने वाले दिनों में और सुधरने की उम्मीद भी जताई। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर चिंताएं हैं। दास ने कहा कि नीतिगत दर में कटौती का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच रहा हो, वह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत दर में कटौती का नीचे तक असर लगातार सुधर रहा है। इसके आगे और बेहतर होने की उम्मीद है।

दास ने कहा कि ऋण उठाव की गतिविधियों में गति आई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में ऋण उठाव की वृद्धि दर बढ़ेगी।

मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के कारण केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में 2020 की अपनी पहली मौद्रिक समीक्षा नीति में नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया था।

तुर्की के राष्ट्रपति को चेतावनी

पेज 1 का बाकी

के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारे में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी वक्तव्यों को भारत खारिज करता है। साथ ही, उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता।

एर्दोगान ने शुक्रवार को पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख के साथ हैं। इसको लेकर रवीश कुमार ने कहा, उन्होंने कहा, 'हम तुर्की के नेतृत्व से अपील करते हैं कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और भारत तथा क्षेत्र में पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के गंभीर खतरे सहित सारे तथ्यों की सही समझ बनाए।' पिछले साल सितंबर में भी एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाया था।

चीन से आए 17 यात्रियों में कोरोना के लक्षण

पेज 1 का बाकी

गई जो इस वायरस से प्रभावित देशों से भारत आए थे। इसके आधार पर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ऐसे यात्रियों का पता लगाकर इनकी जांच की गई। इसमें कई यात्रियों की पहचान की गई है जिनमें इससे मिलते जुलते लक्षण दिखे हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों की ओर से सूचना दिए जाने के बाद मध्य जनवरी से 13 फरवरी तक ऐसे 5,700 यात्रियों से संपर्क किया जा चुका है। दिल्ली के मुख्य स्वास्थ्य सचिव डॉ. एसएम रहेजा ने कहा कि ज्यादातर मरीजों में इसके कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। जिनमें कुछ मामूली लक्षण दिखाई दिए हैं उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि जिनके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी रपट भी नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 4,707 यात्रियों में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं फिर भी उन्हें घर में परिवार से कुछ दिन अलग रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सत्रह रोगियों में लक्षण देखे गए हैं और उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने यह भी कहा है कि चीन से आए किसी भी व्यक्ति में अगर जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें तुरंत ही नजदीकी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा उन यात्रियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है जो 15 जनवरी से पहले दिल्ली से चीन या अन्य देशों की यात्रा पर गए थे और हवाई अड्डों पर जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिल्ली वापस आ गए थे। दिल्ली में गहन चौकसी 17 जनवरी के बाद से शुरू हुई थी।

आइटीबीपी केंद्र के लोगों की रिपोर्ट सोमवार को

पेज 1 का बाकी

शनिवार को यह जानकारी दी। यहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के पृथक केंद्र में रखे गए सभी लोगों के अंतिम नमूने शुक्रवार को चिकित्सकों की एक टीम ने एकत्र किए और रिपोर्ट सोमवार तक प्राप्त होने की संभावना है। आइटीबीपी के जन संपर्क अधिकारी विवेक कुमार पांडे ने एक बयान में कहा, 'रिपोर्ट के आधार पर और अधिकारियों की सहमति होने पर यात्रियों को छुट्टी देने के बारे में फैसला लिया जाएगा जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक तय शिष्टाचार और उचित चिकित्सा प्रक्रिया का ध्यान रखते हुए संभवतः अगले हफ्ते किया जाएगा।' पांडे ने कहा, 'आज कोई नए लक्षण नहीं देखे गए। भोजन, बिस्तर और अन्य मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है।' गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंतिम नमूनों की जांच निगेटिव आने पर सभी को अगले हफ्ते छुट्टी दी जाएगी। एक और दो फरवरी को वुहान से कुल 650 लोगों को भारत लाया गया था। इनमें से मालदीव के सात नागरिकों समेत 406 लोगों की यहां आइटीबीपी के पृथक केंद्र में देखभाल की जा रही है वहीं शेष का हरियाणा के मानेसर में सेना के एक केंद्र में इलाज चल रहा है।

अबूधाबी के पहले मंदिर की भरी गई नींव

पेज 1 का बाकी

के लिए मनाया जिसने न सिर्फ भूमि दान की बल्कि मंदिर के लिए पहला लाइसेंस भी दिया।'

अल मुथन्ना ने कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, अगर वह अच्छा/सकारात्मक है तो वह समुदाय के लिए धरोहर के समान है। उन्होंने कहा, 'हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमने सही साझेदार चुना, आज का दिन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमने सही साझेदार बीएपीएस को चुना।'

बहुलवाद को विचारों के दमन से बड़ा खतरा : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़

पेज 1 का बाकी

को दबाना है।' उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था भारत की परिकल्पना पर एकाधिकार करने का दावा नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यहां एक व्याख्यान देते हुए यह भी कहा कि असहमति पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल डर की भावना पैदा करता है जो कानून का शासन का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, 'असहमति को सिरे से राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी करार देना संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण एवं विचार-विमर्श करने वाले लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता की मूल भावना पर चोट करती है।'

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि असहमति का संरक्षण करना यह याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक रूप से एक निर्वाचित सरकार हमें विकास एवं सामाजिक समन्वय के लिए एक न्यायोचित औजार प्रदान करती है, वह उन मूल्यों एवं पहचानों पर कभी एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती जो हमारी बहुलवादी समाज को परिभाषित करती हैं। वे यहां 15वें न्यायमूर्ति पीडी देसाई स्मारक व्याख्यान 'भारत को निर्मित करने वाले मत : बहुलता से बहुलवाद तक' विषय पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, 'असहमति पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना पैदा करता है और स्वतंत्र शांति पर एक डरावना माहौल पैदा करता है जो कानून के शासन का उल्लंघन करता है और बहुलवादी समाज की संवैधानिक दूरदृष्टि से भटकाता है।' न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) ने देश के कई हिस्सों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शनों को तूल दिया है। उन्होंने कहा कि सवाल करने की गुंजाइश को खत्म करना और असहमति को दबाना सभी तरह की प्रगति-राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक- की बुनियाद को नष्ट करता है। इस मायने में असहमति लोकतंत्र का एक 'सेफ्टी वॉल्व' है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि असहमति को खामोश करने और लोगों के मन में भय पैदा होना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन और संवैधानिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता से आगे तक जाता है।

बताते चलें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूल करने के जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजी गई नोटिसों पर जनवरी में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि विचार-विमर्श वाले संवाद का संरक्षण करने की प्रतिबद्धता प्रत्येक लोकतंत्र का, खासतौर पर किसी सफल लोकतंत्र का एक अनिवार्य पहलू है। उन्होंने कहा कि कारण एवं चर्चा के आदर्शों से जुड़ा लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों के विचारों का गला नहीं घोंटा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नतीजा सिर्फ संख्याबल का परिणाम नहीं होगा, बल्कि एक साझा आमराय होगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा उसकी सृजनशीलता और उन गुंजाइशों को सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता है जहां हर व्यक्ति बगैर किसी भय के अपने विचार प्रकट कर सके। उन्होंने कहा कि संविधान में उदार वादे में विचार की बहुलता के प्रति प्रतिबद्धता है। संवाद करने के लिए प्रतिबद्ध एक वैध सरकार राजनीतिक प्रतिवाद पर पाबंदी नहीं लगाएगी, बल्कि उसका स्वागत करेगी। उन्होंने परस्पर आदर और विविध विचारों की गुंजाइश के संरक्षण की अहमियत पर भी जोर दिया।

स्कूल वैन में आग, चार शिशुओं की मौत

पेज 1 का बाकी

जारी कर दिए हैं। संगरूर जिले के गांव लौंगोवाल में चल रहे सिमरन पब्लिक स्कूल की वैन शनिवार को दोपहर बाद तीन बजे छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर उनके घर के लिए रवाना हुई। लौंगोवाल-पिंडी रोड पर अचानक उसमें आग लग गई और चालक इससे बेखबर था। वैन के पीछे आ रही ट्रैक्टर ट्राली में सवार व्यक्तियों और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने वैन को रुकवाया, लेकिन वैन की गति तेज होने व हवा के चलते आग ने कुछ ही पलों में वैन को अपनी चपेट में ले लिया।

वैन में फंसे छोटे-छोटे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर भारी संख्या में लोग जमा हो गए और उन्होंने बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन चालक के पीछे वाली सीट की खिड़की नहीं खुलने के कारण देखते ही देखते चार बच्चे आग की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

www.readwhere.com

तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पूछे सबसे अधिक सवाल

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में बजट सत्र के पहले हिस्से में सबसे अधिक 18 प्रश्न पूछे। राज्य सभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि ऊपरी सदन के कुल 118 सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से लिखित जवाब की मांग करते हुए कुल 1,120 अतारांकित प्रश्न उठाए हैं।

मंगलवार को संपन्न हुए सत्र के पहले हिस्से के सात दिनों में से प्रत्येक दिन 160 अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। बयान के अनुसार कुल अतारांकित प्रश्नों में से 50 प्रतिशत राज्य सभा के केवल 35 सदस्यों द्वारा पूछे गए। ओ ब्रायन ने सबसे अधिक 18 सवाल, वाइएसआरसीपी के वेमीरेड्डी प्रभाकर ने 17 और निर्दलीय सांसद परिमल नाथवानी ने 16 सवाल पूछे।

भाजपा के केजे अलफोंस, कांग्रेस से कुमारी शैलजा और के टी सुब्बारामी रेड्डी समेत 10 सदस्यों में से प्रत्येक ने 15–15 सवाल पूछे।

वैलेंटाइंस डे पर छेड़छाड़ करने वाले को युवती ने पीटा

मुजफ्फरनगर, 15 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में वैलेंटाइंस डे पर एक युवती ने 25 साल के युवक की छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को आरोपी गुलबहार को जिले के भवन टाउन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के परिवार की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार वैलेंटाइंस डे पर गुलबहार ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस के अनुसार, इसपर युवती ने आरोपी की पिटाई कर दी।

जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन - L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम. हापुड़ बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश–203408

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, एल.एस.सी., वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

वेबसाइट : www.jpifcl.com, ई-मेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com, फोन : 011–40322100

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित परिणामों का विवरण

(रू. लाख में, सिवाय ईपीएस)

विवरण	पृथक्कृत तिमाही समाप्त 31-12-19	पृथक्कृत तिमाही समाप्त 31-12-18	पृथक्कृत वर्ष समाप्त 31-03-19	समेकित तिमाही समाप्त 30-09-19	समेकित तिमाही समाप्त 30-09-18	समेकित वर्ष समाप्त 31-03-19
	अलेखापरीक्षित			अलेखापरीक्षित		
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	0.00	0.54	2.63	25.60	24.67	105.01
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले	3.98	(74.47)	(225.65)	(2,021.56)	(1,979.82)	(22,472.36)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के बाद)	3.98	(74.47)	(39,385.80)	(2,034.25)	(1,979.82)	(24,413.92)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर, गैर-नियंत्रक ब्याज तथा एसोशिएट के लाभ के अंश के बाद, मूल के इक्विटी होल्डर्स हेतु आरोप्य	-	-	-	(1,040.08)	(1,050.47)	(13,562.16
अवधि हेतु कुल समावेशी आय जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात्) सम्मिलित हैं, मूल के इक्विटी होल्डर्स हेतु आरोप्य	-	-	-	(1,040.08)	(1,050.47)	(13,562.16)
इक्विटी शेयर पूंजी (प्रदत्त अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक)	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19
संचय (पुनरमूल्यन संचय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	-	-	8,901.04	-	-	(30,305.05)
मूल/तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पूर्व) (10/– प्रत्येक का)	0.04	(0.71)	(374.68)	(9.89)	(9.99)	(129.02)
मूल/तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (10/– प्रत्येक का)	0.04	(0.71)	(374.68)	(9.89)	(9.99)	(129.02)

नोट : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jpifcl.com तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स नामतः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते जिंदल पॉलि इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

हस्ता./–

घनश्याम दास सिंघल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन – 00708019

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 14–02–2020

सनराईज डिस्टिलरीज लिमिटेड

CIN:L15511DL1985PLC021272

पंजी. कार्यालयः 3/14ए, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली–110009,

सम्पर्क नं. 9891173870, वेबसाईट www.sundistilleries.in,

ईमेल : sunrisedistllerieslimited@gmail.com, info@sunrisedistlleries.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

(राशि लाखों में)

विवरण	स्टैंडएलान समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	स्टैंडएलान समाप्त तिथि तक वर्ष के आँकड़े 31.12.2019 अनंकेक्षित	स्टैंडएलान समाप्त तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समेकित समाप्त तिथि तक वर्ष के आँकड़े 31.12.2019 अनंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	12.38	29.89	5.09	12.38	29.89	5.09
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.19	1.65	0.68	6.59	16.28	6.93
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.19	1.65	0.68	6.59	16.28	6.93
अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)	0.19	1.65	0.68	6.59	16.28	6.93
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिये (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) से शामिल	–	–	–			
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सममूल्य रु. 10 प्रति शेयर)	49.60	49.60	49.60	49.60	49.60	49.60
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	695.61	695.61	693.86			706.81
आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (असाधारण मदों के बाद)	0.02	0.21	0.01	0.83	1.90	0.81
तरल आय प्रति शेयर–(विशिष्ट मदों के बाद) (रु. 10/– प्रति का)	0.02	0.21	0.01	0.83	1.90	0.81

टिप्पणी:

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के स्टैंडएलान एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के स्टैंडएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.sundistilleries.in पर उपलब्ध है।

सनराईज डिस्टिलरीज लिमिटेड के लिये

हस्ता./–

कमल जैन डुग्गर

प्रबंध निदेशक

DIN:06825945

स्थानः दिल्ली

तिथिः 14 फरवरी, 2020

कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़–बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) – 203408

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

फोन : 011–26139256, 011–40322100, सीआईएन : L33200UP1993PLC015474

ई-मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com, वेब : www.consofinvest.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु पृथक्कृत और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में, सिवाय ईपीएस)

विवरण	तिमाही समाप्त 31 दिसम्बर 2019 पृथक्कृत	तिमाही समाप्त 31 दिसम्बर 2018 पृथक्कृत	नौ माह समाप्त 31 दिसम्बर 2019 पृथक्कृत	तिमाही समाप्त 31 दिसम्बर 2019 समेकित	तिमाही समाप्त 31 दिसम्बर 2018 समेकित	नौ माह समाप्त 31 दिसम्बर 2019 समेकित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	113	350	376	459	457	1,487
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद मदों, एसोशिएट्स के लाभ के अंश तथा कर से पहले)	99	131	326	444	348	1,442
एसोशिएट्स के लाभ/(हानि) का अंश	N.A.	N.A.	N.A.	2,928	1,352	9,348
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	111	131	338	3,384	1,700	10,802
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	95	106	322	3,300	1,619	10,581
अवधि हेतु कुल समावेशी आय जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं,	95	106	322	3,300	1,619	10,581
अवधि हेतु कुल समावेशी आय, मूल के स्वामी पर आरोप्य	95	106	322	3,275	1,608	10,499
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक)	3233	3,233	3,233	3,233	3,233	3,233
शुद्ध लाभ पर प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रू. 10/– प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं) –मूल एवं तनुकृत :	0.29	0.33	1.00	10.21	5.01	32.73

नोट्स :

1. वित्तीय परिणाम भारतीय लेखाकन मानक ('आईएनडी एएस') के अनुसार तैयार किए गए हैं जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित तदधीन विरचित सम्बद्ध नियमों के अधीन निर्धारित है।
2. वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे तथा निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अभिलेखबद्ध किए गए थे तथा कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इन परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया गया है।
3. 31–12–2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु आईएनडी एएस और पूर्व जीएपी के बीच लाभ का मिलान निम्नानुसार है :

(रू. लाख में)

समायोजनों की प्रकृति	तिमाही समाप्त 31–12–2018 पृथक्कृत	नौ माह समाप्त 31–12–2018 पृथक्कृत
कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि), पूर्व भारतीय जीएएपी के अनुसार	272	270
निवेश पर उचित मूल्य समायोजन उस पर कर सहित	166	(70)
कुल समावेशी आय, आईएनडी एएस के अनुसार	106	200

4. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांकित रूप है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.consofinvest.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश द्वारा

वास्ते कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./–

संजीव कुमार अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 01623575

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 14-02-2020

DCB BANK

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी–सह–बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई– 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी–सह–बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1.	DGL1432000778	विशाल शर्मा	24 एवं 25 फरवरी, 2020 श्री शोभित गोयल टेलीफोन नं. 9045000782/ 9045000716
2.	DGL1432001497	गुलजार कुरैशी	
3.	DGL1432001566	टेककरण थापा	
4.	DGL1432001768	अमित कुमार	

नीलामी स्थल का पताः डीसीबी बैंक लिमिटेड, यूनिट नं. डीएफ–2, डीएफ–3, डीएफ–4, पीएलएस प्लाजा, 58 गांधी रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248001

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी–सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता डीसीबी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी–कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को सेंट्रल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर–वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी। यदि नीलामी की निर्दिष्ट तिथि को स्वर्णाभूषणों की नीलामी पूरी नहीं होती है तो गिरवी स्वर्णाभूषणों की आगे कोई भी सूचना दिये बिना परवर्ती किसी भी 7 दिनों में बिक्री की जायेगी। डीसीबी बैंक द्वारा उसकी एकाकी इच्छा पर नीलामी के नियमों एवं शर्तों में संशोधन की जा सकती है। नीलामी में भागीदारी तथा बोली की स्वीकृति डीसीबी की एकाकी इच्छा के अधीन होगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत–विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./–

प्राधिकृत अधिकारी

डीसीबी बैंक लिमिटेड

तिथिः 16.2.2020

स्थानः देहरादून

RAAMA PAPER MILLS LIMITED

4th Km. Stone Najibabad Road, Kiratpur-246731 District Bijnor U.P.

CIN : L27104UP1985PLC007556

Website : www.ramapaper.com, E mail : cs@ramapaper.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 31st December 2019

Rs. in Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter Ending 31.12.2019	Current Year Ending 31.03.2019	Quarter Ended as on 31.12.2018
1.	Total income from operations (Net)	3394.06	16302.47	3,828.89
2.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	124.85	2479.68	70.21
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	124.85	2479.68	70.21
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	124.85	2479.68	70.21
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.85	2479.68	70.21
6.	Equity Share Capital	96.64	96.64	96.64
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)			
7.	Earning Per Share (of ₹ 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	Basic:	1.29	25.66	0.73
	Diluted:	1.29	25.66	0.73

Note:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeetings held on **13th February 2020** in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of Quarterly Financial Results has been uploaded on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com
3. Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS/ AS Rules whichever is applicable.

By order of the Board

for Rama Paper Mills Limited

Sd/-

Pramod Agarwal

Managing Director (DIN: 00038838)

Date : 13th February 2020

Place : Delhi

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
United Bank of India
The Bank that begins with "U"

नई दिल्ली क्षेत्र, पी–9/90 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की ई–नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने और गारंटरों और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का (रचनात्मक) और वास्तविक कब्जा क्र.स. 1, 2, 3) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर प्रतिभूत लेनदार की रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नांकित दिनांकों को बेचा जाएगा। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा (EMD) राशि नीचे दी गई है।

ई–नीलामी की तिथि: 17.03.2020

ई–नीलामी का समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपरा. 3.30 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि : ई–नीलामी दिनांक 17.03.2020 हेतु 16.03.2020 (अपरा. 5.00 बजे तक)

सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.03.2020 को अपराह्न 02.00 से 05.00 बजे तक के बीच में किया जा सकता है।

बैंक को ज्ञात संपत्ति/यों पर समेकन का विवरण : ज्ञात नहीं

क्र. सं.	शाखा का नाम, कर्जदार/गारंटर्स का नाम एवं पता	स्थान और सम्पत्ति का विवरण	13 (2) के अनुसार बकाया राशि, जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क विवरण
1	मैसर्स स्मार्ट लाइट (कॉर्पोरेट कार्यालय) एफ–31 सेक्टर–06 नोएडा उत्तर प्रदेश यूनिट पताः प्लॉट नं.–बी औद्योगिक क्षेत्र पीपलसना, रामनगर नैनीताल, उत्तराखंड श्री कपिल गुप्ता (पार्टनर) श्रीमती सोनिया कपिल (पार्टनर) एफ–31, सेक्टर –06, नोएडा उत्तर प्रदेश, प्लॉट बी, औद्योगिक क्षेत्र पीपलसना रामनगर, नैनीताल उत्तराखंड	साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 3098.25 वर्ग मी., प्लॉट नं. बी, गाँव पीपलसना यूपीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित	रु. 8,89,95,825/- दिनांक 31.11.2018 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 2.33 करोड़ / ₹ 0.24 करोड़ / ₹ 1.00 लाख	श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
2	मैसर्स भगवती टेक्सटाइल्स प्रोप. श्री राहुल कुमार बंसल, एफ–144 डी प्रथम तल लक्ष्मी नगर नई दिल्ली–110092 और मैसर्स भगवती टेक्सटाइल्स प्रोप. श्री राहुल कुमार बंसल, एफ–144 डी, भूतल लक्ष्मी नगर गाँव–खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली –110092	साम्यिक बंधक भूतल पर व्यवसायिक दुकान, 114/डी, किला रैक्ट. नं. 59/11/1 में से, ब्लॉक – एफ, लक्ष्मी नगर, गाँव खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली –110092 में स्थित, क्षेत्रफल 44.78 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती इंदू बंसल पत्नी स्वं. श्री अशोक कुमार बंसल के नाम पर है।	रु. 26,05,604.24 दिनांक 01.08.2019 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 116.00 लाख / ₹ 11.60 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
3	मैसर्स क्वालिटी बिल्डर्स प्रोप. श्री राजेश लांबा कार्यालय : 3/64, ओल्ड राजेंद्र नगर नई दिल्ली –110060 श्री राजेश लांबा (प्रोप) श्रीमती सुतापा लांबा (गारंटर) के माध्यम से 561–562 डबल स्टोरीज तृतीय और चतुर्थ तल न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली –110060	क) साम्यिक बंधक व्यवसायिक दुकान प्रा. न. 3, क्षेत्रफल **22'0X7'0"** भूतल, सम्पति नं. 3/64, जोकि ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित, सेल डीड दस्तावेज नं. 4452, दिनांकित 02.06.2005 को पंजीकृत, यह सम्पति श्रीमती सुत्पा लांबा पत्नी श्री राजेश लांबा के नाम पर है।	रु. 51,78,924.00 दिनांक 01.10.2019 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 50.94 लाख / ₹ 5.09 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
		ख) साम्यिक बंधक व्यवसायिक दुकान प्रा. नं. 4, क्षेत्रफल **22'0X7'0"** भूतल, सम्पत्ति नं. 3/64, जोकि ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित, सेल डीड दस्तावेज नं. 4450, दिनांकित 02.06.2005 को पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्रीमती सुत्पा लांबा पत्नी श्री राजेश लांबा के नाम पर है।		₹ 50.94 लाख / ₹ 5.09 लाख / ₹ 1.00 लाख	
		ग) साम्यिक बंधक व्यवसायिक दुकान प्रा. नं. 5, क्षेत्रफल **11'0X15'0"** भूतल, सम्पति न. 3/64, जोकि ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित, सेल डीड दस्तावेज नं. 4451, दिनांकित 02.06.2005 को पंजीकृत, यह सम्पति श्रीमती सुत्पा लांबा पत्नी श्री राजेश लांबा के नाम पर है।		₹ 54.53 लाख / ₹ 5.45 लाख / ₹ 1.00 लाख	
		घ) साम्यिक बंधक सम्पूर्ण द्वितीय तल, सम्पति नं. 3/64, भूमि क्षेत्रफल **88.1** वर्ग गज, जोकि ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित, सेल डीड दस्तावेज नं. 4447, दिनांकित 02.06.2005 को पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्रीमती सुत्पा लांबा पत्नी श्री राजेश लांबा के नाम पर है।		₹ 158.00 लाख / ₹ 15.80 लाख / ₹ 1.00 लाख	
		ङ) साम्यिक बंधक सम्पूर्ण तृतीय तल, सम्पति नं. 3/64, भूमि क्षेत्रफल **88.1** वर्ग गज, जोकि ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित, सेल डीड दस्तावेज नं. 4448, दिनांकित 02.06.2005 को पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्रीमती सुत्पा लांबा पत्नी श्री राजेश लांबा के नाम पर है।		₹ 80.00 लाख / ₹ 8.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	

नियम एवं शर्तें :

*सरकारी नियमानुसार जीएसटी लागू

1. ई–नीलामी ऊपर दिये समय पर स्वतः चालू हो जायेगी।
2. सम्पत्ति बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **M/s MSTC site (e-Bक्रय)** के माध्यम से वेबसाईटः **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर ई–नीलामी द्वारा बेची जाएगी।
3. ई–नीलामी दस्तावेज, जिनमें बिड फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** में उपलब्ध हैं, से डॉउनलोड कर सकते हैं या इच्छुक प्रतिभागी ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता **M/s MSTC.** मो. 18001103542 (Toll Free) और 07941072411/12/13 & IBAPI हैल्पलाईन न. 18001025026 (toll free) और फोन नं. 011-41106131 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को एक वैध ई–मेल आईडी होना अनिवार्य है। उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड और प्रशिक्षण केवल उन बोलीदाताओं को **M/s MSTC.** द्वारा प्रदान किया जाएगा जो सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्होंने बैंक के साथ अपेक्षित ईएमडी जमा किया है। ईमेल आईडी के द्वारा उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
5. धरोहर राशि (ईएमडी) और केवाईसी दस्तावेजों के प्रमाण के साथ बोली फॉर्म (पैन कार्ड की प्रतिलिपि, पहचान का प्रमाण) अर्थात वोटर–आई–कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति) और पते के प्रमाण की प्रति, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है, ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लिखित अंतिम तिथि पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए। किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त बिड फार्म तथा ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक के पास कोई भी कारण बताए बगैर किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिड फार्म, बिक्री के नियम व शर्तें बैंक के पोर्टल (www.unitedbankofindia.com) से प्राप्त की जा सकती है।
6. ईएमडी रहित बिड फार्म तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
7. ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ईएमडी जमा करने वाले बोलीदाता यदि किसी भी कारण से नीलामी की तारीख में भाग लेने में विफल रहे, तो जमा की गई ईएमडी स्वचालित रूप से जब्त कर ली जाएगी।
8. किसी कारण से बिक्री के पहले या बाद में बिक्री को रद्द करने की स्थिति में बोली लगाने वाले के पास बैंक के खिलाफ ब्याज सहित किसी भी प्रकृति का कोई दावा नहीं होगा। किसी भी कारण या संपत्ति के कब्जे के संबंध में बिक्री/प्रमाण पत्र/बिक्री प्रमाण पत्र की पुष्टि में देरी की स्थिति में या बोली लगाने वाले के न्यायालय के आदेशों के कारण बैंक के समक्ष ब्याज सहित किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा। यह दोहराया गया है और स्पष्ट किया गया है कि सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई राशि किसी भी ब्याज को वहन नहीं करेगी और इस तरह किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
9. सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य का उद्धरण करना होगा। सम्पत्ति सर्वोच्च बोलीदाता को बेची जाएगी, उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्यकाल दिवस के बाद नहीं तक जमा करनी होगी और उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को खरीद मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 (पंद्रह) दिन अथवा नोटिस दिये बिना ऐसी आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी, जिसकी लिखित रूप में अनुमति दी गई है।
10. सफल बोलीदाता को शेष बोली राशि ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/पी ओ द्वारा उपरोक्त खाता संख्या में जमा करना होगा।
11. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में जमा राशि और धरोहर राशि और/या प्रारम्भिक जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बेची जाएगी। उच्च बोलीदाता / सफल क्रेता का उपरोक्त सम्पति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
12. असफल बोलीदाताओं का ईएमडी उसी दिन वापस कर दिया जाएगा, अर्थात बिक्री के समापन के बाद हर दशा में अधिकतम 7 दिनों के भीतर। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
13. बिक्री मूल्य की राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र (बोली प्रपत्र के अनुसार) जारी किया जायेगा।
14. संपत्ति "जहां है और जो भी है" के रूप में बेची जाएगी और इच्छुक बोलीदाताओं को किसी भी दावे / अदालत के मामले / मुकदमबाजी, बैंक के प्रभार के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर आरोपों के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। बिक्री के लिए लगाई गई संपत्ति, किसी भी संपत्ति पर या किसी अन्य मामले आदि पर लगाए गए आरोपों के बारे में कोई भी दावा, बोली प्रस्तुत करने के बाद, विचार नहीं किया जाएगा। संभावित बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अवलोकन करने के लिए नवीनतम प्रोत्साहन प्रमाणपत्र और अन्य राजस्व / नगरपालिका रिकॉर्डों का सत्यापन करें और संपत्ति पर यदि कोई हो, तो टाइटल और अभिलेखों पर स्वयं को संतुष्ट करें। लेनदारों/बैंक को ज्ञात नहीं जैसे कि कर बकाया, संपत्ति कर बकाया या अन्य वैधानिक बकाया यदि कोई हो, तो बोली लगाने से पहले संबंधित विभागों से इच्छुक बोलीदाताओं से पूछताछ की जाएगी।
15. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर या सभी ऑफर्स स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
16. क्रेता स्टांप शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और बिक्री प्रमाण पत्र के जारी होने के समय यदि कोई स्रोत पर आयकर हो, तो वर्तमान और भविष्य दोनों पर देय होने वाले शुल्कों को या बाद में सम्पत्तियों से संबंधित शुल्क को वहन करना होगा।
17. बेची गई सम्पत्ति/आस्तियों के संबंध में सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक देयताओं अथवा किसी व्यक्ति को देय सभी प्रभार/कर/हस्तांतरण हेतु देय दरें, सम्पत्ति कर, अन्य कोई देय एकमात्र रूप से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
18. यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदार/गारंटर के लिए सरफासी एक्ट 2002 के नियम 8(6) और 6(2) के अधीन सांविधिक **15/30 दिन** की बिक्री सूचना भी है।
19. बोलीदाता की ओर से किसी चूक/विफलता हेतु न तो यूबीआई और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से आवश्यकता के अनुसार बिजली आपूर्ति बैक–अप जैसी आवश्यक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है।
20. बोलीदाताओं को दी गई उपयोगकर्ता आईडी से की गई सभी बोलियों को केवल उसके द्वारा ही माना जाएगा।
21. बोली लगाने वाले बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ना और समझना होगा और वे इसके द्वारा बाध्य होंगे।
22. बिक्री सरफासी अधिनियम, नियम 2002 में समय–समय पर संशोधित शर्तों और उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के अधीन है और किसी भी कोर्ट / न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित होने पर मामलों/मुकदमों के विचाराधीन है।

दिनांक : 14.02.2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया

www.readwhere.com

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग

द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी– द्वितीय, ऋण वसूली प्राधिकरण, देहरादून

माँग तथा उपस्थित होने की सूचना

(नोटिस अंतर्गत आयकर एक्ट 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 सपठित धारा 25–29, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट, 1993)

टी.आर.सी. संख्या 481/2018 (डी.आर.टी. लखनऊ का पुराना डीआरसी संख्या 285/2016)

डायरी संख्या 617 दिनांक: 22.01.2020

पंजाब नेशनल बैंक, गुरूद्वारा रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार बनाम मैसर्स महावीर इंडस्ट्रीज एवं अन्य

सेवा में,

सीडी नं0 1: मैसर्स महावीर इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री मुकेश कुमार, एफ–1/2, इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, हरिद्वार।

सीडी नं0 2: श्री मुकेश कुमार (प्रोपराइटर) पुत्र श्री सुरेश चन्द, निवासी: एफ–1/2, औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार।

द्वितीय पता: मकान नं0 411, मोहल्ला तगण, तहसील एवं जिला–मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश) **सर्टिफिकेट डेब्टर्स**

कृपया ध्यान दें कि पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा ओ.ए. सं0 524/2013 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार रू0 1,05,20,836/– (रूपये एक करोड़ पांच लाख बीस हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) की राशि + वादकालीन खर्च एवं भावी ब्याज @12% प्रतिवर्ष मूल आवेदन के दाखिल होने की तिथि 11.11.2013 से ऋण के पूर्णतः वसूली होने तथा होने वाले लागतों को एकपक्षीय रूप से प्रतिवादी सं 1 से 2 के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक रूप से ओ.ए. के फाइल होने की तिथि से प्रतिवादियों से पूर्ण वसूली होने तक आज्ञप्ति पारित किया जाता है। उपरोक्त वसूली प्रमाण पत्र अब ऋण वसूली प्राधिकरण, देहरादून को स्थानान्तरित हो गया है जिसका नया क्रमांक टी.आर.सी. सं 481/2018 है।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर उक्त राशि का भुगतान कर दें जिसमें असफल होने पर नियमानुसार वसूली कार्यवाही की जायेगी। उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(क) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि।

(ख) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि अत्र अधिकरण, देहरादून के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु दिनांक 20.03.2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हो, गैर उपस्थिति के मामले में कार्यवाही की सुनवाई एक पक्षीय की जायेगी।

22 जनवरी 2020 को अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

वसूली अधिकारी– प्रथम (अतिरिक्त प्रभार आर0 ओ0 द्वितीय) डीआरटी, देहरादून

KAILASH AUTO FINANCE LIMITED

Regd. Office: 15, Rolland Compex, 2nd Floor, 37/17, The Mall, Kanpur - 208001
Email: info@kailfin.com, CIN:- L65921UP1984PLC006829

EXTRACT OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

Rs. In Lakhs

PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.19 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.19 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.18 (Unaudited)
Total Income from Operations	5.87	28.18	20.12
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.33)	11.73	14.90
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.33)	11.73	14.90
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.33)	7.69	14.90
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3.33)	7.69	14.90
Equity Share Capital	5870.60	5870.60	5870.60
Earnings per Share (Basic & Diluted) (Face Value Re 1/- per share) (*not annualised)	*0.00	*0.00	*0.00

NOTES:

1. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on February 14, 2020.
2. The above is an extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2019 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website www.kailfin.com

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2020

Dev Govind Binani
Managing Director/CFO

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी–सह–बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई– 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी–सह–बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1.	16441200000639	नरेश कुमार	24 एवं 25 फरवरी, 2020 श्री सचिन शर्मा, टेलीफोन नं. 9034001045/48 डीसीबी बैंक लिमिटेड, ऑरिएण्टल प्लाजा, 76–77 जी.टी. रोड, रेड लाइट क्रॉसिंग के निकट, पानीपत–13201
2.	16441200001274	मूर्ति देवी	
3.	16441200000754	मुकेश देवी	
4.	16441200001595	जीतेन्दर	
5.	16442100000064	मोह. इदरीस	
6.	16441200001861	परवीण	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी–सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता डीसीबी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी–कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को सेंट्रल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर–वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी। यदि नीलामी की निर्दिष्ट तिथि को स्वर्णाभूषणों की नीलामी पूरी नहीं होती है तो गिरवी स्वर्णाभूषणों की आगे कोई भी सूचना दिये बिना परवर्ती किसी भी 7 दिनों में बिक्री की जायेगी। डीसीबी बैंक द्वारा उसकी एकाकी इच्छा पर नीलामी के नियमों एवं शर्तों में संशोधन की जा सकती है। नीलामी में भागीदारी तथा बोली की स्वीकृति डीसीबी की एकाकी इच्छा के अधीन होगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत–विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./–

तिथिः 17.2.2020
स्थानः पानीपत

प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

फॉर्च्यून इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	फॉर्च्यून इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24/03/2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आरओसी–कानपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U45400UP2009PTC037040
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी–117, सेक्टर–67, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	10 फरवरी, 2020 (अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा आदेश 11 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया गया)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	08.08.2020
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री सत्येन्द्र शर्मा पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00737/2018-2019/12260
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : एम–3, ब्लॉक सं. 51, प्रथम तल, अनुपम प्लाजा–II, एक्सिस बैंक के ऊपर, संजय प्लेस, आगरा–282002 ई–मेल : satyendrasirp@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	पता : एम–3, ब्लॉक सं. 51, प्रथम तल, अनुपम प्लाजा–II, एक्सिस बैंक के ऊपर, संजय प्लेस, आगरा–282002 ई–मेल : fortuneinfraheight12@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	25 फरवरी, 2020
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	प्रबन्धन द्वारा प्रावधानित व्याख्या के अनुसार लेनदारों की कोई श्रेणी नहीं है।
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	प्रासंगिक प्रपत्र http://www.ibbi.gov.in/download-form.html पर उपलब्ध हैं। विवरण : एम–3, ब्लॉक सं. 51, प्रथम तल, अनुपम प्लाजा–II, एक्सिस बैंक के ऊपर, संजय प्लेस, आगरा–282002 पर भी उपलब्ध हैं।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने सीबी (आईबी) सं. 292/एएलडी/2019 में आदेश दिनांक 10.02.2020 को फॉर्च्यून इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा आदेश 11 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया गया)

फॉर्च्यून इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 25 फरवरी, 2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निदर्शित करेगा। दावे भारतीय ऋण शोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋण शोध समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अध्याय IV के अनुसार जमा किये जाने हैं। दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण सहित दावों के प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रारूप में जमा किये जाने हैं :

प्रपत्र ख : कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर प्रचालन लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र ग : वित्तीय लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र गक : किसी वर्ग में वित्तीय लेनदार द्वारा दावे (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत)
प्रपत्र घ : कामगारों अथवा किसी कर्मचारी द्वारा दावा
प्रपत्र ङ : किसी कामगार या कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावा
प्रपत्र च : वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालन लेनदारों के अतिरिक्त लेनदारों द्वारा दावे।

उपर्युक्त प्रपत्र वेबसाइट www.ibbi.gov.in/downloadform.html से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

ह./–
सत्येन्द्र शर्मा
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
फॉर्च्यून इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 12.02.2020
स्थान : आगरा

पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/1P-N00737/2018-2019/12260

एलिरॉक्स अब्रेसिव्स लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1944PLC000759
पंजीकृत कार्यालय : 4 सिन्धिया हाउस, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : +91–11–23457100; वेबसाइट : www.alirox.com

शुद्धिपत्र

यह इस समाचार–पत्र में 13.02.2020 को प्रकाशित 31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु वित्तीय परिणामों के सम्बन्ध में है। दुर्भाग्यवश टंकण त्रुटि के कारण कुछ आँकड़े मुद्रित नहीं हो पाये थे। आँकड़े नीचे के अनुसार पुनः प्रस्तुत किये गये हैं, अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2019 अलेखापरीक्षित	स्टैंडएलॉन समाप्त नौमाही 31.12.2019 अलेखापरीक्षित	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2018 अलेखापरीक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2019 अलेखापरीक्षित	समेकित समाप्त नौमाही 31.12.2019 अलेखापरीक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2018 अलेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	7.50	22.50	9.20	7.50	22.50	9.20
2	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	(3.50)	(7.72)	(1.88)	(3.57)	(7.84)	(2.00)
3	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(3.50)	(7.73)	(1.88)	(3.57)	(7.84)	(2.00)
4	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(3.77)	(5.12)	(0.06)	(3.85)	(5.24)	(0.18)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	(37.85)	(488.47)	166.74	(37.93)	(488.59)	166.62
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
7	पुनर्मूल्यांकन आरक्षियों को छोड़कर अन्य इक्विटी						
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रत्येक के)						
	(अ) बेसिक	(1.57)	(2.13)	(0.00)	(1.60)	(2.18)	(0.08)
	(ब) डाइल्यूटेड	(1.57)	(2.13)	(0.00)	(1.60)	(2.18)	(0.08)

कृते एलिरॉक्स अब्रेसिव्स लिमिटेड
ह./–
लीना रावल
पूर्ण कालिक निदेशक तथा सीईओ
डीआईएन : 03575675

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 14 फरवरी, 2020

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एस–2, भूतल, प्लॉट सं. : ए–2/3, लूसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली–110033
दूरभाष : 011–40424242, फैक्स : 011–40424200, , ई–मेल आईडी : Info@progressivefinlease.in
वेबसाइट : www.progressivefinlease.in सीआईएन : L65910DL1995PLC064310

31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(ईपीएस को छोड़कर राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019	अब तक वर्ष 31.12.2019	समाप्त तिमाही 31.12.2018
1.	प्रचालनों से कुल आय	10.25	462.42	466.67
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	−30.94	−91.76	−9.22
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	−30.94	−91.76	−9.22
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	−30.94	−91.76	−9.22
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	−30.94	−91.76	−9.22
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	894.70	894.70	894.70
7.	गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरक्षियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर)	7.73	7.73	52.14
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)–			
	बेसिक :	−0.35	−1.03	−0.09
	डाइल्यूटेड :	−0.35	−1.03	−0.09

नोट : उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज तिमाही/नौमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) पर उपलब्ध है।

कृते प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड
ह./–
राजीव जैन
निदेशक
डीआईएन : 03438127

तिथि : 14.02.2020
स्थान : दिल्ली

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी–सह–बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई– 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी–सह–बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1.	26741200001014	विनोद कुमार पाहूजा	24 एवं 25 फरवरी, 2020 श्री निखिल खन्ना टेलीफोन नं. 7081105511/ 18002095363 डीसीबी बैंक लिमिटेड, 1/776, छावरा कॉम्प्लैक्स, अम्बाला रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247001
2.	26741200003162	शिवि अरोड़ा	
3.	26741200000091	विकास	
4.	26741200003056	इदरीश	
5.	26741200002576	सुमित पँवार	
6.	26741200002530	सुमित पँवार	
7.	26741200003247	फरमान	
8.	26741200003377	मारुफ अहमद	
9.	26741200002912	गुलशेर	
10.	26741200000587	प्रदीप कुमार	
11.	26741200002738	बबीता शर्मा	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी–सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता डीसीबी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी–कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को सेंट्रल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर–वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी। यदि नीलामी की निर्दिष्ट तिथि को स्वर्णाभूषणों की नीलामी पूरी नहीं होती है तो गिरवी स्वर्णाभूषणों की आगे कोई भी सूचना दिये बिना परवर्ती किसी भी 7 दिनों में बिक्री की जायेगी। डीसीबी बैंक द्वारा उसकी एकाकी इच्छा पर नीलामी के नियमों एवं शर्तों में संशोधन की जा सकती है। नीलामी में भागीदारी तथा बोली की स्वीकृति डीसीबी की एकाकी इच्छा के अधीन होगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत–विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./–

तिथिः 16.2.2020
स्थानः सहारणपुर

प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

द अमेरिकन स्वान लाइफस्टाइल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	द अमेरिकन स्वान लाइफस्टाइल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	07/12/2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74140DL2010PTC211151
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1301 बी, नौरंग हाउस, 21, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	13.02.2020
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	10–08–2020
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	भीम सेन गोयल IBBI/IPA-002/IP-N00726/2018-2019/12216
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	109–बी, पॉकेट–एफ, मयूर विहार–II, दिल्ली–110091 bsgoyal1@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	एम–215, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110048 cirptaslc@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	27–02–2020
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ–II ने आदेश सं. [आईबी]–2516(एनडी)2019 दिनांक 13.02.2020 के माध्यम से द अमेरिकन स्वान लाइफस्टाइल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है जिसकी सूचना 13.02.2020 को दी गयी।

द अमेरिकन स्वान लाइफस्टाइल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 27.02.2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण सहित दावों के प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रारूप में जमा किये जाने हैं :

प्रपत्र ख : प्रचालन लेनदार द्वारा दावे (कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)
प्रपत्र ग : वित्तीय लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र घ : कामगारों अथवा किसी कर्मचारी द्वारा दावा
प्रपत्र ङ : किसी कामगार या कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावा
प्रपत्र च : वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालन लेनदारों के अतिरिक्त लेनदारों द्वारा दावे।

प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए आप भारतीय दिवाला तथा दिवालिया बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित के अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट www.ibbi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी। सभी दावेदारों दावा प्रपत्रों में अपने पैन, ई–मेल आईडी तथा फोन नम्बर को अनिवार्य रूप से उल्लिखित करने का परामर्श दिया जाता है।

ह./–
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
भीम सेन गोयल
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 14.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 01 1 –233571 71 , 233571 72, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : डी–2, सेक्टर–3, नोएडा, उ.प्र. 201301, दूरभाष : 0120–6511224–26, ई–मेल : noida@pnbhousing.com
वेबसाइट : www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकतता पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	NHL/NOI/0418/520586 शा.का. : नोएडा	श्री दलीप सेठी एवं सुनील सेठी	14–11–2019	14.11.2019 तक रु. 1,03,23,974.97	11–02–2020 (सांकेतिक)	डीपी–166, ब्लॉक–डीपी, मौर्या एन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
2.	HOU/NOI/0518/534704 शा.का. : नोएडा	श्री मनीष कुमार गुप्ता, श्रीमती पारुल गुप्ता एवं मैसर्स स्टैलवार्ट सर्विलांस एण्ड इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.	14–11–2019	14.11.2019 तक रु. 38,34,001.11	10–02–2020 (सांकेतिक)	फ्लैट सं. 46डी, तृतीय मंजिल, टाइप एमआईजी, मधुबन अपार्टमेंट, सेक्टर–82, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
3.	HOU/NOI/0118/479228 शा.का. : नोएडा	श्री विनय कुमार जायसवाल एवं पूजा पावा	20–11–2019	20.11.2019 तक रु. 53,12,583.87/–	10–02–2020 (भौतिक)	620,12, भूतल, छत के अधिकार रहित, फ्रेंड्स सहकारी आवास समिति लि., सेक्टर–12, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201301

स्थान : नोएडा, दिनांक : 15.02.2020

अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी–सह–बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण संख्या	ग्राहक का नाम	क्रम सं.	ऋण संख्या	ग्राहक का नाम
1	18541200001274	अब्दुल अब्दुल	34	17941200002967	प्रीति झांबर
2	19041200001038	विनय बंसल	35	17941200001250	बृज मोहन
3	19041200002271	विनय बंसल	36	06941200000204	खादिजा मेहर
4	19141200002745	रजनी देवी	37	17941200004084	बृज मोहन
5	17941200004091	सीमा टंडन	38	09241200001304	सुनील कुमार
6	17941200003971	नितिन सिंह	39	07041200006217	वीरेन्दर सिंह रावत
7	17941200004145	सुमित अली	40	17941200000611	राहुल शर्मा
8	19041200002455	विनय बंसल	41	18541200000976	अमन शर्मा
9	18741200002455	सरदार सिंह	42	19141200002998	हाजरा ना
10	17941200004367	हरीश चन्द	43	06941200000222	ऋषिकेश पोद्दार
11	17941200003988	नितिन सिंह	44	17941200003537	मोह. जावेद इदरीशी
12	06941200000879	रूबी जैन	45	17941200001106	पवन कुमार
13	17941200001618	देव कुमार जैन	46	18441200000833	हरीश चन्द
14	30941200000286	अबु बकर	47	06241200000675	अनूप कुमार सक्सेना
15	07041200003827	रविन्दर सिंह खन्ना	48	DGL755000543	अमरदीप कौर
16	17941200002035	अतुल टंडन	49	DGL2018001724	रफीउद्दीन रफीउद्दीन
17	06941200000082	खादिजा मेहर	50	DGL737001200	मनोज कुमार चौहान
18	19141200005173	निशा शर्मा	51	11941200003100	गजेन्द्र कुमार
19	19141200006958	विकार अहमद	52	11941200010292	चेतन भाटी
20	06941200000958	सैयद तफजील नकबी	53	11941200007931	सचिन कुमार
21	17941200002455	विजय कालरा	54	11941200008549	अनुज भाटी
22	17941200002080	कन्हैया लाल	55	18341200003155	शेरपाल सिंह यादव
23	19141200005227	निशा शर्मा	56	18341200002639	रोहित कुमार
24	17941200002431	कमल कोटेचा	57	11941200007894	चेतन भाटी
25	07041200006293	शैलेश अभिमन्यू वाधमा	58	11941200005357	अली अहमद
26	06941200000073	खादिजा मेहर	59	11941200007740	कौशिक गुप्ता
27	17941200000958	कन्हैया लाल	60	11941200005166	सतीश कुमार झा
28	17941200003414	चुन्नी शाहिदा	61	11941200006651	चेतन भाटी
29	06941200000781	किरण झा	62	18341200003018	त्रिलोकी प्रसाद कैशरी
30	17941200004572	विजय कालरा	63	18341200001212	रोहित कुमार
31	17941200002448	निशा जैन	64	11941200006507	अमित तोमर
32	19041200002820	शकीर हुसैन	65	18341200001694	रोहित कुमार
33	09241200000046	इन्तेयाज अली	66	18341200002745	राजकुमार चौधरी

नीलामी की तिथि: 24 एव 25 फरवरी, 2020 — **सम्पर्क व्यक्ति:** श्री प्रदीप दूबे, टेलीफोन न. 8860638114

नीलामी का स्थान: डीसीबी बैंक लिमिटेड, ए–सैट बिल्डिंग, प्रथम तल, प्लॉट न. 7/56, देशबंधु गुप्ता रोड करोलबाग, नई दिल्ली–110005

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज नीलामी–सह बिक्री की सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता डीसीबी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी–कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का सेटल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर–वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी। यदि नीलामी की निर्दिष्ट तिथि को स्वर्णाभूषणों की नीलामी पूरी नहीं होती है तो गिरवी स्वर्णाभूषणों की आगे कोई भी सूचना दये बिना परवर्ती किसी भी 7 दिनों में ब्रिक्री की जायेगी। डीसीबी बैंक द्वारा उसकी एकाकी इच्छा पर नीलामी के नियमों एवं शर्तों में संशोधन की जा सकती है। नीलामी में भागीदारी तथा बोली की स्वीकृति डीसीबी की एकाकी इच्छा के अधीन होगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत–विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./–

तिथिः 16.02.2020
स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
डीसीबी बैंक लिमिटेड

कोवेन्ट्री क्वॉयल–ओ–मैटिक (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 87 वां कि.मी. स्टोन, एनएच 8, दिल्ली–जयपुर रोड, ग्राम सालावास, संगवारी, जिला रेवाड़ी 123401 (हरियाणा), CIN: L74999HR1988PLC030370,
वेबसाइटः (www.coilomatic.com); ईमेलः info@coilomatic.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तीन महीने 3 — 31 दिस. 2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तीन महीने 3 — 30 सितम्बर, 2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तीन महीने 3 — 31 दिस. 2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ महीने 9 — 31 दिस. 2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ महीने 9 — 31 दिसम्बर, 2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 12 — 31 मार्च, 2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से आय	1100.33	975.38	1713.21	3474.05	4920.91	6681.13
2.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(55.49)	(70.61)	(44.91)	(175.73)	(102.29)	(164.53)
3.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(55.49)	(70.61)	(44.91)	(175.73)	(102.29)	(164.53)
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय कर से पश्चात	(54.49)	(69.61)	(44.11)	(170.54)	(99.89)	(147.76)
5.	इक्विटी शेयर पूंजी	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80
6.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का सम मूल्य)(ईपीएस) मूल एवं तरल	(1.23)	(1.57)	(1.00)	(3.90)	(2.27)	(3.65)

टिप्पणीः

1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित रूप में सांविधिक अंकेक्षकों ने 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त नौ माही के परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
2. जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

कोवेन्ट्री क्वॉयल–ओ–मैटिक (हरियाणा) लिमिटेड के लिए
प्रबंध निदेशक
DIN No. 00159855

स्थानः रेवाड़ी
तिथिः 14.2.2020

आई ओ सिस्टम लिमिटेड

(पंजी. कार्यालयः ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए एवं 19बी, सेक्टर–125, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश)
CIN: L65921UP1987PLC008764, वेबसाईटः www.iosystem.co.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में)

विवरण	31.12.2019 को समाप्त 3 महीने (अनंकेक्षित)	30.9.2019 को समाप्त पूर्व 3 महीने (अनंकेक्षित)	31.12.2018 में समाप्त तत्थानीय 3 महीने (अंनकेक्षित)	31.129.2019 को समाप्त 9 महीने (अनंकेक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तत्थानीय 9 महीने (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	–	–	–	–	–	8.28
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	(30.05)	(29.21)	(26.19)	(83.26)	(72.91)	(92.16)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	(30.05)	(29.21)	(26.19)	(83.26)	(72.91)	(92.16)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद#)	(30.05)	(29.21)	(26.19)	(83.26)	(72.91)	(92.16)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(30.05)	(29.21)	(26.19)	(83.26)	(72.91)	(92.16)
इक्विटी शेयर पूंजी	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	–	–	–	–	–	(2365.36)
आय प्रति शेयर (10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)						
1. मूल :	(0.18)	(0.17)	(0.15)	(0.49)	(0.43)	(0.55)
2. तरल :	(0.18)	(0.17)	(0.15)	(0.49)	(0.43)	(0.55)

टिप्पणीः

1. उपरोक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कर अभिलेख में लिये गये। सांविधिक लेखा–परीक्षक ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित रूप में उक्त परिणामों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार समीक्षा की है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व और उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाईट www.iosystem.co.in पर उपलब्ध है।

आई ओ सिस्टम लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
(अरुण सेठ)
निदेशक (DIN: 00007895)

स्थानः नोएडा
तिथिः 14.2.2020

मेलवाड़ा सीआरपीएफ हमले में शामिल इनामी नक्सली गिरफ्तार

रायपुर, 15 फरवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में 2016 में सीआरपीएफ पर हुए हमले समेत तीन हमलों में शामिल एक लाख के इनामी नक्सली को शनिवार को दंतेवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया गया। बारुदी सुरंग के जरिए किए गए इस हमले में सात जवान शहीद हो गए थे।

एक अधिकारी ने बताया कि माओवादियों के दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन के प्रमुख माडवी गंगो (29) को जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), सीआरपीएफ की 111 वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस के जवानों ने यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित कुआकोंडा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जियाकोढ्टा गांव से गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया, 'गंगो मार्च 2016 में मेलवाड़ा बारूदी सुरंग हमला जिसमें सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे, समेत सुरक्षा बलों पर हुए तीन हमलों में शामिल था।'

डीडीजे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U65929DL1995PTC069462
प्रपत्र आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (क) के मामले में
तथा
डीडीजे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, 15/76, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060 पर है
.... आवेदक

सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे. दिल्ली'' से ''महाराष्ट्र राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए सोमवार, 13 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, विंग दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके पंजीकृत कार्यालय के पते ''द्वितीय तल, 15/76, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060'' पर भी भेजेगा।

डीडीजे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से
ह./–
सुनील कुमार पाठक
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13.02.2020

www.readwhere.com

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी–सह–बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई– 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी–सह–बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1.	22041200001182	रणजोत सिंह	24 एवं 25 फरवरी, 2020 श्री गगणजीत कौर, टेलीफोन नं. 18002095363 डीसीबी बैंक लिमिटेड, बी–4–1504/ए, ईस्ट भाटिया नगर, जगाधि रोड, यमुना नगर–135001
2.	22041200001304	नफीस अहमद	
3.	22041200001007	हर्षिता सिक्का	
4.	22041200000806	नफीस अहमद	
5.	22042100000046	सुखदेव शर्मा	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी–सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता डीसीबी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी–कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को सेंट्रल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर–वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी। यदि नीलामी की निर्दिष्ट तिथि को स्वर्णाभूषणों की नीलामी पूरी नहीं होती है तो गिरवी स्वर्णाभूषणों की आगे कोई भी सूचना दिये बिना परवर्ती किसी भी 7 दिनों में बिक्री की जायेगी। डीसीबी बैंक द्वारा उसकी एकाकी इच्छा पर नीलामी के नियमों एवं शर्तों में संशोधन की जा सकती है। नीलामी में भागीदारी तथा बोली की स्वीकृति डीसीबी की एकाकी इच्छा के अधीन होगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत–विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./–
तिथिः 16.2.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः यमुनानगर डीसीबी बैंक लिमिटेड

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	Annies Apparel Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	01/02/1993
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Roc-Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U51311DL1993PTC051933
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	2784/17, 2nd Floor, Hamilton Road, Mori Gate, Delhi -110006
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	03rd December, 2019 (Order was delivered on 03/12/2019 by Hon'ble NCLT, Delhi- Principal Bench in C.P. No. IB 1685(PB)/2019 and copy of order received by IRP through email from NCLT on 06/12/2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	16.02.2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by email at cirpannies@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	https://www.ibbi.gov.in/webfrontlegal framework.php (website of IBBI)other details can be sought by mail at cirpannies@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	02.03.2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	12.03.2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	17.03.2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	27.03.2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	17.03.2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible Resolution applicants may communicate with Resolution Professional at the address mentioned against Serial No.21 for obtain RFRP, Evaluation matrix, Information Memorandum and further information.
16.	Last date for submission of resolution plans	16.04.2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form to the email ID or speed post or registered post or by hand at address given in Serial No.21
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	On or before 16.05.2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Rajiv Bajaj IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	4/180, Ground Floor Backside, Subhash Nagar, New Delhi-110027 Email: rbajajip@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	4/180, Ground Floor Backside, Subhash Nagar, New Delhi-110027 Email: cirpannies@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Other details can be sought by emailing at cirpannies@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	16.02.2020

Rajiv Bajaj
Resolution Professional
Date : 16.02.2020 for **Annies Apparel Private Limited**
Place : New Delhi IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

इण्डियन ओवरसीज बैंक
परिसम्पत्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
रचना बिल्डिंग, 4 था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली–110008
फोन : 011–25758124, ईमेल : iob1997@iob.in

निजी संधि द्वारा बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 [नियम 6 एवं 8] के अंतर्गत जारी

सेवा में :
1. मैसर्स एसएसपी डायमण्ड प्रा.लि.
ई 269, शास्त्री नगर, सामने मेट्रो पिलर सं. 184, नई दिल्ली–110052
2. श्रीमती मंजू बंडूनी पत्नी श्री राकेश बंडूनी
फ्लैट सं. 257 डी, पॉकेट–सी, मयूर विहार फेज–II, नई दिल्ली–110091
3. श्री राकेश रावत, फ्लैट सं. 73, पंचमहल अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 47, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली–110092
4. श्री संजय कुमार तुलस्याम, एल–186, तीसरी मंजिल, शास्त्री नगर, नई दिल्ली–110052
5. श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल
52/81, प्रथम तल, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
6. श्रीमती सरोज रावत, फ्लैट सं. 73, पंचमहल अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 47, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली–110092
7. श्रीमती किरन सोनी, जी–18/23, सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
8. श्रीमती पुष्पा वर्मा,
फ्लैट सं. 4, सरोजिनी विहार, एक्सवाई ब्लॉक, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
9. श्री अशोक कुमार, 321, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023
10. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री के.पी. साव, ब्लॉक–जे, फ्लैट सं. जे–7/2, एमएस फ्लैट, सेक्टर–13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (एसए सं. 270/18 के सन्दर्भ में)

महोदयः आईओबी परिसम्पत्ति वूसली प्रबंधन शाखा में एनपीए खाता मैसर्स एसएसपी डायमण्ड प्रा.लि.
1. यह सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाई में संदर्भ में।
2. कृपया आपको जारी की गई मांग सूचना तिथि 05.01.2016 देखें जिसमें पुनर्भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज तथा उस पर बकाया, चार्जेज आदि के साथ 05.01.2016 को देय रु. 18,99,50,602/–(रुपये अठारह करोड़ निन्यानबे लाख पचास हजार छः सौ दो मात्र) की बकाया राशि को जमा करने की मांग की गई थी।
3. साथ ही आप, कृपया वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में बैंक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने से संबंधित कब्जा सूचना तिथि 12.07.2016 तथा 15.07.2016 को बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में उक्त कब्जा सूचना का प्रकाशन देखें। इस तिथि तक बैंक के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने के लिए आपने कोई भुगतान नहीं किया है।
4. जैसा कि आप जानते हैं बैंक ने 16.08.2017, 03.03.2018, 28.02.2019, 19.07.2019, 19.08.2019, 16.09.2019, 19.10.2019,14.11.2019,23.01.2020 को नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति को ई–नीलामी पर रखा था जो पूरा नहीं हो सकी।
5. बैंक को नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की खरीद के लिये आईटी अधिनियम की धारा 1941 के अनुसार 1% टीडीएस सहित रु. 97,37,000/– की राशि का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतएव निजी संधि से बिक्री द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव किया गया है।
6. बिक्री की पूर्णता की अनुमानित तिथि एवं समय 09.03.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में है।
7. एतद्द्वारा हम, आपको 15 दिनों की सूचना देते हैं कि ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निजी संधि द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री की जायेगी।
8. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
9. अतएव, आप सूचित हों लें कि निजी बिक्री की तिथि अर्थात् 09.03.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में जब बिक्री को पूरा करने का प्रस्ताव किया है, तक आपको भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेस्ट्स पर आगे के ब्याज के साथ लागतों/चार्जेज आदि के साथ सम्पूर्ण बकाए जो 15.02.2020 को रु. 31,17,24,037/– (रुपये इकतीस करोड़ सत्रह लाख चौबीस हजार सैंतीस मात्र) देय हैं, का भुगतान करने तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने का अधिकार प्राप्त है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती किरन सोनी के नाम पर छत के अधिकार सहित द्वितीय तल, 23, ब्लॉक जी, पॉकेट 18, सेक्टर 15, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 पर स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति। (सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)

तिथि : 14.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
एमआईडी कॉर्पोरेट शाखा
334/350, प्रथम तल, खजूर रोड, निकट जोशी अस्पताल, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष : 011 23529466/23529468 (फैक्स)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (सरफाएशी) अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत माँग सूचना

अग्रलिखित कर्जदारों, 1. मैसर्स वी.एस. मेटलिक प्रा.लि., 2. श्री राकेश गुप्ता, 3. श्रीमती अर्चना गुप्ता (नं. 1 से 3 निवासी 4/10, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008), 4. श्रीमती अनिता मित्तल (निदेशक एवं जमानती), 183, भारत अपार्टमेंट, सेक्टर–13, रोहिणी–दिल्ली–110085, 5. श्री प्रदीप कुमार गोयल एवं श्री प्रमोद कुमार गोयल, पुत्र स्व. सोहन लाल एवं स्व. श्रीमती कैलाशो या कैलाशवती, नं. 134 (पुराना), नया 164, रिछपालपुरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 6. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्री स्व. सोहन लाल एवं स्व. श्रीमती कैलाशो या कैलाशवती, सं. 135, किसनपुरी, बागपत गेट, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 7. श्रीमती बीना गर्ग पत्नी श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र : स्व. सोहन लाल एवं स्व. श्रीमती कैलाशो या कैलाशवती, 8. श्री हिमांशु गर्ग एवं 9. श्री शैलेश गर्ग एवं 10. श्री पुनीत गर्ग पुत्र स्व. बृजबाला (पुत्र : स्व. सोहन लाल एवं कैलाशो या कैलाशवती) (नं. 7, 8, 9 एवं 10 निवासी अयोध्या गंज, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश), 11. श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्री : स्व. सोहन लाल एवं स्व. श्रीमती कैलाशो या कैलाशवती, दूसरी मंजिल, श्री राम पैलेस, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को सूचना दी जाती है कि आप (मैसस वी.एस. मेटलिक प्रा.लि.) द्वारा यूनियम बैंक ऑफ इण्डिया, एमआईडी कॉर्पोरेट शाखा से ग्रहण की गयी निम्नलिखित वित्तीय सुविधा एनपीए श्रेणी के तहत वर्गीकृत की गयी है और अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूत हित अधिनियम (सरफाएशी अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन के तहत कर्जदारों को सूचनाएँ निर्गत की थीं। किन्तु, अधिकृत प्राधिकारी को यह विश्वास करने के कारण हैं कि कर्जदार सूचनाओं की सेवा से बच रहे हैं और सूचनाएँ सर्व नहीं हो सकीं। अतः, सूचनाओं की विषय–सामग्रियों को एतद्वारा यह प्रकाशन कर्जदारों तथा जमानतियों (उपर्युक्त कहे गये के अनुसार विधिक उत्तराधिकारियों सहित) को अद्यतन अनुबन्ध दर सहित तथा ऋण दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार नीचे उल्लिखित बकायों का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर अधिकृत प्राधिकारी सरफाएशी अधिनियम, 2020 के तहत प्रदत्त किसी या सभी अधिकारों के उपयोग द्वारा आपके द्वारा बैंक के पक्ष में सृजित प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए बाध्य होगा।

सीमा की राशि	सीमा राशि (रु. लाख में)	बकाया राशि (रु.)
नकद साख	2000.00	01.01.2019 से प्रभावी अनुबन्ध दर पर ब्याज सहित 31.12.2019 तक रु. 22,60,28,619.19 (रुपये बाईस करोड़ साठ लाख अट्ठाईस हजार छः सौ उन्नीस एवं उन्नीस पैसे मात्र)

प्रतिभूत आस्ति :
सम्पत्ति सं. 164 (पुराना 134, प्लॉट सं. 1 एवं 8), रिछपुरी, गाजियाबाद (कोने का प्लॉट), उ.प्र. से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग तथा सीमाएँ : उत्तर : सड़क, दक्षिण : मकान नं. 135, पूर्व : सड़क, पश्चिम : मकान नं. 133.

कृपया ध्यान दें कि यदि आप 60 दिनों के भीतर बकाया अदा करने में असफल रहते हैं और यदि बैंक इस अधिनियम के तहत अपने समस्त अधिकारों का उपयोग करता है और यदि प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री कार्यवाहियों से बकाये पूरे नहीं होते हैं तो हम आपसे शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कानूनी न्यायालय/ऋण वसूली अधिकरण में कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे।

आप पुनः ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप बैंक की सहमति के बिना सामान्य व्यावहारिक कार्यों को छोड़कर उपर्युक्त आस्तियों का निस्तारण या लेन–देन नहीं कर सकेंगे। कृपया यह भी ध्यान रखें कि इस धारा के किसी उल्लंघन के परिणाम गम्भीर हो सकते हैं।

प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए कर्जदारों के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सन्दर्भ में आपका ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3(5) के साथ पठित सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सन्दर्भ सं. एमसीबी/एनपीए/330/2018–19 के माध्यम से सूचना दिनांक 13.08.2018 के संशोधन एवं अधिक्रमण में है।

तिथि : 15.02.2020 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

INDIAN SUCROSE LIMITED
Formerly Oswal Sugars Limited
Registered Office: G.T. Road, Mukerian - 144211, Distt. Hoshiarpur, (Punjab) India
Phone: +91-9115110651/52, **Fax:** +91-1883-244532
CIN: L15424PB1990PLC010903
Web: www.muksug.com, **E-mail:** isl.investor@yaducorporation.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2019

(Rs. In Crore)

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corres-ponding 3 Months Ended	9 Months Ended	Corres-ponding 9 Months Ended	Year Ended
	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
			(Un-Audited)			(Audited)
Total income from operations	109.63	141.19	90.26	372.43	234.20	362.80
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.22	3.52	(4.15)	17.79	2.24	8.03
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.22	3.52	(4.15)	17.79	2.24	8.03
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	4.49	3.14	(1.73)	12.20	2.13	4.36
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	4.49	3.14	(1.73)	12.20	2.13	2.06
Equity Share Capital	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42
Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) - :						
1. Basic	2.90	2.04	(1.12)	7.89	1.38	2.82
2. Diluted	2.90	2.04	(1.12)	7.89	1.38	2.82

NOTES :
1. The above Unaudited Standalone Financial Results are reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2020. Auditors Report, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com and on the company's website i.e. www.muksug.com.

By order of the Board
For **Indian Sucrose Limited**

Sd/- (Kunal Yadav) Managing Director DIN: 01338110
Sd/- (Ravinder Sharma) CFO PAN: AOHPS4576A

Place: Mukerian
Date: 14.02.2020

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN: L51101DL2006PLC148967
पंजी. कार्यालय : 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली–110009
वेबसाइट : www.tarinienterprises.in, ई–मेलः tarinienterprisespvtltd@gmail.com, info@tarinienterprises.in, फोन : 011–32601237

31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के स्टेण्डएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त 3 महीने (31.12.19)	समाप्त पूर्व 3 महीने (30.9.19)	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (31.12.18)	समाप्त चालू अवधि के लिये तिथि तक वर्ष के आँकड़े (31.12.19)	समाप्त पूर्व वर्ष के लिये तिथि तक वर्ष के आँकड़े (31.12.18)	समाप्त वर्ष (31.03.19)
	(नीचे टिप्पणी देखें)	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	क) प्रचालनों से राजस्व	71.18	97.77	8.48	184.41	427.27	674.22
	ख) अन्य आय		–				–
	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	71.18	97.77	8.48	184.41	427.27	674.22
2.	खर्चे						
	क) खपत सामग्री की लागत						
	ख) व्यापार में भंडार में क्रय	–	114.62	–	115.06	37.50	190.93
	ग) तैयार सामग्री, प्रगति में कार्यों तथा व्यापार में भंडार की इन्वेन्टरीज में परिवर्तन	–	(113.57)	–	(114.01)	339.50	327.70
	घ) वित्त लागत						1.80
	ङ) कर्मचारी लाभ व्यय	5.02	5.21	5.20	13.54	14.10	23.48
	च) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय						
	छ) अन्य खर्चे (जारी प्रचालनों से संबंधित कुल खर्चे के 10% से अधिक के किसी भी मद को अलग से दर्शाया जायेगा)	24.77	20.17	3.00	49.23	9.30	74.51
	कुल खर्चे	29.79	26.42	8.20	63.82	400.40	618.40
3.	विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि) (1–2)	41.40	71.35	0.28	120.59	26.87	55.81
4.	विशिष्ट मदों	–	–	–	–		–
5.	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (3+4)	41.40	71.35	0.28	120.59	26.87	55.81
6.	कर व्यय						
	क) चालू कर	10.76	18.55	0.07	31.35	6.92	14.70
	ख) आस्थगित कर						
7.	अवधि के लिये लाभ/(हानि)	30.63	52.80	0.21	89.24	19.95	41.11
8.i	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)						
	क) मूल	0.91	1.57	0.01	2.65	0.59	1.21
	ख) तरल	0.91	1.57	0.01	2.65	0.59	1.21
8.ii	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं):						
	क) मूल	0.91	1.57	0.01	2.65	0.59	1.21
	ख) तरल	0.91	1.57	0.01	2.65	0.59	1.21

टिप्पणी: उपरोक्त में शामिल अवरुद्ध प्रचालनों से लाभ/हानि, यदि कोई हो, को उसके विवरणों के साथ अलग से दर्शाया जायेगा। यदि कोई कम्पनी उसके प्रथम इंडएएस वित्तीय विवरण द्वारा आबद्ध अवधि के लिये इंडएएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत लागू) के अनुसार तिमाही वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करती है तो उसे इंडएएस 101 के पैराग्राफ 32–प्रथम बार भारतीय लेखामानक के अंगीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
अभय चंद बरदिया
स्थान : दिल्ली प्रबन्ध निदेशक
तिथि : 14.2.2020 DIN: 00009217

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
शाखा : सेक्टर 31, फरीदाबाद, हरियाणा–121003

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (इसके पश्चात इसे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक(कों) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) द्वारा इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहने के कारण एतद्द्वारा ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के साथ अधोलिखित खातों के विरुद्ध भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदारों का नाम तथा पता/बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण/माँग सूचना की तिथि/कब्जा करने की तिथि
श्री मनिन्दर सिंह मैसर्स भुल्लर जेनसेट रु. 24,86,743.16 (रुपये चौबीस लाख छियासी हजार सात सौ तैंतालीस एवं सोलह पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य प्रभार	जवाहर कॉलोनी मौजा सारन, तहसील फरीदाबाद तथा जिला फरीदाबाद में स्थित खसरा नं. 68 किल्ला सं. 14/1(1–17), 13/7 (7.0) का भाग निर्मित करने वाले म.नं. 657, जवाहर कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, फरीदाबाद माप 140 वर्ग गर्ज को निर्मित करने वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : गली, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पूर्व : सूरज प्रकाश का भाग, पश्चिम : बलदेव सिंह का भाग। माँग सूचना की तिथि : 22.11.2019 कब्जा करने की तिथि : 12.02.2020
श्री रंजन कुमार दास मैसर्स सनशाइन इण्डस्ट्रीज रु. 6,18,341.00 (रुपये छः लाख अठारह हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) + ब्याज एवं अन्य प्रभार	श्री रवीन्द्र कुमार दास पुत्र परशुराम दास जिला फरीदाबाद के नाम पर मकान नं. 978/ए/एलआईजी/एफ–एफ, सेक्टर–29, फरीदाबाद को निर्मित करने वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : सड़क, दक्षिण : मकान नं. 993ए, पूर्व : म.नं. 979ए, पश्चिम : म.नं. 977ए माँग सूचना की तिथि : 04.09.2019 कब्जा करने की तिथि : 12.02.2020

तिथि : 15.02.2020 **स्थान** : फरीदाबाद **अधिकृत प्राधिकारी : केनरा बैंक**

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमि.
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट–15, 6ठा तल, सेक–44, इंस्टीच्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालयः खसरा नं. 2016, निर्भय सिंह सर्किल, एचडीएफसी बैंक के निकट, राजस्थान–326001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तिय के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान में इंडिया शेल्टर फाइनांस कार्पोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 (2) तथा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों तथा साथ हीं सम्पत्ति/प्रतिभूति के स्वामी को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

जैसा कि, सम्पत्ति के स्वामी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

अब, विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिये इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारक/गारन्टर (सम्पत्ति के स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/गिरवी सम्पत्ति का विवरण (अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा)	मांग सूचना, तिथि मांग सूचना की तिथि, बकाया राशि	भौतिक कब्जा की तिथि
1	कमला वाई, पत्नी राम लाल एवं छगन लाल पुत्र राम लाल, निवासीः 29, राम मंदिर सनरवा तीतरवासा झालवार–326023, राजस्थान ऋण खाता नं. सीएचएल 100000770	ग्राम सरवण, ग्राम पंचायत झुमकी पंचायत समिति झलरापाटन, तह. झलरापाटन, जिला झालावार (राज.) में स्थित मकान/प्लॉट, माप एरिया 39x16=624 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः सँवर लाल का मकान, पश्चिमः कालू सिंह का मकान, उत्तरः सामूहिक रोड, दक्षिणः चित्तर लाल गोस्वामी का मकान	मांग सूचनाः 10.7.2018 31.7.2018 को रु. 316664/– (रुपये तीन लाख सोलह हजार छः सौ चौंसठ मात्र) तथा 1.8.2018 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य चार्जेज एवं लागत	12.2.2020
2	रानी, अशोक, दिनेश एवं लक्ष्मी नारायण, निवासीः वार्ड नं. 4, बोर्दा झलारपाटन झालावार–326023 राजस्थान ऋण खाता संख्या HL1900002448	ग्राम बोर्दा, तह. झालारपाटन, जिला झालावार में स्थित वार्ड नं. 04, एरिया माप 23x34=782 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः राहुल जैन का मकान, पश्चिमः राम लाल का मकान एवं रास्ता 10 फीट, उत्तरः द्वारिका लाल का मकान, दक्षिणः कालू लाल का मकान।	मांग सूचना तिथिः 10.9.2018 30.9.2018 को बकाया रु. 259180/– (रुपये दो लाख उनसठ हजार एक सौ अस्सी मात्र) के साथ 1.8.2018 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य चार्जेज एवं लागत	12.2.2020
3	अशोक बाई, नारायण लाल खटिक एवं पंकज कुमार निवासीः प्लॉट नं. 196, रेगर मंदिर के पास, वार्ड नं. 17, झलरापाटन, झालावार – 326023, राजस्थान, साथ हीं: वार्ड नं. 19, खटिक मोहल्ला, रेगर मंदिर के निकट, झलरापाटन, झालावार –326023, राजस्थान ऋण खाता सं. HL 1900002255	खटिक मोहल्ला सूरज पोल गेट के बाहर झलरापाटन तह. झलरापाटन, जिला झालावार एरिया माप 22x12=1264 वर्ग फीट अथवा 29.33 वर्ग गज में स्थित वार्ड नं. 19 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्व : कालू लाल का मकान, पश्चिमः शंकर लाल का मकान, उत्तर : 4 फीट चौड़ी गली एवं दक्षिण : राधेश्याम का मकान एवं प्रवेश का कॉमन मार्ग	मांग सूचनाः 09.7.2018 31.7.2018 को रु. 160861/– (रुपये एक लाख साठ हजार आठ सौ इकसठ मात्र) के साथ 1.8.2018 से भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, लागत एवं अन्य चार्जेज।	12.2.2020

स्थानः झालावार इंडिया शेल्टर कॉर्पोरेशन फाइनांस लिमिटेड के लिये
तिथिः 14.02.2020 (प्राधिकृत अधिकारी)

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सम्पर्क करें: श्री विकास राठौर (+91 9982791110) एवं श्री अजय गुप्ता (+91 7906826375 एवं 0124–4131812)

एपल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L27104DL1972PLC206966
पंजी. कार्यालयः यूनिट नं. 701–ए, 7वाँ तल, जीडी–आईटीएल टावर, प्लॉट नं. बी–8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली– 110034
फोनः 011–41755370, **वेबसाईटः www.applemetal.co.in, ई–मेलः info@applegroup.co.in**

31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.9.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित	समाप्त पूर्व वर्ष 31.3.2018 अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	340.05	350.46	293.83	1053.83	311.61
प्रचालनो से कुल आय (शुद्ध)	9.55	5.36	5.74	1.05	3.76
कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/ (हानि)	7.07	3.70	3.83	4.74	2.60
कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	7.07	3.70	3.83	4.74	2.60
व्यापक क्रियाकलापों तथा कर से बाद, से शुद्ध लाभ/(हानि)	7.07	3.70	3.83	4.74	2.60
इक्विटी शेयर पूंजी	600.61	600.61	600.61	600.61	600.61
आरक्षित (जैसा कि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाया गया है, को छोड़कर)	1116.65	1109.58	1100.25	1101.16	1096.42
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/– प्रति का)					
मूलः	0.12	0.06	0.06	0.08	0.04
तरलः	0.12	0.06	0.06	0.08	0.04
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/– प्रति का)					
मूलः	0.12	0.06	0.06	0.08	0.04
तरलः	0.12	0.06	0.06	0.08	0.04

टिप्पणी:
उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है।
तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.cseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.applemetal.co.in पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
एपल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
स्थानः दिल्ली निकुंज कृष्ण कुमार गोयल
तिथिः 14.2.2020 निदेशक (DIN: 0516742)

RPIL रितेश प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
PARK
पंजीकृत कार्यालयः 11/5बी, पुसा रोड, नई दिल्ली–110050
CIN: L74899DL1987PLC027050 **Website:** www.riteshindustries.us
E-mail: riteshlimited8@gmail.com **Ph:** 0161-2174104/5

दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिए स्टैंडएलोन [illegible] वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में)

विवरण	(31.12.2019) [illegible]	(30.09.2019) [illegible]	(31.12.2018) [illegible]	(31.12.2019) [illegible]	(31.12.2018) [illegible]	(31.12.2018) [illegible]
प्रचालनों से कुल आय	1308.89	1296.34	2725.64	4901.44	8356.21	10676.69
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, [illegible] और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(135.19)	(215.64)	(307.22)	(329.70)	(234.69)	91.34
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) ([illegible] और/या असाधारण मदों के बाद)	(135.19)	(215.64)	(307.22)	(329.70)	(234.69)	91.34
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [illegible]	(135.19)	(215.64)	(307.22)	(329.70)	(234.69)	91.34
इक्विटी शेयर पूंजी	1159.10	1159.10	1159.10	1159.10	1159.10	1159.10
[illegible]	-	1767.58	1638.10	-	1638.10	1964.13
[illegible]						
क) मूल	(1.17)	(1.86)	(2.65)	(2.84)	(2.02)	0.79
ख) [illegible]	(1.17)	(1.86)	(2.65)	(2.84)	(2.02)	0.79

टिप्पणी: क) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को आयोजित [illegible] बैठक में बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स द्वारा अनुमोदित तथा लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई है।
ख) उपरोक्त सेबी ([illegible]) विनियमों, 2015 [illegible] के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही व नौ महीने के लिए [illegible] वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप कंपनी की वेबसाईट www.riteshindustries.us तथा शेयर बाजार की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते रितेश प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
स्थानः दिल्ली हस्ता./– ([illegible])
दिनांक [illegible] [illegible]

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड

सीआईएनः L65993DL1989PLC035409

पंजीकृत कार्यालयः डी-15, पंपोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048

दूरभाष नं.: +91-11-45210051, ई-मेलः alliance.intgd@rediffmail.com; वेबसाइट : www.aiml.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु स्टैण्डअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	1,448	1,349	2,282	4,214	6,522	9,908
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	(2,563)	(5,612)	(2,099)	(10,197)	(6,381)	(7,949)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(2,563)	(5,303)	(2,099)	(9,888)	(6,381)	(18,510)
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(2,563)	(5,303)	(2,099)	(9,888)	(6,381)	(18,510)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	(2,398)	(3,076)	(1,551)	(7,983)	(5,434)	(17,611)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु						
	(अ) बेसिक	(21)	(26)	(13)	(69)	(47)	(152)
	(ब) डाइल्यूटेड	(21)	(26)	(13)	(69)	(47)	(152)

वित्तीय परिणामों का नोट :

1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.aiml.in पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा तथा संस्तुति लेखापरीक्षा समिति द्वारा 14 फरवरी, 2020 को की गयी है तथा 14 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. वर्तमान अवधि की प्रस्तुति की अनुरूपता के लिए जहाँ आवश्यक माना गया वहाँ पूर्व अवधि के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत किया गया है।
4. चूँकि कम्पनी का केवल एक ही प्रचालन खण्ड है अतः इण्ड एएस 108-प्रचालन खण्ड के तहत प्रकटन प्रयोज्य नहीं है।

कृते एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिंक्स लिमिटेड
ह./-
दलजीत सिंह चहल
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 03331560

तिथिः 14.02.2020
स्थानः दिल्ली

PRABHAT SECURITIES LIMITED

Regd Off- "SATYAM", 4/276, PARWATI BAGLA ROAD, KANPUR
Cin- L22022UP1982PLC005759
E-Mail- prabhatsecurities@gmail.com

Rs. In "Lakh"

Sl. No.	Particulars	Quarter ending 31.12.2019	Corresponding 3 months ended in the Previous year 31.12.2018	Nine Months ended 31.12.2019
1.	Total Income from Operations	5.37	7.50	21.76
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.06	0.85	4.94
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.06	0.85	4.94
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.05	0.59	3.77
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.05	0.59	3.77
6.	Equity Share Capital	290.00	290.00	290.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	0.00
8.	Earnings Per Share			
	1. Basic :	0.00	0.00	0.00
	2. Diluted	0.00	0.00	0.00

Note:-The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's Website (http://www.prabhatsecuritiesltd.com); Calcutta Stock Exchange websites (http://www.cse-india.com.) and Metropolitan Stock Exchange website (http://www.msei.in)

For PRABHAT SECURITIES LIMITED
SD/-
RAMAKANT KUSHWAHA
(MANAGING DIRECTOR)

Date- 14/02/2020
Place- Kanpur

बिहार की प्रवासी महिला मलयालम साक्षरता परीक्षा में रही अव्वल

कोल्लम, 15 फरवरी (भाषा)।

मलयालम मातृभाषा नहीं होने के बाद भी बिहार की 26 वर्षीय प्रवासी महिला ने इस पारंपरिक भाषा में हुई साक्षरता परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। केरल में प्रवासी मजदूरों को मलयालम सिखाने के लिए यह साक्षरता परीक्षा आयोजित की जाती है।

बिहार के एक अंजान गांव से आई रोमिया काथुर ने मलयालम भाषा में गहरी पकड़ बनाते हुए हाल ही में केरल राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से आयोजित परीक्षा में पूरे 100 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। काथुर करीब छह साल पहले काम की तलाश में अपने पति सैफुल्लाह के साथ केरल पहुंची और दक्षिणी कोल्लम जिले के उमयानालूर में बस गई। यहां एक छोटी सी जूस की दुकान चलाने वाली तीन बच्चों की मां काथुर ने अपनी चार महीने की बेटी तमन्ना को अपने साथ ले जाकर पिछले महीने स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा दी थी। पूरे राज्य में 19 जनवरी को आयोजित हुई साक्षरता परीक्षा योजना 'चांगति (दोस्त)' के दूसरे चरण में कुल 1998 प्रवासी मजदूरों ने भाग लिया था। 'चांगति' योजना का लक्ष्य प्रवासी मजदूरों को चार महीने के भीतर मलयालम भाषा सिखाना है।

अग्रवाल डुप्लैक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

CIN No. L99999DL1984PLC019052

पंजीकृत कार्यालय : 217, अग्रवाल प्रेसटीज मॉल, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर, अलॉन्ग रोड नं. 44, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

बोर्डः + 91 1147527700 फैक्सः +91 11 47527777

ई-मेलः agarwalduplex1984@gmail.com, वेबसाइटः www. agarwalduplex.net

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(स्टैंडएलॉन) (रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 दिस. 19 3 महीने (अनंकेक्षित)	30 सित. 19 3 महीने (अनंकेक्षित)	31 दिस. 18 3 महीने (अनंकेक्षित)	31 दिस. 19 9 महीने (अनंकेक्षित)	31 दिस. 18 9 महीने (अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	4279.88	3487.78	3979.06	12178.44	11800.06
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	34.29	40.46	31.96	118.52	81.72
3.	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा/असाधारण मदों के बाद)	35.15	37.86	26.01	116.78	87.67
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	38.87	28.41	38.14	99.28	84.94
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि (कर के बाद) के लिए समग्र लाभ/(हानि) और अन्य समग्र आय (कर के बाद) से शामिल	38.87	28.41	38.14	99.28	84.94
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	-	-	-	-
8.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के)					
	1. बेसिक	0.29	0.21	0.28	0.74	0.63
	2. डायल्यूटिड	0.29	0.21	0.28	0.74	0.63

नोटः

1. उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजस के साथ दायर तिमाही व नौ माही अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही व नौ माही अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) पर भी उपलब्ध है।
2. उक्त परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा व सिफारिश की गई थी और 14.2.2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए थे और वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उसकी सीमित समीक्षा की है।

अग्रवाल डुप्लैक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-
नीरज गोयल
प्रबंध निदेशक
DIN: 00017498

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 14.2.2020

AMTEK AUTO LIMITED

CIN: L27230HR1988PLC030333
Regd. Off.: Plot No.16, Industrial, Area, Rozka MEO, P.O. Sohna, Gurgaon-122003, Haryana
Ph:+91-1142344444, +91-124-2362456
E-mail: amtekautolimited@gmail.com
Website: www.amtek.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 33 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the **Un- Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2019** was subject to be considered, approved and disseminated on 14th February, 2020, due to unavoidable circumstances, is now postponed and re-scheduled on **20th February, 2020**.

It is also informed that in terms of prohibition of Insider Trading Regulations, 2015, issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) and Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the securities of the Company will remain close for the Directors, designated employees and connected persons covered under the code, till the expiry of 48 hours from the date the said Un-Audited Financial Results are made public.

The said Notice may be accessed on the website of Company i.e http://www.amtek.com and the website of BSE http://www.bseindia.com/ and NSE https://www.nseindia.com.

For Amtek Auto Limited
Rajeev Raj Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 14.02.2020

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय उत्तर, प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44,
गुड़गांव (हरियाणा)-(भारत), GSTIN: 06AAACT6167G1ZB
टे.: + 91 (0) 0124-4715800; + 91 (0) 0124-4715800,
ई-मेलः iapmd.del@jkbmail.com, वेबः www.jkbank.net
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग

J&K Bank
Serving to Empower

संदर्भ सं.: जेकेबी/जेडओडी (उत्तर)/आईएपीएमडी/2020 तिथिः 17.01.2020

स्पीड पोस्ट

1. **मैसर्स नैवकॉम टेक्नोलॉजीज (श्री नीरज गुप्ता एवं श्री धीरज गुप्ता की साझेदारी कन्सर्न)** पंजीकृत कार्यालय सीडी-139बी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
2. **मैसर्स नैवकॉम टेक्नोलॉजीज रिटेल आउटलेट**, जी-6, जीएफ, प्लॉट नं. 36, सत्य भवन, वजीरपुर, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, इण्डस्ट्रियल एरिया-1, दिल्ली-110052.
3. **श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्दर कुमार गुप्ता** निवासी सी-7/130, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली-110085. (दूसरा पता सी-280, द्वितीय तल, प्रशान्त विहार, नई दिल्ली-110085. (कर्जदार/साझेदार)।
4. **श्री धीरज गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्दर कुमार गुप्ता** निवासी सी-7/130, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली-110085. (कर्जदार/साझेदार)
5. **श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री एस.के. गुप्ता** उर्फ श्री एस.के. गर्ग निवासी सी-7/130, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली-110085. (बंधककर्ता/साझेदार)
6. **श्री एस.के. गुप्ता पुत्र श्री गणेश चन्द गुप्ता** निवासी सी-7/130, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली-110085. (जमानती)
7. **श्री रूनी मेहरा पुत्र ले. श्री प्रेम चन्द मेहरा** निवासी म.नं. 295, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121012 (जमानती)

प्रिय श्रीमान/महोदया

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., जेएंडके कंपनी अधिनियम, 1977 (संवत) के अंतर्गत स्थापित एक बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एम.ए. रोड, श्रीनगर में है तथा अन्य स्थानों सहित एक व्यापारिक इकाई : बी.एन. प्लाजा ए-2/103, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में है, यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित (जिसकी अवधारणा के आशय में उसके उत्तराधिकारी तथा एसाइन्स, रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी आदि शामिल हैं) के लिए तथा उसकी ओर से मैं, अनिल कुमार हांडू वर्तमान में एक्जीक्यूटिव प्रबंधक, बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलियो प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय दिल्ली (उत्तर) गुड़गांव के रूप में पदस्थापित तथा इस संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत, एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूचना सर्व करता हूं।

1. कि आपके अनुरोध पर बैंक ने आपके पक्ष में रु. 1,85,00,000/- (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख मात्र) की साख सुविधा स्वीकृत की, और कथित सुविधा प्राप्त करने के लिए आपने अन्य बातों के साथ-साथ अन्य प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रतिभूत दस्तावेज क्रियान्वित किये और प्रतिभूति हित सृजित कियेः

प्राथमिक प्रतिभूतिः
स्टॉक तथा पुस्तक ऋणों का दृष्टिबन्धक
अनुषंगी प्रतिभूति :
(i) श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री एस.के. गुप्ता उर्फ श्री एस.के. गर्ग निवासी सी-7/130, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085 के नाम पर प्लॉट सं. 130, पॉकेट सी-7, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली का गठन करने वाले फ्रीहोल्ड भूमि पर निर्मित स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला भवन का इक्विटेबल बंधक।

निम्नलिखित थर्ड पार्टी गारंटी :
1. श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री एस.के. गुप्ता उर्फ श्री एस.के. गर्ग, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085 (बंधककर्ता/जमानती)
2. श्री एस.के. गुप्ता पुत्र श्री गणेश चन्द गुप्ता निवासी सी-7/130, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली-110085. (जमानती)
3. श्री रूनी मेहरा पुत्र स्व. श्री प्रेम चन्द मेहरा निवासी म.नं. 295, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121012 (जमानती)

2. आप/आपकी फर्म ने उपर्युक्त सुविधा ग्रहण की, किन्तु कथित खाते में व्यापारिक लेनदेन करने में असफल रहे और अवहेलना की और इस प्रकार उन नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है जिस पर कथित साख/ऋण सुविधाएँ आपको स्वीकृत और अनुदानित की गयी थीं। आपके द्वारा चूक किये जाने के परिणामस्वरूप आपका नीचे वर्णित ऋण खाता भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31.12.2019 को बैंक द्वारा 'गैर-निष्पादन आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आब, 31.12.2019 तक निम्नलिखित राशि आपके ऋण खाते में आपके द्वारा बकाया तथा देय है :

सुविधा	खाता सं.	शेष बकाया
नकद-साख	0393020100000062	रु. 1,98,30,824.07

साथ ही आप 01.01.2020 से बकायों के पूर्ण भुगतान की तिथि तक उपर्युक्त रु. 1,98,30,824.07 (रुपये एक करोड़ अट्ठानबे लाख तीस हजार आठ सौ चौबीस एवं सात पैसे मात्र) पर मासिक देयताओं सहित वर्तमान प्रभावी 1 वर्ष के एमसीएलआर की दर से फ्लोटिंग ब्याज तथा 4.00% की दर से ब्याज अर्थात 12.40% अदा करने के भी उत्तरदायी हैं।

ऊपर पैरा 2 में वर्णित बकाया राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है।

अतएव अब, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ऊपर नामित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि क्रेडिट्स, यदि कोई हो, को घटाकर समय-समय पर बैंक द्वारा वहन की गई/वहन की जाने वाली अन्य लागतों तथा चार्जेज के साथ 1.1.2020 से 1 वर्षीय एमसीएलआर की दर से फ्लोटिंग ब्याज और 4.00% अर्थात 12.40% वर्तमान प्रभाव तथा मासिक देयताओं सहित रु. 1,98,30,824.07 (रुपये एक करोड़ अट्ठानबे लाख तीस हजार आठ सौ चौबीस एवं सात पैसे मात्र) जो बैंक की व्यापारिक इकाई बी.एन. ब्लाजा ए-2/103, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110005 में इसके खातों की पुस्तकों आपके विरुद्ध बकाया है, इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 12,49,616.80 (रुपये बारह लाख उन्चास हजार छः सौ सोलह तथा पैसे अस्सी मात्र) की राशि का भुगतान कर बैंक के प्रति अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा बैंक आपकी जोखिम एवं लागतों पर अधिनियम (सुप्रा) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपनी प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित किसी या सभी उपायों का अवलंबन करेगाः

(अ) प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना।
(ब) प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना।
(स) प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।
(द) लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना जो बैंक को भुगतान के लिए आपसे किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्तियों को अर्जित किए हों।

3. यह ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) इस सूचना के बाद आपको बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आपकी उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, लीज या अन्य विधि से अन्तरित करने से निषिद्ध करती है। एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में उपरोक्त परिसंपत्तियों का व्यवसाय नहीं करेंगे। साथ ही, आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों जिसके आप ट्रस्टी हैं को संरक्षित रखने के कर्त्तव्य से बंधे हैं। यदि आपने पहले ही इन परिसंपत्तियों को अंतरित कर दिया हो अथवा इस सूचना की सर्विस के बाद अंतरित करेंगे तो आप इस अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई के भागी होंगे।
4. पुनः, कृपया ध्यान रहे कि यदि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तथा बैंक अधिनियम (सुप्रा) की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करता है तो आप पुनः इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चें का बैंक को भुगतान करने के लिय उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री राशि से बैंक की संपूर्ण बकाया वसूल नहीं होती है तो बैंक आप तथा उसके देनदार किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।
5. यह सूचना लम्बित ऋण वसूली कार्रवाई अथवा किसी अन्य न्यायालय/ अपीलीय अधिकरण/ प्राधिकरण में बैंक के सभी अधिकारों, उपचारों तथा तर्कों तथा साथ ही उपरोक्त देयता के संदर्भ में बैंक में प्रस्तुत की गई किसी अन्य प्रतिभूति से बकाए की वसूली करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जाती है।
6. आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमन्त्रण द्वारा, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री हेतु केवल सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन किये गये समस्त लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित बकाया सम्पूर्ण देयताओं की अदायगी कर सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ संपूर्ण बकाये राशि का भुगतान कर नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विमोचन नहीं कर सकेंगे।
7. यह माँग सूचना इस सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के पश्चात यदि आपकी देयताओं का भुगतान नहीं हुआ तो शेष बकायों की वसूली के लिए बैंक के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बकाया राशि के प्रतिभूत क्रेडिटर की ऋण राशि तथा माँग का प्रत्यास्मरण है। पुनः कृपया ध्यान दें कि इस सूचना को किसी अधिकारों या उपचारों का वेवर नहीं माना जाना चाहिए जिसे हम अपनी ओर की राशि के परिप्रेक्ष्य में भावी माँग करने के अधिकार को सीमित किये बिना शामिल कर सकते हैं।

(अनिल कुमार हांडू)
अधिकृत प्राधिकारी, द जेएण्डके बैंक लिमिटेड

CORRIGENDUM

In the Unaudited Financial Results of **UNIMODE OVERSEAS LIMITED, published on 15.02.2020, in FINANCIAL EXPRESS (English, Delhi) & JANSATTA (Hindi, Delhi)** company name was mentioned Unimode Overseas Limited and Reduced instead of Unimode Overseas Limited. All other Contents of Financial Results will remain unchanged. **The error is regretted.**

Omansh Enterprises Limited

CIN: L21011DL1974PLC241646
Regd. Office: Shop No. QD-37, DDA Market, Pitampura New Delhi North West DL 110034
Email: omanshwork@gmail.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended December 31, 2019

(Rs. in Lakh)

Particulars	Quarter ended 31.12.2019 Unaudited	Year to date (Nine Months ended) 31.12.2019 Unaudited	Corresponding 3 months ended in previous year 31.12.2018 Unaudited
Total income from operations	-	-	4.83
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.08)	(0.08)	0.08
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.08)	(0.08)	0.08
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.08)	(0.08)	0.08
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.08)	(0.08)	0.08
Equity Share Capital (Face value of Rs. 1/- each)	355.00	355.00	355.00
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings Per Share (Face Value of of Rs. 1/- each) Basic (Rs.)	-	-	-
Diluted (Rs.)	-	-	-

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website

By Order of the Board
For Omansh Enterprises Limited
Sd/-
Satvinder Singh
Director
DIN: 08057553

Place: New Delhi
Date : 14th February, 2020

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड

CIN: L65923DL1984PLC019608
पंजी. कार्यालयः 3/14 ए, विजयनगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009
सम्पर्क नं.: 9311480885,
वेबसाईटः www.efficientindustrial.in, ई-मेलः efficientindustrial@gmail.com, info@efficientindustrial.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

(राशि लाखों में)

विवरण	स्टैंडएलॉन: समाप्त तिमाही (31.12.2019) अनंकेक्षित	समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (31.12.2018) पूर्व वर्ष में अनंकेक्षित	समाप्त तिथि तक वर्ष के आँकड़े 31.12.2019 अनंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0.97	115.54	10.90
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.20)	0.61	(6.57)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.20)	0.61	(6.57)
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	(1.20)	0.61	(6.57)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिये (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिये लाभ/(हानि) से शामिल	-	-	-
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10 प्रति शेयर)	24.80	24.80	24.80
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	718.08	724.43	718.08
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (असाधारण मदों के बाद)			
तरल आय प्रति शेयर- (विशिष्ट मदों के बाद)	(0.05)	0.01	(0.26)
(रु. 10/- प्रति का)	(0.05)	0.01	(0.26)

टिप्पणीः
उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.efficientindustrial.in पर उपलब्ध है।

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राज कुमार बरदिया
प्रबंध निदेशक
DIN: 01736079

स्थानः दिल्ली
तिथिः 14.2.2020

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 7वां, के.एम बरवाला रोड, उलवंडी राना, हिसार-125001 (हरियाणा)
वेबसाइटः www.arceeindustries.in CIN No. L29120HR1992PLC031681
फोन नं.: 98120-20111, 98120-40111, ईमेल आईडीः arceeind@rediffmail.com

31.12.2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. लाखों में कथित को छोड़कर)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
कुल आय	58.16	10.07	58.97	10.07	25.14
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व)	(2.99)	3.49	(16.06)	(5.04)	2.34
कर के पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(2.99)	3.49	(16.06)	(5.04)	2.34
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(2.99)	3.49	(16.06)	(5.04)	2.34
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल	513.88	513.88	513.88	513.88	513.88
रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले साल की ऑडिट बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	-	-	(106.02)
प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10/- के) (चालू और बंद प्रचालन के लिए)					
ए) बेसिक	(0.06)	0.07	(0.31)	(0.10)	0.05
बी) डायल्यूटिड	(0.06)	0.07	(0.31)	(0.10)	0.05

टिप्पणीः
1. सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, ऊपर दर्ज की गई त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
2. 14 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसी की सीमित समीक्षा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
सृष्टि
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थानः हिसार
तिथिः 14.02.2020

A.F. ENTERPRISES LIMITED

CIN :- L18100DL1983PLC016354
REGISTERED OFFICE:- DSM-334, DLF TOWERS, SHIVAJI MARG, NEW DELHI-110015
Phone No. 01145084850 | Email :- info.afenterprises@gmail.com

STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2019

(Amounts in Rs. Lakhs)

S. No	Particulars	Quarter ending/Current Year ending 1.10.2019 to 31.12.2019 Un-audited	Year to date Figures/Previous Year ending 1.4.2019 to 31.12.2019 Un-Audited	Corresponding 3 months ended in the previous year 1.10.2018 to 31.12.2018 unaudited
1	Total Income from Operations	33.71	5406.95	796.08
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(260.46)	334.12	(44.03)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(260.46)	334.12	(44.03)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(192.74)	247.25	(44.03)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(192.74)	247.25	(44.03)
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10)	400	400	400
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(177.14)	(177.14)	(227.75)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	i) Basic	(4.82)	6.18	(1.10)
	ii) Diluted	(4.82)	6.18	(1.10)

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity. (www.afenterprisesltd.com).
b) The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting and approved by the Board of Director at their meeting held on 14th February, 2020.
c) The Financials has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules (Ind-AS) to the extent applicable.

By the Order of the Board
A.F ENTERPRISES LIMITED
Sd/-
ABHISHEK SINGH
WHOLE TIME DIRECTOR

Place:- New Delhi
Date:- 14thFebruary, 2020.

www.readwhere.com

ट्रक-बस की टक्कर में चार की मौत, 12 घायल

नागपुर, 15 फरवरी (भाषा)।

नागपुर जिले के सिंगोरी गांव में शनिवार तड़के एक यात्री बस खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिसके कारण बस में सवार कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि बस में सवार लोग गोंदिया जिले के तिरोरा में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे।

मौदा पुलिस थाने के निरीक्षक मधुकर गीते ने बताया कि दुर्घटना नागपुर के मौदा तालुका में सुबह 5.30 बजे हुई। बस सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई, जिसके कारण बस में सवार दो महिलाओं समेत चार यात्रियों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में बारह अन्य लोग घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि कुछ घायलों को नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ का उपचार भंडारा जिले के एक अस्पताल में हो रहा है।

बलात्कार पीड़िता नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया, मामला दर्ज

महोबा, 15 फरवरी (भाषा)।

जिले की शहर कोतवाली क्षेत्र में सात महीने पहले कथित बलात्कार की शिकार हुई किशोरी द्वारा सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

महोबा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मणिलाल पाटीदार ने शनिवार को बताया कि नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में घुस कर सात माह पहले बलात्कार किया गया था, लेकिन तब आरोपियों की धमकी की वजह से पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी थी। गुरुवार को जब पेट दर्द होने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए, तब उन्हें इसकी जानकारी हुई। पीड़िता ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म भी दिया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम लड़की के पिता की तहरीर पर उसी गांव के युवक जयचंद्र के खिलाफ बलात्कार करने, जान से मारने की धमकी देने और शिवानंद के खिलाफ सहयोग करने की धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी युवक गांव से फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

कार पेड़ से टकराई, तीन लोगों की मौत

पीलीभीत, 15 फरवरी (भाषा)।

जिले में तेज रफ्तार कार हाइवे पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पूरनपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के रूपेंद्र सिंह, सोना सिंह और मलकीत के रूप में हुई है। सभी शादी समारोह में शामिल होने शुक्रवार को पीलीभीत आए थे। वापसी में उनकी कार पूरनपुर थाना क्षेत्र के खमरिया तिराहे के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोतवाली पूरनपुर के इंस्पेक्टर एसके सिंह ने बताया कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि राहगीरों की मदद से गैस कटर से कार को काट कर शवों को बाहर निकाला गया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है।

पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट, छह लोग घायल

मुंबई, 15 फरवरी (भाषा)।

वाहन पार्किंग करने को लेकर हुए विवाद में यहां के चैंबूर में दो सोसाइटी के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें कम से कम छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि वाशी नाका के मुकुंद नगर में शुक्रवार देर रात दो हाउसिंग सोसाइटी के लोग वाहन खड़ा करने के स्थान को लेकर आपस में भिड़ गए। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पत्थर फेंके, जिससे छह वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और संपत्ति को भी नुकसान हुआ। अधिकारी ने बताया कि तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है।

DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED

CIN-L24112UP1992PLC014478

Village Pallawala, Tehsil Dhampur, District Bijnor (U.P.)- 246761

Extract from the Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Result for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2019

(Rs. In Lacs)

Sl. No	Particulars	Standalone				Consolidated		
		Quarter Ended		Nine Month Ended		Quarter Ended		Nine Month Ended
		31-12-2019 (Un-Audited)	31-12-2018 (Un-Audited)	31-12-2019 (Un-Audited)	31-12-2018 (Un-Audited)	31-12-2019 (Un-Audited)	30-09-2019 (Un-Audited)	31-12-2019 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	285.52	270.01	599.61	608.29	285.52	126.10	629.77
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	23.23	77.66	8.29	96.95	23.23	3.86	36.04
3	Net profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23.23	77.66	8.29	96.95	23.23	3.86	27.09
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.19	79.06	(0.14)	90.29	17.19	1.26	19.54
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	-	-	-	-	-
6	No. of Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	79.31	75.36	79.31	75.36	79.51	79.51	79.51
7	Earnings Per Share (of Rs.10 /-each) (Not annualised)	0.21	1.05	-	1.15	0.21	0.02	0.10
	1 Basic (Rs.)	0.21	1.05	-	1.15	0.10	0.02	0.10
	2. Diluted (Rs.)	0.21	1.05	-	1.15	0.10	0.02	0.10

Notes:-

1 The above unaudited financial results for the quarter ended 31st December 2019 has been reviewed by the Audit Committee and has been approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14th February, 2020.

2 The Company has adopted Ind AS notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 w.e.f April 01, 2017. The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) priscribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

3 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for Quarter and Nine Month ended December 31, 2019, filed with the Stock Exchange pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Results are available on Stock Exchanges website of BSE at www.bseindia.com. The same are also available on the Company's website at: www.sugarindia.co.in

For and on behalf of board of directors
For DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED
Sd/-
Sorabh Gupta
Chairman Cum Managing Director

Place: New Delhi
Date: 14th February, 2020

AMIN TANNERY LIMITED

CIN No.U19115UP2013PLC055834

Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P)

Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Three Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2019 (Unaudited)	Three Months ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2018 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total Income	814.90	874.79	1,163.08	2,311.36	3,082.73	3,748.05
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	91.05	76.07	131.74	261.52	328.05	393.84
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	5.41	8.27	16.56	22.70	50.87	27.35
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	5.41	8.27	16.56	22.70	50.87	27.35
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	4.26	5.97	10.86	16.60	36.25	13.59
6.	Total Comprehensive Income for the period	5.13	4.57	7.43	15.06	28.05	5.61
7.	Equity Share Capital (Face value of Re.1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Re.1/- each) (Not Annualized *)						
i	Before Extraordinary Items (in Rs.)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01
ii	After Extraordinary Items (in Rs.)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.amintannery.in. **2.** On 20th September 2019, vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019, the Government of India inserted section 115BAB in the Income-tax Act, 1961, which provides domestic companies a non reversible option to pay corporate tax at reduced rates effective, 1st April 2019, subject to certain conditions. The management plans to conclude its evaluation of this option in conjunction with its tax year end of 31st March, 2020.

For and on Behalf of the Board of Directors
Ifthikharul Amin
Director (CFO)
DIN No. 00037424

Place: KANPUR
Date: 14.02.2020

SUPER TANNERY LIMITED

CIN No.: L19131UP1984PLC00621

Regd. Office: 187/170, Jajmau Road, Kanpur - 208 010 (U.P):

Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792, Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DEC, 2019

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	CONSOLIDATED					
		Three Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2019 (Unaudited)	Three Months ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2018 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total Income	3,512.96	5,647.72	5,306.30	13,624.51	16,384.82	19,892.05
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	386.55	472.01	463.85	1,254.87	1,365.64	1,847.14
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	85.16	154.65	152.29	346.10	526.30	609.94
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	85.16	154.65	152.29	346.10	526.30	609.94
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	128.61	159.15	120.63	365.05	396.28	399.39
6.	Total Comprehensive Income for the period	133.05	123.02	122.73	327.34	403.81	406.62
7.	Equity Share Capital (Face value of Re.1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Re.1/- each) (Not Annualized *)						
i	Before Extraordinary Items (in Rs.)	0.12	0.15	0.11	0.34	0.37	0.37
ii	After Extraordinary Items (in Rs.)	0.12	0.15	0.11	0.34	0.37	0.37

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.bseindia.com and on the Company's website www.supertannery.com.

2. Key Standalone Financial Information:

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					
		Three Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2019 (Unaudited)	Three Months ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2018 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total Income	4,466.14	5,059.58	4,874.69	13,748.59	15,175.22	18,721.08
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	388.12	442.22	404.52	1,211.82	1,181.95	1,649.43
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	87.67	122.79	95.76	304.79	350.52	423.26
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	131.12	133.29	64.10	323.74	220.50	212.71
5.	Total Comprehensive Income for the period	135.56	97.16	66.20	286.03	228.03	219.94

3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements".

For and on Behalf of the Board of Directors
Ifthikharul Amin
Managing Director
DIN No. 00037424

Place: KANPUR
Date: 14.02.2020

तराई फूड्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 13, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, टेली. नं.: 011-41018839

CIN No.:L15142DL1990PLC039291, वेबसाईटः www.taraifoods.com, ईमेलः grvnces.tfl@gmail.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.2.2019 अनंकेक्षित	समाप्त पूर्व तिमाही 30.9.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तत्स्थनीय तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2018 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय(शुद्ध)	91.8	79.6	52.7	239.3	214.5
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	9.8	8.1	-6.6	-13.3	-22.4
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	9.8	8.1	-6.6	2860.9	-13.6
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	9.8	8.1	-6.6	2860.9	-13.6
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	9.8	8.1	-6.6	2860.9	-13.6
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/-)	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित एवं लाभ हानि खाता में डेबिट बैलेन्स को छोड़कर)	448.85	448.85	369.59	448.85	369.59
8.	मूल एवं तरल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) (कर, विशिष्ट एवं आसाधारण मदों के बाद)					
	मूलः	0.06	0.05	-0.04	18.63	-0.09
	तरलः	0.06	0.05	-0.04	18.63	-0.09

टिप्पणी:

1. कम्पनी के वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।
2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 14.02.2020 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किये गये।
3. कम्पनी फ्रेश, फ्रॉजन फूड्स तथा सब्जियों के प्रचालन का व्यवसाय करती है तथा इंड ए एस-108 के अनुसार विवरण देने योग्य कोई खंड नहीं है।
4. उसे चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुररूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आँकड़े पुनर्समूहीकृत, पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

तराई फूड्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
डा. आर. पी. सिंह
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN:03615102
मुख्य वित्त अधिकारी
पैन नं. -AXRPS3807K

स्थानः रुद्रपुर
तिथिः 14.02.2020

APLAYA CREATIONS LIMITED

CIN :- L17122DL1996PLC332121

REGISTERED OFFICE:- Unit No. DPT-208, 2nd Floor, DLF Prime Towers, F-79-80 Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi South Delhi DL 110020

Email :- einsedutech@gmail.com | website: www.aplayacreations.com

STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2018

(Amounts in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ending/Current Year ending 1.10.2019 to 31.12.2019 Un-audited	Year to date Figures/Previous Year ending 1.4.2019 to 31.12.2019 Un-Audited	Corresponding 3 months ended in the previous year 1.10.2018 to 31.12.2018 Un-audited
1	Total Income from Operations	0.00	1398.50	6253.89
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(4.64)	17.21	21.27
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(4.64)	17.21	21.27
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(4.64)	17.21	21.27
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(4.64)	17.21	21.27
6	Equity Share Capital	1438	1438	1438
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -			0.002
	i) Basic	(0.0032)	0.0120	0.0148
	ii) Diluted	(0.0032)	0.0120	0.0148

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity. (www.aplayacreations.com).

b) The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 14th February, 2020 and approved by the Board of Director at their meeting held on 14th February, 2020.

c) The Financials has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules (Ind-AS) to the extent applicable.

By the Order of the Board
APLAYA CREATIONS LIMITED

Sd/-
AMIT MADAAN
DIRECTOR

Place: - Delhi
Date: - 14th February, 2020.

R.R. Corporate Securities Limited

Metro Walk, Sector - 10, Near Rithala Metro Station, Rohini, New Delhi - 110085

Tel: +91-11-47041111 email: rrcsecurities@gmail.com; CIN: L67120DL1986PLC026187

STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTH ENDED DECEMBER 31ST, 2019

(Rs. Amount in Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine Months Ended	
		31-12-2019 Unaudited	30-09-2019 Unaudited	31-12-2018 Unaudited	31-12-2019 Unaudited	31-12-2018 Unaudited
I	Revenue from operations	0.15	0.15	0.15	0.45	0.45
II	Other income	-	-	-	-	0.01
III	**Total income**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.45**	**0.46**
IV	**Expenses**					
	a) Employee benefits expense	-	-	0.30	0.15	0.30
	b) Finance costs	-	-	-	-	
	c) Depreciation and amortisation expenses	-	-	-	-	
	d) Administrative and other expenses	0.12	1.20	0.69	2.12	1.72
	Total expenses (IV)	**0.12**	**1.20**	**0.99**	**2.27**	**2.02**
V	**Profit/(loss) before exceptional items and tax (III - IV)**	**0.03**	**(1.05)**	**(0.84)**	**(1.82)**	**(1.56)**
VI	Exceptional items		-	-	-	-
VII	**Profit/(loss) before tax (V - VI)**	**0.03**	**(1.05)**	**(0.84)**	**(1.82)**	**(1.56)**
VIII	Tax expense					
	-Current tax	0	-	-	-	-
	-Deferred tax	0	-	-	-	-
	Total tax expense	0	-	-	-	-
IX	**Profit/(loss) after tax (VII - VIII)**	**0.03**	**(1.05)**	**(0.84)**	**(1.82)**	**(1.56)**
X	Other Comprehensive Income	0	-	-		
XI	**Total comprehensive income for the period/year (IX + X)**	**0.03**	**(1.05)**	**(0.84)**	**(1.82)**	**(1.56)**
XII	**Paid up equity share capital (Face value per share Rs.10/- each)**	**320.00**	**320.00**	**320.00**	**320.00**	**320.00**
XIII	Other equity	(211.16)	(211.19)	(206.56)	(211.16)	(206.56)
XIV	Basic and diluted earnings per share (face value of Rs. 10/- per share) (in rupees) (not annualised)	0.00	(0.03)	(0.03)	(0.05)	(0.05)

Statement of Assets & Liabilities

Particulars	(Rs. Amount in Lacs) Quarter / Nine Month Ended 31/12/2019 Unaudited	(Rs. Amount in Lacs) Year Ended 31/03/2019 Audited
ASSETS		
Current Assets		
a) Financial Assets		
i) Investment	29.87	29.87
ii) Cash and Cash Equivalents	0.49	0.11
iii) Other Financial Assets	96.64	97.05
b) Other Assets	-	0.08
	127.00	**127.11**
TOTAL ASSETS	**127.00**	**127.11**
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity		
a) Equity Share capital	320.00	320.00
b) Other Equity	(211.16)	(209.34)
	108.84	**110.66**
Current Liabilities		
a) Financial Liabilities		
i) Trade Payables	0.28	0.87
ii) Loans	16.56	14.06
iii) Other Financial Liabilities	1.32	1.23
b) Other current Liabilities	-	0.29
	18.16	**16.45**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**127.00**	**127.11**

Notes:

1 The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 14/02/2020.

2 In line with the provisions of Ind AS 108 - Operating Segments and on the basis of review of operations being done by the management of the company, the operations of the company fall under Investment and financing business, which is considered to be the only reportable segment by the management.

3 The financial results of the Company for the quarter and nine month ended December 31st, 2019 are also available on the Company's website (www.rrcsl.com) and on the website of MSEI stock exchange (www.msei.in)

4 Previous period / year figures have been regrouped / reclassified / restated wherever necessary to correspond with the current year classification/disclosure.

For & on behalf of Board of Directors
Sd/-
(Robin Vijeshwar)
Director
DIN: 00016318

Place : New Delhi
Date : Date: 14/02/2020

www.readwhere.com

गोवा में आतंकवादी खतरे की आशंका नहीं : सावंत

पणजी, 15 फरवरी (भाषा)।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि राज्य किसी भी आतंकी खतरे का सामना नहीं कर रहा है और इस संबंध में जिला कलेक्टरों की ओर से जारी की गई सीआरपीसी की धारा 144 के नोटिस की वह समीक्षा करेंगे। उत्तर और दक्षिणी गोवा जिलों के कलेक्टरों ने इस सप्ताह की शुरुआत में आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी की थी कि राज्य को खतरा है और असामाजिक गतिविधियां होने की आशंका है। सीआरपीसी की धारा 144 जिला प्रशासन और पुलिस को यह शक्ति देता है कि वह संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं।

यह परिपत्र ऐसे समय में आया है जब गोवा दुनिया के सबसे मशहूर कार्निवल और शिगमो त्योहार (बसंत उत्सव) की तैयारी कर रहा है और इसमें हजारों पर्यटकों के आने की संभावना है। गृह विभाग भी संभालने वाले मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि यह एक नियमित परिपत्र था जिसे मीडिया ने काफी कवरेज दिया। मैंने दोनों जिला कलेक्टरों से इस संबंध में चर्चा की है और इस परिपत्र की समीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य किसी भी आतंकी खतरे का सामना नहीं कर रहा है और यह परिपत्र सिर्फ प्रशासनिक कामकाज वाला था। राज्य बेहद सुरक्षित है।

CAPFIN INDIA LIMITED

REGISTERED OFFICE: PP-1, Gali No.10, Industrial Area, Anand Parvat, New Delhi-110005

Quarterly Unaudited Financial Results for the Quarter Ended & Nine Months Ended on 31st December, 2019

Part-1 (₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	3 months ended 31/12/2019 Unaudited	Proceding 3 months ended 30/09/2019 Unaudited	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2018 Unaudited	Year to Date figures for the current year ended 31/12/2019 Unaudited	Year to Date figures for the current year ended 31/12/2018 Unaudited	Previous Year Ended 31/03/2019 Audited
	(Refer Note Below)						
1	Income from operations						
	(a) Net sales /Income from Operations (Net of Excise Duty)	3.46	3.34	3.31	10.20	9.94	13.82
	(b) Other operating income		-	0.07	0.22	0.43	1.05
	Total income from operations (net)	3.46	3.34	3.38	10.42	10.37	14.87
2	Expenses						
	(a) Cost of materials consumed	-	-	-	-	-	-
	(b) Purchase of stock in trade	-	-	-	-	-	-
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	(d) Employee benefits expense	1.17	1.38	0.90	3.37	2.70	4.08
	(e) Depreciation and Amortisation expense	-	-	-	-	-	0.46
	(f) Other expenses	0.33	0.57	0.75	4.85	4.49	7.88
	Total expenses	1.50	1.95	1.65	8.22	7.19	12.42
3	Profit/(Loss) from operations before other income, finance costs and exceptional items(1-2)	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	2.45
4	other income						
5	Profit/(Loss) from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+/-4)	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	2.45
6	Finance costs	-	-	-	-	-	-
7	Profit/(Loss) form ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5+/-6)	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	2.45
8	Exceptional Items	-	-	-	-	-	-
9	Profit/ (Loss) form ordinary activities before tax (7+/-8)	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	2.45
10	Tax expense including Defferd Tax	-	-	-	-		1.44
11	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax (9+/-10)	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	1.01
12	Extraordinary items (net of tax expense)	-	-	-	-	-	-
13	Net Profit/(Loss) for the period (11+/-12)	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	1.01
14	Share of Profit/(Loss) of associates*	-	-	-	-	-	-
15	Minority Interest*	-	-	-	-	-	-
16	Net profit/ (Loss) afer taxes, Minority interest and share of profit/(Loss) of associates (13+_14+_15)*	1.96	1.39	1.73	2.20	3.18	1.01
17	Other Comprehensive Income						
	1 (a) Items that will not be reclassified to profit or Loss	-	-	-	-		-
	(b) Income Tax relating to items that will not be reclassified to profit or Loss	-	-	-	-		0.87
	2 (a) Items that will be reclassifies to profit or loss	-	-	-	-		-
	(b) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit or Loss	-	-	-	-		-
	(c) Prior Period	-	-	-	-		
	Total Comprehensive Income for the period	-	-	-	-	3.18	1.88
18	Paid-up equity share capital (Face value of Rs 10/- each)	286.47	286.47	286.47	286.47	286.47	286.47
19	Reseve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	39.15	39.15	33.10	39.15	33.10	39.95
20.i	Earnings per share (before extraordinary items) (of face value Rs 10/- each) not annualised:						
	(a) Basic	0.07	0.05	0.06	0.08	0.11	0.04
	(b) Diluted	0.07	0.05	0.06	0.08	0.11	0.04
20.ii	Earnings per share (after extraordinary items) (of face value Rs 10/- each) not annualised:						
	(a) Basic	0.07	0.05	0.06	0.08	0.11	0.04
	(b) Diluted	0.07	0.05	0.06	0.08	0.11	0.04

Notes:

1. The above financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th February, 2020 and Statutory Auditors have carried out limited review.
2. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("IND-AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circulars dated 5th July, 2016.
3. The format for quarterly results as prescribed in SEBI's circular CIR.CFD/CMD/15-2015, dated 30th November, 2015, has been modified to comply with requirements of SEBI's circulars dated 5th July, 2016.
4. Effective April 1, 2019, the Company has adopted IND AS 116 " Leases", applied to all lease contracts existing on April 1, 2019 using the modified retrospective method with practical expedient.There is no impact on retained earnings, on the date of initial application. Accordingly, comparatives for the year ended 31 March, 2019 have not been retrospectively adjusted. The effect of this adoption did not have a material impact on the results for the quarter ended on June 30, 2019.
5. Expenses are recognised in Statement of Profit & Loss using a classification based on the nature of expense method as per para 99 of IND AS-1, presentation of financial staements.
6. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary to confirm to current period classification.

For Capfin India Limited
SD/-
Rachita Mantry
(Whole Time Director)

Place: New Delhi
Date: 14.02.2020

FOCUS INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

CIN: L15319DL1985PLC021348

Registered Office: 104,Mukand House,Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033

email id :info@focuslimited.in | website : www.focuslimited.in | Ph no: 011-27676399

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For quarter ended 31-12-2019 UNAUDITED	For quarter ended 31-12-2018 UNAUDITED	For Nine Months Ended 31-12-2019 UNAUDITED
1. Total Income from operations	13.52	8.57	38.87
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.02	0.02	0.13
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.02	0.02	0.13
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.02	0.02	0.13
5. Equity Share Capital	1219.42	1219.42	1219.42
6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	0	0	0
7. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
-Basic	0.00	0.00	0.00
- Diluted	0.00	0.00	0.00

Notes:

1. The above result was taken on record by the Board of Directors in the meeting held on 14th February, 2020.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Resuts filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exhange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.focuslimited.in).

For and on behalf of the Board of Directors
Focus Industrial Resources Limited
Sd/-
(Mamta Jindal)
Managing Director
DIN :00085096

Place: New Delhi
Date: 14.02.2020

PAWANSUT HOLDINGS LIMITED

CIN: L65929DL1984PLC019506

Registered Office: 415, Usha Kiran Building, Commercial Complex, Azadpur Delhi-110033

Email id: pawansutholdingsltd@gmail.com | Website: www. pawansutholdings.com | Ph no: 011-45689333

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For quarter ended 31-12-2019 UNAUDITED	For quarter ended 31-12-2018 UNAUDITED	For Nine months ended 31-12-2019 UNAUDITED
1. Total Income from operations	11.25	10.10	43.45
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.05	0.03	0.12
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.05	0.03	0.12
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.05	0.03	0.12
5. Equity Share Capital	1131.39	1131.39	1131.39
6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	0.00	0.00	0.00
7. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
-Basic	0.00	0.00	0.00
- Diluted	0.00	0.00	0.00

Notes:

1. The above result was taken on record by the Board of Directors in the meeting held on 14th February, 2020.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exhange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.pawansutholdings.com).

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Pawansut Holdings Limited
Sd/-
(Ram Kishore Bansal)
Managing Director
DIN:05195812

Place : New Delhi
Date : 14.02.2020

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि कम्पनी मैग्नेटा फाइनांस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड ने श्री त्रिबिक्रम नायक (DIN:02963020) को 15.11.2019 से कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया था तथा उस नियुक्ति पर भा.रि.बैं. से 10.2.2020 को स्वीकृति प्राप्त की गई। यदि इस नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर वैध कारणों के साथ नीचे वर्णित ईमेल अथवा पते पर कम्पनी को लिखें।

कम्पनी सचिव
मैग्नेटा फाइनांस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
प्लॉट नं. 301 एवं 302, प्लॉट नं. 07, 3 रा तल, लोकल शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर बी, पॉकेट 1, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
ईमेल: cs@magentafinance.co.in

राजस्थान : 12 आरएएस अधिकारियों का तबादला

जयपुर, 15 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 12 अधिकारियों का तबादला पदस्थापन शनिवार को किया। कार्मिक विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है।

पंकज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड

CIN: L65990DL1982PLC256291

पंजी. कार्यालयः 314, 3रा तल, प्लॉट नं. 39 के सामने, आर.जी. मॉल, सेक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

वेबसाईट: www.pptinvestment.com, ईमेल: info@pptinvestment.com

फोनः 011–42804171, 9891442777

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के लिए स्टैडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार –इंड ए एस के अनुरूप (रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैडएलॉन समाप्त तिमाही 30 दिस. 19 (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व तिमाही 30 सित. 19 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30 सित. 18 (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष 31 मार्च, 19 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	62.08	82.99	57.57	1204.10
2.	कर से पूर्व सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	59.75	(16397.00)	(70.43)	7.51
3.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	59.75	(16.97)	(70.43)	3.96
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	59.75	(16.97)	(70.43)	3.96
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	40.00	40.00	40.00	40.00
6.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	2724.14	2724.14	27250.18	2724.14
7.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व एवं बाद) (रु. 10/– प्रति का)				
	मूलः	14.94	(4.24)	(17.61)	0.99
	तरलः	14.94	(4.24)	(17.61)	0.99

टिप्पणीः

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही/नौ माही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है तथा उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक संशोधन) नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा लागू सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा नीतियों के अनुसार पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। तिमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट www.pptinvestment.in पर भी उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी के समक्ष रखा गया तथा उनके द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 फर. 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। इन वित्तीय परिणामों की सांविधिक अंकेषकों द्वारा ऑडिट की गई है।
3. अंतिम तिमाही के आंकड़े संपूर्ण वित्त वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक तिथि तक वर्ष के प्रकाशित आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़े के बीच संतुलक आंकड़े हैं।
4. उसे चालू अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी जरूरी हुआ पूर्व वर्ष/अवधि के आंकड़े पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
5. सर्क्युलर नं. CIR/CFD/CMD/56/2016 तिथि 27 मई, 2016 के अनुपालन में हम घोषित करते हैं कि इन परिणामों को कंपनी के ऑडिटरों द्वारा क्वालिफाइड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट में गैर–संशोधित अभिमत है।

पंकज पीयूष ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
विनोद कुमार बंसल
प्रबंध निदेशक

तिथिः 14 फरवरी, 2020
स्थानः नई दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आस्ति वसूली शाखा

26/28, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
ईमेल: arbdelhi@unionbankofindia.com

नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु **नीचे वर्णित दिनांको** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा और प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.	कर्जदार का नाम एवं पता	गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण / सुरक्षित लेनदार को ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो	कब्जे की स्थिति भौतिक या सांकेतिक	कर्जदार / गारंटर से वसूल की जाने वाली राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	आस्ति वसूली शाखा श्री दिवाकर चौधरी फोन : 9971781144	गार्टेक्स कॉन्सेप्ट क्लोथिंग लि., कॉर्यालय डी–23बी, तिलक विहार– तिलक नगर, दिल्ली 110018, फैक्ट्री – खेवट/खाता नं. 702/839, धुधोला– धातीर रोड, जिला पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा	1. श्री कुलबीर सिंह, मकान नं. 126, सैक्टर–28, फरीदाबाद –121008 2. श्री तरन पाल सिंह, मकान नं. 126, सैक्टर–28, फरीदाबाद –121008 3. श्री करन दीप कौर, मकान नं. 126, सैक्टर–28, फरीदाबाद –121008 4. श्री भूपिंदर सिंह साहनी, मकान नं. ए–53/1, डीएलएफ सिटी, फेज–1, गुरुग्राम –122001 5. श्री गुरमीत सिंह साहनी, मकान नं. ए–39, रोजवुड सिटी, सेक्टर–49, गुरुग्राम –122001 6. एम देवेंद्र पाल सिंह खोली, मकान नं. ए–23, रोजवुड सिटी, सैक्टर–49, गुरुग्राम –122001	भूमि साथ में चार दीवारी, खाता नं. 76 (खसरा नं. 368 और 374) और खाता नं. 151 (खसरा नं. 373) खाता नं. 367, गाँव लनहेरा बक्कल, अंबाला रोड (नेशनल हाईवे 73), शौहरनपुर, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 15447 वर्ग मी. ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	Rs. 12,24,37,986.12 दिनांक 31.03.2012 तक भविष्य का ब्याज और लागत इत्यादि	रु. 724.00 लाख रु. 72.40 लाख रु. 1.00 लाख	05-03-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्प. 01.00 बजे तक	04.03.2020 अर्प. 05.00 बजे से पहले	29.02.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्प. 03.00 बजे तक
2	आस्ति वसूली शाखा श्री दिवाकर चौधरी फोन : 9971781144	1. विनय भंडारी 2. पद्मिनी भंडारी 3. विनीत भंडारी अपार्टमेंट/फ्लेट नं. 604, ब्लॉक नं. 2, 6वां तल, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर 47, गुड़गांव (हरियाणा) और: मकान नं. 603, सेक्टर 7, गुड़गांव हरियाणा 122001 और: बी264, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027	1. विनय भंडारी 2. पद्मिनी भंडारी 3. विनीत भंडारी, अपार्टमेंट /फ्लेट नं. 604, ब्लॉक नं. 2, छठा तल, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सैक्टर–47, गुड़गांव (हरियाणा) और: मकान नं. 603, सैक्टर–7, गुड़गांव, हरियाणा 122001 और: बी 264, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027	अपार्टमेंट / फ्लेट नं. 604, ब्लॉक नं. 2, छठा तल, क्षेत्रफल 2027 वर्ग फीट, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सैक्टर – 47, गुड़गॉव (हरियाणा) में स्थित ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 1,63,73,574.10 दिनांक 31.03.2018 तक भविष्य का ब्याज और लागत इत्यादि	रु. 135.00 लाख रु. 13.50 लाख रु. 1.00 लाख	05-03-2020 पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	04.03.2020 अर्प. 05.00 बजे से पहले	26.02.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्प. 03.00 बजे तक
3	आस्ति वसूली शाखा ललित मोहन जोशी फोन : 9610447251	मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1818, नया बाजार, दिल्ली या 10, वर्धमान सिटी 2 प्लाजा, आसफ अली रोड, नई दिल्ली –110002; खसरा नं. 512, 513, 514, गाँव छिजारसी, कुलिचनगर, परगना डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद, यूपी इसके निदेशक श्री मोहन लाल जैन, श्रीमती सुमन जैन, (निदेशक) श्री मनीष जैन (निदेशक) सभी 108–109–110, वर्धमान प्लाजा ।।, आसफ अली रोड, नई दिल्ली –110002 और: आर–4/13, राजनगर, गाजियाबाद, यूपी	श्रीमती कमला जैन, श्रीमती संगीता जैन, एन.एम. एग्रो प्रा. लि., एन.एम. इंडस्ट्रीज लि., ओनेक्स बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्रा. लि., जीनियस डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा. लि., मोहित निधि एग्रो ऑयल्स प्रा. लि., श्री मनीष जैन (एचयूएफ) (गारंटर) सभी : 108–109–110, वर्धमान प्लाजा ।।, आसफ अली रोड, नई दिल्ली –110002	सम्पत्ति खाता नं. 131, खसरा नं. 515, बजाज धर्म कॉटा के विपरीत, गाँव छिजारसी, कुलिच नगर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ (उ.प्र.) – 201307 में स्थित, क्षेत्रफल 11329.43 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लि. के नाम पर है। चौहदी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – बैंक साईड अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लि., पश्चिम में – ड्रेन और कच्चा रोड ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 1,03,68,95,951.00 (रु. एक सौ तीन करोड अडसठ लाख पिच्चानवे हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 24.06.2015 तक भविष्य का ब्याज और लागत इत्यादि	रु. 855.00 लाख रु. 85.50 लाख रु. 1.00 लाख	05-03-2020 अर्प. 01.00 बजे से अर्प. 02.00 बजे तक	04.03.2020 अर्प. 05.00 बजे से पहले	28.02.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्प. 03.00 बजे तक
4	आस्ति वसूली शाखा ललित मोहन जोशी फोन : 9610447251	मैसर्स विभा ओवरसीज प्रा. लि., श्री आलोक गुप्ता, श्रीमती विभा गुप्ता निवासी : डी–9, महारानी बाग, नई दिल्ली और श्री पवन गुप्ता निवासी: मकान नं. 12/6, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा –121005	श्री आलोक गुप्ता, श्रीमती विभा गुप्ता, निवासी : डी–9, महारानी बाग, नई दिल्ली और श्री पवन गुप्ता निवासी : मकान नं. 12/6, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा – 121005	अचल संपत्ति, मकान नं. सी–732, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065 में स्थित, क्षेत्रफल 478.3 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती विभा गुप्ता पत्नी श्री अलोक गुप्ता के नाम पर है। चौहदी : उत्तर / पश्चिम में – सर्विस लेन, दक्षिण / पूरब में – 30' चौडी रोड, उत्तर /पूरब में – मकान नं. 731, दक्षिण / पश्चिम में – मकान नं. 733 2017 का एसए नं. 356 डीआरटी । दिल्ली में लंबित है	भौतिक कब्जा	रु. 95,28,69,572.72 (रु. पिच्चानवे करोड अट्ठाईस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ बहत्तर और पैसे बहत्तर मात्र) दिनांक 02.12.2014 तक भविष्य का ब्याज और लागत इत्यादि	रु. 1867.50 लाख रु. 186.75 लाख रु. 1.00 लाख	05-03-2020 पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	04.03.2020 अर्प. 05.00 बजे से पहले	29.02.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्प. 03.00 बजे तक
5	आस्ति वसूली शाखा श्री दिवाकर चौधरी फोन : 9971781144	मैसर्स जिनेन्द्र स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड 26/1, शिवगंगा इंडस्ट्रियल एस्टेट गॉव लकेश्वरी, भगवानपुर, रुडकी, उत्तरांचल –247661 और: ए 21, गली नं. 5, नाला रोड, करावल नगर, दिल्ली	श्री संजय पोद्दार, सुश्री मीनाक्षी पोद्दार, सुश्री कौशल्या देवी पोद्दार, सभी: ए–14, भूतल, पार्क स्ट्रीट, कौशाम्बी, गाजियाबाद, यू.पी.	संपत्ति नं. ए21, गली नं. 5, नाला रोड, करावल नगर, दिल्ली–110094, क्षेत्रफल 980 वर्ग गज, चौहदी : उत्तर में – गाटा फैक्ट्री, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – रोड और नाला, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 30,40,60,483.43 दिनांक 30.04.2013 तक भविष्य का ब्याज और लागत इत्यादि	रु. 275.00 लाख रु. 27.50 लाख रु. 1.00 लाख	05-03-2020 अर्प. 01.00 बजे से अर्प. 02.00 बजे तक	04.03.2020 अर्प. 05.00 बजे से पहले	28.02.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्प. 01.00 बजे तक
6	आस्ति वसूली शाखा श्री पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा फोन : 9549577410	मैसर्स तक्षशिला रिटेल प्रा. लि., जी 9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली, और: बी 35 दीवान हाउस, अजय एन्क्लेव, नई दिल्ली 110018	श्री नितेश सहगल, श्री दिनेश सहगल, श्रीमती हर्षा सहगल, श्री उदित सहगल, मैसर्स ब्लू लग्जरी इंपेक्स प्रा. सभी: जी 9, साउथ एक्सटेंशन ।, नई दिल्ली और: जी–13, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110049, मैसर्स ब्लू लग्जरी इम्पैक्स प्रा. लि. श्रीमती वीना सहगल– ए1/234, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049	प्लॉट नं. एच–64 (छत के अधिकारों के साथ भूतल और प्रथम तल), साउथ एक्सटेंशन – ।, नई दिल्ली–110049 प्रत्येक तल का क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट संपत्ति पर एमसीडी की सील। दिल्ली उच्च न्यायालय में WP (C) 10098/2015 के आदेश के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम कमिश्नर, एसडीएमसी के नाम पर यह आयोजित किया गया है कि बिक्री अनधिकृत निर्माण को हटाने / उसी को नियमित करने और कब्जे वाले लंबित संपत्ति कर के भुगतान के अधीन होगी।	सांकेतिक कब्जा	रु. 31,11,68,858.81 (रु. इक्तीस करोड ग्यारह लाख अडसठ हजार आठ सौ अट्ठावन और पैसे इक्यासी मात्र)	रु. 350.00 लाख रु. 35.00 लाख रु. 1.00 लाख	24-03-2020 अर्प. 01.00 बजे से अर्प. 02.00 बजे तक	23.03.2020 अर्प. 05.00 बजे से पहले	10.03.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्प. 03.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिभूति लेनदार की वेबसाईट अर्थात www.unionbankofindia.co.in में दिए गए लिंक को देखें।

ई–नीलामी सेवा प्रदात्ता : मैसर्स 4 क्लोज़र, वेबः www.bankauctions.in हैल्पलाईन नं. 08142000062/66 (मो.) फोन: 040-23836405) सम्पर्क हेतु: श्री विकास 8142000809 ईमेल : vikas@bankauctions.in और info@bankauctions.in

इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई–नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारंटरों हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8(6) एवं नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना के रूप में समझा जाएगा।

दिनांक 15.02.2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली शाखा

कैंटर पलटने से दबा सवारियों से भरा ऑटो, दो की मौत

आगरा, 15 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना ताजगंज के अंतर्गत आगरा-फतेहाबाद मार्ग पर शनिवार सुबह साढ़े छह बजे एक कैंटर असंतुलित होकर एक आटो पर पलट गया, जिससे इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि मृतकों में एक की शिनाख्त लक्ष्मण के रूप में की गई है। वह जिले के पोखरियापुर का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि दूसरे की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मुंबई में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ महामोर्चा

मुंबई, 15 फरवरी (भाषा)। मुंबई के आजाद मैदान में शनिवार को उर्दू कवि फैज अहमद की लोकप्रिय कविता 'हम देखेंगे' के पाठ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के बीच बड़ी संख्या में महिलाओं समेत हजारों लोगों ने सीएए-एनआरसी-एनपीआर व्यवस्था के खिलाफ आह्वान दिया।

'नेशनल एलायंस एगेंस्ट द सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट (सीएए), प्रोपोज्ड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) व नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर)' की महाराष्ट्र इकाई ने इस 'महा-मोर्चा' प्रदर्शन का आयोजन किया था।

मुंबई के विभिन्न हिस्सों, उपनगरीय क्षेत्रों और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से लोग इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। तिरंगा लहराते हुए और सीएए-एनआरसी-एनपीआर की निंदा करने वाली तख्तियां अपने हाथों में लिए प्रदर्शनकारियों ने 'मोदी, शाह से आजादी' सीएए और एनआरसी से आजादी' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने यह कहते हुए दस्तावेज नहीं दिखाने का संकल्प लिया कि वे अनादि काल से भारत के नागरिक हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

ओ.ए. नं. 144/2019

इलाहाबाद बैंक — आवेदक

विरुद्ध

विनय अग्रवाल एवं अन्य — प्रतिवादीगण

डी-1 विनय अग्रवाल, 4ए, जेडी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली
डी-2 श्री रवि गुप्ता, एच-32/103, सैक्टर-03, भूतल, रोहिणी, दिल्ली-110085

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **17.03.2020 को पूर्वा. 10.30** बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर के साथ **23 दिसम्बर 2019**

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली

जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन : L65999DL1984PLC018035
पंजीकृत कार्यालय : 307, लूसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली-110033
वेबसाइट : www.jdsfinance.in, ई-मेल आईडी : info@jdsfinance.in
दूरभाष : 011-40424242, फैक्स : 011-40424200

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण
(ईपीएस को छोड़कर राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019	अब तक वर्ष 31.12.2019	समाप्त तिमाही 31.12.2018
1.	प्रचालनों से कुल आय	0.14	27.16	35.49
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	-3.71	-4.06	8.43
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	-3.71	-4.06	8.43
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	-3.71	-4.06	7.82
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	-3.71	-4.06	7.82
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	573.50	573.50	573.50
7.	गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरक्षियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर)	10.35	10.35	8.89
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)-			
	बेसिक :	-0.06	-0.07	0.14
	डाइल्यूटेड :	-0.06	-0.07	0.14

नोट : उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज तिमाही/नौमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) पर उपलब्ध है।

कृते जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
ह./-
राजेन्द्र
निदेशक
डीआईएन : 08591998

तिथि : 14.02.2020
स्थान : दिल्ली

DEE KARTAVYA FINANCE LIMITED
Regd. Off.: C/O. Mr. Nizamuddin, Abdul Zabbar, A-165/D1 Block - A, Sanjay Colony, Bhatti Mines Near Alu More, New Delhi, Delhi - 110074
Email ID : deekartavya@gmail.com, Website : www.deekartavya.in
CIN: L67190DL1990PLC039463, Telephone no.: 7449886236

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019
(Amount in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Nine Months Ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.12.2018 (Un-Audited)
Total income from operations (net)	24.88	54.50	21.89
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(20.29)	(142.26)	20.40
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(20.29)	(142.26)	20.40
Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(20.29)	(142.26)	20.40
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(20.29)	(142.26)	20.40
Equity Share Capital	2,413.50	2,413.50	2,413.50
Reserves (excuding Revalution Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per equity Share (of Rs. 10/each) (for continuing and discontinuing opretations)			
(a)Basic:	(0.08)	(0.59)	0.08
(b)Diluted:	(0.08)	(0.59)	0.08

Notes:
1. The above unaudited financial results for the quarter and year to date for the period from 1st April, 2019 to 31st December, 2019 have been reviewed by the Audit Commitee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th, February, 2020.
2. These unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards('IND AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
3. Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Result is available on the stock exchange websites and on the company's website www.deekartavya.in.

For DEE KARTAVYA FINANCE LIMITED
Sd/- NAVRATAN KALWANI
Director
DIN- 06661232

Place : Delhi
Date : 14.02.2020

DELTA LEASING AND FINANCE LMITED
CIN :L67120DL1983PLC016990
Registered Office: 55, F.I.E., Patparganj Industrial Area, Delhi-110092
Website: www.deltaleasing.in | E-mail: info@deltaleasing.in

PART I
STATEMENT OF UN- AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019
(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended: Current quarter ended 31.12.2019	Quarter ended: Corresponding 3 months ended in the Previous year ended on 31.12.2018	Year Ended: Nine Months Ended 31.03.2019
	Whether results are audited or unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations(net)	9.43	11.34	34.43
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.04	0.04	0.15
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.04	0.04	0.15
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.04	0.04	0.15
5	Paid up equity share capital	1160.23	1160.23	1160.23
6	Reserves(excluding Revaluation Reserve) (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	0.00	0.00	0.00
7	Earning Per Share before & after Extraordinary items (of Rs. 10/- each) Basic	0.00	0.00	0.00
	Diluted	0.00	0.00	0.00

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.deltaleasing.in).
3. Depreciation will be provided at the end of Financial Year 2019-20.
4. Above Unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and were considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14.02.2020.

For and on behalf of the Board of Directors
DELTA LEASING & FINANCE LIMITED
Sd/-
(Renu Jindal)
Managing Director
DIN: 01843439

Place: New Delhi
Date: February 14, 2020

KDDL LIMITED
ethos
(CIN : L33302HP1981PLC008123)
Regd. Office: Plot No. 3, Sector – III, Parwanoo, Distt. Solan - 173220 (H.P.)
Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax : +91 172 2548302
website: www.kddl.com, email id: investor.complaints@kddl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019
(Rs. in Lakhs except earnings per share)

S. No.	Particulars (Refer notes below)	Standalone: Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Standalone: Quarter ended 31 December 2018 (Unaudited)	Standalone: Year to Date figure for the current period ending 31 Dec. 2019 (Unaudited)	Consolidated: Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Consolidated: Quarter ended 31 December 2018 (Unaudited)	Consolidated: Year to Date figure for the current period ending 31 Dec. 2019 (Unaudited)
1	Total income from operations	4340	4358	14399	20655	17300	52062
2	Net Profit for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	226	490	1246	814	1937	1011
3	Net Profit for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	226	490	1246	814	1937	1011
4	Net Profit for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	158	325	864	440	1196	316
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)]	144	308	824	433	1124	338
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1164	1163	1164	1164	1163	1164
7	Earnings per share (of Rs 10/- each) (not annualized): (a) Basic (Rs)	1.36	2.80	7.43	2.73	8.34	2.39
	(b) Diluted (Rs)	1.36	2.80	7.43	2.73	8.32	2.38

Notes :-
1. Standalone Financial Result : The Company has adopted IND AS 116 "Leases" effective from April 01, 2019 (transition date), using the modified retrospective method has also elected not to apply the requirements of Ind AS 116 to short term leases and to leases for which underlying asset is of low value. The Company has recognised Right-of-use asset (ROU) at an amount equivalent to the lease liability of INR 870 lakhs, INR 40 lakhs net investment in sub lease of Right to use assets and reclassification of leasehold land amounting to INR 561 lakhs and current/non-current assets for INR 18 lakhs in the standalone unaudited financial results. Consequently, there has been no adjustment to the opening balance of retained earnings as at April 01, 2019 and thereafter. Accordingly, the comparatives for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. In the statement of profit and loss for the current period, operating lease expenses has changed from rent to depreciation cost for the right of use assets and finance cost for interest accrued on lease liability. Accordingly, the results for the quarter ended December 31, 2019, September 30, 2019 and the nine months period ended December 31, 2019 include INR 65 lakhs, INR 65 lakhs and INR 199 lakhs respectively towards depreciation of Right to Use Assets and INR 23 lakhs, INR 27 lakhs and INR 78 lakhs respectively as finance cost in relation to unwinding of discount on lease liability with a corresponding impact on rent expense which has reduced by INR 71 lakhs, INR 79 lakhs and INR 226 lakhs respectively due to recognition of operating leases as Right of Use Assets and a corresponding lease liability. The net impact on profit before tax for the quarter ended December 31, 2019, September 30, 2019 and the nine months ended December 31, 2019 is INR 17 lakhs, INR 13 lakhs and INR 51 lakhs respectively and related impact on earnings/(loss) per share is INR (0.10), INR (0.09) and INR (0.31) respectively (Basic and diluted).
2. Consolidated Financial Result : The Group has adopted IND AS 116 Leases" effective from April 1, 2019 (transition date), using the modified retrospective method has also elected not to apply the requirements of Ind AS 116 to short term leases and to leases for which underlying asset is of low value. The Group has recognised Right-of-use asset (ROU) at an amount equivalent to the lease liability of Rs. 12872 lakhs and reclassification of leasehold land and current/non-current assets for Rs. 1086 lakhs in the consolidated unaudited financial results. Consequently, there has been no adjustment to the opening balance of retained earnings as at 1 April 2019 and thereafter. Accordingly, the comparatives for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. In the statement of profit and loss for the current period, operating lease expenses has changed from rent to depreciation cost for the right of use assets and finance cost for interest accrued on lease liability. Accordingly, the results for the quarter ended December 31, 2019, September 30, 2019 and the nine months period December 31, 2019 include Rs. 811 lakhs, Rs. 782 lakhs and Rs. 2295 lakhs respectively towards depreciation of Right to Use Assets and Rs 326 lakhs, Rs. 294 lakhs and Rs. 857 lakhs respectively as finance cost in relation to unwinding of discount on lease liability with a corresponding impact on rent expense which has reduced by Rs. 955 lakhs, Rs. 809 and Rs. 2556 lakhs respectively due to recognition of operating leases as Right-of-Use Assets and a corresponding lease liability. The net impact on profit before tax for the quarter ended December 31, 2019, September 30, 2019 and nine months ended December 31, 2019 is Rs 182 lakhs, Rs. 287 lakhs and Rs. 596 lakhs respectively and related impact on earnings per share is Re 0.87, Rs. 1.27 and Rs 2.86 per share respectively (Basic and diluted). The Joint venture of the Group Pasadena Retail Private Limited has adopted IND AS 116 "Leases" and the proportionate impact, which is not material, included on account of consolidation of Joint Venture.
3. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14 February 2020. The unaudited financial results for the current quarter and nine months ended 31 December 2019 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.
4. The above is the extract of the detailed format of Unaudited quarterly & nine months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited quarterly and nine months ended 31st December 2019 are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the company's website www.kddl.com

For and on the behalf of Board of Directors
Yashovardhan Saboo
(Chairman and Managing Director)
DIN-00012158

Place : Chandigarh
Date : 14 February 2020

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड
CIN:L74899DL1995PLC064007
पंजी. कार्यालय : 125, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली
ई.मेल : grmrice1@gmail.com | वेबसाईट : www.grmrice.com | फोन नं. - 011-47330330 | फैक्स : 011-0180-2653673

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित तथा स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 47 (1) (ख) के अनुसार
(राशि लाखों में)

क्रम सं	विवरण	स्टैण्डएलॉन: समाप्त तिमाही दिसंबर 31, 2019 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन: समाप्त तिमाही दिसंबर 31, 2018 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन: समाप्त अवधि दिसंबर 31, 2019 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन: समाप्त वार्षिक मार्च 31, 2019 (अंकेक्षित)	समेकित: समाप्त तिमाही दिसंबर 31, 2019 (अनंकेक्षित)	समेकित: समाप्त तिमाही दिसंबर 31, 2018 (अनंकेक्षित)	समेकित: समाप्त अवधि दिसंबर 31, 2019 (अनंकेक्षित)	समेकित: समाप्त वार्षिक मार्च 31, 2019 (अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	10,869.88	20,527.97	56,478.65	107,063.06	11,013.62	21,359.56	56,993.94	110,905.03
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	512.93	615.70	1,845.10	2,511.54	605.48	544.89	1,488.51	1,793.25
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदों के बाद)	512.93	615.70	1,845.10	2,511.54	605.48	544.89	1,488.51	1,793.25
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदों के बाद)	383.00	339.68	1,378.46	1,624.54	475.55	268.87	1,021.87	907.39
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर से बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)]	383.00	339.68	1,378.46	1,624.54	475.55	268.87	1,021.87	907.39
6	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु 10/- प्रति)	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95
7	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-	6,213.41	-	-	-	5,212.54
8	आय प्रति शेयर (रु 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1.) बेसिक	10.38	9.21	37.36	44.03	12.89	7.29	27.70	24.59
	2.) डायल्यूटिड	10.38	9.21	37.36	44.03	12.89	7.29	27.70	24.59

नोट:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही / वार्षिक वित्तीयपरिणामों का सम्पूर्ण विवरण विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com कंपनी की वेबसाईट www.grmrice.com पर उपलब्ध है।

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
अतुल गर्ग
प्रबंध निदेशक
DIN-: 02380612

तिथि : 15.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

रजिस्टर्ड एडी एवं दस्ती एवं सम्पत्ति पर तथा डीआरटी परिसर के सूचना पट पर चस्पा करना एवं ढोल पीटना एवं समाचार पत्र में प्रकाशन

ऋण वसूली अधिकारी-।। का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण -।।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आरसी सं. 23/2019 — दिनांकित : 17-01-2020

साउथ इंडियन बैंक बनाम सतविन्दर कौर एवं अन्य

आदेश

मेरे आदेश दिनांकित 17-01-2020 के अनुसार "साउथ इंडियन बैंक बनाम सतविन्दर कौर" के मामले में निम्नलिखित सम्पत्ति ई-नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी। नीलामी बिक्री वेबसाइट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि और समय : 20-03-2020 अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बिड के मामले में स्वत: विस्तार क्लॉज के साथ, यदि अपेक्षित है)।

क्र. सं.	सम्पत्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य/ईएमडी
1	मकान नंबर जी-1/1, प्रथम तल, छत का अधिकार नहीं, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली	रू. 17,00,000/- ईएमडी : रू. 1,70,000/-

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी/बोलीदान वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बोलीदान में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पर्याप्त अग्रिम में पंजीकरण करवा कर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर लेना चाहिए। यह केवल तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब आवश्यक धरोहर राशि जमा निर्धारित तिथि में जमा कर दी गई हो।
3. ईएमडी **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में आहरित डीडी/पे आर्डर** के माध्यम से **वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पास **18-03-2020** तक जमा करनी होगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर ई-नीलामी में प्रतिभागिता हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
4. ईएमडी जमा करने पर पैन कार्ड, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर तथा तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे स्वयं अपनी ओर से बोली दे रहे हैं अथवा अपने प्रधान की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में उनको अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा अन्यथा उनकी बोली अस्वीकार्य होगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जमा करनी होगी अथवा कम्पनी के प्रतिनिधित्व/प्राधिकार पुष्टिकारी दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी और उसकी रसीद/प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त हो जाना चाहिए तथा उसकी हार्ड कॉपी इस न्यायाधिकरण में उक्त तिथि तक जमा करनी होगी।
5. प्रत्याशित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मैसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि. उद्योग विहार फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, गुरुग्राम, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन नंबर +91-124-4302020/21/22/23/24, मोबाइल : 09813887931, ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com** से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

5क. **किसी संदेह निवारण एवं सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-।।।, दिल्ली** के वसूली प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकते हैं।

6. संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले बिक्री के नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.bankeauctions.com ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
7. सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. बोलीदाता अपनी बोली **रू. 50,000/-** के गुणज में बढ़ाएंगे।
9. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जाएगी।
10. सफल बोलीदाता को **बिक्री प्राप्तियों की 25 प्रतिशत राशि**, ईएमडी का समायोजन करने के पश्चात, का भुगतान बोली उसके पक्ष में छूटने पर अगले दिन यानी **अप. 3.00 बजे तक उक्त खाते में ऊपर पैरा 3 में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी।** अगला दिन अवकाश दिवस या रविवार होने की स्थिति में अगले पहले कार्यदिवस को जमा करनी होगी।
11. सफल उच्चतम बोलीदाता को **अंतिम बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि**, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष, सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि **15वां दिन रविवार या अवकाश** है तब 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस को ऊपर पैरा में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त रू. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1000 से अधिक ऐसी सकल राशि पर 1 प्रतिशत की दर पर निरोध-शुल्क **रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पक्ष में डीडी के माध्यम से **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।** के पास जमा करना होगा।
12. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, जमा राशि, बिक्री संबंधी व्यय चुकाने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त राशि अथवा उसके किसी भी अंश पर सभी दावे जब्त माने जाएंगे। सम्पत्ति की बिक्री तत्संबंधी घोषणा जारी करने के बाद नए सिरे से की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को उसकी अंतिम बोली तथा अनुवर्ती बिक्री मूल्य के बीच अंतर की पूर्ति भी करनी होगी।
13. वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को अथवा उससे पहले डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में एक आवेदन अपनी पहचान के प्रमाण के साथ जमा करें, उनकी ईएमडी आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि/अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी।
15. सीएच बैंक को ई-नीलामी सूचना, जिस स्थान पर सम्पत्ति स्थित है तथा सीडीज निवास करते या लाभ हेतु कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में पर्याप्त प्रसार वाले अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। सीएच बैंक को नीलामी की तिथि तक पर्चे बंटवाकर तथा ढोल पिटवा कर व्यापक प्रचार भी करना होगा और इस न्यायाधिकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
16. सीएच बैंक के काउन्सिल को यहां ऊपर लिए पैरा की सत्यता प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है।

मामला बिक्री उद्घोषणा सूचना की तामील और भावी कार्यवाही का शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु **02-03-2020** हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

दस्ती

(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी-।।
डीआरटी-।।।, दिल्ली

ऋण वसूली अधिकारी-।। का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण -।।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आरसी सं. 23/2019 — दिनांकित : 17-01-2020

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

साउथ इंडियन बैंक बनाम सतविन्दर कौर एवं अन्य

सीडी सं. 1 : सुश्री सतविन्दर कौर पत्नी श्री राजिन्दर सिंह, मकान नंबर 66-67, पाकेट सी-2, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली। अन्य पता : प्लॉट नंबर 1, प्रथम तल, पाकेट जी-1, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली। अन्य पता : मकान नंबर 944/62, लेखू नगर, त्रि नगर, दिल्ली, अन्य पता : सी-3/66, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली।

सीडी सं. 2 : श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री वरण सिंह, मकान नंबर 66-67, पाकेट सी-2, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली। अन्य पता : प्लॉट नंबर 1, प्रथम तल, पाकेट जी-1, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली। अन्य पता : मकान नंबर 944/62, लेखू नगर, त्रि नगर, दिल्ली, अन्य पता : सी-3/66, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली।

सीडी सं. 3 : श्री राजीव गोयल पुत्र श्री भगवत प्रसाद गोयल, 2942/218, त्रि नगर, दिल्ली, अन्य पता : प्रथम तल, पाकेट जी-1, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली।

जबकि आप पीठ अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा **ओ.ए. सं. 62/2012/डीआरटी-।।।, दिल्ली दिनांकित 03-01-2019** में आहरित वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय **रू. 12,88,299/- (रूपए बारह लाख अठासी हजार दो सौ निन्यानवे मात्र)** की राशि वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय लागतों सहित चुकाने में असफल रहे हैं।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है।

और **जबकि रू. 12,88,299/- (रूपए बारह लाख अठासी हजार दो सौ निन्यानवे मात्र)** की राशि उस पर ओए दाखिल की जाने की तिथि अर्थात 31-01-2012 से इसकी पूर्ण वसूली तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज एवं अनुषंगी खर्चों सहित आप/सीडीज के विरुद्ध संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से बकाया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में, **उक्त सम्पत्ति 20-03-2020 को अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे** के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने की स्थिति में स्वत: विस्तार क्लॉज सहित, यदि अपेक्षित है) **ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदान : मैसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि. उद्योग विहार फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, गुरुग्राम, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन नंबर +91-124-4302020/21/22/23/24, मोबाइल : 09813887931, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोलीदान" होगा।**

किसी संदेह निवारण एवं सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-।।।, दिल्ली के वसूली प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त नामक प्रतिवादी की जिस सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी, उसका वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति की देयताओं तथा जब्ती दावों, जिनका अभी तक अभिनिश्चयन किया गया है, अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने वर्णित अनुसार हैं।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार लॉटस में रखी जाएगी। यदि वसूल की जाने वाली राशि सम्पत्ति के एक भाग की बिक्री से प्राप्त हो जाती है तब शेष भाग की बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। यह बिक्री तब भी रोक दी जाएगी, यदि नीलामी से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में बकाया राशि, मय ब्याज (बिक्री की लागत सहित) नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रमाणपत्र की राशि मय ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को अदा कर दी गई है।

बिक्री से संबंधित कोई ड्यूटी करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

1. सुरक्षित मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी :

क्र.सं.	सम्पत्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य/ईएमडी
1	मकान नंबर जी-1/1, प्रथम तल, छत का अधिकार नहीं, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली	रू. 17,00,000/- ईएमडी : रू. 1,70,000/-

2. बोली कम से कम **रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र)** बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. उपरिवर्णित ईएमडी **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के रूप में वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पास 18-03-2020 तक सीलबंद लिफाफे** में जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी ई-नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।
5. पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपनी स्वयं की ओर से अथवा अपने प्रधानों की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में, उन्हें प्राधिकारपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चूक करने पर उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और ऐसी जमा की रसीद/प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा या अन्य प्रकार से उक्त तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, नई दिल्ली को दी जाएगी।
6. असफल बोलीदाता/ओं को अपनी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की नियत तिथि को या पूर्व डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में एक आवेदन पहचान के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा, ईएमडी तदनुसार आरसी की सुनवाई की नियत तिथि/अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी।
7. सफल बोलीदाता को अपनी **अंतिम बोली की 25 प्रतिशत राशि**, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात **अप. 03.00 बजे तक उक्त खाते में ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी।**
8. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व** जमा करनी होगी। **यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है**, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को **रू. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर पर निरोध शुल्क** रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पास जमा करना होगा।
9. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त मान्य होंगे। सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को उसकी अंतिम बोली तथा अनुवर्ती बिक्री मूल्य के बीच अंतर की पूर्ति भी करनी होगी।
10. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाई जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

संपत्ति का विवरण

संख्या	बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन सह-स्वामियों के नाम सहित यदि सम्पत्ति चूककर्ता और सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	सम्पत्ति के बाबत पेश किया गया कोई दावा तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जो सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को प्रभावित करता है।
1	मकान नंबर जी-1/1, प्रथम तल, छत का अधिकार नहीं, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली	कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई		

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक **17 जनवरी, 2020** को दिया गया।

(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली

आदिवासी भारत के मूल निवासी, संस्कृति कायम रखना हमारा कर्तव्य : नायडू

मंडला (मप्र), 15 फरवरी (भाषा)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंडला जिले के रामनगर में शनिवार को कहा कि भारत के मूल निवासी आदिवासी ही हैं और जनजातीय संस्कृति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। नायडू मंडला जिले के ऐतिहासिक स्थल रामनगर में दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, 'भारत के मूल निवासी आदिवासी ही हैं। आदिवासी संस्कृति को बनाए रखना और जनजातियों का विकास करना हमारा कर्तव्य है और यह हमारा संवैधानिक दायित्व भी है।' उन्होंने कहा कि आदिवासियों से हमें प्रकृति के साथ जीवनयापन करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

नायडू ने कहा कि गोंडवाना साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहर रामनगर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने और उससे युवाओं को परिचित कराने के लिए आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह एक अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से आदिवासी शिल्प, संगीत, कला व संस्कृति आदि का प्रदर्शन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफी नहीं है, इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए।

कार्यालय रिकवरी अधिकारी-II ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 352/2018 — दिनांक : 05.02.2020

बिक्री उद्घोषणा

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

इण्डियन ओवरसीज बैंक बनाम मैसर्स श्री हरि ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

सीडी सं. 1. मैसर्स श्री हरि ओवरसीज प्रा.लि., 783, देशबन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी सं. 2. सुश्री पल्लवी गुप्ता, डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
साथ ही : यूनिट सं. जी-24, भूतल, एनडीएम-2, बिल्डिंग, प्लॉट सं. 1, 2, 3 वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034
सीडी सं. 3. श्री आलोक गुप्ता, यूनिट सं. 504, 5वीं मंजिल, केएलजी टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034
सीडी सं. 4. श्री दीपक गुप्ता, डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
सीडी सं. 5. सुश्री शारदा गुप्ता, डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
सीडी सं. 6. श्री सत प्रकाश मित्तल (मृत) डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036, इसके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से
(अ) श्रीमती शारदा गुप्ता (पत्नी) डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
(ब) श्री दीपक गुप्ता (पुत्र) डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
(स) श्रीमती सुनीता गुप्ता (पुत्री) डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
(द) श्रीमती मोनल गुप्ता (पुत्री) 136, इंजीनियर्स एन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
(य) श्रीमति अल्का गुप्ता (पुत्री) डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
(फ) श्रीमति रेनु गुप्ता (पुत्री) डीयू-97, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110036
सीडी सं. 7. मैसर्स जोश इन्फ्राटेक प्रा.लि., 607, सचदेवा कॉर्पोरेट टॉवर, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
सीडी सं. 8. मैसर्स शिरडी वाले साई एक्जिम प्रा.लि., 4/67, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी सं. 9. आदित्य मीडिया नेटवर्क प्रा.लि., 401, अग्रवाल कॉर्पोरेट हाइट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
सीडी सं. 10. जोश एग्रोजेट सर्विसेज प्रा.लि., 401, अग्रवाल कॉर्पोरेट हाइट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा निर्गत ओए नं. 708/2016/डीआरटी-III, दिल्ली दिनांक 31.08.2016वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 21,45,67,056/- (**रुपये इक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार छप्पन मात्र**) तथा ब्याज एवं देय लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि ओए दर्ज करने की तिथि अर्थात 31.08.2016 से आकस्मिक व्ययों तथा उस पर 12% वार्षिक की दर से भावी ब्याज सहित आप/सीडी से संयुक्त तथा एकमात्र रूप से पूरी वसूली तक रु. 21,45,67,056/- (**रुपये इक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार छप्पन मात्र**) बकाया हो गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 21.03.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हुआ बन्द होने के पूर्व अन्तिम 5 मिनटों में स्वतः विस्तार उपबन्ध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा बोली मै. सी1 इण्डिया प्रा.लि. उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, भवन सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा-122015, हेल्पलाइन नं.+91-124-4302020/21/22/23/24, मोबाइल - 09813887931, ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com**, द्वारा "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। अधिक विवरण के लिए डीआरटी-III, दिल्ली के वसूली प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें।

यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसका बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा.
1	सम्पत्ति सं. जी-24, भूतल, एनडीएम-2 बिल्डिंग, प्लॉट सं. डी-1,2,3 वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034	रु.1,26,00,000/- ज.ध.रा. रु.12,60,000/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली चढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (**रुपए एक लाख मात्र**) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना अव्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ऊपर उल्लिखित ईएमडी का भुगतान 19.03.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे ऑर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा इसमें चूक करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी। कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी मूल कॉपी, रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल संविदाकार/रों को अपनी ज.ध.रा. की वापसी हेतु आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी-III, की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाणपत्र सहित आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/ आगामी तिथि पर वापस कर दिया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में विक्रय के व्यय को अदा करने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो जमा धनराशि सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता क्रेता का सम्पत्ति अथवा जमा की राशि पर सभी प्रकार का दावा समाप्त हो जायेगा। बिक्री की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अन्तिम संविदा तथा बाद में बिक्रीत राशि के मूल्य के बीच किसी कमी या अन्तर को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लॉट सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर परिगणित राजस्व	ऐसे किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सम्पत्ति सं. जी-24, भूतल, एनडीएम-2 बिल्डिंग, प्लॉट सं. डी-1,2,3 वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034	अज्ञात	अज्ञात	मॉल प्राधिकरणों का बकाया रु. 12 लाख (लगभग) है

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर फरवरी की इस तिथि, 2020 को दी गई।

(विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

RATHI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : A-24/6, Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road New Delhi - 110044
CIN:- L74899DL1991PLC046570

Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2019

Rs. in Cr.

S. No.	Particulars	Quarter ending 31-12-2019 Unaudited	Nine Months ending 31-12-2019 Unaudited	Quarter ended 31-12-2018 Unaudited
1.	Total income from operations	130.22	524.40	228.97
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.14	2.40	1.72
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.14	2.40	1.72
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.91	1.91	1.36
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	0.91	1.91	1.36
6.	Equity Share Capital	6.46	6.46	6.46
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	a. Basic (Rs.)	1.41	2.95	2.11
	b. Diluted (Rs.)	1.41	2.95	2.11

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.msei.in and on Company's Website: rathistelmax.com.

By Order of the Board
For Rathi Industries Limited
Sd/-
Sangram Singh
Whole Time Director
DIN: 01188132

Date: 14.02.2020
Place: Delhi

SOUTHERN INFOSYS LIMITED

CIN: L67120DL1994PLC059994
Reg. office: 402-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Ph. :011-43045402 E-mail: southerninfosys@gmail.com Web: www.southerninfosys.com
Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results For The Quarter Ended 31st ,December, 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Standalone Quarter Ended 31.12.2019 (unaudited)	Standalone Quarter Ended 30.09.2019 (unaudited)	Standalone Quarter Ended 31.12.2018 (unaudited)	Standalone Nine Month Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended 31.12.2019 (unaudited)	Consolidated Quarter Ended 30.09.2019 (unaudited)	Consolidated Quarter Ended 31.12.2018 (unaudited)	Consolidated Nine Month Ended 31.12.2019 (Unaudited)
Total income from operations (net)	164.47	74.75	263.44	348.75	164.47	74.75	263.44	348.75
Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.76	(3.64)	2.42	(0.66)	1.76	(3.64)	2.42	(0.66)
Net Profit/ (loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.60	(3.55)	2.09	(0.92)	1.60	(3.55)	2.09	(0.92)
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1.60	(3.55)	2.09	(0.92)	2.03	(3.47)	2.11	1.01
Equity Share Capital	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet	-	-	-	-	-	-	-	-
Earning Per share (of Rs 10/- each) or continuing and discontinued operations								
Basic:	0.03	(0.07)	0.04	(0.02)	0.04	(0.07)	0.04	0.02
Diluted:	0.03	(0.07)	0.04	(0.02)	0.04	(0.07)	0.04	0.02

Notes:
1. The unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on 14th February, 2020.
2. The statutory auditors have carried out limited review of the above financial result for the quarter ended 31.12.2019.
3. The above is an extract of the detailed format of the standalone & consolidated unaudited financial results for the quarter ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on Stock Exchange website (www.bse.com) and Company's website (www.southerninfosys.com).
4. The above results are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind As) notified under The Companies Act, 2013

For Southern Infosys Limited
Sd/-
Rakesh Mohan Sharma
Director
DIN : 02459885

Place: New Delhi
Date: 14.02.2020

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली मैट्रो क्षेत्र-III, प्लॉट नं. 19 और 31, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / भौतिक कब्जा, (नीचे वर्णित संपत्ति के अनुसार) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स का प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **20.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / मांग सूचना की तारीख के अनुसार बकाया राशि + भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नं.
1	नोएडा सैक्टर - 63	श्रीमती नीलम पत्नी पीयूष गहलौत श्री पीयूष गहलौत पुत्र सुरिंदर सिंह	रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. 1604, 16वां तल, टॉवर बी, सुपरटेक, लिविंगस्टोन, प्लॉट नं. जीएच-6, क्रासिंग रिपब्लिक, एनएच-24, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नीलम पत्नी पीयूष गहलौत के नाम पर है। सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।	01-10-2019 रु. 29,61,074.75 दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 30,28,000/- ₹ 3,02,800/- ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
2	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्रीमती दीपलक्ष्मी एस मतवंकर पत्नी श्री यतिन ए देशमुख 2) श्री यतिन ए देशमुख पुत्र श्री अशोक डी देशमुख	फ्लैट नं. सी-1902, ब्लॉक सी, 19वां तल, बिना छत के अधिकार, क्षेत्रफल 1080 वर्ग फीट "सीएएसए वुडस्टॉक" गौर सिटी - 2, प्लॉट नं. जीएच-3ई, सैक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट जीबी नगर, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती दीपलक्ष्मी एस मतवंकर पत्नी श्री यतिन ए देशमुख और श्री यतिन ए देशमुख पुत्र श्री अशोक डी देशमुख के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	10-09-2018 रु. 20,08,842.71 दिनांक 01.09.2018 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 27,03,000/- ₹ 2,73,030/- ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name : The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
3	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्री मनोज कुमार राम पुत्र श्री राजेंद्र राम 2) श्रीमती मीना देवी पत्नी मनोज कुमार राम	फ्लैट नं. 151जी भूतल, ब्लॉक गुलमोहर ईस्टेट, सैक्टर-पाई-01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मनोज कुमार राम पुत्र श्री राजेन्द्र राम के नाम पर है भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	02-09-2019 रु. 20,60,849.70 दिनांक 01.09.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 17,12,761.05 ₹ 1,71,276.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
4	नोएडा सैक्टर - 63	1) अक्षय कुमार पुत्र विक्रम शर्मा 2) श्रीमती रेखा देवी पत्नी विक्रम शर्मा	फ्लैट नं. 1209, द्वितीय तल, ब्लॉक - ए, सैक्टर-म्यू- II, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अक्षय कुमार पुत्र विक्रम शर्मा के और श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री विक्रम शर्मा के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	01-11-2019 रु. 19,60,553.70 दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 17,56,684.80 ₹ 1,75,668.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name : The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
5	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्री क्रिशन कुमार पुत्र बृजपाल सिंह 2) श्रीमती मीनू पत्नी कृष्ण कुमार	फ्लेट भूतल, फ्लैट नं. 135, ब्लॉक बी, सैक्टर ओमिक्रॉन-01, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कृष्ण कुमार पुत्र बृजपाल सिंह और श्रीमती मीनू पत्नी कृष्ण कुमार के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	01-10-2019 रु. 13,59,474.00 दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 12,29,686.50 ₹ 1,22,968.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
6	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्री सुरेश साहनी पुत्र हृदय साहनी 2) श्रीमती रामसखी देवी पत्नी सुरेश साहनी	तृतीय तल, फ्लैट नं. 1295, ब्लॉक-ए, सैक्टर-एमयू- II, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी-201308 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुरेश साहनी पुत्र हृदय साहनी के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	02-09-2019 रु. 21,62,408.00 दिनांक 01.09.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 15,73,696.80 ₹ 1,57,369.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
7	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्रीमती संजना यादव पत्नी श्री सुनील यदुवंशी 2) श्री सुनील यदुवंशी पुत्र श्री विनोद यदुवंशी	फ्लैट नं. 351-जी, भूतल, ब्लॉक-जी (गुलमोहर स्टेट) सैक्टर-पाई-01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती संजना यादव पत्नी श्री सुनिल यदुवंशी के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	01-11-2019 रु. 31,40,704.98 दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 16,10,294.40 ₹ 1,61,029.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
8	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्री कमल दीक्षित पुत्र नौरंगी लाल दीक्षित 2) श्रीमती खुशबू दीक्षित पत्नी कमल दीक्षित	फ्लैट नं. 463-जी, भूतल, ब्लॉक-जी (गुलमोहर स्टेट) सैक्टर-पाई-01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कमल दीक्षित पुत्र नौरंगी लाल दीक्षित और श्रीमती खुशबू दीक्षित पत्नी श्री कमल दीक्षित के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	01-11-2019 रु. 22,39,664.89 दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 17,20,087.20 ₹ 1,72,008.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
9	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्री राहुल कुमार पुत्र बिराजपाल सिंह 2) श्रीमती कोमल पत्नी राहुल कुमार	फ्लैट श्रमिक कुंज, प्रथम तल, फ्लैट न. 511-बी, ब्लॉक-एसके, सैक्टर-122, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री राहुल कुमार पुत्र बृजपाल सिंह और श्रीमती कोमल पत्नी राहुल कुमार के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	01-10-2019 रु. 13,28,127.00 दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 7,74,000.00 ₹ 77,400.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317
10	नोएडा सैक्टर - 63	1) श्री रमेश पुत्र हुकम सिंह 2) श्रीमती मंजू देवी पत्नी रमेश	फ्लैट न. 507-ए, भूतल, एन.डी.ए फ्लैट, ब्लॉक-एसके, सैक्टर-122, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रमेश पुत्र हुकम सिंह और श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री रमेश के नाम पर है। भौतिक कब्जा बैंक के पास है।	02-09-2019 रु. 11,01,708.01 दिनांक 01.09.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस प्रभार	₹ 10,60,000.00 ₹ 1,06,000.00 ₹ 10,000/-	20.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c No: 717800301000274 IFSC : VIJB0007178 Name :The Authorized Officer E-Auction	रवि भल्ला 9148669317

धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 19.03.2020

नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक अर्थात **https://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm** को देखें और पोर्टल: **https://bob.auctiontiger.net**

दिनांक : 15-02-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1.	28142100002691	सुखविन्दर कौर	24 एवं 25 फरवरी, 2020 श्री जीतेन्दर कुमार टेलीफोन नं.: 9034001426/9034001473 डीसीबी बैंक लिमिटेड, गुरू टावर्स, डीएवी स्कूल के सामने, एनएच-65, अम्बाला रोड, पहोबा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा, डीएबी स्कूल के सामने-136128
2.	28142100002714	राहुल शर्मा	
3.	28142100002820	हरि नारायण	
4.	28142100001809	हरि नारायण	
5.	28142100002547	हरि नारायण	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता डीसीबी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को सेंट्रल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी। यदि नीलामी की निर्दिष्ट तिथि को स्वर्णाभूषणों की नीलामी पूरी नहीं होती है तो गिरवी स्वर्णाभूषणों की आगे कोई भी सूचना दिये बिना परवर्ती किसी भी 7 दिनों में बिक्री की जायेगी। डीसीबी बैंक द्वारा उसकी एकाकी इच्छा पर नीलामी के नियमों एवं शर्तों में संशोधन की जा सकती है। नीलामी में भागीदारी तथा बोली की स्वीकृति डीसीबी की एकाकी इच्छा के अधीन होगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

तिथिः 16.2.2020
स्थानः पहोवा

PASUPATI FINCAP LIMITED

Regd. Office : Village Kapriwas (Dharuhera) Distt. Rewari, Haryana
Head Office : 127-128, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065
STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER 2019.

Rs. in Lacs except EPS

PARTICULARS	3 months ended 31-Dec-19 Reviewed	3 months ended 30-Sep-19 Reviewed	3 months ended 31-Dec-18 Reviewed	9 months ended 31-Dec-19 Reviewed	9 months ended 31-Dec-18 Reviewed	12 months ended 31-Mar-19 Audited
Total income from operations(net)	-	-	-	-	-	0.27
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(0.01)	(0.01)	-	(0.02)	(0.19)	0.14
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(0.01)	(0.01)	-	(0.02)	(0.19)	0.14
Net Profit/Loss for the period after tax(after Exceptional items)	(0.01)	(0.01)	-	(0.02)	(0.19)	0.14
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	-	-	-	-
Equity Share Capital	470	470	470	470	470	470
Reserve excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous year						(441.37)
Earning Per Share (for continuing and discontinued operations) (before exceptional items) (of Rs. 10 each) (not annualised)						
a) Basic	-	-	-	-	-	-
b) Diluted	-	-	-	-	-	-
Earning Per Share (for continuing and discontinued operations) (after exceptional items) (of Rs. 10 each) (not annualised)						
a) Basic - Rs.	-	-	-	-	-	-
b) Diluted - Rs.	-	-	-	-	-	-

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websited of the Bombay Stock Exchange and listed entity.
2. The above results have been considered by the audit committee at its meeting held on 13th February 2020 and by the Board of Directors at its meeting held on 13th February 2020.

For Pasupati Fincap Ltd
Sd/-
Vidit Jain
Director

Place: New Delhi
Date February 13, 2020

www.readwhere.com

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

ओ.ए. नं. 778/2019 के मामले में

बैंक ऑफ बड़ौदा — **आवेदक**

विरूद्ध

श्री अश्वनी कुमार एवं अन्य — **प्रतिवादीगण**

सेवा में,
डी–3 मैसर्स अम्रपाली स्मार्ट सिटी डेवलपर्स प्रा. लि. इसके प्रबंध निर्देशक/प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से पंजीकृत कार्यालय : 307, तीसरा तल, निपुन टावर, प्लॉट नं. 15, कम्यूनिटि सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110092

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **18.03.2020 को पूर्वा. 10.30** बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर के साथ **26 दिसम्बर 2019**

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः घोण्डा गाँव, पो.ऑ. मौजपुर, नई दिल्ली–110053

कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा शाखा, दिल्ली–110053,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **02/08/2019** जारी की थी जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री फैज मोहम्मद एवं श्रीमती अफ्कारा,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.41,57,784/– (इकतालिस लाख सतावन हजार सात सौ चौरासी रूपये मात्र) 02.08.2019 को,** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर 02.08.2019 से भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 12 फरवरी, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार/गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.41,57,784/– (इकतालिस लाख सतावन हजार सात सौ चौरासी रूपये मात्र) 02.08.2019 को** एवं 02.08.2019 से भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा शाखा, दिल्ली–110053** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि पर निर्मित सम्पत्ति पर बनाया गया क्षेत्र परिमाप 100 वर्ग गज, सम्पत्ति असर सं.डी–1090, खसरा सं. 76 का भाग, चाहे जो भी हो, और आखिरी मंजिला तक के निर्माण के अधिकार के साथ, गाँव बाबरपुर, गली नंबर 3 के आबादी में, कबीर नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110053 जो घिरा है:–

उत्तरः गली — **दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति**
पूर्वः अन्य की सम्पत्ति — **पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति**

स्थानः दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 12.02.2020 — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
7 वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055.

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

[illegible]

ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारी/सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	माग सूचना की राशि व तिथि	कब्जा की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्तियों का विवरण
20829794	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible]	[illegible]	[illegible] 2020	[illegible]

स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा
तिथि : 15.02.2020

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए
(अयान भट्टाचार्य)
प्राधिकृत अधिकारी

सम्पर्क स्थानः 7 वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, सम्पर्क नं.7290010751

DECCAN HEALTHCARE LIMITED
CIN: L72200TG1996PLC024351, Estd: 1996
Registered Office: 247, 2nd Floor, Dwarakapuri Colony Punjagutta, Hyderabad – 500 082, Telangana, India.
E-mail: info@deccanhealthcare.co.in; Tel.: 040-40144508
Website: www.deccanhealthcare.co.in; www.beyoungstore.com

Members are hereby informed pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') and Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, Deccan Health Care Limited **('the Company')** seeks their approval by way of Postal Ballot in respect of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated Monday, February 10, 2020. The Company has on Saturday, February 15, 2020 completed dispatch of Postal Ballot Notice, along with Postal Ballot Form to all the members whose name appears in Register of members / List of Beneficial Owners as on Friday, February 7, 2020 **('Cut-off Date')**. The Postal Ballot notices are sent a) through electronic mail to the shareholders whose email IDs are registered With Depository Participants/ the Company's Registrar and Transfer Agent and through b) physical mode, along with postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope whose email ID's are not registered. Ms. Monika Bhatia, Membership Number- 10397, Proprietor of M/s M. R. Bhatia & Co, Ahmedabad, Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Voting.

In this regard, the Members are hereby notified that:

a. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on Cut-Off Date i.e. Friday, February 7, 2020 only shall be entitled to avail the facility to vote through postal ballot. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.
b. Voting shall commence from 9.00 am (IST) on Sunday, February 16, 2020 and shall end at 5.00 pm (IST) on Monday, March 16, 2020.
c. Voting shall not be allowed beyond 5.00 pm (IST) from Monday, March 16, 2020. Any postal ballot received beyond said date shall not be considered valid.
d. In case of non-receipt of Notice or Postal Ballot Form, a Member as on cut-off date, may write to the Company at the registered office of the Company or Email ccs@deccanhealthcare.co.in mentioning their folio/DP ID and client ID No.
e. Any grievance connected with the Postal Ballot may be addressed to Ms. Sheena Jain, Company Secretary and Compliance Officer at ccs@deccanhealthcare.co.in or the telephone +91 40 40144508
f. Further details are available on website of the Company, i.e. http://www.deccanhealthcare.co.in / and the website of Bombay Stock Exchange i.e. www.bseindia.com
g. The result of the postal ballot will be announced by the Chairman or any person, duly authorised by him not later than 5.00 pm (IST) on Wednesday, March 18, 2020 at the Registered Office of the Company. The said results along with Scrutinizer's Report will be displayed on the website of the Company i.e. http://www.deccanhealthcare.co.in/ and intimated to Bombay Stock Exchange.

For DECCAN HEALTH CARE LIMITED
Sd/-
Sheena Jain
Company Secretary

Place: Hyderabad
Date: February 16, 2020

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग, सर्किल कार्यालय : मध्य दिल्ली, चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
दूरभाष : 011–25744163, ई–मेल : cocdelrd@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण तथा उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) एवं बन्धककर्ता/गारंटर(गारंटरों) को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्न विवरणित अचल सम्पत्तियां, जो कि प्रतिभूत उधारदाता के पास बन्धक/प्रभारित हैं, जिनका प्रलक्षित/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत उधारदाता द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय यहां इसमें निम्न तालिका में वर्णितानुसार तिथियों पर "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ हैं" के आधार पर, संबंधित उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) तथा गारंटर(गारंटरों) द्वारा बैंक/प्रतिभूत उधारदाता को भुग्तेय उनकी बकाया राशि की वसूली हेतु, किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा संबंधित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में वर्णितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विक्रय की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम खाता का नाम उधारकर्ता का नाम एवं पता/गारंटर का खाता	बन्धक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति(यों) के बन्धककर्तागण)	सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत माग सूचना की तिथि मांग सूचना अनुसार राशि सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जे की तिथि	क) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) ख) धराज (धराज जमा करने की अंतिम तिथि) ग) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत उधारदाताओं को ज्ञात भारग्रस्तताओं के विवरण
1.	पीएनबी–एआरएमबी मै. कमल वर्षा फूड प्रोडक्ट्स, 313, बाग खारे झां, गली सं. 4 किशन गंज, नई दिल्ली–110007 बन्धककर्ता नाम श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सुरेश चंद निवासी भूखण्ड सं. सी–180, एक्सटें.–II, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सुरेश चंद के नाम में भूखण्ड सं. सी–180 एक्स खसरा सं. 1105/02, शालीमार गार्डन, ग्राम पसौंदा लोनी, गाजियाबाद, यूपी 201005 में स्थित आवासीय भूमि तथा भवन क्षेत्र 102 वर्ग गज	06.07.2017 Rs. 99,31,747.52/- 15.09.2017 सांकेतिक	Rs. 43.00 lakhs Rs.4.30 lakhs 16.03.2020 Rs.50000/-	18.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
2.	पीएनबी–एआरएमबी मै. जीए मिनरल्स वाटर कं. प्रा. लि., ग्रामः नंदनी, सेहोरा, निकट रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, गोल गुजराल, जम्मू–180012 बन्धककर्ता नाम : जगदीश गिर पुत्र श्री मोहन गिर, ग्राम नंदनी, सेहोरा, निकट रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, गोल गुजराल, जम्मू, पिन–180012	ग्राम थाराकरवाल, बिलावर, जिला कठुआ में स्थित भूमि मापन 3 कनाल एवं 10 मारला, जो खसरा सं. 4397/1332, खेवट सं. 96/106 तथा खाता सं. 301/305 जम्मू से समाविष्ट है। स्वामी का नाम : जगदीश गिर पुत्र श्री मोहन गिर	17.01.2017 Rs. 1,88,68,198.50/- 21.12.2016 सांकेतिक	Rs. 8.00 lakhs Rs.0.80 lakhs 21.03.02020 Rs.10000/-	23.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
3.	पीएनबी–एआरएमबी मै. जीए मिनरल्स वाटर कं. प्रा. लि., ग्रामः नंदनी, सेहोरा, निकट रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, गोल गुजराल, जम्मू–180012 बन्धककर्ता नाम : जगदीश गिर पुत्र श्री मोहन गिर, खेवट सं. 39 एवं खाता सं. 113 मिन तथा खसरा सं. 351 मिन, ग्राम नंदनी, सेहोरा, निकट रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, गोल गुजराल, जम्मू, पिन–180012	ग्राम सेहोरा तालाब तिलो, जम्मू में आईपी के पट्टाधारक अधिकर जो खसरा सं. 351 मिन, खेवट सं. 39 एवं खाता सं. 113 मिन से समाविष्ट है (भूमि मापन 16 मारला एवं 205 वर्ग फुट) भूमि मापन 2 कनाल (1के1के) जो खसरा सं. 351 मिन, खेवट सं. 39 तथा खाता सं. 113 मिन, जम्मू से समाविष्ट है। स्वामी का नाम : जगदीश गिर पुत्र श्री मोहन गिर के कम्पनी के पक्ष में पट्टाधारक अधिकार	17.01.2017 Rs. 1,88,68,198.50/- 21.12.2016 सांकेतिक	Rs. 160.00 lakhs Rs.16.00 lakhs 21.03.2020 Rs.100000/-	23.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
4.	पीएनबी–एआरएमबी मै. जीए मिनरल्स वाटर कं. प्रा. लि., ग्रामः नंदनी, सेहोरा, निकट रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, गोल गुजराल, जम्मू–180012 बन्धककर्ता नाम : श्रीमती मधु रावत पत्नी श्री दविंदर सिंह रावत, मकान सं. एम–74, भूतल, हरि नगर क्लॉक टॉवर, दिल्ली–110064	प्रथम तल पर आईपी (छताधिकारों के बिना), मकान सं. 74, ब्लॉक एम, हरि नगर, क्लॉक टॉवर, दिल्ली–110064, क्षेत्र 120 वर्ग मीटर, स्वामी का नाम : श्रीमती मधु रावत पत्नी री दविंदर सिंह रावत	09.09.2016 Rs. 1,88,68,198.50/- 21.12.2016 सांकेतिक	Rs. 49.50 lakhs Rs.4.95 lakhs 16.03.2020 Rs.100000/-	18.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
5.	पीएनबी–नजफगढ़ शाखा उधारकर्ता तथा बन्धककर्ता मै. स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, दूकान सं. 3137, दसन स्ट्रीट, पीपल महादेव, हौज काजी, दिल्ली–110006	दूकान सं. 3137, दसन स्ट्रीट, पीपल महादेव, हौज काजी, दिल्ली–110006, क्षेत्र 10.73 वर्ग मीटर, स्वामी का नाम : मै. स्वास्तिक इंटरप्राइजेज स्वामी रनित सिंघल	16.05.2015 Rs. 49.79 Lakhs/- 04.03.2019 सांकेतिक	Rs. 25.00 lakhs Rs.2.50 lakhs 21.03.2020 Rs.50000/-	23.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
6.	पीएनबी– नजफगढ़ शाखा श्री रनित सिंघल बी–1676, पुराना भूखण्ड सं. ए2/90 जो खसरा सं. 497/168/2, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 में से है बन्धककर्ता नाम : वीणा सिंघल, बी–1676 पुराना भूखण्ड सं. ए2/90 जो खसरा सं. 497/168/2, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 में से है	बी–1676 पुराना भूखण्ड सं. ए2/90 जो खसरा सं. 497/168/2, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 में से है, कुल निर्मित क्षेत्र 67.72 वर्ग मीटर स्वामी का नाम : वीणा सिंघल	16.05.2015 Rs. 23.84 Lakhs/- 04.03.2019 सांकेतिक	Rs. 24.00 lakhs Rs.2.40 lakhs 21.03.2020 Rs.50000/-	24.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
7.	पीएनबी– नजफगढ़ शाखा श्री राजीव जिंदल, उधारकर्ता तथा बन्धककर्ता एसएलएफ वेद विहार परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित प्रथम तल प्रा. फ्लैट नं. एफ2 सम्पत्ति सं. सी–223 ब्लॉक सी	एसएलएफ वेद विहार परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित प्रथम तल प्रा. फ्लैट नं. एफ2 सम्पत्ति सं. सी–223 ब्लॉक सी, भूखण्ड क्षेत्र– 810 वर्ग फुट, स्वामी का नाम : राजीव जिंदल	10.10.2014 Rs. 14.24 Lakhs/- 20.01.2015 सांकेतिक	Rs. 14.50 lakhs Rs.1.45 lakhs 16.03.2020 Rs.25000/-	18.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
8.	पीएनबी– एआरएमबी मै. रंगोली इंटरनेशनल प्रा. लि., 9एव, हंसाल्या बिल्डिंग 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001 बन्धककर्ता का नाम : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर डी शर्मा एम3/9, डीएलएफ, फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा तथा 74, वसंत एन्क्लेव, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057	निम्न भूतल पर एलजीएफ 7, सम्पत्ति सं. वी/322 (पुरानी) तथा नई एमसी सं. वी–1118, छत्ता मदन गोपाल, मालीवाड़ा, दिल्ली–110006 में, स्वामी का नाम : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर डी शर्मा	02.02.2015 Rs. 55,50,24,641.86/- 02.08.2017 भौतिक	Rs. 17.50 lakhs Rs.1.75 lakhs 09.03.2020 Rs.10000/-	17.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
9.	पीएनबी– पश्चिमी पटेल नगर मै. श्री गणपति जेम्स ऐंड ज्वैल्स, 2502/8, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : श्रीमती सुनीता बंसल पत्नी श्री राम कुमार बंसल निवासी ए–218, ब्लॉक–ए, शास्त्री नगर, नई दिल्ली–110052	तृतीय तल पर भाग प्रा. नं. 310, सम्पत्ति नगर सं. 2502, गली सं. 7–8, वार्ड सं. 16, भूखण सं. 305, ब्लॉक–एम, नाईवाला एस्टेट, बीडनपुरा, करोल बाग स्वामी का नाम : श्रीमती सुनीता बंसल पत्नी राम कुमार बंसल	10.08.2016 Rs.2,71,63,734.17/- 04.05.2017 भौतिक	Rs. 43.00 lakhs Rs.4.30 lakhs 09.03.2020 Rs.50000/-	17.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
10.	पीएनबी– ईसीई हॉउस मै. वर्ल्डवाइड मेटल्स प्रा. लि. 402, चतुर्थ तल, आदित्य टॉवर, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, नई दिल्ली–110092 बन्धककर्ता का नाम : मै. कुतुब मर्कंटाइल प्रा. लि., भूखण्ड सं. 6, पार्क एंड, विकास मार्ग, नई दिल्ली	लीज होल्ड कॉर्मिशयल लेंड एण्ड बिल्डिंग बी–241 सेक्टर–63 नोएडा उत्तर प्रदेश। स्वामी का नाम मै. कुतुब मर्कंटाइल प्रा. लि	20.09.2018 Rs.105,63,00,759.58/- Plus interest and other charges 29.12.2018 सांकेतिक	Rs.1900.00 Lakhs Rs.190.00 lakhs 07.03.2020 Rs.1000000/-	09.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
11.	पीएनबी– ईसीई हॉउस मै. ओलम्पस मेटल्स प्रा. लि. 402, चतुर्थ तल, आदित्य टॉवर, लक्ष्मी नगर, जिला केन्द्र, नई दिल्ली–110092 बन्धककर्ता का नाम : मै. नमोगणपति गार्मेंट्स प्रा. लि., 2853–54, गली सं. 5, चूना मण्डी, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055	डी–247/10, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित वाणिज्यिक भूमि तथा भवन, स्वामी का नाम : मै. नमोगणपति गार्मेंट्स प्रा. लि.	15.10.2018 Rs.89,24,70,816.98/- Plus interest and other charges 01.10.2018 सांकेतिक	Rs.1900.00 Lakhs Rs.190.00 lakhs 07.03.2020 Rs.1000000/-	09.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
12.	पीएनबी– एआरएमबी मै. वी बिज आईटी इंडिया प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय : 17, द्वितीय तल, मैरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली बन्धककर्ता का नाम : मै. जैन ऐंड अग्रवाल एसोसिएट्स 337, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110087	द्वितीय तल पर प्रथम तल कार्यालय हाल नं. 1 से 17 में स्थित एक पीछे का हाल नं. 1 और प्रथम तल पर शो रूम नं. 1–11 के साथ भूतल पर मधुबनी (एम.डी.ए.) कॉम्प्लेक्स मुरादाबाद, सं. 8, एम11 एवं 12, में स्थित वाणिज्यिक दूकान, जिसका अधिमापन भूतल 68.79 वर्ग मीटर, प्रथम तल 983.144 वर्ग मीटर, द्वितीय तल 1191.85 वर्ग मीटर, स्वामी का नाम : मै. जैन ऐंड अग्रवाल	30.03.2013 Rs.34,38,02,291/- 22.02.2019 भौतिक	Rs.1800.00 lakhs Rs.180.00 lakhs 07.03.2020 Rs.1000000/-	09.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
13.	पीएनबी–एआरएमबी मै. ए जी ऐरोविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., बी–4/35, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली–110029 बन्धककर्ता का नाम : मै. ए जी ऐरोविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह के माध्यम से अभिवेदित, ई–239, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048, यहां पर भी : 34/37 पुराना राजिंदर नगर, नई दिल्ली	मौजाली, तहसील नहा, जिला सिरमौर में स्थित स्थित संपूर्ण सम्पत्ति में खाता/खतौनी सं. 1/4, खसरा सं. 747/369/223, मापन 0–13 बीघा, 748/369/223 मापन 0–2 बीघा, 749/369/223 मापन 0–7 बीघा काइट 3, अधिमापन 1–02 बीघा तथा खाता/खतौनी सं. 59/66 खसरा सं. 372/226 मापन 3–11 बीघा, कुल मापन 4–13 बीघा। स्वामी का नामः मै. एजी ऐरोविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	02.07.2012 Rs. 3092.11 Lakhs/- 02.05.2017 भौतिक	Rs.117.00 lakhs Rs.11.70 lakhs 09.03.2020 Rs.500000/-	17.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
14.	पीएनबी– एआरएमबी मै. विजन ग्लासेज प्रा. लि., पताः सम्पत्ति सं. 2367, वार्ड सं. III, गली नवाब वाली, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली–110007 बन्धककर्ता का नाम : मोह. सईद अली जैदी, सम्पत्ति सं. 2, खसरा सं. 171, मार्डर्न सिटी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सम्पत्ति सं. 2 मापन 400 वर्ग गज, खसरा सं. 171, मॉडर्न सिटी, ग्राम सद्दुल्लाबाद परगना लोनी गाजियाबाद (उ.प्र.), स्वामी का नाम : मोह. सईद अली जैदी	23.07.2014 Rs. 2,74,92,329/- 20.01.2015 सांकेतिक	Rs. 36.00 lakhs Rs.3.60 lakhs 09.03.2020 Rs.25000/-	17.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
15.	पीएनबी– एआरएमबी मै. इंडियन टेक्नोमेटल कम्पनी प्रा. लि. उधारकर्ता एवं बन्धककर्ता का नाम : मै. इंडियन टेक्नोमेटल कम्पनी प्रा. लि., 1107, विक्रांत टॉवर, 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008	भूखण्ड सं. 40 एवं 41 पर स्थित भूमि एवं भवन, ए.पी.आई. आई.सी. औद्योगिक क्षेत्र, ऑटोनगर, ई–ब्लॉक, एस नं. 31/पी एवं 18, 31 एवं 32 फकीरटेकिया ग्राम का भाग, जीवीएमसी, विशाखापटनम। स्वामी का नाम : मै. इंडियन टेक्नोमेटल कम्पनी प्रा. लि.	29.11.2013 Rs.28,32,77,540.62 Lakhs 22.12.2014 सांकेतिक	Rs.1440.50 lakhs Rs.144.05 lakhs 09.03.2020 Rs.500000/-	17.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
16.	पीएनबी– एआरएमबी मै. इंडियन टेक्नोमेटल कम्पनी प्रा. लि. उधारकर्ता एवं बन्धककर्ता का नाम : मै. इंडियन टेक्नोमेटल कम्पनी प्रा. लि., 1107, विक्रांत टॉवर, 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008	भूखण्ड सं. 40 एवं 41 पर स्थित संयंत्र, ए.पी.आई.आई.सी. औद्योगिक क्षेत्र, ऑटोनगर, ई–ब्लॉक, एस नं. 31/पी एवं 18, 31 एवं 32 फकीरटेकिया ग्राम का भाग, जीवीएमसी, विशाखापटनम। स्वामी का नाम : मै. इंडियन टेक्नोमेटल कम्पनी प्रा. लि.	29.11.2013 Rs.28,32,77,540.62 Lakhs 22.12.2014 सांकेतिक	Rs.634.75 Lakhs Rs.63.47 lakhs 09.03.2020 Rs.500000/-	17.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
17.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : श्री सुरेश वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	1. दूकान सं. 1 एवं 2, सम्पत्ति नगर सं. 2608 से 2613 तथा 2637, भूतल, भूखण्ड/खसरा सं. 252 एवं 253 वार्ड सं. 16, ब्लॉक–एम गुरुद्वारा रोड, नाईवाला एस्टेट, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित शोरूम सम्पत्ति, क्षेत्र–1800 वर्ग फुट। स्वामी का नाम : श्री सुरेश वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest,other charges and Expenses भौतिक	Rs. 1296.00 lakhs Rs.129.60 lakhs 07.03.2020 Rs.100000/-	09.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
18.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : सुश्री अमिता वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	2. दूकान सं. एस–1 द्वितीय तल पर, छताधिकारों के बिना, नगर सं. 2608 से 2613 तथा 2637 में निर्मित भवन में, वार्ड सं. 16, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, क्षेत्र – 18.41 वर्ग मीटर। स्वामी का नाम : सुश्री अमिता वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest, other charges and Expenses भौतिक	Rs. 34.20 lakhs Rs.3.42 lakhs 09.03.2020 Rs.10000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
19.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : सुश्री अमिता वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	3. दूकान सं. एस–2 द्वितीय तल पर, छताधिकारों के बिना, नगर सं. 2608 से 2613 तथा 2637 में निर्मित भवन में, वार्ड सं. 16, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, क्षेत्र – 18.33 वर्ग मीटर। स्वामी का नाम : सुश्री अमिता वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest,other charges and Expenses 28.01.2016 भौतिक	Rs. 34.20 lakhs Rs.3.42 lakhs 09.03.2020 Rs.10000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
20.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : सुश्री अमिता वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	4. दूकान सं. एस–3 द्वितीय तल पर, छताधिकारों के बिना, नगर सं. 2608 से 2613 तथा 2637 में निर्मित भवन में, वार्ड सं. 16, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, क्षेत्र – 18.97 वर्ग मीटर। स्वामी का नाम : सुश्री अमिता वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest,other charges and Expenses 28.01.2016 भौतिक	Rs. 34.20 lakhs Rs.3.42 lakhs 09.03.2020 Rs.10000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
21.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : सुश्री अमिता वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	5. दूकान सं. एस–13 द्वितीय तल पर, छताधिकारों के बिना, नगर सं. 2608 से 2613 तथा 2637 में निर्मित भवन में, वार्ड सं. 16, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, क्षेत्र – 19.25 वर्ग मीटर। स्वामी का नाम : सुश्री अमिता वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest,other charges and Expenses 28.01.2016 भौतिक	Rs. 35.10 lakhs Rs.3.51 lakhs 09.03.2020 Rs.10000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
22.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : सुश्री अमिता वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	6. दूकान सं. एस–16 द्वितीय तल पर, छताधिकारों के बिना, नगर सं. 2608 से 2613 तथा 2637 में निर्मित भवन में, वार्ड सं. 16, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, क्षेत्र – 18.54 वर्ग मीटर। स्वामी का नाम : सुश्री अमिता वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest,other charges and Expenses 28.01.2016 भौतिक	Rs. 33.10 lakhs Rs.3.31 lakhs 09.03.2020 Rs.10000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
23.	पीएनबी– एआरएमबी मै. अष्टविनायक ज्वैलर प्रा. लि. निवासी 2612–13, बैंक स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड कॉर्नर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 बन्धककर्ता का नाम : सुश्री एकता वर्मा निवासी ए–6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110010	7. दूकान सं. एसएम 3 एवं 4, दूकान सं. 18, 19, 20, द्वितीय तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मित्तल मेगा माल, हुडा सेक्टर–25, पार्ट–II, पानीपत अधिमापन क्षेत्र–2296.16 वर्ग फुट। स्वामी का नाम : सुश्री एकता वर्मा	01.09.2014 Rs.7121.65 Lakhs (PNB share + Rs.4846.93 Lakhs, SBI Share+2274.72 Lakhs) +further interest,other charges and Expenses 28.01.2016 भौतिक	Rs. 54.00 lakhs Rs.5.40 lakhs 07.03.2020 Rs.25000/-	09.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
24.	पीएनबी– नारायणा विहार मै. एच के एक्सपोर्ट्स उधारकर्ता एवं बन्धककर्ता का नाम : राजेश भांबरी, 1419, सेक्टर–16, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा	1419, सेक्टर–16, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा, क्षेत्र–350 वर्ग गज। स्वामी–राजेश भांबरी	05.10.2013 Rs.800.00 Lakhs 01.02.2014 सांकेतिक	Rs. 190.00 lakhs Rs.19.00 lakhs 09.03.2020 Rs.200000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं
25.	पीएनबी– नारायणा विहार मै. एच के एक्सपोर्ट्स उधारकर्ता एवं बन्धककर्ता का नाम : राजेश भांबरी, 1419, सेक्टर–16, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा	ग्राम–बादशाहपुर, फरीदाबाद, हरियाणा (लैंडमार्क– कृष्णा हार्डवेयर के सामने), अम्बेडकर चौक, बादशाहपुर, काहिरी पुल से होते हुए, फरीदाबाद में स्थित सम्पत्ति खसरा सं. –16, रेक्टेंगल सं.–32, किला सं.–16/1(3–12), क्षेत्र–2178 वर्ग गज। स्वामी–राजेश भांबरी	05.10.2013 Rs.800.00 Lakhs 01.02.2014 सांकेतिक	Rs. 146.00 lakhs Rs.14.60 lakhs 09.03.2020 Rs.200000/-	16.03.2020 11 बजे से 4 बजे	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी विक्रय के संक्षिप्त नियम तथा शर्तें
1. विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के अधीन होगा।
2. सम्पत्तियों का विक्रय "जैसी हैं जहां हैं आधार", "जैसी हैं जो हैं आधार" और "वहां जो कुछ हैं आधार" पर किया जा रहा है।
3. यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विवरणों को प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञानानुसार वर्णित किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में हुई किसी गलती, गलत–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. विक्रय कार्यवाही को उपरोक्त विनिर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी मंच के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।
5. विक्रय के भावी विवरणों तथा संपूर्ण नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app का संदर्भ ग्रहण करें।

दिनांक : 14.02.2020 — **स्थान : नई दिल्ली**

रवीन्द्र कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता

www.readwhere.com

आरएसएस के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन

अमदाबाद, 15 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुजरात में संघ के नवनिर्मित मुख्यालय- डॉ हेडगेवार भवन का शनिवार को उद्घाटन किया।

मणिनगर इलाके में स्थित पांच मंजिला भवन के उद्घाटन से पहले उन्होंने भवन के मुख्य द्वार पर स्थापित भारत माता के विशाल चित्र पर पुष्प चढ़ाए। यह नया भवन पांच करोड़ रुपए की लागत से बना है। आरएसएस की पांच दशक पुरानी इमारत को गिरा कर इसका निर्माण किया गया है।

आरएसएस की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि नए परिसर में पार्किंग के लिए दो भूमिगत तल हैं। प्रथम तल पर एक बड़ा सभागार, द्वितीय और तृतीय तल पर दो छोटे सभागार, एक पुस्तकालय और ठहरने के लिए कमरे हैं। उद्घाटन समारोह के बाद, भागवत ने आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ भवन की सैर की।

पीएचडी डिग्री नहीं देने के मामले में मंत्रालय का दखल

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

> प्रोफेसर राजीव कुमार ने आइआइटी पर उनके छात्र के प्रति प्रतिशोध भरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने आइआइटी खड़गपुर से भंडाफोड़ करने वाले प्रोफेसर के एक छात्र को पीएचडी डिग्री नहीं देने के मुद्दे को संस्थान के संचालन मंडल के सामने रखने को कहा है। एक आरटीआइ के जवाब के अनुसार प्रोफेसर राजीव कुमार ने इंजीनियरिंग संस्थान पर उनके छात्र के प्रति प्रतिशोध भरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

आइआइटी खड़गपुर ने मई 2011 में कुमार को कदाचार के आरोपों पर निलंबित कर दिया था। उनपर प्रवेश प्रक्रिया में, लैपटॉप की खरीद में गड़बड़ी और परीक्षा में छात्रों के नकल करने जैसे आरोप लगाकर संस्थान की छवि खराब करने का आरोप था।

आइआइटी ने 2014 में उनका जबरन सेवानिवृत्त करने की सजा दी थी जिसे 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था। आइआइटी जेईई में सुधार लाने के प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कुमार की अर्चिचत नायक के तौर पर सराहना का थी।

कुमार और उनके छात्र महेश शिरोले की तरफ से मंत्रालय से गई अपील पर कदम उठाया गया। शिरोले के आवेदन का हवाला देते हुए मंत्रालय ने आइआइटी खड़गपुर के रजिस्ट्रार को भेजे एक पत्र में इस मुद्दे पर निर्णय के लिए इसे संचालन मंडल के समक्ष रखने को कहा। कुमार की ओर से दायर आरटीआइ के जवाब में पत्र की प्रति प्राप्त हुई है।

कुमार ने कहा कि आइआइटी खड़गपुर के संचालन मंडल के प्रमुख संजीव गोयनका हैं जो आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप के प्रमुख हैं। कुमार ने कहा कि शिरोले ने पीएचडी डिग्री के लिए 2014 में अपनी थीसिस जमा की थी जिसे भारतीय परीक्षक ने स्वीकार कर लिया था लेकिन एनआरआइ परीक्षक ने खारिज कर दिया था।

बैंक धोखाधड़ी में भगोड़े एनवी राजू की अचल संपत्ति जब्त

भागलपुर 15 फरवरी (जनसत्ता)।

बैंक आफ बड़ौदा से एक करोड़ 55 लाख रुपए कर्ज लेकर नहीं चुकाने के मामले में फरार आरोपी एनवी राजू की अचल संपत्ति मजिस्ट्रेट की देखरेख में शनिवार को जब्त की गई। बैंक के वकील केशव झा के मुताबिक बैंक ने कर्ज वसूली के लिए ज़िलाधीश की अदालत में मामला दर्ज किया था। उसकी जायदाद जब्त करने का आदेश जिलाधीश प्रणब कुमार ने दिया है।

शनिवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिसए बैंक के अधिकारी और बैंक के वकील की मौजूदगी में एनवी राजू की शहर में अलग अलग जगहों पर तीन दुकानों और एक आवासीय फ्लैट को सील कर जब्त कर लिया। बताते है कि एनवी राजू मूल तौर पर ओड़ीशा का बाशिंदा है। और सैकड़ों करोड़ रुपए के सृजन घपले से भी जुड़ा है।

बैंक आफ बड़ौदा और इंडियन बैंक पर 2004 से 2017 तक आए जिलाधीश व डीडीसी राजू पर मेहरबान रहे। सरकारी धन इन्हीं दो बैंक की शाखाओं में जमा होता रहा। यहीं से सृजन के खातों में यह धन ट्रांसफर होता रहा। सीबीआइ जांच में भी इन्हीं दो बैंक के मुख्य व वरीय प्रबंधक अधिकारी और कमर्चारी घेरे में आए और जेल में बंद है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

शाखा खारी बावली

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

अचल सम्पत्तियों हेतु कब्जा सूचना

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते दिनांक कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणकर्ता(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी।

ऋणकर्ता(ओं) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं) तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर निम्नलिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता(ओं) तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन निम्नलिखित के लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को अवमुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में ऋणकर्ताओं/जमानतियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों) का नाम	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
श्री महिन्दर प्रकाश विजय (स्वामी) मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राइजेज	01.10.2018 रु. 43,77,949/- + ब्याज सहित	ग्राम मटियाला, जैन कॉलोनी, पार्ट-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 20/ए (टी-20 का भाग) में से प्लॉट सं. 20, भूमि माप 100 वर्ग गज। सम्पत्ति की सीमाएँ: उत्तर: टी-20, दक्षिण: टी-21ए (भाग), पूर्व: सड़क "20", पश्चिम: गली नं. 10	12.02.2020
श्री देविन्दर प्रकाश विजय (स्वामी) मैसर्स श्री बालाजी इंजीनियरिंग	01.10.2018 रु. 43,68,470/- + ब्याज सहित	ग्राम मटियाला, जैन कॉलोनी, पार्ट-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 20/2 (भाग-1) में से प्लॉट सं. 21-ए, भूमि माप 60 वर्ग गज। सम्पत्ति की सीमाएँ: उत्तर: टी-22, दक्षिण: टी-21ए (भाग) पूर्व: सड़क "20", पश्चिम: गली नं. 10	12.02.2020

(अधिकृत प्राधिकारी) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड

सी आई एन : L67120UP1994PLC050209

पंजीकृत कार्यालय : 6 मील का पत्थर, नया भाई-चारा परिसर, माता मंदिर के सामने, शिकन्दरपुर, यूपी बॉर्डर, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश -201006 दूरभाष : +91 11 43011000

वेबसाइट : www.shareindia.com ई मेल : vikas_cs@shareindia.com

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के संयुक्त अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (राशि रुपये में)

संख्या	विवरण	तिमाही समाप्त 31/12/2019 (अनअंकेक्षित)	नौमाही समाप्त 31/12/2019 (अनअंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	65,00,12,508	1,73,73,36,727
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादित एवं / अथवा असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	11,62,26,198	29,44,22,508
3	अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादित एवं / अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	11,62,26,198	29,44,22,508
4	अवधि के लिए कर के पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादित एवं / अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	10,11,71,412	23,00,96,931
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात)]	10,11,71,412	23,00,96,931
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रुपये 10/-)	3,19,06,588	3,19,06,588
7	प्रति शेयर अर्जन (रुपये 10/- प्रत्येक) (बेसिक और डायल्यूटिड)	3.17	7.21

नोट: 1) उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्वों और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किया गया 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। उक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट बीएसई की www.bseindia.com तथा कम्पनी के वेबसाइट www.shareindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

2) 31 दिसम्बर 2019 समाप्त हुए तिमाही के एकल वित्तीय परिणामों की जानकारी नीचे दी गई है

टर्नओवर — रु 53,20,67,204

कर से पहले लाभ - रु 10,67,81,522 कर के बाद लाभ - रु 9,23,58,613

3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक तदानुसार भूतपूर्व जीएएपी से आईएनडएएस में परिवर्तन का प्रभाव वित्तीय परिणामों में दर्ज है और परिवर्तन की तारीख 1 अप्रैल, 2018 है।

4) चूंकि पहले कंपनी बीएसई लिमिटेड के एसएमई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत थी, 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के वित्तीय परिणाम का बताना आवश्यक नहीं था, इसलिए उक्त परिणामों का स्तर उपलब्धित नहीं किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता/-
श्री सचिन गुप्ता
सीईओ और पूर्णकालिन निदेशक
डी आई एन 00006070

स्थान : साहिबाबाद
दिनांक : 14.02.2020

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

बागोर की हवेली, गणगौर घाट, उदयपुर (राज.)-313001

दूरभाष : 02094-2523858, 2422567

एफ-7(5)कार्य/धरो/2020/3719 दिनांक: 15.02.2020

ई निविदा सूचना संशोधन

इस कार्यालय द्वारा 'धरोहर कार्यक्रम' हेतु प्रकाशित उपरोक्त निविदा संख्या-2/2019-20 क्रमांक 3719 दिनांक 11.02.2020 में तकनीकी संलेख खोलने की तिथि त्रुटिवश 12.03.2020 के स्थान पर 13.03.2020 प्रकाशित हो गयी है जिसे 12.03.2020 पढ़ा जावे। निविदाओं के तकनीकी संलेख **दिनांक 12.03.2020** को पूर्व निर्धारित समय पर समिति द्वारा खोले जावेंगे।

प्रभारी निदेशक

RAKAN STEELS LIMITED

CIN: L27320UP1985PLC007582

R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza) Umran, Rania,Kanpur Dehat-209311

Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allen Ganj, Kanpur-208002

E-Mail: support@rakansteels.co.in

Ph: Regd. Office: +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

UN-AUDITED QUARTERLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QTR. ENDED 31ST DECEMBER, 2019

All amts. In Lakhs

Sl. No	Particulars	Quarter ending 31st December, 2019	Year to date Figures 1st April 2019 to 31st December, 2019	Corresponding 3 months ended in the Previous year
1.	Total Income from Operations	731.97	2140.57	749.90
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.30	5.66	3.75
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.30	5.66	3.75
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.39	3.75	2.75
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.39	3.75	2.75
6.	Equity Share Capital	324.00	324.00	324.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	128.35	128.35	120.96
8.	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.001	0.012	0.08
	2. Diluted:	0.001	0.012	0.08

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange and the listed entity.

For RAKAN STEELS LIMITED
SD/-
KANNAN AGARWAL
DIN:(07318672)

Place- Kanpur
Date- 14/02/2020

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 11, फरवरी, 2020** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्यभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता व गारंटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	ई. के. रोड, मेरठ	श्री गजेंद्र पुत्र श्री सोहन लाल सिंह, मकान नं. 339, सेक्टर – 8,शास्त्री नगर, मेरठ, 250004 (यूपी)	श्री गजेन्द्र पुत्र श्री सोहन लाल सिंह, मकान नं. 339, सेक्टर – 8, शास्त्री नगर, मेरठ, 250004 (यूपी) और श्रीमती राजवती पत्नी श्री गजेन्द्र, मकान नं. 339, सेक्टर – 8, शास्त्री नगर, मेरठ, 250004(यूपी)	आवासीय मकान प्लॉट नंबर के -5206, ब्लॉक-के, स्कीम नं. 03, शास्त्री नगर, मेरठ (यूपी) (37.02 वर्ग मीटर) (स्वामिनी श्रीमती राजवती पत्नी गजेन्द्र पुत्र सोहन लाल) सीमायें:- पूर्व: 8.10 मीटर योजना बंद, पश्चिम: 8.10 मीटर मकान नं. के 5205, उत्तर: 4.57 मीटर योजना बंद, दक्षिण: 4.57 मीटर इसके बाद 9 मीटर चौड़ी सड़क	27.11.2019 रु. 12,77,233.32 दिनांक 01.11.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	11.02.2020	श्री राहुल शर्मा 7388984339

दिनांक:- 15.02.2020 स्थान:- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

MAXPLUS LOGISTICS LIMITED

CIN: L65999DL1985PLC022321

Regd Office: 1,Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065

Website: www.maxpluslogisticslimited.com, **Mail ID:** mcstitch.excom@gmail.com

Extract of Standalone Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter ended December 31, 2019

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2018 (Audited)	Nine Months Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2018 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	70.02	70.00	78.80	211.84	246.92	323.05
2.	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(15.29)	(1.04)	(1.01)	(17.40)	(17.39)	(92.47)
3.	Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(15.29)	(1.04)	(1.01)	(17.40)	(17.39)	(92.47)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(15.29)	(1.04)	(1.01)	(17.40)	(17.39)	(72.46)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(15.29)	(1.04)	(1.01)	(17.40)	(17.39)	(64.95)
6.	Equity Share Capital	383.45	383.45	383.45	383.45	383.45	383.45
7.	Other Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Basic & Diluted:	(0.40)	(0.03)	0.03	0.45	0.45	1.69

Note:

1. The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results which have been adopted by the Audit Committee in their meeting held on 14.02.2020, approved by the Board of Directors in their meeting held on 14.02.2020 and reviewed by the statutory auditors and filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financials Results are available on the Stock Exchange Website i.e. www.msei.in and on the company's website i.e. www.maxpluslogisticslimited.com.
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter.
3. Figures of the previous period and/or year have been regrouped or rearranged wherever considered necessary.
4. No of Investors Complaint received: NIL Disposed Off: NIL Pending: NIL

By Order of the Board
For Maxplus Logistics Ltd
Sd/-
Sanjeev Chandra
Director and CEO
DIN-00095561

Place : New Delhi
Date : 14.02.2020

DR. FRESH ASSETS LIMITED

CIN: L74899DL1990PLC042302

Regd Office: B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Area, New Delhi-110044

Website: www.drfreshassets.com, **Email ID:** drfresh@drfreshassets.com

Extract of Standalone Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2019

(Rs. in Lakhs)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Reviewed)	Quarter ended 30.09.2019 (Reviewed)	Quarter ended 31.12.2018 (Reviewed)	9 Months ended 31.12.2019 (Reviewed)	9 Months ended 31.12.2018 (Reviewed)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	77.41	54.74	25.69	207.04	67.76	98.45
2.	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	71.28	19.14	24.08	150.64	51.50	86.26
3.	Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	71.28	19.14	24.08	150.64	51.50	86.26
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54.04	15.75	19.61	115.32	33.28	54.26
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	133.73	(84.49)	24.58	(51.14)	42.36	789.46
6.	Equity Share Capital	538.96	538.96	538.96	538.96	538.96	538.96
7.	Other Equity						3376.87
8.	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Basic & Diluted (Rs.):	0.99	0.29	0.36	2.11	0.61	0.99

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2019

(Rs. in Lakhs)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Reviewed)	Quarter ended 30.09.2019 (Reviewed)	Quarter ended 31.12.2018 (Reviewed)	9 Months ended 31.12.2019 (Reviewed)	9 Months ended 31.12.2018 (Reviewed)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	109.36	60.96	26.25	310.58	195.54	229.09
2.	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	63.61	(13.39)	(13.58)	132.51	58.63	58.24
3.	Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	63.61	(13.39)	(13.58)	132.51	58.63	58.24
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	47.34	(19.25)	(14.49)	99.05	45.29	25.60
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.48	(122.31)	(9.53)	(72.75)	54.37	758.38
6.	Equity Share Capital	538.96	538.96	538.96	538.96	538.96	538.96
7.	Other Equity						3211.75
8.	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Basic & Diluted (Rs.):	0.87	(0.35)	(0.27)	1.81	0.83	0.47

Notes :

1. The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results which have been adopted by the Audit Committee in their meeting held on 14.02.2020, approved by the Board of Directors in their meeting held on 14.02.2020 and reviewed by the statutory auditors and filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financials Results are available on the Stock Exchange Website i.e. www.mcx-sx.com and on the company's website i.e. www.drfreshassets.com.
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter.
3. The company has adopted Ind AS 116 'Leases' effective April 1, 2019 prospectively. Most of the leases are short term. During the current quarter, no long term lease was entered into and hence there is no impact on the profits of the company.
4. The Company is evaluating the impact of section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 introduced by the Taxation Laws (amendment) ordinance 2019, with effect from financial year 2019-20.
5. Ministry of corporate affairs vide its certificate dated 01.11.2019 has altered the object clause w.e.f. 30.09.2019 wherein other objects namely purchase, acquire, sell, lease, exchange, hire, let, sub-let, dispose off or otherwise related to real estate sector included in main objects.
6. Figures of the previous period and/or year have been regrouped or rearranged wherever considered necessary.
7. No of Investors Complaint received: NIL Disposed Off: NIL Pending: NIL

By Order of the Board
For Dr. Fresh Assets Ltd
Sd/-
Vijay Prakash Pathak
Whole Time Director, DIN-07081958

Place : New Delhi
Date : 14.02.2020

रोलाटेनर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21014HR1968PLC004844

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 73-74, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, धारुहेड़ा, रिवाड़ी, रिवाड़ी, हरियाणा-123106

दूरभाष : 01274-243326, 242220 । ई-मेल: cs.rollatainers@gmail.com । वेबसाइट : www.rollatainers.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्डअलोन समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	स्टैण्डअलोन समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	स्टैण्डअलोन समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	स्टैण्डअलोन नौमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	स्टैण्डअलोन नौमाही 30.09.2018 (अलेखापरीक्षित)	स्टैण्डअलोन समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)	समेकितक समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	समेकितक समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	समेकितक समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	समेकितक नौमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	समेकितक नौमाही 30.09.2018 (अलेखापरीक्षित)	समेकितक समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	30.00	28.00	–	84.00	–	75.00	3,898.00	3,739.00	3,607.00	11,252.00	10,634.00	13,852.00
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	(8.00)	(22.00)	(48.00)	(47.00)	(257.00)	(113.00)	(435.00)	(501.00)	(490.00)	(1,480.00)	(1,893.00)	(1,781.00)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(8.00)	(17.00)	(48.00)	11.00	(257.00)	(7,370.00)	(435.00)	(495.00)	(490.00)	(1,479.00)	(1,893.00)	(1,713.00)
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(8.00)	(17.00)	(371.00)	11.00	332.00	(7,981.00)	(370.00)	(495.00)	(813.00)	(1,414.00)	(1,304.00)	(2,382.00)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	(8.00)	(17.00)	(371.00)	11.00	332.00	(7,981.00)	(368.00)	(493.00)	(813.00)	(1,411.00)	(1,304.00)	(2,374.00)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00
7.	गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र मे प्रदर्शित के अनुसार आरक्षियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर)	–	–	–	–	–	(664.00)		–				3,300.00
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)-												
	(अ) बेसिक	(0.00)	(0.01)	(0.15)	0.01	(0.13)	(3.19)	(0.13)	(0.17)	(0.33)	(0.49)	(0.52)	(0.86)
	(ब) डाइल्यूटेड	(0.01)	(0.01)	(0.15)	0.01	(0.13)	(3.19)	(0.13)	(0.17)	(0.33)	(0.49)	(0.52)	(0.86)

वित्तीय परिणामों के नोट : 1. दिसम्बर, 2019 के समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है तथा 14 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. यह विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन प्रक्रियाओं तथा प्रयोज्य नीतियों और दिनांक 05 जुलाई, 2016 के सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 की शर्तों के अनुसार निर्धारित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अनुरूप तैयार किया गया। 1 अप्रैल, 2017 के प्रारम्भ में कम्पनी ने पहली बार दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को संक्रमण तिथि के साथ इण्ड एएस स्वीकार किया है। 3. वर्तमान वर्ष के तुलनीय बनाने के लिए जहाँ आवश्यक माना गया वहाँ पूर्व अवधि के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 4. समेकित वित्तीय परिणामों में अनुषंगी आर.टी. पैकेजिंग लिमिटेड, बाउटोनियर हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. तथा जे.वी. रोलाटेनर्स प्रा.लि. के वित्तीय परिणाम शामिल हैं।

कृते रोलाटेनर्स लिमिटेड
पीयूष गुप्ता
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 03392865

कृते रोलाटेनर्स लिमिटेड
आरती जैन
निदेशक
डीआईएन : 00143244

तिथि : 14/02/2020
स्थान : नई दिल्ली

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

नोएडा सैक्टर-18 (पूर्व में देना बैंक) जी बी नगर, यू.पी

ई-नीलामी सूचना

परिशिष्ट- II-A [(नियम 6 (2) देखें और परिशिष्ट -IV-(A) (नियम 8(6) देखें]

चल और अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

कार कब्जा नोटिस द्वारा कब्जे के तहत चल और अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल और अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा, **नोएडा सैक्टर-18 (पूर्व में देना बैंक) जी बी नगर, यू.पी.** से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **20.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर का नाम	चल और अचल प्रतिभूति आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	दिनांक 11.02.2020 तक वर्तमान बकाया	भौतिक कब्जा	ई-नीलामी की तारीख एवं समय खाता नं. IFSC कोड	सम्पर्क व्यक्ति
1	मैसर्स गरुड़ा ट्रांसवर्ल्ड प्रा. लि. निदेशक श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी जयदीप सिंह ढींडसा	Hyundai Xcent VTVTT-Petrol/CNG, पंजीकरण नं. DL1RTC0518, Registration Date: 11-04-2017, Manufacturing Year: 09/2016, Seating Capacity: 5 incl. driver	₹ 1.14 लाख / ₹ 11,400/- / ₹ 5,000/-	रु. 28,07,316.61 प्लस अनापेक्षित ब्याज और अन्य प्रभार	हाँ	20.03.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक; A/c no. 112511999999 Account Name: SARFAESI EMD 1125 IFSC – BKDN0721125 Fifth character is 'Zero' in IFSC	श्रीमती दीप्ति सिंह (शाखा प्रबंधक) सम्पर्क हेतु 9152941125
2	मैसर्स गरुड़ा ट्रांसवर्ल्ड प्रा. लि. निदेशक श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी जयदीप सिंह ढींडसा	Hyundai Xcent VTVTT-Petrol/CNG, पंजीकरण नं. DL1RTC0538, Registration Date: 20-04-2017, Manufacturing Year: 09/2016, Seating Capacity: 5 incl. driver	₹ 91,700/- / ₹ 9,170/- / ₹ 5,000/-	रु. 28,07,316.61 प्लस अनापेक्षित ब्याज और अन्य प्रभार	हाँ		
3	मैसर्स गरुड़ा ट्रांसवर्ल्ड प्रा. लि. निदेशक श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी जयदीप सिंह ढींडसा	1. Hyundai Xcent VTVTT-Petrol/CNG, पंजीकरण नं. DL1RTC0390, Registration Date: 31-03-2017, Manufacturing Year: 07/2016, Seating Capacity: 5 incl. driver	₹ 91,680/- / ₹ 9,168/- / ₹ 5,000/-	रु. 28,07,316.61 प्लस अनापेक्षित ब्याज और अन्य प्रभार	हाँ		
4	मैसर्स गरुड़ा ट्रांसवर्ल्ड प्रा. लि. निदेशक श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी जयदीप सिंह ढींडसा	1. Hyundai Xcent VTVTT-Petrol/CNG, पंजीकरण नं. DL1RTC0511 पंजीकरण दिनांक 20-04-2017, Manufacturing Year: 09/2016, Seating Capacity: 5 incl. driver	₹ 1.60 लाख / ₹ 16,000/- / ₹ 5,000/-	रु. 28,07,316.61 प्लस अनापेक्षित ब्याज और अन्य प्रभार	हाँ		

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : **19-03-2020** सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय **04-03-2020** को पूर्वा 11.00 बजे अपराह्न 04.00 बजे तक

नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

दिनांक : 14.02.2020, स्थान : नोएडा

शाखा प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com

भारत का पूंजी बाजार मजबूत : ठाकुर

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि भारत का पूंजी बाजार मजबूत है और यह देश को 2025 तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकता है। बाजार में लोगों का विश्वास मजबूत करने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार घरेलू बचतों को दीर्घकालिक वित्तीय पूंजी में परिवर्तित करने का रास्ता प्रदान करते हैं।

ठाकुर ने कहा कि देश में पूंजी निर्माण के काम में प्रतिभूति बाजार (एक्सचेंज) और बिचौलिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि बाजार में घोटाले और धोखाधड़ी न हों, ताकि बाजार के प्रति लोगों का विश्वास न टूटे। उन्होंने यहां पूंजी बाजार पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में पूंजी बाजार की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होगी।

> *'भारतीय बाजार* मजबूत और बड़ा है। यह विश्व के अच्छे से अच्छे बाजार का मुकाबला कर सकता है। सरकार बाजार को नियंत्रणों से मुक्त करने और निवेशकों के लिए नियमों के अनुपालन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रही है।'

ठाकुर ने कहा कि भारतीय बाजार मजबूत और बड़ा है व यह विश्व के अच्छे से अच्छे बाजार का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बाजार को नियंत्रणों से मुक्त करने और निवेशकों के लिए नियमों के अनुपालन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। कार्यक्रम का विषय 'पूंजी बाजारों को पुनर्परिभाषित किया जाना–पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक।' इसका आयोजन भारत के राष्ट्रीय एक्सचेंजों के सदस्यों के संघ (एएनएमआई) ने किया था। इसके शेयर ब्रोकर सदस्यों की संख्या करीब 900 है।

इस अवसर पर उन्होंने पूंजी बाजारों में अनुपालन व्यवस्था की समीक्षा रपट भी जारी की। यह रपट तैयार करने के लिए उन्होंने सेबी, शेयर बाजारों और एएनएमआई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे अनुपालन व्यवस्था आसान किए जाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

जीएसटी बकाए पर ब्याज की गणना शुद्ध देनदारी के आधार पर

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि अब जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज की गणना शुद्ध देनदारियों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन किए गए हैं।

सीबीआइसी ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को हाल में निर्देश दिया है कि वे विलंब से भुगतान किए गए माल व सेवाकर के भुगतानों पर बकाया ब्याज की वसूली शुरू करें। अनुमान है कि ब्याज का बकाया 46,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। इस निर्देश से उद्योग जगत में चिंता बताई जा रही है।

उद्योग जगत की चिंताओं के बीच सीबीआइसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट जारी करके स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जीएसटी संबंधी अधिनियमों में पिछली तिथि से प्रभावी संशोधन कर दिए हैं। इसके बाद अब ब्याज की गणना कर के शुद्ध बकाए के आधार पर की जाएगी। एक ट्वीट में बोर्ड ने कहा है कि अभी जीएसटी के अधिनियमों में विलंब से किए जाने वाले जीएसटी भुगतान पर ब्याज की गणना सकल देनदारी के आधार पर करने की छूट है।

और इस कानूनी स्थिति और तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अपने–अपने सीजीएसटी अधिनियमों में संशोधन कर लिए हैं, ताकि विलंब से किए जाने वाले जीएसटी भुगतान पर शुद्ध देनदारी के आधार पर ब्याज लगाया जा सके और जीएसटी में वृद्धि की जा सके साथ ही ज्यादा कर प्राप्त किया जा सके।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, चंडीगढ़
एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़

आरसी नं. 636/2019

इलाहाबाद बैंक ... प्रमाण पत्र धारक

बनाम

मै. एमडीएलआर मोटर्स प्रा. लि. ... प्रमाण पत्र ऋणी

प्रकाशन सूचना

[illegible]

वसूली अधिकारी II,
डीआरटी-III, चंडीगढ़।

प्रतिष्ठित कारों का पंजीकरण शुल्क युक्तिसंगत बनाने की मांग

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

विंटेज कारों के पंजीकरण की प्रस्तावित व्यवस्था का स्वागत करते हुए विंटेज कार मालिकों के एक संगठन ने इसे विरासतों को बचाने की दिशा में एक अच्छा कदम बताया। लेकिन उसकी राय है कि बीते जमाने के प्रतिष्ठित वाहनों (विंटेज कारों) का पंजीकरण शुल्क युक्ति संगत होना चाहिए।

विंटेज कार मालिकों के संगठन '21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट' के चेयरमैन और प्रबंध न्यासी मदन मोहन ने कहा कि देश में दिल्ली को छोड़ कर अन्य राज्यों में विंटेज कारों के पंजीकरण की सुविधा है। केंद्र सरकार ने हाल में ऐसी कारों का पंजीकरण करने की अलग व्यवस्था का एक मसविदा जारी किया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस मसविदे में विंटेज कारों के प्रस्तावित पंजीकरण शुल्क को युक्ति संगत बनाने की जरूरत है।

यह न्यास विंटेज कारों की एक अंतरराष्ट्रीय रैली '21 गन सैल्यूट अंतरराष्ट्रीय विंटेज कार रैली' का आयोजन करता है। शनिवार को इस रैली के नौवें संस्करण को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। उन्होंने कार्यक्रम से इतर शनिवार को यह बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 50 साल से अधिक पुराने 'क्लासिक' वाहनों के पंजीकरण के लिए अलग व्यवस्था का मसविदा जारी किया है।

विंटेज मोटर वाहन आदेश- 2019 के मसविदे के अनुसार ऐसे वाहनों की पंजीकरण प्लेट उच्च सुरक्षा वाली होगी। नंबर प्लेट पर 'एक्सएक्सवीएवाईवाई' लिखा होगा। इसमें 'वीए' का मतलब विंटेज होगा, जबकि 'एक्सएक्स' राज्य का, 'वाईवाई' दो शब्दों की श्रृंखला का सूचक होगा। उसके बाद 01 से 09 तक नंबर होंगे। ऐसे वाहनों को प्रस्तावित वाहन कबाड़ नीति से छूट होगी। नीति में ऐसे वाहनों के लिए 20,000 रुपए का एकबारगी पंजीकरण शुल्क रखा गया है, जो 10 साल के लिए मान्य होगा।

मोहन ने कहा कि सरकार को 20,000 रुपए के पंजीकरण शुल्क को युक्ति संगत बनाना चाहिए। इनके रखरखाव पर मालिकों का बहुत पैसा खर्च होता है। यह हमारे देश की विरासत हैं, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए।

AASHRIT CAPITAL LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS JALAN CEMENT WORKS LIMITED)
Regd. Office: Select City Walk, 6th Floor, A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017
CIN: L65923DL1972PLC317436
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31.12.2019

PART I (Rs in lakh)

	Particulars	3 Months ended 31.12.2019 Unaudited	Correspoding 3 Months ended in previous year 31.12.2018 Unaudited	Year to Date 31.12.2019 Unaudited
1	Total income from operations (net)	479.19	80.19	804.64
2	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.46	18.92	77.19
3	Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.46	18.92	77.19
4	Net Profit/(Loss) for the period (11-12)	21.51	12.03	59.05
5	Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	-
6	Paid-up equity share capital (11202540 equity shares of Rs. 10)	1,120.25	1,120.25	1,120.25
7	Reserve excluding revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year			
8	Earnings Per Shares (EPS) (for continuing and discontinued operations a) Basic b) Diluted	0.19	0.11	0.53
	SEGMENT REPORTING			
1	**Segment Revenue**			
	a) Segment-NBFC	479.19	80.19	804.64
	b) Segment- Real Estate	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-
	Total	479.19	80.19	804.64
	Less: Inter Segment Revenue	-	-	-
	Gross Revenue	**479.19**	**80.19**	**804.64**
2	**Segment Results**			
	a) Segment-NBFC	25.46	18.92	51.73
	b) Segment- Real Estate	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-
	Profit/Loss Before Tax	**25.46**	**18.92**	**77.19**
3	**Segment Assets**			
	a) Segment-NBFC	10,081.23	10,250.31	10,081.23
	b) Segment- Real Estate	275.00	200.00	275.00
	c) Unallocated	-	-	-
	Total Assets	**10,356.23**	**10,450.31**	**10,356.23**
4	**Segment Liabilities**			
	a) Segment-NBFC	357.63	465.35	357.63
	b) Segment- Real Estate	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-
	Total Liabilities	**357.63**	**465.35**	**357.63**

Notes:-
1. The above financial results for the quarter ended on 31st December, 2019 have been reviewed by the audit Committee and approved by the board at their respective meetings held on 14.02.2020.
2. The Limited Review of the results has been completed by the Statutory Auditors of the Company.
3. As per Indian Accounting Standard (IndAS) 108 "Operating Segment", the Company's business falls within a single business segment.
4. The Company has adopted Ind AS 17 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.
5. Previous period figure has been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Aashrit Capital Limited
(Formerly known as Jalan Cement Works Limited)
Sd/-
Prateek Arora
Managing Director
DIN : 07189849

Place : Delhi
Date : 14.02.2020

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III
DELHI PARLIAMENT STREET, NEW DELHI: 110001

Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions ACT. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993) In the matter of

OA NO. 640/2019 DRT-III
PUNJAB & SIND BANK Vs MS KOMAL ARORA & ORS.
Applicant Defendants

To

D-1 Ms. Komal Arora W/o Shri Inder Jeet Arora, R/O 28/79 2nd Floor,West Patel Nagar, Delhi-110008. Also At: 29/10, West Patel Nagar,Delhi-110008.Also At: 18/21 Ground Floor,Old Rajinder Nagar, Delhi-110060.Also At: B-59, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.Also At: M/S K's Attire (Prop. Ms Komal Arora) 18/21 Ground Floor, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060.Also At: M/S K's Attire (Prop. Ms Komal Arora) 43, Anand Industrial Estate, Mohan Nagar, Ghaziabad U.P-201007.

D-2 Sh. Harpreet Singh S/O Sh. Sukhdev Singh R/O 17/98, Geeta Colony, Gandhi Nagar, East Delhi-110031. Also At: M/S Singh Enterprises, PP-48, Gali No. 10, Anand Parwat Industrial Area, Delhi-110005.

D-3 Allahabad Bank Branch At Karol Bagh, New Delhi. (Through Its Authorised Officer And Duly Constituted Attorney)

D-4 Central Bank Of India, Branch At Anand Parbat, New Delhi (Through : Its Authorised Officer And Duly Constituted Attorney)

Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appcarance in this Tribunal 25.02.2020 at 10.30 A.M.

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 04th day of Dec. 2019.

By Order of the Tribunal Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

डीलरों के पास अब सिर्फ बीएस-छह मानक वाले वाहन ही भेजें विनिर्माता : फाडा

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

वाहन डीलरों के अखिल भारतीय संगठन फाडा ने वाहन विनिर्माता कंपनियों से शनिवार को कहा कि वे डीलरों तक अब केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वहन ही भेजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की समय सीमा एक अप्रैल से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने कहा कि वाहन बाजार में एक साल से भी अधिक समय से नरमी है। मांग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से अब डीलरों के लिए उनके पास बचे बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के स्टॉक को 31 मार्च, 2020 तक पूरी तरह बेच पाना भी एक बड़ी चुनौती है।

फाडा के अध्यक्ष आशीष काले ने एक बयान में कहा कि फाडा सभी वाहन विनिर्माताओं से अपील करती है कि वे डीलरों को अब पूरी तरह से बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही भेजें और डीलरों को तत्काल प्रभाव से बीएस-4 मानक वाहनों की बिलिंग बंद करें। फाडा ने अपने सदस्य डीलरों को भेजे एक पत्र में सलाह दी है कि वह 31 मार्च, 2020 तक उनके पास बचे हुए बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाहनों का परिसमापन करने की योजना बनाएं।

देश में एक अप्रैल के बाद बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाहनों की बिक्री पर पाबंदी होगी।

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
विश्वास की एक परंपरा

कॉर्पोरेट फाइनेंस शाखा नेहरू प्लेस
प्लाट नंबर 18, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली - 110065 दूरभाष: 011-41095663

कब्जा सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इलाहाबाद बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अर्न्तगत पठित धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक **28.11.2019** को एक मांग सूचना जारी की थी जिसमें **उधारकर्ता मेसर्स डीआरजे विनायल प्राइवेट लिमिटेड (जिसके डायरेक्टर: श्री राकेश मलिक और श्रीमती रीतू मलिक, दोनों का पता सी1-185, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058) और गारंटरों श्री राकेश मलिक, सी1-185, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 और श्रीमती रीतू मलिक, सी1-185, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058** को नोटिस में उल्लेखित धनराशि **रूपये 3,04,41,776 (रूपये तीन करोड़ चार लाख इक्तालीस हजार सात सौ छियत्तर मात्र)** सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता के राशि अदा कर पाने में असफल रहने पर उधारकर्ता और जन सामान्य को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 के साथ पढ़ी जाने के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक **11.02.2020** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **इलाहाबाद बैंक** को देय धनराशि **रूपये 3,04,41,776** और ब्याज सहित के अधीन होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रितकिया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

ए) निर्मित सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग जो आवासीय फ्लैट जिसका कुल क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर है जो सी-1/185, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित है। जिसकी सीमाएं: पूर्व- प्लॉट नम्बर-186, पश्चिम-प्लॉट नम्बर-184, उत्तर- सर्विस लेन 15 फीट चौड़ी दक्षिण- 40 फीट चौड़ी सड़क

दिनांक: 11.02.2020
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
इलाहाबाद बैंक

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED
Registered Office: 25, C- Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi – 110 058
Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices/
CIN: L65910DL1984PLC018749 Tel No. 011-45586600, 45675500 E-Mail Id: listing@spacapital.com
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2019

(Rs. In crores except for Shares and EPS)

S. No.	Particulars	3 months ended December 31, 2019	3 months ended December 31, 2018	9 Months Ended December 31, 2019
1	Total Income from Operations (net)	7.451	9.796	21.743
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.101	0.160	0.116
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.101	0.120	0.108
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.068	0.092	0.056
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profits /(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-0.871	0.092	-0.880
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	3074225	3074225	3074225
7	Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- each) Basic:	-2.832	0.299	-2.864
	Diluted:	-2.832	0.299	-2.864

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2019 is available on the website of Stock Exchange at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at http://www.spacapital.com/CapitalServices/.
2. The unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine months ended December 31, 2019 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on February 14, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2020 and the same have been reviewed by the Statutory Auditors in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requireemnts) Regulations, 2015.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Sandeep Parwal
Chairman Cum Managing Director
DIN: 00025803

Place : New Delhi
Dated : February 14, 2020

बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए आगे नहीं बढ़ेगी अंतिम समयसीमा : न्यायालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑटोमोबाइल डीलरों के एक संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में देश भर में 'बीएस-4' मानदंडों वाले वाहनों को बेचने के लिए 1 अप्रैल, 2020 की अंतिम समयसीमा को एक और महीने तक बढ़ाने की मांग की गई थी।

शीर्ष न्यायालय ने 24 अक्तूबर, 2018 के अपने आदेश में कहा था कि 1 अप्रैल, 2020 से भारत में कोई भी 'बीएस-4' वाहन बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

भारत चरण (बीएस) एक प्रदूषण नियंत्रक मानक है, जिसे भारत सरकार ने मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लागू किया था। बीएस-4 मानकों को पूरे देश में अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। साथ ही केंद्र सरकार ने 2016 में घोषणा की थी कि अब भारत बीएस-4 से 2020 तक सीधे बीएस-6 मानकों को अपनाएगा।

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025
Tel. No. : 011-49872442, E-mail: cs@modisteel.net, CIN: L74899DL1987PLC026617
Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Monthsended 31st December 2019

(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2019 Un-Audited	Quarter Ended 30.09.2019 Un-Audited	Quarter Ended 31.12.2018 Un-Audited	Nine Months Ended 31.12.2019 Un-Audited	Nine Months Ended 31.12.2018 Un-Audited	Year Ended 31.03.2019 Audited
Total income from operations	**463.60**	445.52	418.50	**1513.58**	1375.51	1863.32
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	**15.90**	(36.35)	(10.41)	**(41.23)**	45.59	38.78
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after Exceptional)	**15.90**	(36.35)	(10.41)	**(41.23)**	45.59	38.78
Net Profit / (Loss) for the period (after Tax and after Exceptional)	**14.30**	(38.70)	(1.26)	**(46.65)**	42.63	30.17
Equity Share Capital	**466.96**	466.96	466.96	**466.96**	466.96	466.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						1919.14
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic (in Rs.):	**0.26**	(0.70)	(0.02)	**(0.84)**	0.77	0.55
- Diluted (in Rs.):	**0.26**	(0.70)	(0.02)	**(0.84)**	0.77	0.55

NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.modisteel.com).

For NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.
Sd/-
Pawan Kumar Modi
Jt. Managing Director
DIN: 00051679

Place : New Delhi
Date : 14.02.2020

अनंत राज लिमिटेड
(पूर्व में अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
CIN: L45400HR1985PLC021622
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, हरियाणा 122051, टेलीफैक्स: 0124-4265817
प्रधान कार्यालय: एच-65 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, टेली.: 011-43034400, 011-23324127
ई-मेल: manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट: www.anantrajlimited.com

Anant Raj Group

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ महीने 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ महीने 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	184.44	144.23	142.67	429.41	351.91	523.87
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट मदों तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं में लाभ/(हानि) के शेयर से पूर्व)	27.24	51.49	16.18	86.65	32.43	67.50
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं में लाभ/(हानि) के लिये कर से पूर्व)	24.27	51.49	16.18	86.65	32.43	67.50
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों एवं एसोसिएट्स तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं में लाभ/(हानि) के शेयर के बाद)	26.14	40.25	15.77	74.74	31.20	66.47
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	75.78	40.25	15.94	124.48	31.92	66.58
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 2/- प्रति)	59.02	59.02	59.02	59.02	59.02	59.02
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)						
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकीकृत नहीं						
	क) मूल ईपीएस (रु.) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.92	1.38	0.54	2.61	1.08	2.33
	ख) तरल ईपीएस (रु.) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.92	1.38	0.54	2.61	1.08	2.33

टिप्पणी:
1. उपरोक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
2. कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
3. इन समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित रूप में भारतीय लेखा मानक के पहचान एवं मापन के सिद्धातों के अनुसार तैयार किया गया है। उक्त वित्तीय परिणाम अनंत राज लिमिटेड ("कम्पनी") उसकी सहायकों ("एक साथ ग्रुप के रूप में वर्णित") तथा एसोसिएट्स संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं के परिणामों में उसके शेयर के परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे एएस-110-"समेकित वित्तीय विवरणों" तथा इंड ए एस 28 'एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रमों में निवेश' के अनुसार तैयार किया गया है।
4. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिए कम्पनी के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाईट (www.anantrajlimited.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

मुख्य स्टैंडएलॉन वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है: (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.9.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ महीने 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ महीने 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	269.12	85.33	132.75	441.46	319.61	466.62
2.	कर से पूर्व लाभ	20.44	6.29	17.37	32.80	32.89	59.58
3.	कर के बाद शुद्ध लाभ	16.90	4.04	14.59	25.76	25.50	46.40
4.	अन्य व्यापक आय	–	–	0.10	–	0.65	0.12
5.	कुल व्यापक आय	16.90	4.04	14.69	25.76	26.15	46.52

5. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के अनंकेक्षित समेकित तथा स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सार है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारुप नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट www.anantrajlimited.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

अनंत राज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(अमित सरीण)
निदेशक एवं सीईओ (रीअल ईस्टेट प्रभाग)
DIN: 00015837

अनंत राज लिमिटेड के लिए
हस्ता.-/
(अमर सरीण)
निदेशक एवं सीईओ (परियोजना प्रभाग)
DIN: 00015837

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 14 फरवरी, 2020

www.readwhere.com

पटाखे की दुकान में आग बुझाते दमकलकर्मी।

जयपुर के इंदिरा बाजार में लगी भीषण आग

जयपुर, 15 फरवरी (भाषा)।

जयपुर के इंदिरा बाजार में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग ने बताया कि पटाखे की एक दुकान से शुरू हुई इस आग ने आसपास की सात दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान है।

इस बीच मुख्य दमकल अधिकारी जगदीश फुलवारिया ने बताया कि इंदिरा बाजार में पटाखों की एक दुकान से आग शुरू हुई और इसके बाद आसपास की सात दुकानें इसकी चपेट में आ गई।

उन्होंने बताया कि आग बुझाने के प्रयास में एक दमकलकर्मी घायल भी हो गया। उन्होंने कहा कि आग के कारणों व नुकसान की सटीक जानकारी जांच के बाद ही पता लग पाएगी।

कैग रपट की विषय-सामग्री लीक होने पर यूडीएफ, एलडीएफ में तकरार

कोच्चि, 15 फरवरी (भाषा)।

राज्य विधानसभा में रखे जाने से पहले ही कैग रिपोर्ट की विषय-सामग्री लीक होने का आरोप लगाने वाले केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस के बयान से हड़कंप मच गया है। माकपा नीत सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस नीत विपक्ष के बीच शनिवार को इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई।

राज्य सरकार ने कैग रिपोर्ट को लेकर उसके खिलाफ राजनीतिक हमले की साजिश का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में पुलिस विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निधियों के किसी अन्य मद में उपयोग करने में राज्य पुलिस के प्रमुख लोकनाथ बेहरा की भूमिका का हवाला दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने सरकार पर ध्यान भटकाने वाली युक्तियां अपनाने का आरोप लगाया और उसे मामले में विस्तृत जांच का आदेश देने की चुनौती दी।

केंद्र करेगा विचार

केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय कैग रिपोर्ट में उल्लेखित मामलों पर गंभीरता से विचार करेगा। वर्तमान में यह मामला केंद्र सरकार के सामने औपचारिक रूप से नहीं रखा गया है।

रिपोर्ट लीक होने का आरोप लगाने वाले मुख्य सचिव के बयान के एक दिन बाद पर्यटन मंत्री के. सुरेंद्रन ने कहा कि वह कांग्रेस का वरिष्ठ विधायक पीटी थॉमस थे, जिन्होंने राज्य विधानसभा में रिपोर्ट की विषय-सामग्री पर नियोजित प्रस्तुति दी। सुरेंद्रन ने कहा कि सदन में कैग रिपोर्ट रखे जाने से पहले, पीटी थॉमस ने विधानसभा में इसकी विषय-सामग्री से संबंधित मामलों को उठाया था।

उन्होंने कैग रिपोर्ट का जिक्र किए बिना मुद्दों पर नियोजित प्रस्तुति दी। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें लीक हुई कैग रिपोर्ट मिल गई थी।

यह सदन की कार्यवाही का स्पष्ट उल्लंघन है। इसकी जांच होनी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि जब पूरे मुद्दे का विश्लेषण किया गया तो ऐसा संदेह हुआ कि षड्यंत्र की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई शक नहीं है कि कुछ केंद्रों ने साजिश रची। सुरेंद्रन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस ने उनसे मामले पर 'लुका छिपी का खेल' नहीं खेलने की अपील की और कैबिनेट की अगली बैठक में मामले में विस्तृत जांच की मांग उठाने की हिम्मत दिखाने को कहा। इस मुद्दे पर भाजपा ने भी एलडीएफ सरकार पर निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय कैग रिपोर्ट में उल्लेखित मामलों पर गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह मामला केंद्र सरकार के सामने औपचारिक रूप से नहीं रखा गया है।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जनवरी में 2,740 लंबित मामले निपटाए

जयपुर, 15 फरवरी (भाषा)।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जनवरी महीने में 2,740 लंबित आवेदनों का निस्तारण कर नया रिकार्ड बनाया है।

मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने बताया कि इससे पहले प्रतिमाह 1,800 लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में कुल लंबित प्रकरणों के 37 फीसद से अधिक आवेदनों का निपटारा कर उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रकरण निस्तारित होने से विभिन्न प्रकार के उद्योगों, होटल, हॉस्पिटल, माइन, क्रेशर व बड़ी बिल्डिंग परियोजनाओं की गतिविधियों में भी गति आई है। उन्होंने बताया कि जनवरी, 2020 में निस्तारित 2,740 आवेदनों में से 1,350 आवेदन चार महीने की निर्धारित समय सीमा पार कर चुके थे, जिनमें से 289 आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे। 2019 में जनवरी से सितंबर तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 15,231 आवेदन प्राप्त हुए, पर इस अवधि में 15,930 आवेदनों का ही निस्तारण किया गया, जबकि विगत 4 महीनों (अक्तूबर, 2019 से जनवरी, 2020) में राज्य मंडल को 4,450 आवेदन प्राप्त हुए व मंडल द्वारा 7,052 आवेदनों का निस्तारण किया गया है, जो प्राप्त आवेदनों की तुलना में डेढ़ गुणा से भी अधिक है।

कर्नाटक : मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने वाले कांग्रेसी नेता हिरासत में

बंगलुरु, 15 फरवरी (भाषा) ।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव और नेता विपक्ष सिद्धरमैया समेत पार्टी के विभिन्न नेताओं को शनिवार को मुख्यमंत्री बीएस एदियुरप्पा के कार्यालय का घेराव करने के लिए जाते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता राज्य की भाजपा सरकार द्वारा पुलिस के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

राव और बंगलुरु (ग्रामीण) से सांसद डीके सुरेश ने पुलिस द्वारा उन्हें रोकने के लिए लगाए गए अवरोधकों को पार करने की कोशिश की और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने लगे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोककर हिरासत में ले लिया गया। विरोध मार्च रेस कोर्स रोड पर गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ था और इसके कारण जाम लग गया।

राज्य कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी के संबंध में एक नाटक के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपत्तिजनक रूप से दिखाए जाने के लिए बीदर के एक स्कूल के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने और स्कूल की प्रधानाध्यापक तथा एक छात्रा के परिजन को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया था।

राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भाजपा और उसकी विभाजनकारी नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ मामला चलाने के पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने खुद को हिरासत में लिए जाते समय कहा, पुलिस के पास हमारे अधिकारों को दबाने या छीनने का कोई अधिकार नहीं है।

तमिलनाडु में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा

चेन्नई, 15 फरवरी (भाषा) ।

तमिलनाडु में द्रमुक समेत विपक्षी दलों ने यहां सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित रूप से बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग क्यों किया। हालांकि भाजपा नेता एच राजा ने पुलिसकर्मियों पर हमले की निंदा की, जिसमें महिला संयुक्त आयुक्त समेत चार लोग घायल हो गए थे। स्टालिन ने एक बयान में कहा, शांतिपूर्ण (प्रदर्शन कर रहे) लोगों पर अकारण अनावश्यक लाठीचार्ज किया गया और इसके कारण राज्य भर के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा।

मुसलमानों का सीएए विरोधी प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष में चार पुलिसकर्मी घायल हो थे। इसके बाद तमिलनाडु में कई जगह प्रदर्शन हुए थे लेकिन प्रदर्शनकारियों ने शहर पुलिस आयुक्त एके विश्वनाथन के साथ बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया था। स्टालिन ने इस संबंध में दर्ज हर मामले को वापस लिए जाने और कथित रूप से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की।

अन्ना मक्कल मुनेत्र कषगम के नेता टीटीवी दिनाकरण ने भी सरकार की आलोचना की। एमडीएमके ने अपने जिला सचिवों की बैठक में प्रस्ताव पारित करके प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग करने को लेकर पुलिस की निंदा की।

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सहयोगी भाजपा के नेता एच राजा ने प्रदर्शन में पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की और ट्वीट किया, दंगा करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

सड़क दुर्घटनाओं में महिला समेत छह लोगों की मौत

बलरामपुर (उप्र), 15 फरवरी (भाषा)।

बलरामपुर जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित छह लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए, जिनमें सात की हालत गंभीर है।

पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी कि शुक्रवार देर शाम नगर कोतवाली इलाके के राजपुर भरिया जंगल के पास एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसके कारण गोंडा जिले के रवि श्रीवास्तव और दूगेश श्रीवास्तव की मौके पर मौत हो गई व 24 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में किशना देवी, कृति, सीमा, मंजू देवी, सुरेंद्र, राम सागर, राजन, खेरूनिशा, अब्दुल खालिक, सुमन और अरशद शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में नगर कोतवाली क्षेत्र में कार और ट्रक की टक्कर में कार चालक मोहम्मद आजम की मौत हो गई। इसके अलावा पचपेड़वा क्षेत्र के जुडिकुइया के पास मोटर साइकिल की भिड़ंत में 14 वर्षीय फिरोज की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बलरामपुर गौरा मार्ग पर रामनगर के पास हुई कार और जीप की टक्कर में पांच लोग से घायल हो गए।

विष्णु दत्त शर्मा बने मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष

भोपाल, 15 फरवरी (भाषा) ।

मध्य प्रदेश भाजपा के महासचिव एवं खजुराहो लोकसभा सीट के सांसद विष्णु दत्त शर्मा (49) मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की।

विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विष्णु दत्त शर्मा को मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। वह देश भाजपा राकेश सिंह की जगह लेंगे। सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद हैं। उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है। राज्य के राजनीतिक गलियारों में अनुमान लगाया जा रहा था कि राकेश सिंह को फिर से मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में पिछले महीने अपने लोकसभा क्षेत्र जबलपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। हालांकि, भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए शर्मा को चुना। पार्टी के इस कदम ने भाजपा के कई नेताओं को आश्चर्यचकित किया है। विष्णु दत्त शर्मा पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में वीडी शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। वह संघ के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से की थी। एबीवीपी को 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में मजबूत करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। शर्मा एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। वह वर्ष 2013 में भाजपा में आए।

इस पद पर उनकी नियुक्ति के बाद भाजपा नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में दूसरा महत्त्वपूर्ण पद ब्राह्मण नेता को सौंपा है। इससे पहले पार्टी ने गोपाल भार्गव को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है।

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 887/2018 **बिक्री उद्घोषणा नोटिस** **दिनांकित : 13.01.2020**

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम किशन गुप्ता एवं अन्य

सीडी नं. 1. किशन गुप्ता पुत्र तेजपाल गुप्ता, निवासीः एम-16, तृतीय तल, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
सीडी नं. 2. मीनू गुप्ता, पत्नी किशन गुप्ता, निवासीः एम-16, तृतीय तल, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
सीडी नं. 3. विमल कुमार गुप्ता, पुत्र तेजपाल गुप्ता, निवासीः एम-16, तृतीय तल, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
सीडी नं. 4. सुषमा गुप्ता, पत्नी विमल कुमार गुप्ता, निवासीः एम-16, तृतीय तल, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली ओ.ए सं 428/2017/डीआरटी-III दिल्ली में आपके द्वारा देय रू. 59,98,834,33 (रू. उनसठ लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ चौतीस और पैसे तैतीस मात्र) दिनांक 22.06.2017 से प्रभावी 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, लागतों का प्रमाण-पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।**

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पति की सार्वजनिक नीलामी द्वारा **08.04.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है)** ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि., **उद्योग विहार, फेज-2, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव (हरियाणा)-122015, हैल्पलाईन नं. +91-7291981124/25/26** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री विनोद चौहान, जिसका मोबाइल नंबर 09813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com, वेब: www.bankeauctions.com से सम्पर्क करें।**

अन्य विवरण हेतु **बैंक के ऑफिसर, श्री अनिल कुमार वर्मा, मुख्य प्रबंधक, मो. 9451954257 से सम्पर्क करें।**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उद्घोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	सम्पत्ति नं. एम-16, तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में स्थित	रू. 40,00,000/- (रू. चालीस लाख मात्र) धरोहर राशि : 4,00,000/- (रू. चार लाख मात्र)

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।

2. बोली, **कम से कम रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।

3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में सीलबंद लिफाफे में दिल्ली** में देययोग्य हो, **को दिनांक 06.04.2020 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलों में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) **वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली** के कार्यालय में जमा कराना होगा।

6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**

8. इच्छुक बोलीदाताओं हेतु **सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 02.04.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।

10 सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

11 अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

12 सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / भार या विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में है, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नहीं है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में, बिजली / पानी / हाउस टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेतु के बकाया राशि की स्वंय जॉच कर लें।

13. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा

14. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रमाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। **(अनिल कुमार यादव)**

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को दिया गया। **वसूली अधिकारी-I, ऋणवसूली अधिकरण-III, दिल्ली**

निर्मल और स्वच्छ गोमती के लिए सरकार जुटी : योगी

लखनऊ, 15 फरवरी (भाषा)।

'जल ही जीवन है' को दोहराते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि हम सभी को साथ मिलकर जल की शुद्धता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। लखनऊ से होकर बहने वाली गोमती के बारे में उन्होंने कहा कि इसे निर्मल और अविरल बनाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन जनता को भी प्रयास करना होगा तभी हम नदी को उसका पुराना निर्मल स्वरूप लौटा सकेंगे।

योगी ने शनिवार को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में 'मां शारदालय मंदिर' का लोकार्पण किया और प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि केजीएमयू में हर साल बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है, मां शारदा की प्रतिमा लगाई जाती है। पूजा के बाद उनका विसर्जन गोमती में किया जाता है जिससे नदी जल प्रदूषित होता था। लेकिन अब 'मां शारदा' की स्थाई प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा होने से नदी को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि नदी को निर्मल बनाने की दिशा में केजीएमयू का यह अभिनव प्रयास है। नमामि गंगे परियोजना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, 'बाढ़ के दौरान मैं एनडीआरएफ के जवानों के साथ गंगा में भ्रमण कर रहा था। उन्होंने बताया कि पहले गंगा में अभ्यास के दौरान उनके शरीर पर चकत्ते पड़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।' उन्होंने कहा कि 'नमामि गंगे' ने गंगा को निर्मल और अविरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा को ऐसा बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा। कानपुर में प्रतिदिन 140 एमएलडी सीवर गिरता था। रासायनिक प्रदूषण के कारण नदी में मछलियां नहीं बची थीं। हमने उन नालों को जल-मल शोधन संयंत्र में भेजा और शोधित जल का उपयोग सिंचाई में किया। उन्होंने कहा कि गोमती के लिए भी हमें महती प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' चलाया। इससे न सिर्फ गंदगी कम हुई बल्कि बीमारियां भी दूर हुईं।

वाराणसी में शनिवार को मीडिया से बात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

ARCOTECH LIMITED
CIN: L34300HR1981PLC012151
Regd. Off.:181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana123501
Website: www.arcotech.in, email: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160
Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2019
(Rs. in lacs, except per share data)

S.N	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Month ended 31.12.2019 (Unaudited)
1.	Revenue from operations	275.00	11724.35	7354.93
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	(1737.50)	(7570.63)	(8016.84)
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	(1737.50)	(7570.63)	(8016.84)
4.	Net Profit for the period after tax	(1253.20)	(4960.87)	(5551.55)
5.	Total Comprehensive income for the period	(1252.73)	(4960.81)	(5549.59)
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs.2/- each)	2100.00	2100.00	2100.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	—	—	—
8.	Earnings Per Share(for continuing operations) Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	(1.19)	(4.72)	(5.29)

Note:
1. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 14th February, 2020
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and at www.nseindia.com and also on the Company's website at www.arcotech.in
3. The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") from April 1, 2017 and accordingly, these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 "Interim Financial Reporting prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

By the order of Board of Directors
For Arcotech Limited
Sd/-
Whole Time Director
Din: 01189370

Place: New Delhi
Date: 14.02.2020

नाबालिग से चोरी कराने के आरोप में गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

ठाणे, 15 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मीरा रोड क्षेत्र से पुलिस ने विवाह समारोहों में एक लड़के से कथित रूप से चोरी करवाने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों की पहचान विक्रांत भनेरिया, चंदन सिंह राजपूत और आदित्य सिसोदिया के रूप में की गई है। तीनों मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के निवासी हैं। पुलिस ने दस साल के एक लड़के को हिरासत में लिया है, जिसे गिरोह के सदस्य चोरी करने के लिए भेजते थे।

नया नगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक कैलाश बर्वे ने कहा कि ठाणे जिले की ग्रामीण पुलिस ने तीनों को गुरुवार को गिरफ्तार किया। गिरोह पहले भी ऐसे कई अपराध कर चुका है। ताजा घटना मीरा रोड पर एक विवाह समारोह में 12 फरवरी को हुई थी। उन्होंने कहा कि शिकायत के अनुसार लड़का दुल्हन की कमरे में घुसा। दुल्हन के एक रिश्तेदार ने उसे वहां पड़े एक बैग में से बटुआ चुराते देखा। जब रिश्तेदार ने लड़के को टोका तो उसने कहा कि बटुआ उसकी मां का है। बर्वे ने कहा कि रिश्तेदार को लड़के पर शक हुआ और उसने लड़के से उसकी मां के पास ले चलने को कहा। इस पर लड़का जवाब नहीं दे पाया तो रिश्तेदार उसे मैरिज हॉल के प्रबंधक के पास ले गया, जिसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। दुल्हन के रिश्तेदार ने बाद में शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि गिरोह लड़के को विवाह समारोहों में चोरी करने के लिए भेजता था और चोरी करने के बाद उसे पैसे देता था। वरिष्ठ निरीक्षक बर्वे ने बताया कि लड़के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और लड़के को अदालत के आदेशानुसार भिवंडी में सुधार गृह में भेज दिया गया है।

खबर कोना

अबू धाबी में शनिवार को महिला उद्यमियों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार इवांका ट्रंप।

मैक्सिको के एक राज्य में आठ शव बरामद

मैक्सिको सिटी, 15 फरवरी (एपी)।

मैक्सिको के दक्षिण मिचोआकान राज्य में शुक्रवार को आठ शव पाए गए। उसी दिन मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रोडोर वहां अन्य राष्ट्रीय गार्ड चौकी के उद्घाटन के लिए राज्य में आए थे। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी से हुई ये मौतें दक्षिणपूर्व जिविलपन से 400 किलोमीटर दूर हयेतैमो में हुई, जहां राष्ट्रपति वैलेंटाइन डे पर गार्ड की नई चौकी के उद्घाटन के लिए आए हुए थे। एक अधिकारी ने बताया कि सभी लोगों को उच्च क्षमता वाले हथियारों से गोली मारी गई। घटनास्थल पर चोरी की एक एसयूवी भी बरामद की गई है। जांचकर्ताओं ने अन्य कोई जानकारी नहीं दी। लोपेज के एक दिसंबर 2018 को कार्यभार संभालने के बाद से मैक्सिको में हत्याओं के मामले रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।

'ट्रंप की भारत यात्रा पूरी तरह सफल होगी'

वाशिंगटन, 15 फरवरी (भाषा)।

दक्षिण एशिया मामलों के प्रतिष्ठित अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी भारत यात्रा को देखना दिलचस्प होगा और यह कई मायनों में 'पूरी तरह से सफल' होगी। व्हाइट हाउस ने इस सप्ताह घोषणा की कि ट्रंप का प्रथम महिला के साथ 24 और 25 फरवरी को अमदाबाद और नई दिल्ली की यात्रा का कार्यक्रम है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और महाभियोग सुनवाई में सीनेट से बरी होने के बाद भी उनकी पहली यात्रा होगी।

'कार्नेजी एन्डॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' की सीनियर फेलो एश्ले टेलिस ने कहा, 'मुझे लगता है कि ट्रंप की यात्रा को देखना दिलचस्प होगा और यह कई मायनों में पूरी तरह से सफल होगी।' ट्रंप का गुजरात के अमदाबाद पहुंचने पर लाखों लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने की उम्मीद है।

वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नव निर्मित मोटेरा स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने ऐतिहासिक भाषण दे सकते हैं। भारत से संबंधित मामलों पर सबसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों में से एक टेलिस ने कहा कि हालांकि वह इसे लेकर अनिश्चित हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद हल होगा या नहीं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है।

टेलिस ने कहा, 'हालांकि भारत सरकार ने दावा किया है कि दोनों देश एक समझौते के करीब हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर वास्तव में कोई प्रगति हुई है। रक्षा बिक्री पर कुछ प्रगति हुई होगी लेकिन वह भी अनिश्चित है।' 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' में 'यूएस इंडिया पॉलिसी स्टडीज' में वधवानी चेयर रिक रोसॉव ने हालांकि उम्मीद जताई कि दोनों देश नेता हाल में आए व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए एक समझौता कर सकते हैं।

रोसॉव का मानना है कि भारत की यात्रा अब इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। उन्होंने कहा, 'भारत निर्यात के लिए बड़ा और उभरता बाजार है और अमेरिका के लिए उभरता सुरक्षा साझेदार है, खासतौर से जब हम अफगानिस्तान से अपनी सेना कम करने और चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं। भारत दोनों मोर्चे पर महत्वपूर्ण होगा।'

विशेषज्ञों की राय

'कार्नेजी एन्डॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' की सीनियर फेलो एश्ले टेलिस ने कहा, 'मुझे लगता है कि ट्रंप की यात्रा को देखना दिलचस्प होगा और यह कई मायनों में पूरी तरह से सफल होगी।' ट्रंप का गुजरात के अमदाबाद पहुंचने पर लाखों लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने की उम्मीद है।

फेसबुक पर लोकप्रियता में मुझे पहला और मोदी को दूसरा स्थान मिला : ट्रंप

वाशिंगटन, 15 फरवरी (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह उनके लिए सम्मान की बात है कि फेसबुक ने उन्हें इस सोशल मीडिया साइट पर लोकप्रियता के मामले में पहला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा स्थान दिया है। ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट किया, 'मेरा मानना है कि यह बहुत सम्मान की बात है। मार्क जुकरबर्ग ने हाल में कहा, 'डोनाल्ड जे ट्रंप फेसबुक पर शीर्ष स्थान पर है।' नंबर दो पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। दरअसल, मैं दो सप्ताह में भारत जा रहा हूं। इसे लेकर उत्साहित हूं।'

माली में हमले में नौ सैनिकों समेत 40 लोगों की मौत

बमाको, 15 फरवरी (एएफपी)।

मध्य माली में एक के बाद एक हुए हमलों में नौ सैनिकों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ज्यादातर मौतें बेहद अशांत क्षेत्र में अंतरनस्ली हिंसा के कारण हुई हैं।

सरकार ने बताया कि 31 लोगों की मौत ओगोसागो गांव में रात में हुए हमले में हुई। इस गांव में फुलानी लोगों का बाहुल्य है जहां पिछले साल मार्च में 160 लोगों की मौत हुई थी। इस नरसंहार का आरोप डोगोन मिलिशिया के लोगों पर लगा था। गांव के प्रमुख अली उस्मान बरी ने बताया कि करीब 30 बंदूकधारियों ने इस नए हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, 'झोपड़ियों और फसलों को आग लगा दी गई। मवेशियों को जला दिया गया या साथ ले जाया गया।'

बरी ने कहा कि सरकार अपराधियों को ढूंढ निकालेगी। इससे पहले स्थानीय सरकार के अधिकारी ने कहा था कि 28 लोग लापता हैं। उन्होंने इस हमले के लिए डोगोन शिकारी समूह को जिम्मेदार ठहराया। इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

अधिकारी और गांव के प्रमुख बरी दोनों ने कहा कि इलाके से सैनिकों को वापस ले लेने के बाद हमलावर कई घंटे तक यहां घूमते रहे। सेना ने बताया कि बाद में शुक्रवार की रात मध्य गावो क्षेत्र में घात लगा कर किए गए हमले में माली के आठ सैनिकों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मध्य माली के मोंडोरो में सेना के शिविर पर हुए हमले में एक अन्य सैनिक की भी मौत हो गई।

कोरोना वायरस से विश्वभर में 67 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित

बीजिंग, 15 फरवरी (एपी)।

चीन से फैले कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनियाभर के 67 हजार से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने पिछले साल इस बीमारी के सामने आने और इसके लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के कारण इसे कोविड-19 नाम दिया है। प्रत्येक सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार तक चीन में 1,523 लोगों की मौत हुई और 66,492 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

इसके अलावा हांगकांग में एक व्यक्ति की मौत समेत 56 मामले सामने आए हैं। मकाउ में दस मामलों की पुष्टि हुई है।

दुनिया भर में सामने आए मामलों की संख्या

जापान : 259, सिंगापुर : 67, थाईलैंड : 33, दक्षिण कोरिया : 28, ताइवान : 18, मलेशिया : 21, ऑस्ट्रेलिया : 14, जर्मनी : 16, वियतनाम : 16, अमेरिका : 15, एक अमेरिकी व्यक्ति की चीन में मौत। फ्रांस : 11, संयुक्त अरब अमीरात : 8, कनाडा : 8, फिलीपीन : 3 मामले, एक व्यक्ति की मौत, ब्रिटेन : 9 भारत : 3, रूस : 2, इटली : 3, बेल्जियम : 1, नेपाल : 1 श्रीलंका : 1, स्वीडन : 1, स्पेन : 2, कंबोडिया : 1, फिनलैंड : 1, मिस्र : 1

शरीफ को धनशोधन मामले में पेशी से मिली छूट

लाहौर, 15 फरवरी (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को धन शोधन के मामले में यहां की एक अदालत ने चिकित्सा आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। साथ ही, अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। मीडिया में शनिवार को आई खबरों में यह बताया गया है।

पाकिस्तान मुसलिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख एवं 69 वर्षीय शरीफ का लंदन के एक अस्पताल में कोरोनरी आर्टरीज से संबंधित रोग (धमनियों में रूकावट के चलते होने वाली हृदय संबंधी बीमारी) का इलाज चल रहा है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक शरीफ ने अदालत से चौधरी चीनी मिल मामले में अपने खिलाफ कार्यवाही में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। अदालत ने शरीफ की अर्जी स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। शरीफ को पिछले महीने लाहौर उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर जमानत दी थी।

यूरोप आर्थिक लाभ दे तो परमाणु समझौते की ओर लौट सकते हैं: ईरान

म्युनिख, 15 फरवरी (एएफपी)।

ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि यदि यूरोप अर्थपूर्ण आर्थिक लाभ मुहैया कराता है तो ईरान फिर से 2015 परमाणु समझौते की ओर वापस जा सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से पीछे हट गए थे और उन्होंने उस पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे जिसके बाद से समझौते का यूरोपीय पक्ष-ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका के समझौते से पीछे हटने के बाद ईरान ने भी अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटते हुए कई कदम उठाए हैं जिनमें यूरेनियम संवर्धन बढ़ाना शामिल है।

जरीफ ने म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, 'हमने कहा है कि वह यूरोप के कदमों के अनुरूप इन कदमों को वापस लेने या धीमा करने के लिए तैयार है।' उन्होंने कहा, 'हम फैसला करेंगे कि क्या यूरोप द्वारा उठाए कदम इस काबिल हैं कि हम अपने कदम पीछे खींचें या उनकी गति धीमी करें।' यूरोप ने अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए ईरान के साथ वैध मानवीय कारोबार को संभव बनाने के लिए 'इन्स्टेक्स' नाम से एक विशेष व्यापार तंत्र बनाया है, लेकिन ईरानी पक्ष को नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। जरीफ ने कहा, 'हम चैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ईरान के और ईरानी लोगों के आर्थिक लाभ लेने के अधिकार की बात कर रहे हैं।'

सेना प्रमुख के यात्रा प्रतिबंध पर लंका ने कड़ी आपत्ति जताई

कोलंबो, 15 फरवरी (भाषा)।

श्रीलंका ने अपने सेना प्रमुख की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिका के समक्ष सख्त आपत्ति जताई है। अमेरिका ने श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शवेंद्र सिल्वा और उनके परिवार पर यात्रा प्रतिबंध लगाया हुआ है।

श्रीलंका ने कहा कि प्रतिबंध का कदम असत्यापित सूचना पर उठाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि सिल्वा के खिलाफ बड़े स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप गंभीर एवं विश्वास करने योग्य हैं।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार रात को जारी बयान में कहा, श्रीलंका सरकार ने अपने सेना प्रमुख सिल्वा और उनके परिवार के सदस्यों की यात्रा पर लगाए प्रतिबंध के खिलाफ अमेरिका के समक्ष आधिकारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज की है।' बयान में कहा गया कि श्रीलंका सरकार ने अमेरिका से निवेदन किया है कि वह अपने सूत्रों की सत्यता की जांच करें और अपने फैसले पर विचार करें।

बयान में कहा गया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा अपने सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अमेरिका की ओर से सवाल किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। सिल्वा की नियुक्ति के समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सिल्वा को पिछले साल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था और इससे पहले वह सेना की 58वीं डिवीजन के प्रमुख थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल ऐलम (लिट्टे) के खिलाफ आखिरी अभियान चलाया गया था।

अमेरिका के वैश्विक भूमिका छोड़ने के दावों को किया खारिज

म्यूनिख, 15 फरवरी (एएफपी)।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने शुक्रवार को वैश्विक मंच से अमेरिका के पीछे हटने के यूरोपीय निराशावाद को खारिज करते हुए कहा कि ट्रांसअटलांटिक गठजोड़ के खत्म होने को 'व्यापक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर' पेश किया जा रहा है।

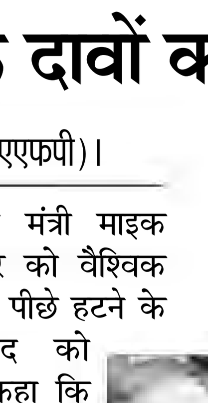

पोम्पिओ ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पश्चिम जीत रहा है और हम साथ में जीत रहे हैं।'

इस वार्षिक सम्मेलन में दुनियाभर के नेता, जनरल और कूटनीतिज्ञ सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा के लिए जुटते हैं हालांकि इस बार का सम्मेलन घटते पश्चिमी प्रभाव और चीन व रूस के बढ़ते प्रभुत्व की आशंकाओं के बीच हो रहा है।

जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर ने एक दिन पहले अपने संबोधन में कहा था कि अमेरिका ने 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विचार को ही' खारिज कर दिया और अब अपने पड़ोसियों और साझेदारों की कीमत पर कार्रवाई कर रहा है।

जर्मन राष्ट्रपति के संबोधन के एक दिन बाद मार्क ट्वेन के एक प्रसिद्ध कथन का उल्लेख करते हुए पोम्पिओ ने कहा कि ये बयान वास्तविकता को परिलक्षित नहीं करते। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि ट्रांसअटलांटिक गठजोड़ के खत्म होने को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।'

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 03.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता कॉर्पोरेशन बैंक से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 04.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई–मेल आईडी	ऋणधारक / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	**फरीदाबाद शाखा,** श्री कृष्ण कुमार ग्लाहवत, मो. 7042597406, फोन 0129- 2422595, 2412235, ईमेल cb0479@corpbank.co.in	कर्जदार : **मैसर्स रॉकवैल मैटल प्रा. लि.,** गारंटर : 1. श्रीमती गंगा देवी, 2. श्री महेश चौधरी, 3. श्री जितेन्दर कुमार, 4. श्री राजेश चौधरी, 5. श्री संदीप कुमार, 6. श्री सुनील चौधरी, 7. श्री विक्रम सिंह	प्लॉट नं. सी–24 का पश्चिमी भाग 74 वर्ग गज, नेहरू ग्राउण्ड, एन आई टी, फरीदाबाद, मालिकाना हक श्री विक्रम सिंह	₹ 15,02,45,050.76 मांग सूचना दिनांक 06.04.2016 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 50.75 लाख / ₹ 5.075 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 0479013881200101 IFSC Code: CORP0000479
2	**झज्जर शाखा,** श्री संजय कुमार, मो. 9149373546, फोन 01251-252100, 01251-254100 ईमेल cb1104@corpbank.co.in	कर्जदार : **श्री कपिल देव पुत्र राजबीर, सह–कर्जदार : श्री मोनिका पुत्री राजबीर**	साम्यिक बंधक सम्पति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल सम्पत्ति मॉडल टाउन वार्ड नं. 18, झज्जर, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 181.50 वर्ग गज	₹ 4,74,619.00 मांग सूचना दिनांक 05.04.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 22.95 लाख / ₹ 2.295 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 1104013881200101 IFSC Code: CORP0001104
3	**वसंत विहार शाखा,** श्री मनोज कुमार सिंह, मो. 8511172848, फोन 011-26151301, 26152307, ईमेल cb0564@corpbank.co.in	कर्जदार : **मैसर्स वूमेन डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन,** अध्यक्ष– रेणुका शर्मा, गारंटर: (1) रेणुका शर्मा, (2) सुश्री राधा रानी (3) सुश्री प्रतिमा झा पत्नी एस के झा (4) श्रीमती पूजा कटारा पत्नी श्री अजय कटारा (5) श्री हरि शर्मा (6) श्रीमती महिका शर्मा	सम्पत्ति नं. एस–192, सम्पूर्ण बेसमेंट क्षेत्रफल 204 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 में स्थित, जिसकी सीमाएं : उत्तर में – 15फीट सर्विस लेन, दक्षिण में – 30फीट चौड़ी रोड, पूरब में – प्लॉट नं. एस–194, पश्चिम में – प्लॉट नं. एस 190	₹ 73,43,982.00 दिनांक 06.03.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 97.00 लाख / ₹ 9.70 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No : 0564013881200101 IFSC Code: CORP0000564
4	**देवली शाखा,** श्री सुधीर कुमार, मो. +91-9953224030, फोन 011-29914464, 29914463, ईमेल cb1313@corpbank.co.in	कर्जदार : **मैसर्स आर. एस कंसट्रक्शन, प्रोप. श्री रमित वर्मा**	सम्पत्ति 1 : साम्यिक बंधक सम्पत्ति दुकान नं. D-01/044/1B, डीएलएफ दिलशाद प्लाजा, डीएलएस, दिलशाद एक्स. II, भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित	₹ 13,26,020.00 दिनांक 05.07.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 7.50 लाख / ₹ 0.75 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No. 1313013881200101 IFSC Code: CORP0001313
			सम्पत्ति 2 : साम्यिक बंधक सम्पत्ति दुकान नं. D-01/051/2B, डीएलएफ दिलशाद प्लाजा, डीएलएस, दिलशाद एक्स. II, भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित		₹ 7.50 लाख / ₹ 0.75 लाख / ₹ 0.50 लाख		
5	**सतबरी शाखा,** श्री अमित श्रीवास्तव कुमार, मो. +91-9740297466, फोन 011-26301930, 011- 65905005, ईमेल cb1528@corpbank.co.in	कर्जदार : **मैसर्स परमविश इंजीनियर्स, प्रोप. सुशील कुमार पवार**	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 3986, क्षेत्रफल 147 वर्ग गज, सैनिक कॉलोनी, सैक्टर-49, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित।	₹ 69,29,372.00 मांग सूचना दिनांक 03.04.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 102.15 लाख / ₹ 10.215 लाख / ₹ 1.00 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 1528013881200101 IFSC Code: CORP0001528
6	**झज्जर शाखा,** श्री संजय कुमार, मो. 9149373546, फोन 01251-252100, 01251-254100, ईमेल cb1104@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स सैम टेलीकॉम प्रोप. नरेश कुमार चंदीलिया पुत्र श्री रघु नाथ गारंटर: श्रीमती गेन्दो देवी पत्नी श्री रघु नाथ	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति जोकि मोहल्ला जाटव, वार्ड नं. 2, ओल्ड बस स्टैण्ड के पास, तह. और जिला, झज्जर, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 80.00 वर्ग गज, जिसका सेल डीड नं. 3988, दिनांकित 20.03.2003 और गिफ्ट डीड नं. 3975, दिनांकित 03.12.2010, एस.आर झज्जर में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – श्री नीरजन की सम्पत्ति, दक्षिण में – श्री मानमेश्वर की सम्पत्ति, पूरब में – गली, पश्चिम – श्री प्रेम फर्नीचर की सम्पत्ति	₹ 18,51,158.00 मांग सूचना दिनांक 03.10.2017 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 34.00 लाख / ₹ 3.40 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 1104013881200101 IFSC कोड CORP0001104
7	**फरीदाबाद सैक्टर–14 शाखा,** श्री रितेश कुमार, मो. 9099264402, फोन: 0129-2222547, ईमेल: cb1246@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स एनसीआर पॉलीकेम प्रा. लि., श्री प्रयांक अग्रवाल पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल, श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल, श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री केदारनाथ अग्रवाल	साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. जी1–1094, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – प्लॉट नं. जी1–1095, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति	₹ 1,44,19,016.47 मांग सूचना दिनांक 13.09.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 93.50 लाख / ₹ 9.35 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 1246013881200101 IFSC कोड CORP0001246
8	**आया नगर शाखा,** श्री शशांक पाण्डेय, मो. 9818372896, फोन 011-26501282, ईमेल cb1717@corpbank.co.in	कर्जदार : 1. श्री सुरिन्दर सिंह 2. श्रीमती गुरप्रीत कौर	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति जोकि यूनिट नं. 06, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, प्रथम तल, ब्लॉक–सी6, पॉकेट– 2, सैक्टर–जी–2, नरेला, नई दिल्ली में स्थित	₹ 13,19,812.50 मांग सूचना दिनांक 21.08.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 11.25 लाख / ₹ 1.125 लाख / ₹ 0.50 लाख	04-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 1717013881200101 IFSC कोड CORP0001717

कृप्या विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें :

https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/kapil_dev_2.pdf, https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ncr_polychem_pvt_ltd_0.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sam_telecom_1.pdf, https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rockwell_metal_p_ltd_4.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/r.s._constructions_3.pdf, https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/surinder_singh_2.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/women_development_organisation_7.pdf,
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/paramvish_engineers_5.pdf और वेबसाईट : www.bankauctions.in & https://ibapi.in देखें।

दिनांक 15-02-2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

www.readwhere.com

खबर कोना

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान रैंप पर क्रिकेटर शिखर धवन।

अभद्र टिप्पणी मामले में प्रतिबंध से बचे अकमल

कराची, 15 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल लाहौर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस परीक्षण के दौरान एक ट्रेनर पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रतिबंध से बच गए। यह घटना पिछले महीने हुई थी जब सभी खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू शृंखला और पाकिस्तान सुपर लीग से पहले एनसीए में फिटनेस परीक्षण देने के लिए कहा गया था। शारीरिक वसा जांच के दौरान उमर (26 वर्ष) झुंझला गए जो अन्य परीक्षों में विफल हो गए थे। उन्होंने कपड़े निकालते हुए ट्रेनर पर अभद्र टिप्पाणी की थी। ट्रेनर ने इस मामले की रिपोर्ट मिस्बाह उल हक को दी जो मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता हैं। उन्होंने बोर्ड से जांच के लिए कहा। पीसीबी ने जांच पूरी होने के बाद कहा कि यह घटना गलतफहमी के कारण हुई। पीसीबी ने कहा कि उमर अकमल को अपने किए पर पछतावा है और पीसीबी ने उन्हें फटकार लगाई।

विदित गुजराती ने रैंगर को हराया, संयुक्त रूप से शीर्ष पर

प्राग, 15 फरवरी (भाषा)।

भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी विदित एस गुजराती यहां तीसरे दौर में आस्ट्रिया के जीएम मार्कस रैंगर पर जीत से प्राग शतरंज महोत्सव के मास्टर्स वर्ग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। भारत के लिए शुक्रवार का दिन मिश्रित नतीजों वाला रहा जिसमें देश के तीसरे नंबर के खिलाड़ी पी हरिकृष्ण को युवा अलीरेजा फिरौजा से 40 चाल में हार का सामना करना पड़ा। विदित ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए 46 चाल में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पोलैंड के शीर्ष वरीय जॉन क्रिस्तोफ दुदा को अमेरिका के सैम शंकलैंड ने ड्रॉ पर रोका।

हम्पी और हरिका ने केंर्स कप शतरंज में ड्रा खेले

सेंट लुइस, 15 फरवरी (भाषा)।

भारत की कोनेरू हम्पी ने यहां दूसरे केंर्स कप शतरंज टूर्नामेंट के सातवें दौर में ड्रॉ खेला। इससे वह 4.5 अंक लेकर विश्व चैंपियन वेनजुन जु के साथ संयुक्त बढ़त बनाए हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन हम्पी को शुक्रवार को सातवें दौर में अमेरिका की इरिना क्रश से 52 चाल में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। वहीं टूर्नामेंट में खेल रही अन्य भारतीय खिलाड़ी द्रोणावल्ली हरिका को अमेरिका की कारिसा यिप ने 43 चाल के बाद अंक बांटने पर मजबूर किया। इससे भारतीय खिलाड़ी के 3.5 अंक हैं।

बीस किमी पैदल चाल में भावना जाट का कमाल

रांची, 15 फरवरी (भाषा)।

भारतीय एथलीट भावना जाट ने शनिवार को राष्ट्रीय चैंपियनशिप की 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में राष्ट्रीय रेकार्ड बनाने के बाद ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। राजस्थान की 23 साल की इस एथलीट ने 1:29.54 सेकंड के समय से ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। ओलंपिक का क्वालीफिकेशन समय 1:31.00 सेकंड था।

भावना ने इस तरह पिछले साल अक्तूबर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान बनाए गए 1:38.30 सेकंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में काफी सुधार किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रियंका गोस्वामी 1:31.36 सेकंड के समय से ओलंपिक कट से करीब से चूक गईं जिसका आयोजन 24 जुलाई से नौ अगस्त तक तोक्यो में किया जाएगा।

इससे पहले राष्ट्रीय रेकार्ड दिल्ली की बेबी सौम्या के नाम था जिन्होंने राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप 2018 (दिल्ली) में 1:31:29 सेकंड का समय लिया था।

भावना जयपुर में कोच गुरमुख सिहाग की देखरेख में खुद ही अभ्यास करती हैं। उन्होंने जूनियर या सीनियर स्तर के किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। वह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) के किसी शिविर का भी हिस्सा नहीं रही हैं।

1:29.54 सेकंड के समय से ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया

“ यह सपने के सच होने जैसा है। यह पिछले कुछ महीने से की गई मेरी और कोच की मेहनत का नतीजा है। -भावना जाट

“ भावना ने डोप परीक्षण के लिए नमूना दिया है जिसका मतलब यह हुआ कि उनका राष्ट्रीय रेकार्ड मान्य रहेगा। -कोच गुरमुख सिहाग

1:38.30 सेकंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार किया भावना जाट ने

1:31:29 सेकंड के साथ पहले यह रेकार्ड दिल्ली की बेबी सौम्या के नाम था

1:31.36 सेकंड के समय से ओलंपिक कट से चूकीं प्रियंका गोस्वामी

उन्होंने सीनियर स्तर पर 2016 में राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप से पदार्पण किया। हैदराबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में वह 1:52:38 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रही थीं। भारतीय रेलवे में (कोलकाता में) ‘ट्रेन टिकट परीक्षक’ के तौर पर काम करने वाली भावना ने कहा कि यह सपने के सच होने जैसा है। मैं अभ्यास के दौरान 1:27:00 सेकंड का समय ले रही थी। ऐसे में मुझे पता था कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मैं ओलंपिक क्वालीफाइंग समय 1:31:00 सेकंड से कम समय में स्पर्धा को पूरा कर सकती हूं।

जयपुर के सवई मान सिंह स्टेडियम के आस-पास सड़क पर अभ्यास करने वाली भावना ने कहा कि यह पिछले कुछ महीने से की गई मेरी और कोच की मेहनत का नतीजा है। केटी इरफान (पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल), अविनाश साबले (पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज) एवं मिश्रित 4गुणा400 मीटर रिले टीम और नीरज चोपड़ा (पुरुष भालाफेंक) पहले ही एथलेटिक्स में तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं।

उनके कोच गुरमुख ने कहा कि भावना ने डोप परीक्षण के लिए नमूना दिया है जिसका मतलब यह हुआ कि उनका राष्ट्रीय रेकार्ड मान्य रहेगा। भावना इसके बाद एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में भाग लेंगी जो 15 मार्च से जापान में होगी।

अभ्यास मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने भी हुनर दिखाए

बुमराह और शमी ने मेजबान बल्लेबाजों को किया परेशान

हैमिल्टन, 15 फरवरी (भाषा)।

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ भारत के अभ्यास मैच के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी की। वेलिंगटन में होने वाले पहले टैस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने घरेलू टीम को चेताया कि मेजबानों के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी।

न्यूजीलैंड की टीम 74.2 ओवर में 235 रन पर सिमट गई। इसमें बुमराह (11 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट) और शमी (10 ओवर में 17 रन देकर दो विकेट) ने परिस्थितियों का अच्छा इस्तेमाल किया। उमेश यादव (13 ओवर में 49 रन देकर दो विकेट) और नवदीप सैनी (15 ओवर में 58 रन देकर दो विकेट) ने काफी ओवर फेंके लेकिन वे टीम के दो मुख्य तेज गेंदबाजों की तरह अपने स्पेल से बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके।

पिच अब बल्लेबाजों के लिए आसान होती जा रही है। पृथ्वी साव (19 गेंद में नाबाद 29 रन) ने कई कवर ड्राइव लगाए और उनकी पारी में एक शानदार छक्का भी शामिल रहा।

मैच समाप्त होने के बाद पवेलियन लौटते मयंक अग्रवाल और पृथ्वी साव।

मयंक अग्रवाल (17 गेंद में नाबाद 23 रन) ने एक छक्का लगाया जिससे दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 53 रन बना लिए थे।

मुख्य कोच रवि शास्त्री अपने तेज गेंदबाजों की लय देखना चाहते थे और बुमराह व शमी ने बादलों भरे मौसम में काफी अच्छी गेंदबाजी की। उमेश और सैनी ने हालांकि अपने पहले स्पेल में काफी फुल लेंथ गेंद फेंकी। बुमराह ने उछाल हासिल करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया और तीन छोटे स्पेल में गेंदबाजी की जबकि शमी ने दो स्पैल डाले। शमी ने ध्यान सीम को दोनों तरीकों से गेंदबाजी करने पर लगाया।

बुमराह ने विल यंग (02) को कोण लेती गेंद से बल्ला छुआने के लिए उकसाया और ऋषभ पंत ने इस कैच को लपकने में जरा गलती नहीं की। इसके बाद उन्होंने फिन एलेन (20) का विकेट झटका। लंच के बाद शमी के दूसरे स्पैल ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया जिसमें सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिमी नीशम शामिल थे।

इससे पहले उन्होंने क्रीज पर जमे हुए हेनरी कूपर (68 गेंद में 40 रन) को फुल लेंथ गेंद पर आउट किया। इसके बाद दोनों अंतिम सत्र में गेंदबाजी के लिए नहीं उतरे। अंत में आधा घंटा काफी मनोरंजक रहा जिसमें स्कॉट कुगेलीजन और ब्लेयर टिकनर की गेंदों को साव और अग्रवाल ने काफी पीटा और आसानी से रन जुटाए।

इशांत फिटनेस टेस्ट में पास, शृंखला के लिए रवाना होंगे

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा शनिवार को बंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस टेस्ट में सफल रहे। वह 21 फरवरी से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट शृंखला के लिए न्यूजीलैंड में टीम के साथ जुड़ेंगे।

बीसीसीआइ के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, ‘हां, उसने (इशांत) फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और (वह) न्यूजीलैंड में टीम से जुड़ेगा। वह पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध हैं लेकिन इस मामले में आखिरी फैसला टीम प्रबंधन को करना है।’ उम्मीद है कि इशांत पहले टेस्ट के लिए वेलिंगटन रवाना होंगे।

इशांत ने चोट से उबरने में मदद करने के लिए एनसीए के फिजियो आशीष कौशिक को धन्यवाद दिया। इशांत ने ट्वीट किया, ‘20 जनवरी को टखने में चोट लगने के बाद मेरे लिए मुश्किल समय था, लेकिन मुझे खुशी है कि आशीष कौशिक की मदद से मैं आज फिट हूं। उस समय स्कैन में जो दिखा था वह डरावना था। शुक्रिया आशीष।’

भारत के लिए 96 टैस्ट खेलने वाले इशांत का टखना रणजी ट्राफी के मैच में 20 जनवरी को चोटिल हो गया था। न्यूजीलैंड दौरे पर टैस्ट शृंखला के लिए चार फरवरी को चुनी गई टीम में इशांत शामिल थे।

स्कोर बोर्ड

भारत पहली पारी : 263 रन

न्यूजीलैंड एकादश पहली पारी : विल यंग का पंत बो बुमराह 02, रचिन रविंद्र का पंत बो यादव 34, टिम सिफर्ट का पंत बो शमी 09, फिन एलेन बो बुमराह 20, हेनरी कूपर का अग्रवाल बो शमी 40, टॉम ब्रूस बो सैनी 31, डेरिल मिशेल का साव बो यादव 32, जेम्स नीशम बो शमी 01, डेन क्लीवर बो सैनी 13, स्कॉट कुगेलीजन नाबाद 11, ईश सोढ़ी का पुजारा बो अश्विन 14, **गेंदबाजी** : बुमराह 11-3-18-2, यादव 13-1-49-2, शमी 10-5-17-3, सैनी 15-2-58-2, अश्विन 15.2-2-46-1, जडेजा 10-4-25-0

भारत दूसरी पारी : पृथ्वी साव खेल रहे हैं 35, मयंक अग्रवाल खेल रहे हैं 23 **गेंदबाजी** : ब्लेयर टिकनर 3-0-19-0, स्कॉट कुगलीजन 3-0-34-0, स्कॉट जानस्टन 1-0-6-0

रणजी ट्रॉफी : दिल्ली-राजस्थान के बीच मुकाबला ड्रा

नाडियाड (गुजरात), 15 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली और राजस्थान और हैदराबाद और विदर्भ के बीच शनिवार को मुकाबला ड्रा रहा। दिल्ली ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक जुटाए जबकि हैदराबाद में विदर्भ को तीन अंक मिले। लेकिन नतीजा उन्हें अगले दौर में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था।

वहीं गुजरात से हारने के बावजूद आंध्र रणजी क्वार्टर फाइनल में आंध्र ने शनिवार को ग्रुप ए के अंतिम मैच में तालिका में शीर्ष पर चल रही गुजरात के हाथों आठ विकेट की हार के बावजूद रणजी ट्राफी के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

कुरेन ने इंग्लैंड को दिलाई जीत, शृंखला 1-1 से बराबर

डरबन, 15 फरवरी (एएफपी)।

टॉम कुरेन के अंतिम दो गेंद में दो विकेट झटकने से इंग्लैंड ने शुक्रवार को दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर दो रन से रोमांचक जीत हासिल की। इससे तीन मैचों की शृंखला 1-1 से बराबर हो गई। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए सात विकेट पर 204 रन की पारी खेली जिसमें मैन ऑफ द मैच मोईन अली ने 11 गेंद में तेजी से 39 रन जुटाए। इससे मेहमान टीम ने अंतिम पांच ओवरों में 79 रन जुटाए।

इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सात विकेट पर 202 रन बना पाई। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डि कॉक ने 22 गेंद में आठ छक्कों की मदद से 65 रन की पारी खेली, उन्होंने तेम्बा बावुमा के साथ 92 रन की भागीदारी निभाई। मार्क वुड ने इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट झटके। लेकिन रासी वान डर डुसेन (नाबाद 43 रन) और ड्वेन प्रिटोरियस (25) ने दक्षिण अफ्रीका को करीब तक पहुंचा दिया था। इससे टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रन की दरकार थी जिसमें प्रिटोरियस ने 12 रन बनाए लेकिन वह यार्कर गेंद पर पगबाधा आउट हो गए।

इंग्लैंड को अंतिम दो गेंद में तीन रन चाहिए थे लेकिन टीम ने प्रिटोरियस का विकेट गंवा दिया।

लक्ष्य ने उलटफेर किया, भारत को मिला कांसा

मनीला (फिलीपींस), 15 फरवरी (भाषा)।

लक्ष्य सेन की एशियाई खेलों के चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी पर उलटफेर भरी जीत भी भारतीय पुरूष टीम के काम नहीं आ सकी जो यहां शनिवार को एशियाई टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दो बार की गत चैंपियन इंडोनेशिया से 2-3 से हार गई और उसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

लक्ष्य (31वीं रैंकिंग) ने दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी जोनाथन पर दूसरे एकल मुकाबले में 21-18 22-20 से सनसनीखेज जीत हासिल और भारत को दौड़ में बनाए रखा। पहले एकल में बी साई प्रणीत शुरूआती गेम में एंथोनी जिनटिंग से 6-21 से पिछड़ने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। एम आर अर्जुन और ध्रुव कपिला की युगल जोड़ी ने कड़ी मशक्कत की लेकिन उन्हें

तीन बार के विश्व चैंपियन और दूसरी रैंकिंग के मोहम्मद अहसन और हेंड्रा सेटियावान से 10-21 21-14 21-23 से हार का सामना करना पड़ा।

इससे इंडोनेशियाई टीम 2-1 से आगे हो गई। 2018 के सालोर्लक्स ओपन चैंपियन शुभंकर डे ने फिर तीसरे एकल में दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी शेसार हिरेन रूस्तावितो को 21-17 21-15 से हराकर उलटफेर किया जिससे फिर भारतीय टीम 2-2 से बराबरी पर पहुंच गई।

शीर्ष खिलाड़ियों को लेनी होगी जिम्मेदारी : मंधाना

दुबई, 15 फरवरी (भाषा)।

फॉर्म में चल रही सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का मानना है कि मध्यक्रम की अनिरंतरता को देखते हुए भारत की शीर्ष चार खिलाड़ियों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी से आस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के दौरान उन्हें लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी होगी। भारत के मध्यक्रम का प्रदर्शन निरंतर नहीं रहा है और लगातार विफलताओं का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा है। मंधाना ने कहा कि मध्यक्रम में निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है।

बीसीसीआइ की बैठक में घरेलू सत्र के कैलेंडर पर चर्चा आज

नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)।

बीसीसीआइ की रविवार को होने वाली शीर्ष परिषद की बैठक में 2020-21 घरेलू सत्र के लिए कैलेंडर सहित अन्य एजंडों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में आचरण अधिकारी की नियुक्ति और भारतीय क्रिकेटरों के संघ (आइसीए) के लिए फंड जारी करने सहित कई एजंडे शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति डीके जैन को पिछले साल फरवरी में बीसीसीआइ का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था और इसके बाद वह इसके आचरण अधिकारी के रूप में दोहरी भूमिका निभाने लगे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और कपिल देव के खिलाफ हितों के टकराव संबंधित आरोपों का निपटारा किया।

यह देखना होगा कि जैन को इसी जिम्मेदारी के लिए बरकरार रखा जाएगा या फिर सौरव गांगुली की अगुआई वाला बोर्ड नई नियुक्ति करेगा। नौ सदस्यीय परिषद के लिए एक और मुद्दा एजंडे में शामिल होगा और वो आइसीए को फंड जारी करना है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के मुताबिक बना भारत का पहला खिलाड़ी संघ है।

अक्तूबर में बने आइसीए को बीसीसीआइ से कोष की काफी जरूरत है। अभी तक खिलाड़ियों के संघ को कोई फंड नहीं दिया गया है जिससे इसका कोई कार्यालय नहीं है और यह नियमित अंतराल पर बैठक भी नहीं कर पा रहा।

अक्तूबर में हुई पहली बैठक में आइसीए ने 15 से 20 करोड़ रुपए का अस्थाई बजट तैयार किया था।

उछाल भरी पिचों पर खेलने में मिली मदद | साक्षात्कार | अंडर-19 विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे

एस्ट्रो टर्फ पर अभ्यास से सफल हुए यशस्वी

मुंबई, 15 फरवरी (भाषा)।

अंडर-19 विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे भारत के यशस्वी जायसवाल ने कहा कि एस्ट्रो टर्फ पिचों पर अभ्यास करने से उन्हें उछाल भरी पिचों पर खेलने में मदद मिली। जायसवाल टूर्नामेंट की छह पारियों में 400 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ी बने। इसमें पाक के खिलाफ सेमी फाइनल में लगाई गई नाबाद शतकीय पारी भी शामिल है।

जायसवाल ने कहा कि ज्वाला सर (उनके मेंटोर) ने मुझे कहा था कि मुझे वहां से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लाना है। हमने उछाल भरी पिचों पर बल्लेबाजी का काफी अभ्यास किया था। हमने शॉर्ट गेंद खेलने का भी काफी अभ्यास किया था। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपने कोच के नाम करने वाले 18 साल के इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं शॉर्ट गेंद को या तो खेल रहा था या छोड़ रहा था। एस्ट्रो टर्फ पर वैसा ही उछाल होता है जैसा वहां की पिचों पर, इसलिए मैंने एस्ट्रो टर्फ पिचों पर बल्लेबाजी का अभ्यास किया जिसका फायदा हुआ।

400 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ी बने जायसवाल

जायसवाल की पारी

- 59 रन श्रीलंका के खिलाफ
- 29 नाबाद जापान के खिलाफ
- 62 आस्ट्रेलिया के खिलाफ
- 105 नाबाद पाकिस्तान के खिलाफ
- 88 बांग्लादेश के खिलाफ

आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी के तौर पर देखे जा रहे जायसवाल ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने सीखा कि दवाब के क्षणों में कैसे बल्लेबाजी करनी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों में खेलने का अनुभव शानदार रहा। यहां पिचें अलग तरह की थीं। मैंने मैच के साथ नेट अभ्यास के दौरान भी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि मुझे खेल के दौरान दबाव से निपटने के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला क्योंकि ज्यादातर मैचों में दबाव था। जायसवाल ने टूर्नामेंट में 59 (श्रीलंका के खिलाफ), नाबाद 29 (जापान), 62 (आस्ट्रेलिया), नाबाद 105 (पाकिस्तान) और 88 (फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ) ने रन की पारियां खेलीं।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी उनके करिअर की काफी अहम शतकीय पारी है। मुंबई में टेंट में रहने के साथ पानी-पूरी बेचकर गुजारा करने वाले जायसवाल ने इस मौके पर जूनियर टीम के मुख्य चयनकर्ता आशीष कपूर के प्रति आभार जताया जिन्होंने उन्हें पारी का आगज करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अंडर-19 टीम के सभी चयनकर्ताओं ने मेरी मदद की। आशीष कपूर सर की वजह से मैंने पारी का अगाज करना शुरू किया। मैं सभी चयनकर्ताओं और कोचों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 91, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com